

मार्गका विरोधी है। किसी भी प्रकारका शिथिलाचार उस में जगह नहीं पा सकता; शिथिलाचारों गुरुओंके हाथमें जिस समय जैनवर्मकी रक्षाकी बागडोर पड़ गई थी उस समय कुछ शिथिलाचार अवश्य जारी हो गया था परन्तु विद्वान् व्यक्तियोंके प्रभावसे उसका पूर्ण प्रचार न हो सका। उस समय के लोगोंने शिथिलाचारकी कुछ वातें ग्रन्थोंके रूपमें परिणित कर दी परन्तु वे ग्रन्थोंमें ही पड़ी रहे। इन्हें कार्यरूपमें परिणित करनेके लिए किसीका साहस न हो सका परन्तु जिन महानुभावों ने शिथिलाचारकी वातोंको ग्रंथ रूपमें परिणित किया था। उन्हें दूरदर्शी अवश्य कहना पढ़ेगा क्योंकि उन्होंने यह अवश्य ही निश्चय करलिया होगा कि सौ दोसौ वर्ष बीतनेपर इन वातों का अवश्य आदर होगा। जिन वातोंको आज लोग नहीं मानते वे आगे जाकर जैन शास्त्रोंमें लिखी रहनेके कारण आप बचन मानी जाने लगेंगी उस समय ऐसे भी लोग जैन समाजमें जन्म लेंगे जो इन वातोंको आप बचन तिद्ध करनेकी पूरी पूरी चेष्टा करेंगे क्यों कि उनका यह विचार एकदा था कि पुरानी होनेपर ही ये वातें लोगोंकी अद्वाभाजन वन जाय गी।

चर्चासागरकी रचना शिथिलाचारी गुरुओंके शिथिलाचार प्रचारार्थ दी हुई थी क्योंकि पांडे चम्पालालजा विशेष विद्वान् न थे परन्तु शिथिलाचारी भट्टारकोंके पक्के शिष्य थे। इसलिए चर्चासागरमें शिथिलाचारकी वातोंका उन्होंने खबर ही समर्थन किया है यही नहीं शिथिलाचारी प्रथाके प्रचारार्थ उन्होंने मूल-संघके अचार्योंके भी बचनोंको अशुद्ध गढ़ डाला है।

यह ग्रंथ जब तक भंडारोंमें पड़ा था लोगोंने इसकी छान-
वीन नहीं की थी । कुछ विद्वानोंने इसे देखा भी था तो उन्हें यहाँ
कहना पड़ा कि यह ग्रंथ भ्रष्ट ग्रंथ है इसे न देखना चाहिये । सर-
नऊ जि० एटा निवासी पद्मावतीपुरवाल जातीय पूज्य प० जिने-
श्वरदासजीसे जैन जनता भले प्रकार परिचित हैं । पण्डितजी
जैन सिद्धांतके अच्छे जानकार थे और अच्छे कवि थे उनके पद
लोग बड़ा रुचिसे गाते हैं । उन्होंने अपना वहुभाग समय मार-
वाड़में विताया था । अनेक शिष्योंको ज्ञान दान दे मारवाड़में
जैन धर्मकी अपूर्व जागृति की थी अंतिम समय वे कुचामणकी
पाठशालाके अध्यापक थे उन्होंने यह ग्रंथ देखा था और
देखते ही कह दिया था कि यह ग्रंथ भ्रष्ट ग्रंथ है । मूल
संघकी आमनायको मर्लिन करने वाला है इसका स्वाध्याय
करना पाप हैं पण्डितजीके मुखसे यह चात सुनने वाले अब भी
कई व्यक्ति हैं । परन्तु जबसे इस ग्रंथका प्रकाशन हुआ है
इसे देखते ही धर्म भीरु जनता खलवला उठी है और इसके
विपर्यमें अनेक उहापांह होने लगी हैं क्योंकि इसमें अनेक विषय
ऐसे हैं जो प्राचीन जैन शास्त्रोंमें अथवा आमनाय परिपाटीमें देखे
सुने हो नहीं गये । हिंदू धर्ममें जो वातें मानी जाती हैं तथा
जिनको जेनी लोग मिथ्या कहते हैं उन्हींकी इसमें पुण्डि कीगई हैं
चर्चासागरके प्रकाशित होतेहो सारे जैन संसारमें उसके विरोध
कीचर्चा फैलगई । कलकत्ता शहरमी अपनेको इस चर्चासे अलग न
रख सका स्थानीय विद्वानोंने उसका उचित समाधान भी देंदिया ।

परंतु उसी समय पण्डित मक्खनलालजीका पथारना पर्युषणपर्वमें कलकत्ता होगया लोगोंने पण्डितजीके समक्ष भी चर्चासागरकी धर्म विरुद्ध वानें रखी और उनका शालोक समाधान चाहा किन्तु पण्डितजीने उस समय एक विलक्षण ही रूप धारण कर लिया; किसी वातका भी समाधान उनसे बन न पड़ा। जिन लोगोंने पण्डितजीसे चर्चासागरकी धर्मविरुद्ध वातोंकी चर्चा छलाई। पण्डितजीने उन्हें सुशाक विधवा विदाहका पोपक आदि कह कर चुप करना ही अपनी पण्डिताईकी शोभा समझी। भाई रत्नलालजी भाँझरी उस समय इस विषयमें चिशेप प्रयत्नशील थे। पंडितजी उन्होंपर टूट पड़े समक्ष में भी उनसे मन चाहा कहा और अपने द्वे कटमें भी गाली गलौज फरनेमें चूक नहीं की है।

एक दिन मुझे भी पंडितजीके साथ चर्चा करनेका सौभाग्य प्राप्त हो गया था यदि पंडितजीके अन्दर कुछ भी समझदारी होती तो चर्चासागरकी वातोंका वहीं निपटारा हो जाता परंतु पंडितजीका पारा उस समय मिथ्या हठ और कदायहसे इतना गरम था कि वे मेरे साथ वात करनेमें भीअपनी तोहीनी समझते थे। जिससमय वे चर्चासागरकी पुष्टिमें अनाप सनाप बोल रहे थे मुझसे वह न सुना गया और पंडितजीके साथ उस समय मैंने बोलना ही उचित समझा। उस समय पण्डितजीसे चर्चासागर की धर्म विरुद्ध वातोंकी पुष्टिमें एक भी प्रमाण न दिया जा सका उस दिन उनके साथ मेरी छ धंटे तक वातें हुईं परन्तु कुछ भी

सार न निकला । पण्डितजी ४-५दिन और भी कलकत्ता रहरे । ग्रंथ देख कर उन्होंने प्रमाणोंकी भी सोज को परन्तु समझमें बैठ कर थे प्रमाण न दे सके । मैंने बरावर पण्डितजीसे कहलवाया कि इस बातका निपटारा यहाँ बैठकर करलेना ठोक है, इस विषयको आगे बढ़ाना ठोक नहीं परन्तु पण्डितजीने इस बातपर जरा भी ध्यान न दिया उल्टा मुझे अपना शत्रु समझा । कलकत्ता समाज इस बातको अच्छी तरह जानती है । यह बात निश्चित है यदि धर्म वुद्धिकी भावनासे यह बात यहाँ निपट जाती तो समाजमें इतना तहलका भो न मचता और न जन धनकी शक्ति का इस प्रकार नाश होता । इसलिये यही कहना होगा कि इस समय चर्चासागरको लेकर जो भी जैन समाजमें कलह उठी हैं उसके प्रधान कारण प० मक्षवलालजो हो हैं । क्योंकि सबसे प्रथम यह आदोलन कलकत्तासे उठा था और पण्डितजी यहाँपर मौजूद थे वे धर्म वुद्धिसे यहाँके विद्वानोंसे विचार विमर्श करलेते तो यह आदोलन आगे न बढ़ता ।

खैर पहिली भूल जो हुई सो तो पण्डितजीसे हो गई । पान्तु दूसरी भूल उनसे यह हुई कि उन्होंने चर्चासागर पर शास्त्रीय प्रमाण यह द्वे कृ प्रकाशित कर डाला और उस दबो हुई बातको फिरसे उभाड़कर जैन समाजको शुश्राव कर दिया यह बहुत ही भूल हुई यदि यह द्वे कृ धर्मरक्षणार्थे होता और इसमें जो प्रमाण दियै है वे मान्य आवायोंके ठोक २ होते तथा जिन धर्म विरुद्ध बातोंका इसमें उल्लेख हैं उन्हें धर्म विरुद्ध हो चैताया जाता तो उस द्वे कृ

के उत्तरको कोई आवश्यकता नहीं थी परन्तु इसमें अष्ट ग्रंथोंके प्रमाण देकर उन धर्म विरुद्ध वातोंको पोषा गया है। मान्य प्राचीन आचार्योंके जो प्रमाण दिये हैं उनका विपरीत अर्थ समझाया गया है जिससे दि० जैन धर्म पर बड़ा भागी लांछन लगता है क्योंकि जैनधर्ममें इन शिखिलचारी धर्म विरुद्ध वातोंका समावेश नहो हो सकता। इसी वातको ध्यानमें रखकर पंडितजीके द्रेकृका उत्तर देना उचित समझागया है। यह जो पंडितजीके द्रेकृके खंडनमें यह द्रेकृ लिखा है उससे पाठक समझलेवें कि पंडितजीने जैन धर्मको मलिन बनानेके लिये कितना अर्थका अनर्थ किया है जो हो पंडितजीके इन कायोंसे स्पष्ट है कि इस समय चर्चासागरके सम्बन्धसे जो समाजमें वैमनस्य फैला है उसके मूल कारण पं० मक्खनलालजी ही हैं अपनेको बहुत बड़ा विद्रान् मान अहंकारके वश होकर उन्होंने यह कार्य किया है।

इस द्रेषटके लिखनेकी आवश्यकता

चर्चासागरके पक्षपाती हमारे ऊपर यह लाभ लगा सकते हैं कि चर्चासागरका अंदोलन प्रायः दब चुका था। यह द्रेष्ट निकाल कर निसे उसे प्रोत्साहित करना अनुचित है। इसका उत्तर यह है कि पं० मक्खनलालजीके द्रेकृदे लोगोंकी यह धारणा हो चुकी थी कि चर्चासागरको वार्त शास्त्रोक्त हैं। उस धारणाके दूर करनेके लिये इस द्रेकृका प्रकाशित करना परमाद्यक समझा गया क्योंकि पं० मक्खनलालजीके द्रेकृका खंडन

न प्रकाशित होनेसे पवित्र दि० जैनधर्मको निर्मलतामें वदा लगता था ।

दूसरे पं० मक्खनलालजीने जगह २ अपने ट्रैकटमें इस बात का उल्लेख किया है कि “यह चर्चासागरका आन्दोलन धर्म-विरोधी सुशारकोंका चलाया हुआ है-वे लोग जैनधर्मको बदनाम करना चाहते हैं” परन्तु इतने लम्बे समयको प्रतीक्षामें हमें यह निश्चित होगया है कि इस आन्दोलनमें सुशारकोंका कोई हाथ नहीं । समाजके कर्णधार धर्मात्मा श्रीमान और विद्वान एक स्वरसे चर्चासागरके विरोधी हैं । चर्चासागरके विरोधमें जगह जगह समाये और उनकी सम्पत्तियाँ जो समाचार पत्रोंमें प्रकाशित हुई हैं उनसे यह बात भली भाँति स्पष्ट है । पं० मक्खनलालजीसे जब उत्तर नहीं बनता तो वे ऐसा ही जाल रचते हैं परन्तु सुशारकोंको चर्चासागरका विरोधी जो उन्होंने बताया है वह जाल उनका यहां नहीं चलसकता चर्चासागर और प० मक्खनलाल जीके भूष्ट्रैकटसे जो धार्मिक जनताको जो नितान्त कष्ट हुआ है और इन भ्रष्ट बातोंके खण्डनार्थ ट्रैकट निकालनेकी उनकी अद्यतक प्रेरणा जारी है इसीलिये यह ट्रैकट प्रकाशित किया जा रहा है ।

तीसरे चर्चासागरका आन्दोलन बन्द था यह भी चर्चासागरके पक्षपातियोंका कहना, कुछ तथ्य नहीं रख सकता । कारण जैन-बोधक पत्रमें बराबर चर्चासागरकी पुष्टिमें उल्लेख रहता है पृथ्ये पं० माणिकचन्द्रजी, मेरा और मार्ह रत्नलालजीकानाम देकर सदा वह

“अपनी उदार पूर्ति करता रहता है। इस बातका तो वह कई बार सल्लेख कर चुका है कि मोरेना विद्यालयसे पं० मक्खनलालजीने पं० माणिकचंद्रजीको निकलवा दिया था इसलिये वे मक्खनलाल जीसे दुश्मनी मानते हैं गजाधरलालको भा० जैन सि० प्र० संस्थासे निकलवा दिया था इस रूपसे वे मक्खनलालजीके बैरी बन गये हैं।” लेखकके कहनेसे यही जान पड़ता है कि अब पं० मक्खनलालजी ही हमारे भाग्य विधाता हो गये। आश्चर्य यह है उन नीच आक्रमण परिपूर्ण पंक्तियोंका लेखक अपना नाम देनेसे भी घबड़ाता है फिर तो उस आक्रमणके जिम्मेवार सम्पादक महोदय ही हो सकते हैं जो कि उनके लिये ऐसा कार्य शोभा नहीं देता इसका उत्तर विशेष न देकर हमें यही कहता है कि मेरे निकल जानेपर भा० जैन सि० प्र० संस्था कौड़ियों के मोलकी होगई है मेरे हाथमें जब उसका कायथ था तब उसकी शौकनावस्था विकसित होती चली जाती थी। जिस लेखकने यह नीच आक्रमण किया है यदि उसे कुछ भी लिहाज हो तो वह संस्थाको धुनः उसी रूपमें कायम करनेका प्रयत्न करै पं० मक्खनलालजीने भी इसभूठे नीचाक्रमणका प्रतिवाद नहीं किया है इससे यही जान पड़ता है इस नीचाक्रमणमें उनका भी पूर्ण द्वाय है तब कमसे कम उन्हें तो संस्थाकी दुर्दशासे दुःखिन छोना चाहिये जबतक संस्थामें रकम रही, खूब लूटी। जब वह पूरी हुई उधर पण्डितजीकी दूकानका काम भी चलना चन्द्र द्वाय सब लहूलहाते हुए मोरेना विद्यालय रूपी सुन्दर

चर्णीचेमें वे जा घुसे और विना भाँमाटोंके गुलछर्ए उड़ाने लगे । ऐसा करनेमें बुद्धिमानी नहीं । पूज्य पण्डित माणिकचंद्रजीसे चर्षों पढ़कर भी उनके विषयमें नीचाक्रमण देख पं० मक्खनलाल जीका चुप रहना शुरु होयना है परन्तु क्या किया जाय आश्त की लाचारी है । ऐसे प्रचारसे विद्रोहकी समाजता नहीं सिद्ध हो सकती इतना ही नहीं समयर पर यह भी प्रचार किया गया कि “पं० मक्खनलालजीके ट्रैकट्रको कोई जवाब नहीं था सकता । उनके ट्रैकट्रके खण्डनमें कोई ट्रैकट्रक लिखा जा रहा है यह धोखेवाजी की जारही है इत्यादि घटनाओंने भी इस ट्रैकट्रके प्रकाशित करनेकेलिये बाध्य बनादिया इसीलिये इसका प्रकाशन करना पड़ा । पाठक पूर्ण विचारके साथ इसे पढ़ें । उन्हें मालूम हो जायगा कि चर्चासागरकी पुस्तिमें पं० मक्खनलालजीने अक्तला अनर्थ किया है और असली बात क्या है यद्यपि कुछ उद्घटन व्यक्ति हमारे इस ट्रैकट्रपर भी ऊपटांग लिखेंगे अपनी कथाय चासना पुष्ट कर गे परन्तु उनको परीक्षा पाठक स्वयं कर लेंगे ।

पं० मक्खन लालजीने जो भूमिका लिखी है वह चिलकुल असंगत और मनगढ़त है पंडित जीने चर्चासागरके आंदोलनको सुधारकोंका आंदोलन बतलाया है जो कि चिलकुल झूठ है इसमें सुधारकोंका कोई हाथ नहीं ! आचार्य और उनके श्रन्थोंका हत्राला देकर यहभी बतलाया है कि इतने आचार्योंके प्रमाण रहतेमो चर्चासागर को भ्रष्ट बतलाना ठीक नहीं इसका समाधान यह है कि फ्रिजिन ब्रिलिंग वातोंके चर्चासागरमें उल्लेखहोनेसे भ्रष्ट कहा गया है

उनवार्तोंकी पुष्टिमें किसीभी मान्य आचार्यके बच्चोंका प्रमाण नहीं दिया है पंडितजीने ऐसा लिखकर समाजको धोखा दिया है आपने मुझपर यह बार किया है कि गजाघरलालजो अब कहें किस आचार्यको थे प्रमाण कहेंगे इसका उत्तर ट्रैकटसे ही होगा ट्रैकटमें आचार्योंकी प्रामाणिकताका पूर्ण विवार किया गया है। पंडितजीने यह भी लिखा है “न्याय तीर्थोंको ग्रन्थ देखना चाहिये न्यायतीर्थ होजाने भावमें कोई विद्वान् नहीं हो सकता न्यायतीर्थपरीक्षा ३-४ वर्षमें होती है” इत्यादि इसका उत्तर यह है कि महाराज ग्रन्थ मैंने अपसे कम तो नहीं देखे होंगे। न्यायतीर्थ परीक्षाका मुख्य कोई अभिमान भी नहीं। आपने उसकी प्राप्ति ३-४ वर्षमें लिखी है मैंने उसे १८वर्षमें ही पास किया था शायद आपको ३-४ वर्ष ही समय लगेगा क्योंकि उसकी प्राप्तिमें व्याकरण न्यायकी अच्छी योग्यताकी आवश्यकता है। जो हो आपकी निःसार मू-मिकापर हमें बहुत लिखना था परंतु इस ट्रैकटसे बहुत कुछ छुलासा हो जायना इसलिये जानबूझकर नहो लिखा है।

हमारी इच्छा थी कि यह ट्रैक शांतिसे निकाला जाना परन्तु भाई रत्नचालजीके इस आपदसे कि यह “पर्यौपण पर्वमें ही। नकल जाना चाहिये” इसलिये बहुत ज़रूरी हमे इसे निकालना पड़ा। यथापि संशोधनको काफ़ी सावधानी रखें हैं तथापि आर्टर प्रूफसी अशुद्धियां न ठीक होने ने वही २ कोई २ गलतियां इह गढ़ हैं पाठ न शुद्धनां गथ पढ़े ।

भद्र पा हमने मुनियांके बनवामकी पुष्टि की है, व्रहापर पेति-

हासिक प्रकरणके कुछ श्लोक प्रमाणों द्वारा पुष्टि करते समय वहाँ
की विषयकी सरलताके लिये पुनः दिये गये हैं पाठक इस दोषको
पुनरुक्त दोष न समझें ।

प्रकरणानुभार जहाँ २ हमने खंडन करनेके लिये चर्चा-
सागर और पं० मक्खनलालजीके शब्द उद्धृत किये हैं वहाँपर
कुछ तो हवह किये हैं । कहाँ कहाँ पर उनकी विशेष लम्बाई देख
थोड़े शब्दमें उनका भाव खो चा है । शब्दके ह यह न रहते भावांग
में कमी नहीं की है ।

प० मक्खनलालजीने इस द्वे कटके पात्रोपर बड़े कठोर शब्दोंकी
वर्षा हैं उनके बदलेमें हमें भी वह नीति नमू शब्दमें अपनानी पड़ी है
इस बातका भी हमें खेद ह ।

जिन महानु गवोंने इस द्वे कटके लिखते समय आरा जौन सिद्धान्त
भवनसे वा अन्यत्रमें गून्ड मंगाकर सहायता प्रदान की है । तथा
जिन्होंने कुछ ऐतिहासिक बातोंमें हमें मदद पहुँचाई है । द्वे कटके
प्रकाशन करते समय प्रूफ सशोधनादि सहायता दी हैं । अपना कार्य
शिथिल कर इसमें तन मन लगाया है तथा गुग ग्राहकता और उदारता
का परिचय दते हुए आर्थिक सहायता प्रदान की हैं उनके हम
दृढ़यसे आभारी हैं ।

हमने इस द्वे कटमें किसी पर कोई कदाक्ष नहीं किया है लोनसि-
द्धायान्त ना जो भी स्वरूप मनन किया है वह पाठज्ञोंके सामने रख
दिया है तथापि प्रमादवश हमसे कोई गलती हुई हो तो हम क्षमा
चाहते हैं । प० मक्खनलालजी हमारे मित्र हैं । धार्मिक बातकी
कक्षा केलिये हमें यह लिखता पड़ा है : च८ प्रत्युत्तरका समस्यामें कुछ
कठुकता आहो जाती है परन्तु वह हमारी कट्कता धर्मप्रेमसे है
द्वेष भावसे नहीं तथापि हम उसकी भी क्षमाके प्रार्थी हैं ।

प्रकाशकके दो शब्द

चर्चासागरसे यद्यपि समाज काफी सावधान हो चुकी है, जगह जगह बहिष्कार होना ही इसका ज्वलातं उदाहरण है, फिर भी पं० मध्यनलालजी न्योयालंकार द्वारा लिखित द्वेषसे कुछ लोगोंको भ्रम होना संभव हैं प्रस्तुत द्वैकृ इसीलिये निकाला गया है कि जिससे लोग धोखा न खाजायं। वास्तवमें हमारा यह प्रथास कतिपय गोवरणंथी पण्डितोंको समझानेके लिये हरगिंज वही है क्योंकि उन्होंने तो समाजमें भट्टारक पंथ पुनः चला शालनेका बीड़ा उठा रखा है। हमें तो सिर्फ् समाजके सामने इन विषयोंका आगम प्रमाण रखना या बंही बड़े मारी परिश्रम मारी खोज और छानबीनके साथ इस द्वैकृके रूपमें समाजके सामने उपस्थित किया जा रहा है अनेक आचार्योंके पुष्ट प्रमाणों से यह चात भलोभांती सिद्ध कर दी गई है कि 'चर्चासागरकी अटपटांग चातें एवं पं० मध्यनलालजीका' निःसार संमर्थन जैनाधम और जैन सिद्धान्तके संबोधा विरुद्ध हैं।

समाजसे हमारा नम्र निवेदन है कि वह शांतचित्तप्ते इसमें दिये गये प्रमाणोंकी छानबीन कर विचार करेंगी कि वास्तवमें यह चर्चासागर थोर एवं पं० मध्यनलालजीके शास्त्रोय प्रमाण कितने आगम विरुद्ध हैं, और महा अनर्थ करनेवाले हैं। आशा है समाज धार्म रक्षके इसे कार्यमें कठिनवद्ध होकर सचेत होजायगी। क्योंकि ऐसे जालो अर्थोंके प्रकाशनका कार्य बराबर जारी है, "सूर्य प्रकाश" और "दान विचार, इसके नम्रने हैं"।

अन्तमें जिन महामुभावोंने इस द्वैकृके प्रकाशनमें धन और परिश्रमाद्विसे हमें सहायता दी है उनके हम अत्यन्त आभासे हैं।

निनीतः—
रत्ननलाल भांभरी

चर्चासागरके इतिहासीय प्रमाणोंपरे

विचार

* * * *

ऐतिहासिक दृष्टिसे मुनियोंका निवासस्थान, श्राद्ध, तर्पण आदि धर्मविरुद्ध बातोंकी

मीमांसा

अल्लौद्ध-

चर्चासागर ग्रंथ जबसे प्रकाशित हुआ है लोग एक बड़ी मारी ॥
उल्लङ्घनमें पढ़ गये हैं ॥ यदि यह ग्रंथ प्रकाशित न होता तो जनताकी ॥
दृष्टि शायद इन विषेयोंपर नहीं पड़ती तथा भट्टारक गुन्थोंमें जिस ॥
प्रकार शिथिलाचारकी 'पीषक और' बातें पढ़ी हैं और उनपर 'अमल' ॥
नहीं किया जाता 'चैसी इसकी बातें' भी पढ़ी रहतीं और अमलमें ने ॥
आतीं परन्तु मुनियोंको गांव-नगरके 'भीतर जिन मन्दिरोंमें' रहना ॥
चाहिये बनमें न रहना चाहिये, गोवरसे आरनी, गायका दान; श्राद्ध, ॥
तर्पण आदि 'धर्म विपरीत बातें' श्रावकोंको 'करना चाहिये, चर्चा
सागरके इन शब्दोंने लोगोंके चित्तोंमें 'धर्यल पुथल पैदा' करदी है ।
लोग बड़ी मारी भ्रममें यह गये हैं ॥ 'जो हो, ये बातें' कब और कैसे ॥

धैदा हुईं ! जैन शास्त्रोंमें ये बातें कब मिलाई गईं ! हम सक्षेपमें इस विषयके इतिहासका उल्लेख किये देते हैं जिससे पाठक अच्छी तरह समझ ले गे कि मुनियोंका जिन मन्दिरोंमें रहना कबसे शुरू हुआ ? पूर्वाचार्योंके बचनोंमें किसप्रकार परिवर्तन किया गया ? जैन शास्त्रोंमें हिन्दू धर्मकी धातोंका किस समय किस रीतिसे समाधेश किया गया ? पूर्वाचार्योंके नाम पर कैसे २ ग्रन्थोंकी रचना हुई, तथा आजकलके विद्वान उन ग्रन्थोंमें धर्मविरुद्ध बातें देखकर भी पक्षपातसे किसप्रकार उन्हें दिगंबर जैन शास्त्रका रूप दे रहे हैं ? और जैन धर्मको मलिन बनानेकी महा निन्दनीय चेष्टा कर रहे हैं ।

छह प्रकारके बाध्य और छह प्रकारके अन्तरङ्ग, इस प्रकार तपके अंदर आरह हैं, अंतरंग तपोंमें अन्तका तप ध्यान है । सब तपोंमें यह ध्योन तप ही सार है क्योंकि मोक्ष फल और स्यर्ण आदि उस-मोक्षम फलोंकी प्राप्ति इसी ध्यान तपके द्वारा होती है; शेष सभी तप इसके सहायक था साधक हैं । इस ध्यान तपका आराधन गृहस्थ और मुनि दोनों ही करते हैं । ध्यान करना मुनियों का तो खास काम है ही किन्तु अनेक ध्यानी गृहस्थोंका भी शास्त्रोंमें भले प्रकार चर्णन है । दूसरे पदार्थोंकी चिन्तासे हटकर जिस एक पदार्थका ध्यान किया जाय उस पदार्थमें चिन्तकी एकाग्रता (लीनता) होना ही ध्यान है । यह एकाग्रता घृत कठिन पदार्थ है । नीयावान जड़ोंमें रहनेवाले भी जय ऐसी एकाग्रता नहीं प्राप्त कर सकते तब कोलाहलपूर्ण स्थानोंमें तो, इसकी प्राप्ति

हो ही नहीं सकती । इसीलिये शास्त्रकारोंने जिस क्षेत्रमें भनुष्योंका आवागमन वा सहचोस न हो, किसी प्रकारको कोलाहल वा घटटा आदिके शब्द न हों, और जो निर्जन शांत हो वही क्षेत्र ध्यानके योग्य कहा है । मुनियोंको ही ऐसे शांत क्षेत्रमें ध्यानकी आज्ञा नहीं है गृहस्थोंके लिये भी शांत प्रदेश ही ध्यानका स्थान बतलाया है । प्रातःस्मरणीय भगवान् समंतभद्राचार्य गृहस्थोंके लिये ध्यानका स्थान इस प्रकार बतलाते हैं —

एकांते सामयिकं निर्ब्याक्षेपे वनेषु वास्तुषु च
चैत्यालयेषु वापि च परिचेतव्यं प्रसन्नधिया ।६६।

रत्नकरणदशावकाचार

अर्थात्—वन-जंगल शून्य मकान चैत्यालय आदि उपद्रव रहित एकान्त स्थानमें प्रसन्न बुद्धिसे सामायिक करना चाहिये ।६५।

यहापर यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि भगवान् समंत भद्राचार्यने गृहस्थोंके ध्यानके लिये सबसे प्रथम स्थान वन बतलाया है उसके बाद सूना घर फिर चैत्यालयका जिक्र किया है । इसका खास मतलब यही है कि ध्यानकी निष्चलता वन जंगलोंमें ही हो सकती है । यदि गृहस्थ किसी समय ध्यानके समय घनोंमें न पहु च सके तो उसे एकान्त चैत्यालय—जिनमन्दिरोंमें ध्यान कर लेना चाहिये । स्वामी समंतभद्राचार्यको जिसप्रकार ध्यान का अनुभव था, उसीप्रकार उन्हें यह भी खूब मालूम था कि ध्यान किस नगह छैठकर अच्छी तरह हो सकता है । इसीलिये

उन्होंने गृहस्थोंके लिये भी स्थानसे पहली अग्रह-जंगल हो ; वनलाईड़ है ; लाचारीके दर्जे उन्हें छौट्यालयकी जगहका उड़ेख़ करना । पढ़ा है । विचारनेकी बात है जब स्वामी समंतमार्गार्थी गृहस्थोंके लिये सौभ्यानको स्थान बन बतलाते हैं, तो मुनियोंके लिये तो उनके सतानुसार, ध्यानका स्थान बन ही है । यह क्षेत्री कल्पना हो नहीं । इतनकरण्ड श्रावकाचारमें जहांपर ध्यानह प्रतिमार्गोंका वर्णन किया है वहांपर ध्यारहर्वीं प्रतिमाके धारक, उत्कृष्ट-श्रावक, (पलक)-के लिये वह स्पष्ट विधान किया गया है कि वह गुरुके निकट, ब्रह्मप्रहणार्थी मुनिवनको जाता है, जिससे मुनियोंका निवासस्थान बन है, यह शिलकुल स्पष्ट हो जाता है और यह बात अच्छी तरह ध्यानमें आ जाती है, कि जामनगरके भीतर चौत्यालय वा जैन-मन्दिर मुनियोंके रहने वा ध्यानके स्थान, नहीं । यह विषय आगे अच्छी तरह स्पष्ट किया जाएगा ।

‘सुदर्शनत्त्वरित्र’- पढ़वेवालोंको अच्छी तरह मालूम है कि सुदर्शन सेठ एक बहुत बड़े श्रीमान् गृहस्थ श्रावक थे । और परम धर्मात्मा थे । यद्यपि, उनकेलिये अनेक चौत्यालय और जिनमन्दिर ध्यानके स्थान थे, परन्तु वे अप्टमी चतुर्दशीको नियमसे ध्यान बन हीमें किया करते थे । इसका यहो कारण है कि वे ध्यान के रसको पहिचानते थे, इसलिये उसका विशेष आनन्द लेनेके लिये बन ही ध्यानके लिये उन्होंने उपयुक्त स्थान समझा था ।

जो महानुभाव विद्वान है और ऐतिहासिक हृषिके जिन्होंने शास्त्रोंका अनुम्रव किया है उन्हें अच्छीतरह मालूम है कि सामान्-

‘न्य रूपसे मुनियोंके ‘रहने वा ध्यानकें स्थान घन-पर्वत’ गुफाएँ
आदि ही हैं किन्तु जो मुनि कर्म शक्तिके धारक हैं—पर्वत नदीतट
आदि स्थानोंपर ध्यान करनेकी प्राप्तिता नहीं रखते, उनके लिये वैष-
विकार्या विधान किया गया है जो कि मुनियोंके रहने योग्य सूने
मकानके रूपमें होती है। और वह प्राम वा नगरके बाह्य जंगलोंके
शून्य स्थानोंमें हुआ करती हैं, किन्तु प्राम नगरके भीतर चौत्यालय-
जिनमन्दिरोंमें कहीं भी मुनियोंके रहनेका विधान नहीं। यदि
शिथिलाचारके ‘जमानेमें’ उस समयके जमानेकी खूबीसे ‘पीछेके
अन्धोंमें’ ‘कहोंपर’ चौत्यालय ‘जिनमन्दिरोंमें’ ‘रहनेका’ उल्लेख भी
मिले तो ‘धहांपर’ ‘मान्य’ ‘पूर्वीचार्योंके’ ‘धचनोंसे’ मिलाकर निर्णय
कर लेना चाहिये, क्योंकि जैन ‘शास्त्रोंका’ ‘वचन’ ‘पूर्वीपरविरीधी
नहीं हो सकता। “विशेषध्यान देना होगा। ‘पूर्वीचार्योंके’ धचनों
पर ही ‘विशेषध्यान देना’ होगा। ‘पूर्वीचार्योंके’ धचनोंसे मुनियोंका
प्राम और नगरके भीतर “चौत्यालयोंमें” रहनां कहीं भी सिद्ध नहीं
होता। इसलिये आचार्योंके ‘धचनोंके’ आनकार विद्वानोंकी हृषिमें
तो “प्राम और” नगरके “चौत्यालयोंमें” रहना मुनियोंके लिये वाधित
है ही, परंतु जो लोग विशेष रूपसे शास्त्र नहीं जानते वे भी गुरुओं
की स्तुति आदिसे यह समझते हैं कि मुनिगण ‘वनोंमें’ ही रहते हैं,
क्योंकि ऐसी कोई गुरुस्तुति नहीं देखी जाती जिसमें चौत्यालय
और जिन मन्दिरोंमें ‘मुनियोंका’ रहना कहा गया हो। इस प्रकार
विद्वान और “मासूली” धर्मके जानकार दोनों ही प्रकारके संज्ञोंका
मुनियोंके “धनधारि” ये ही जीव हृषि अद्वैत वृजा ‘आता है’ तथा

उत्तमा गाँव वा नगरके भीतर चैत्यालयादि में ही निवास बतलाना एक प्रकारसे चित्तमें हलचल पैदा कर देता है। इसी तरह गोवरसे आरती, आङ्ग तर्पण गोदान आदि धर्म विहङ्ग पातोंका कसी भी जैनधर्ममें समावेश नहीं हो सकता, यदि किसी शास्त्रमें ये बातें दीख पड़े भी तो लोगों के चित्तोंमें धर्मके विषयमें अनेक शङ्काएँ उठना स्वाभाविक ही है। उन बातोंको वे धर्म नहीं मान सकते ।

जिन्हें बीती बातों पर विचार करना हो, पूर्वकालीन किसी भी शताब्दीकी प्रगति जाननी हो, उनके लिये इतिहास बड़े कामकी बीज है। किसी समय इतिहासकी खूबीका लोगोंको भलेही ज्ञान न रहा हो परन्तु आजकल इतिहासको जो महत्व प्राप्त है वह किसी से छिपा नहीं है। धर्मोंके अन्दर मतसेव होनेके कारण अपने २ मतके कट्टर पक्षपातसे लोग एक दूसरेके धार्मिक मन्थों पर भले ही विश्वास न करें परन्तु ऐतिहासिक लेख, पट्टावली, शिला लेख आदिकी बातें लोगोंको माननी ही पड़ती हैं। आज जिन बातोंका इतिहास प्रमाण मौजूद है लोग वही दिलचस्पीके साथ उन पर विचार करते हैं और पूर्ण छान बीनके सोथ उन्हें अपनानेमें किसी बातका संकोच नहीं रखते ।

जैन इतिहास इस समय प्रायः लुप्ता जान पड़ता है। इतिहास सम्बन्धी कुछ सामग्री मिलनी भी ही तो उसपर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता—सोधारण जनता तो उसे महत्वकी दृष्टिसे ही नहीं देखती। यही कारण है कि आज हम किसी बात पर खुल-

कर विचार नहीं कर पाते । भगवान् महावीरस्वामीके बाद जैन धर्म कथतक सुरक्षित और निर्मल रहा । कब उसमें शिथिलाच । रक्तों सुन्नपात हुआ ? कब उसका प्रभाव थड़ा ? उस समय जैन धर्म किस रूपमें दला ? किस समय जैन धर्म पर क्या आपत्ति आई ? और वह आपत्ति कैसे कष्ट दूर हुई ? वे सब थातें यद्यपि ऐतिहासिक रूपसे शृंखलाघट्ठ नहीं हैं, फिर भी जिस सदी (शताब्दी) से प्रन्थोंकी रचना हुई है, उस सदीसे आजतक के प्रन्थोंका पर्यवेक्षण करने पर ये थाते बहुत कुछ खुलासा हो जाती हैं और उन्हें इतिहासका रूप प्राप्त हो जाने पर वे लोगोंकी विश्वास माजन बन जाती हैं ।

जिगन्धर मुनियोंकी वृत्ति सदा सिंहके समान रहती है । परी पहें के सहन व रनेके लिये वे घनेंमें निवास करते हैं । इस लिये गांव और नगरके भीतर जिनालयोंमें उनका निवास घायित हैं । गांव नगरों का रहना मुनियोंने कबसे शुरू किया उसका खुलासा इस प्रकार हैः—

धर्मानमें जितने भी शास्त्र उपलब्ध हैं उनमें सबसे प्राचीन शास्त्र भगवान् कुंद कुदके बनाये प्रायः मिलते हैं, इस लिये इस कलिकालमें सबसे पहिले शास्त्रोंके निर्माण करने वाले भगवान् कुंद कुद भी थे, यह मानना ही होगा । भगवान् कुंदकुंदने विं सं० ४९में आचार्य पद धारण किया था और १०१ में उनका स्वर्गरोहण हुआ था । उपर प्राभृतप्रथमें, मुनियोंकी दीक्षाका स्वरूप बतलाते हुए, मुनियोंके रहने तथा ध्यानके योग्य स्थानोंका जो उल्लेख किया है वह इस प्रकार है—

-सुगणहरे तस्हहटे उजारो तह मसाणवासे वा
गिरिगुरिगिरिसिहरे वा भीमवरो अहव वंसिते वा ४२

इसमें सुने मकान, बृक्षोंके मूल (अधो मोग) उपवन, मर-
घट भूमि, पर्वतकी गुफा, गिरि शिखर, भयङ्कर चन तथा वसति-
कायें, इनको मुनियोंके रहने सौर ध्यान करनेके योग्य स्थान बत-
लाया है। भगवान् कुंदकुंद अपने समयके दिव्य ज्ञानी आचार्य
थे। उन्होंने महान शक्ति और हीनशक्ति दोनों प्रकारके मुनियोंके
रहने योग्य स्थोनका उल्लेख किया है अर्थात् महान शक्तिके धराक
मुनिगण गिरि गुफा आदि कहीं भी रह सकते हैं; परं जिन मुनियों
की शक्ति हीन हैं वे वसतिकाभोंमें रह सकते हैं जो कि नगरसे
वास्तु जंगलोंमें हुआ करती हैं। इसके सिवाय और कहीं रहनेकी
शास्त्र आज्ञा नहीं। यहाँ पर कहीं भी ग्राम नगरके भीतर जिन
मन्दिरोंमें रहनेकी आचार्य महाराजने आज्ञा नहीं दी यदि ये ग्राम
नगरके भीतर जिन मन्दिरोंमें रहना मुनियोंका उचित समझते
तो अवश्य इस बातका उल्लेख करते। भगवान् कुंदकुंदके बाद हम
स्वासी समंतमदके जमानेकी ओर झुकते हैं—

भगवान् समंतमद्र दूसरी शतोब्दीके प्रथल आचार्य...माने
जाते हैं। भगवान् कुंदकुंदने मुनियोंके रहने योग्य जिन स्थानों
का उल्लेख किया भगवान् समंतमद्रके जमानेमें वह परम्परा जयों
की त्यां चायम रही। भगवान् समंतसद्वने तो त्यारहवें प्रतिमा
के भारक उल्लष्ट श्रावकों भी जनघासी बतलाया है। यथा----

यहतो सुनिवन्मित्वा गुरुपकंठे ब्रतानि परिगृह्ण
भैद्याशनस्तपस्यन्नुत्कृष्टश्चेलखंडधरः ।

अर्थात् घरसे निकलकर अहा मुनिराज विराजते हीं उस घनमें जाकर गुरुके समीप ब्रतोंको प्रहणकर भिक्षाधृतिसे सोजन करने वाला तपस्वी को योन मात्र परिगृहका धारक उत्कृष्ट श्रावक पलक होता ही। यदांपर 'मुनिवन' और 'गुरुपकंठ' इन शब्दोंका उल्लेखकर समंतभद्राचार्यने यह स्पष्ट कर दिया है कि मुनियोंका रहना घनमें ही था। विवाहनेकी धात है जय स्वामी समतभद्राचार्य उत्कृष्ट श्रावक पलकोंको भी घनमें रहनेकी आव्हा देते हीं तथ मुनियोंको ग्राम नगरके भीतर जिनमन्दिरोंमें रहनेकी आव्हा कैसे दे सकते हीं। यदि मुनियोंको ग्राम नगरके भीतर जिनालयोंमें रहना उन्हे अभीष्ट होता तो पलकको मुनिवनमें जानेका वे उल्लेख नहीं करते, इनना ही कहकर छुप हो जाते कि उत्कृष्ट श्रावकको मुनिसे ज्रत धारण कर लेने चाहिये। इसाँलिये यह धात 'स्पष्ट' है कि स्वामी समतभद्राचार्यके समयमें मुनिगण गांव नगरके भीतर जिन मन्दिरोंमें निवास नहीं करते थे वे यनवासी हीं थे। अब हम 'भगवज्जिनसेनाचार्यके जमानेकी ओर ध्यान देते हीं—

भगवज्जिनसेनाचार्य अपने समयके विशेष ज्ञानी ज्ञाचार्य थे, यह उनके आदिपुराणकी रचनासे भली भाति मालूम हो जाता है। भगवज्जिन सेनाचार्य शककी आठवीं शताब्दीमें विद्यमान थे। उन्होंने शक संवत् ७५९ में 'जयधवला' हीकाको बनाकर 'समाप्त'

किया है। इस समय तक भगवान् बुद्धुद्वंद्की उपदेशी मुनियोंके बनवासकी प्रथा प्राप्ति स्थोंकी दृग्भूत सुरक्षित थी। मुनिगण बनमें ही निवास करते थे। आदि पुराणमें जहां भगवज्जितसेना चार्यने मुनियोंके ध्यान योग्य स्थानका बर्णन किया है वहां इस प्रकार लिखा है...

**शून्यालये श्मसाने वा जंरदुधानकेऽपि वा
सरित्पुलिनगिर्यगद्धरे द्रुमकोटरे । ५७। पर्व २१**

१ अर्थात्... 'शून्य यृह मसाण जीर्ण उद्यान नदीके पुलिन गिरिके शिखरकी गुफा वृक्षनिके 'कोटर' ये मुनियोंके ध्यानके स्थान हैं। ५७ बसतोऽस्य जनाकीर्णे विषयानभिपश्यतः ।

वाहुल्यादिंद्रियार्थानां जातु व्यग्रीभवेन्मनः । ७८।

अर्थात्—जो कदाचित् साधु बसती (नगर) में रहै, तो लोकनिके विषय देखें सो देखिवेते इद्रियनिकी ध्याकुलता होय ताकरि मन ध्याकुल होय । ७८ ।

ततो विविक्षिशायित्वं वनेवासश्च योगिनां ।

इति साधारणो मार्गो जिनस्थविरकल्पयोः । ७९।

अर्थात्—ताँते योगोद्धनिकूँ यनविषये एकांत स्थानक विषये निवास करना योग्य है। यह जिन कल्पी स्थविर कल्पी दोऊ मुनिनिका सामान्य मार्ग है । ७९। यहांपर भगवज्जितसेनाचार्यने ग्राम

नगरके रहनेका घिलकुज्ज निषेध कर दिया है। यदि उन्हें ग्राम नगरके भीतर जिनालयोंमें मुनियोंका रहना असीष्ट होता तो वे अवश्य उस घातका उल्लेख करते और इस प्रकार खुलकर ग्राम नगरमें मुनियोंके रहनेका निषेध नहीं करते। इससे यड़ सिद्ध है कि विक्रमकी नघमी शानाच्छ्री तक भगवान् कुन्दकुन्दकी संप्रदाय अविच्छिन्न थी। ग्राम नगरके भीतर जिनालयोंमें रहनेकी प्रायद गन्ध तक भी न थी। अब इम भगवज्जनसेनाचार्यके शिष्य श्रीगुणभद्राचार्यके समयमें मुनियोंके रहनेकी क्या व्यवस्था थी? इस विपर्यपर विचार करते हैं।

गुणभद्राचार्य भगवज्जनसेनाचार्यके प्रधान शिष्य थे, जिन्होंने भगवज्जनसेनाचार्यके अधूरे महापुराणको शक संवत् ८२० में पूरा किया था। इन्होंने अपने आत्मानुशासनमें लिखा है—

इतस्ततश्च त्रस्यंतो विभावर्या यथा मृगाः।

वनाद्रसर्त्युपग्रामं कलौ कष्टं तपस्विनः। १६७

अर्थात्—वहे येदकी वात है कि इस कालिकालमें मुनिजन इधर उधर भवभीत हुए मृगोंकी तरह वनसे आकर रात्रिको नगरके समीप रहते हैं। गुणभद्राचार्यके इन वचनोंसे स्पष्ट है कि उस समयके कुछ दिग्म्बर मुनियोंमें इतना ही शिथिलाचार जारी हुआ था कि वे रात्रिके समय ग्रामके समीप आकर वसने लगे थे। इतनेपर भी गुणभद्राचार्यने महान् खेद प्रगट किया है। यदि उस समय धूलसंघके अनुयायी सबे मुनियोंमें ग्राम नगरके

भीतर जिन मन्दिरोंमें रहना शुक्र हो जाता तो उसका भी गुणभद्री वार्य अवश्य उल्लेख करते और वैसा शिथिलाचार देख कर वे और भी खेदकारी उद्गार निकालते । इसोरा तो यहांतक अनुमान है कि गांव नगरोंके भीतर जिनालयोंमें निबास करनेवाले साधुओंकी वृत्ति भयभीत जान वे उन्हें जैनाभास भी कहे देते तो कोई आश्चर्य न था । कुछ भी हो आचार्य गुणभद्रने अपेक्षे जमानेमें मूलसंघके आचार्योंमें वैसा शिथिलाचार न देखने आदि किसी कारणसे भले ही उन्हें जैनाभास न कहा हो परंतु उनके ३५ संघोंके बाद दर्शनसारको रचकर समाप्त करने वाले आचार्य देवसेनने काष्ठासंघ मायुरसंघ और शाविड़ संघोंको जैनाभास कर ही ढाला ।

आचार्य देवसेनने बिं सं १९० में दर्शनसारकी रचना की है । इनके पहिले काष्ठासंघ और मायुरसंघ और शाविड़ संघोंकी रचना हो चुकी थी मूलसंघकी अपेक्षा इन संघोंमें कुछ कुछ शिथिलाचारकी प्रवृत्ति हो चली थी । जिससे देवसेन सूरिने उन्हें जैनाभास कहनेमें जरा भी संकोच नहीं किया । देवसेन सूरिने जो काष्ठासंघ आदिको लैनाभास कहा है उसे प्रायः आचार्य गुणभद्रकी खेद ध्यंजक थाहफाही ध्यकरूप समझना चाहिये; क्योंकि शिथिलाचारी मनियोंको ढरपोक कहनेका प्रथम साहस-सम्मदतः उन्हींके द्वारा किया गया जान पढ़ता है ।

आचार्य गुणभद्र और देवसेन सूरिके अधिनोंके आचारसे इतिहासकी सूचि करनेपर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि शुण

भद्राचार्यके समयमें शिथिलाचारका प्रारम्भ हो चला था, देव सेन सूरिके समयमें उसकी प्रथलता बढ़ गई थी और सूल-संधका आदर्श मत्तिन होता जा रहा था । इसलिये देवसेन सूरिको, जो कि अपने समयके अच्छे तपस्वी और प्रमाणी आचार्य थे, ऐसे उद्धार निकालने पड़े । अस्तु; विक्रमकी दशर्वी शताब्दी तक शिथिलाचारियोंको जैनाभास तो जखर कहा गया है परन्तु दशर्वी शताब्दी तकके किसी भी प्रन्थमें प्राम नगरोंके सीतर जिन मन्दिरोंमें जिवास करनेकी मुनियोंको धाक्षा नहीं दी गई । आचार्य गुणभद्रके जमानेमें जो एक प्रकारके शिथिलाचारका सुअप्राप्त हो गयो था, इसमें सन्देह नहीं कि उसने भयझर रूप धारण कर लिया था । और इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि शिथिलाचार की वे बातें सहन भी हो निकली थीं—उन्हे प्रायः दुरा न समझा, जाता था इस बातकी पुष्टिके लिये हम यहाँ यशस्तिलकके कर्ता सोमदेव, आचार्यके बचनोंको उद्धृत करते हैं—

काले कलो चले चित्ते देहे चान्नादिकीटके ।

एतच्चित्रं यद्यापि जिनरूपधरा नराः ।

यथा पूज्यं जिनेद्राणां रूपं लेपादिनिर्मितं ।

तथा पूर्वमुनिङ्गाया पूज्याः संप्रति संमताः । ।

अर्थात्—इस कलिकालमें जब कि चित्त सदा चञ्चल रहता है और शरीर अनंका कीड़ा बना हुआ है यह आश्रय है जो आज भी दिगम्बर रूपके धारक पुरुष मौजूद हैं । जिस यकार-

जिनेन्द्रकी लेपादिनिर्मित प्रतिमा भी पूज्य है, उसी प्रकार आजंकल के मुनियोंको पूर्व मुनियोंकी छाया समझ कर पूज्य मानना चाहिये ।

विक्रमकी ग्यारहवीं शताब्दी (शक सं ८८१) में आचार्य सोमदेवने यशस्तिलक घम्पूकी रचना की है । उन्होंने उस जग्मानेके अनुसार उस समयके मुनियोंका चित्र खींचा है । सोमदेव सूरिके इद वचनोंसे स्पष्ट है कि मुनियोंमें शिथिलाचारकी अधिकता हो गई थी, लोगोंकी उनमें रुचि बनी रहे; इसलिये उनके रहन संहनपर विशेष विचार नहीं किया । यहांपर यह बात खुलासा हो जाती है कि आचार्य गुणभद्रके समयमें कहाँ तो मुनियोंके जरासे भी शिथिलाचार पर इतनी कड़ाई थी और कहाँ साठ सत्तर वर्षके भीतर इतना परिवर्तन हो गया कि उस कड़ाईका प्रायः उल्लेख तक भी नहीं । मूल जिस रूपसे भी रहते थे उनका वही रूप कुछ आचार्यों द्वारा पूज्य कहा जाने लगा । यह सब समयकी बलिहारी है !!

उपर लिखा जा चुका है। क शककी नवमी शताब्दीसे दि० जैन मुनियोंमें एक प्रकारसे शिथिलाचारका सूत्रपात्र हो गया था । वे ग्रामके सभीप तथा धोरे २ ग्राम नगरके चौत्यालयोंमें रहने लगे थे । श्वेताम्बर मन्थोंमें भी उनके साधुओंमें इस शिथिलाचारका उल्लेख मिलता है । वीरनिवांग सं० ८५० के पहिले सभी श्वेताम्बर साधु अनवासी थे । परन्तु उसके बाद उनमें शिथिलाचारका उदय हुआ । अनवास छोड़कर वे मन्दिर वा चौत्यालयोंमें रहने लगे । उनके यहाँ एक 'सहृपद्म' नामका मन्थ है जो कि जिनश्वलभसूरिका बनाया

हुआ है और उसपर तीस हजारके करीब एक विस्तृत टीका है । उसको भूमिकामें लिखा है कि वीरनिः सं० ८५० के लगभग कुछ श्वेताम्बर साधुओंने बनवास छोड़कर जौत्यालयों या मन्दिरोंमें रहना शुरू कर दिया था । धीरे २ उनका बल बढ़ताही गया और करीब १५० वर्षोंमें इनकी खासी प्रबलता ही गई । इन्होंने अपने मतानुसार प्रन्थ रखे । जिनमन्दिरोंमें रहना प्रमाणित किया । और भी अनेक शिथिलाचारकी बातें अपनाईं । भोले शावक इन्हें गुरु मानने लगे । पुराने प्रन्थ नष्ट किये गये और उस समय बनवासियोंकी संख्या बहुत कम रह गई । श्रीजिनवल्लभ सूरि जिनदत्त सूरि और जिनपति सूरि इन श्वेताम्बर आण्योंने जिनमन्दिरोंमें रहनेवाले साधुओंके विरुद्ध घोर आन्दोलन किया और भी अनेक लोगोंने मन्दिरवासियोंके विरुद्ध आवाज उठाई । इस तरहसे सैकड़ों वर्षोंके बाद घड़ी कठिनतासे इन्हें सफलता मिली और मन्दिरवासी साधुओंको पराजित होना पड़ा । बहुत सम्भव है श्वेताम्बर साधुओंकी शिथिलाचारकी प्रवृत्ति देखकर ही कुछ दिग्बर साधुओंकी वैसी हो । प्रवृत्ति हो गई हो और श्वेताम्बर साधुओंके बद्दमान उन्होंने भी जिनमन्दिरोंमें रहना प्रारम्भ करदिया हो; क्योंकि श्वेताम्बर साधुओंकी यह शिथिलाचार की प्रवृत्ति दिग्बर साधुओंसे बहुत पहिले जारी हो चुकी थी । कुछ भी हो परन्तु यह बात अच्छी तरह निश्चित है कि ग्यारहवीं शताब्दीके आचार्य सोमदेवके समयमें शिथिलाचारका पूर्ण प्रचार हो चुका था । इसलिये मुनियोंकी छायाको भी पूज्य घतलानेका उन्हें आदेश करना पड़ा । जब सोमदेव सूरिके समयमें इतनी

भयङ्कर शिथिलना बढ़ चुकी थी तब आगे तो और भी शिथिलाचारने से भयङ्कर रूप धारण कर लिया होगा । धीरेके आवायोंकी कृतिसे शिथिलाचारका दिग्दर्शन न करा कर अब हम परिंद्रंत आशाधर जीके जमानेमें शिथिलाचारकी भयङ्करताका उल्लेख करते हैं ।

वि० सं० १३०० के अन्ततक पं० आशाधर जी जीवित थे । ये अपने समयके कितने बड़े विद्वान् थे, उनकी निर्माण की हुई कृतियाँ इस दातकी खात्री हैं । मुनिगण भी इनके पास अन्धयन करते थे यह इनकी जीवनीसे प्रगट है । वि० सं० १३०० में इन्होंने अपने अनगार धर्मामृत अन्ध पर स्वेष्ट टीका लिखी है । जिसमें कि मुनियोंके स्वरूपका विस्तारसे वर्णन है । उसके द्वितीय अध्यायमें, सम्यक्त्वका वर्णन करते हुए, उन्होंने इस प्रकार लिखा है—

मुद्रां सांव्यवहारिकीं विजगतीवेद्यासपोद्यार्हतीं
वामां केचिदहंयत्रो व्यवहरंत्यन्ये वहिस्तांश्रिताः
लोकं भूतवदाविशंत्यवशिनस्तच्छायया चापरे
म्लेच्छंतीह तकेस्त्रिध्रा परिचयं पुंद्रेहमोहैस्त्यजद्दृः

टीका—इ। क्षेत्रे संप्रतिकाले केचित्तापदाद्यो व्यवहरंति प्रवृत्तिनिवृत्तिविषयां कुवंति कां मुद्रां—मनोच्छ्रहं । किंविशिष्टां वामा—विपरीतां—जटाधारणभस्मोद्भूलनादिरूपां । किं विशिष्टाः संवाः, अर्द्धयत्रोऽहंकारिणः कि कृत्वा अपोद्य अपनादविषया कृत्वा निषिद्धेत्यर्थः । कां, मुद्रां । कि विशिष्टां व्यार्हतों । जैर्नां—आचेते—

क्यादिलिंगलक्षणा पुनः किं विशिष्टा ? । त्रजगतीवं धा – जगत्वय
नमस्यां । पुनरपि किं विशिष्टां । सांव्यवहारिकों समीचनप्रवृत्ति
वि वृत्तिप्रयोजनां पक्षे टंकादिनाणकाकृतिं समीचीनामपेद्य मिथ्या-
रूपां क्षुद्रा व्यवहरतीति व्याख्येयं । अन्ये पुरुद्व्यजिनलिंगधारिणो
मुनिमानिनोऽवशिनोऽजिसेद्वियाः सतस्तां तथाभूतामार्हतों मुद्रां
वहिः शरोरे न मनसि श्रिताः प्रपन्नाः, आविशंति संक्रामति विचे-
ष्टयंतीत्यर्थः । कं लोकं धर्मकाम जनं । किंवत् भूतवदप-
द्वैस्तुल्यं । धर्षरे पुनर्द्व्यजिनलिंगधारिणो मठपतयो म्लेच्छंति
स्लेच्छा इषाचरति लोक शाश्वविरुद्धमाचारं चरंतीत्यर्थः कथा
तच्छ्रायया--आहंतगतप्रतिरूपेण तथा च पठति —

पंडितैभ्रंष्टचारित्रैवंठरैश्च तपोधनैः ।

शासनं जिनचंद्रस्य निर्मलं मलिनोकृतं ।

भोः सम्यवत्वारधक ? त्यज -मुंचत्वं । कं त्रिधा परि-
वर्ण-मनसानुमोदनं वाचा कीर्तनं कायेन ससर्गं च । के: सह
तक्षः -कुत्सितैस्तेक्षितये । किं विशिष्टैः पुनर्देहमोहैः---पुरुपा-
कारमिथ्यात्वैः । तदुक्तं--

कापथे पथि दुःखानां कापथस्थेऽप्यसम्मतिः ।

असंवृत्तिरनुत्कीर्तिरमूढादष्टिरुच्यते ।

धारा अप्याहुः---

**पाखंडिनो विकर्मस्थान् वैडालब्रतिकान् शठान्
हेतुकान् वकवृत्तीश्च वाङ् मात्रेणापि नाच्येत् ।**

अर्थात्---मिथ्याहृष्टि तीन प्रकारके हैं । एक तो वे जो तीन जगद्की बन्दनोक भगवान् अहंतकी मुहाके निषेध करने वाले, महामिसानो, जटाधारण और मवूति लगानेवाले तपस्त्री हैं । दूसरे वे हैं जो इब्य रूपसे जिनमुद्राके धारक हैं, अपनेको मुनि सानते हैं, इन्द्रियोके वशभूत हैं, जिनकी आहंती मुदा बाहर शरीर में ही स्थित है, मनमें नहीं, और जो भूतोंकी तरह लोगोंको विचेष्टित करते हैं । और तीसरे वे हैं जो इब्य रूपसे तो निप्रथलिंग के धारक हैं किन्तु साधही मठोंके स्वामी धने हुए मुनि हैं । ये लोक और शास्त्रके विरुद्ध आचरण करनेवाले होनेसे म्लेच्छोंके समान हैं । इस लिय ग्रन्थकार कहते हैं कि ये तीनों प्रकारके मिथ्यात्मी चलते फिरते पुरुषके रूपमें साक्षात् मिथ्यात्म हैं इस लिये; हे सम्याद्वर्द्धनके आराधको-मन-बचन, कायसे इन तीनों प्रकारके द्वुष्ट निन्दित मिथ्या दृष्टियोंसे संपर्क छोड़ दो । ५० आशाधरजीने संस्कृत टोकामें:—

पण्डितैर्वृष्णवारित्रैर्वंठरैश्च तपोधनैः ।

शोसनं निनचंद्रस्य निर्मलं मस्तिनीकृनं ।

अर्थात्— भ्रष्ट आचरण करनेवाले पण्डितोंने और भ्रष्ट वारित्रके धारक घठर मुनियोंने भगवान् जिनेन्द्रके निर्मल शासनका मलिन बना डाला है । यह श्लोक कहीं दूसरी जगहका उद्धृत किया है जो कि वडे मस्तव्वका है । ५० आशाधरजी ने यह इच्छाक उद्धृत कर उस समयके मुनियोंको भ्रष्टना देख दहा खेद प्रगाट किया है तथा जिस ग्रन्थकारके ये बचन है उसके दुःस्ति दृदयको यह आइ समझनी चाहिये ।

पं० आशाधरजीके इन वचनोंसे इस बातका अच्छीतरह अच्छा लगता है कि तेरहवीं शताब्दीमें ऐसे भी दिगम्बर मुनि दोख पढ़ते थे जो बनका रहना छोड़कर धीरे २ मन्दिर मठोंमें रहते २ मठोंके स्वामी बन गये थे । अन्थकारने 'तच्छया' यह पद दिया हैं उससे यह बिलकुल स्पष्ट है कि वे वस्त्रधारी मट्टारक न थे किन्तु दिगम्बर जैन मुनि थे । और मठों वा जिनमन्दिरोंमें रहने २ उन्होंने उसे अपनी धौती समझ ली थी । आजकल भी जो महानुभाव दिगम्बर जैन मुनियोंको गाव-नगरके भीतर जिन-मन्दिरोंमें रहनेका पक्ष खींचते हैं उन्हें पण्डित आशाधरजीके 'जन वचनों' पर ध्यान देना चाहिये । ममताके दूर करनेके लिये मुनिवृत्ति धारण की जाती है, जब जिन मन्दिरोंमें रहनेकी ममता चनी ही रही तो मुनिवृत्ति धारण करना ही व्यर्थ है । अस्तु ।

शास्त्रीय प्रमाणोंसे यह बात अच्छीतरह सिद्ध है कि पं० आशाधरजीके जमानेमें तो दिगम्बर मुनियोंने अपनेको मठपति व्यक्ति बनाया था परन्तु पीछे विगड़ते विगड़ते उसका रूप भदारक हो गया । उन्होंने वस्त्र धारण कर लिये और अपनेको महाव्रती मानते हुए राजगद्वाका सुख भोगने लगे । विचारनेकी बात हैं यहिले तो दिगम्बर मुनियें गावके समीप रहना शुरू किया । पीछे वे मठ-मन्दिरोंमें रहने लगे । इसके बाद वे मठोंके स्वामी हुए । फिर दिगम्बर मुनियोंको भी छोड़कर भदारकोका रूप धारण किया और हर प्रकारसे विषय भोगोंमें मग्न रहने लगे । प्रारंभमें जरासी असोवधानी हो जानेसे धर्म नाशक यह कितना भयकर

विकार सत्पन्न हो गया ? यदि उन छोड़कर गांवके सभीप आकर-
रहनेवाले मुनियोंकी वृत्ति पर उस समय ध्यान दिया जाता और
मुसकी कड़ी बालोचना हो जाती तो निश्चय लिंगमें यह महा-
यिक्षुति स्थान ही न पाती ।

श्वेनाम्ब्राचार्य श्रीमहेंद्र सूरिने वि० स० १२९४ में एक शत-
पदी मामक प्रन्थकी रचना की है । पं० आशाधरजीके अनगार-
धर्मामृतसे ६ घण्ट पहिले इस प्रन्थका निर्माण हुआ था । उसमें
एक दिगम्बरमतविचार नामका प्रकारण है । उस समयके दिग-
म्बर जैन साधुओंको सक्षम्यमें रखकर उस ग्रथमें ऐसा लिखा है—
“दिगम्बर जन साधु, मठों मन्दिरोंमें रहते हैं, वहाँ आर्थिकायें भी
रखती हैं । शीतकालमें अश्विका महारा लेते हैं, पर्यालके, विछौलोंपर
सोते हैं, इत्यादि इससे भी मालूम होता है कि तेरहवीं शताब्दीमें
कुछ दिगम्बर जैन मुनियोंमें शिथिलाचारने पूर्ण घर कर लिया था ।

तेरहवीं शताब्दीके बाद मट्टारकोंकी खासी प्रबलता हो गई ।
सोलहवीं शताब्दी तक इनका इकछुता राज्य रहा । यदि किसीने
इस प्रथाके विरुद्ध आवाज भी उठाई तो वह चल नहो सकी ।
दशवीं शताब्दी तक कहीं भी दिगम्बर जैन शास्त्रोंमें मुनियोंको
जिनमन्दिरोंमें रहनेकी आज्ञा नहीं दीख पड़नी । तेरहवीं शता-
ब्दीके बाद होनेवाले इन्द्रनंदी महाराजने ददी ज्ञु बानसे मुनियोंको
मन्दिरोंमें रहनेकी राय मोत्र जाहिर की है परन्तु उस समय कुछ
२ मुनियोंने जिनमन्दिरोंमें रहना शुरू कर दिया था फिर वह मार्ग
विकृत होता चला गया । फिर मट्टारकोंका साम्राज्य आ गया,

सब तो मन्दिरोंमें रहना शिथिलाचार ही नहीं माना जाने लगा क्यों कि अधिकतासे जिनमन्दिर हो रहनेके स्थान घना लिये तब उसे शिथिलाचार बताना कठिन हो गया । उस समयमें जो जैन अन्थ बने उनमें भी मन्दिरोंमें रहना पुष्ट किया गया । पाठकोंके सामने हम रत्नमाला ग्रन्थका एक श्लोक रखते हैं—

कलौ काले वनेवासो वर्ज्यते मुनिसत्तमैः

स्थीयते च जिनागारप्रामादिषु विशेषतः । २२।

पृ० १०४ छपा

अर्थात् इस कलिकालमें मूनीश्वरोंने उनका वास छोड़ दिया हैं और वे जिनमन्दिर प्राम-नगरमें रहते हैं । रत्नमालाके कर्ता शिवकोटि नामसे वि० सं० १५०० में हो गये हैं । यह श्लोक इन्द्रनन्दी महाराजके श्लोकसे विलकुल मिलता-जुलता है । भेद इतना ही है कि इन्द्रनन्दीने राय मात्र दी है और इन्होंने जिन-मन्दिरोंमें रहनेका विधान ही कर दिया है । यह समयकी खूबी है । पंद्रहवीं शताब्दीमें जब जिनमन्दिर वासियोंकी खासी प्रथलता थी तब मट्टोरक शिवकोटि कैसे यह समय चूक सकते थे ? जो हो यह धीत शास्त्रीयप्रमाणों और तर्कोंसे अच्छी तरह सिद्ध हो चुकी कि दशवीं शताब्दी तक मुनियोंको जैन मन्दिरोंमें रहनेकी कहीं आवश्यक नहीं । दशवीं शताब्दीके बाद जब शिथिलाचारकी प्रबलता दृढ़ तरसे कुछ मुनियोंने अपनी सिंह वृत्तिको विसार दिया । इन शक्तिके धारक मुनियोंको वसतिकाओंमें रहनेका विधान था

इस पर भी कुछ ध्यान नहीं दिया । वे जिनमन्दिरोंमें रहने लगे उसका भयंकर परिणाम यह हुआ कि सज्जा मुनिलिंग ही संसार से बिदा हो गया । मुनिनामधारियोंने जैन धर्मको मलिन कर डाला । अब भी यदि इस शिथिलाचारको अपनाया जायगा और गांव नगरके भीतर जिनमन्दिरोंमें मुनियोंका रहना होगा तो और भी अधिक धनर्थोंकी सम्भावना है । इस शिथिलाचारसे मुनि-धर्मकी कभी रक्षा न हो सकेगी ।

यहाँ पर यह शंका होती है कि भगवद्गङ्गाकलंक देव अपने समयके घड़े सारी प्रभावी आचार्य हो गये हैं । उन्होंने राज वार्त-काल-कारमें इस प्रकार लिखा है—

आमे एकरात्रं नगरे पञ्च रात्रं
प्रकषेणावस्थातब्यमित्येवं संयतस्येत्यादि

पृ० ३३५ छपा

अर्थात् मुनिको ग्राममें एक दिन ठहरना चाहिये और नगरमें पांच दिन ठहरना चाहिये । यहाँ पर ग्राम नगरका स्पष्ट विधान है । ग्राम नगरमेंभी मुनि जिनमन्दिरोंमें ठहर सकते हैं इस लिये ग्राम नगरके भीतर जिन मन्दिरोंमें ठहरना शिथिलाचार नहीं तथा गद्याकलंक देव सातवी शताब्दीके आचार्य हैं, इसलिये उस समझ भी ग्राम-नगरके भीतर जिनमन्दिरोंमें रहनेकी प्रथा थी, दशर्थी शताब्दीके बाद यत्ताना भूल है ? इसका उत्तर यह है कि—

ग्राम नगरमें ठहरनेका विधान शास्त्रोक्त है और वह इमारे

आपके सयोंके मानने योग्य है। परन्तु ग्राम-नगरका अर्थ जो यह किया जाता है कि ग्राम-नगरके भीतर रहना चाहिये, यह भूल है क्योंकि ग्राम-नगरके भीतर तो मुनियोंको ठहरना हो ही नहीं सकता। यह निश्चिरा है कि जो व्यक्ति जिस योग्य होता है वह अपने योग्य स्थान पर ही ठहरता है। मुनिगण एकात्मवासी हैं एकात्में ही उनका ध्यान और अध्ययन हो सकता है। गांव और नगरके भीतर रहने पर उन्हें एकान्त स्थान मिलना दुर्लभ है, क्यों कि वहां पर अनेक जीवोंका संघट्ट रहता है। ग्राम नगरके भीतर के स्थान सदा कोलाहलोंसे पूर्ण रहते हैं। यदि यह कहा जाय कि मुनिगण ग्राम-नगरके भीतर जिनमन्दिरोंमें रह सकते हैं ? तो उस विषयमें यह कहना है कि मर्थम तो ग व और नगरके भीतर जितने भी जिनमन्दिर हैं उनमें मुनियोंके रहने योग्य कोई स्थान नहीं दीख पड़ता। यदि जिनमन्दिरोंमें मुनियोंके रहनेकी चाल प्राचीन होती तो जिन मन्दिरोंमें उनके लिये अवश्य जगह सुरक्षित होती। इसके सिवाय गांव नगरके भीतर जिन मन्दिरोंमें रहनेपर मुनियोंकी शौच आदि क्रियाओंमें बहुत वाधा आ सकती है। वस्तीके आहिर जाने पर समय बहुत लग सकता है। जिनमन्दिरोंमें शौचादिकी व्यवस्था हो नहीं सकती। तथा जिनमन्दिरोंमें रहने पर मुनि-गण वहीं सोचेंगे तो उन्हे 'आसादना' दोष लगेगा। इसके सिवाय मुनियोंके ध्यानका समय प्रातःकाल दोपहर और सायंकाल है। जिनमन्दिरोंमें गोजे-बाजेके साथ प्रातः काल पूजा होती हैं, दोपहरको भी लोग बराबर दर्शन-स्तुति करते हैं। शामको आरती

त्रिशाल्प्र स्तुति आदि होते हैं। तीनों बाल घराकर मन्दिरोंमें कोला-हज्ज बना रहता है। जहाँ पर कोलाहल हो वहाँ मुनियोंका एकाप्रध्यान नहीं बन सकता। ध्यानके लिये शांति निर्जन शून्य स्थान का ही विधान है। इस लिये गांव-नगरोंमें तथा उनके भीतर जिन-मन्दिरोंमें मुनियोंका रहना कभी सिद्ध नहीं हो सकता, किन्तु जहाँ भी प्राम-नगरका जिक्र आया है वहाँपर मुनिगण उसके समोप चन-उद्योगोंमें ठहरते हैं। यही बात छी गई है; वयोंकि मुनियोंके ठहरनेका स्थान वही है। इसलिये प्राम नगरमें मुनियोंका रहना वाधित होने पर प्राम नगरके समीप उद्यान वा बन आदिमें ही उनका रहना मानना होगा।

न्याय शास्त्रमें एक लक्षण शक्ति मानी है। उसका उदाहरण है 'गंगायो घोपः' यहाँ पर घोषका अर्थ हैं मल्हाओंकी झोपड़ियाँ, और गंगोका अर्थ है जलका प्रवाह अर्धत् मिलकर अर्थ होता है जलके प्रवाहमें मल्हाओंकी झोपड़ियाँ हैं परन्तु यह अर्थ वाधित है वयोंकि जलके भीतर जहाँ अगाध जलका बहना रहता है वहाँ मल्हाओंकी झोपड़ियाँ नहीं रह सकतीं; इस लिये लक्षणाशक्तिसे वहाँ यह अर्थ किया जाता है कि गंगाके तटपर मल्हाओंकी झोपड़ियाँ हैं। यह शक्ति बड़े २ शांस्कारोंने मानी है। इसी प्रकार जहाँ पर मुनियोंदा रहना गांव और नगरोंमें अतलाया है वहाँ पर यही अर्थ है कि मुनिगण अपने योग्य स्थान नगरके बाहिर उद्यान, सूने मकान, विसरिका आदिमें ही निवास करते हैं, गांव नगरमें उनका नहीं रहना वाधित है—वहाँ मुनियोंका ध्यान बन नहीं सकता। यह बात

आगमानुसार तर्कके आधारपर लिखी गई है। इस घातकी पुष्टिमें आगम प्रमाण भी इस प्रकार हैः—

मथुरामें जिससमय रोग कैला था उस समय वहाँ सप्त ऋषियोंका आना हुआ था और उनकी कृपासे वह रोग दूर हो गया था। शास्त्रोंमें लिखा है कि—वे मथुरा आये थे। तथा सप्त ऋषि, पूजामें हम रोज ही पढ़ते हैं—‘जे आये मथुरापुर मझार, जहा मरी रोगका अति प्रचार’ यहाँपर भी मथुरापुरीमें ही मुनियोंके आनेका उल्लेख है परन्तु वे मथुराके भीतर नहीं ठहरे थे किन्तु मथुराके निकट घास उपवनमें ठहरे थे। आचार्य श्रीराधिषेणने पश्चपुराणमें इस प्रकार लिखा है...

विहरतोऽन्यदा प्रोप्ता निर्वथा मथुरां पुरीं ।

गगनायायिनः सप्त सप्तसप्तिसमत्विषः । १ ।

सुरमन्युद्दितीयश्च श्रीमन्युरिति कीर्तिः ।

अन्यः श्रीनिचयो नाम तुरीयः सर्वसुंदरः । २ ।

पचमो जयवान् ज्ञेयः षष्ठो विनयलालसः ।

चरमो जयमित्राख्यः सर्वचारित्रसुंदरः । ३ ।

राज्ञः श्रीनन्दनस्यैते धरणीसुंदरीभवाः ।

तनया जगति ख्याता गुणौः शुद्धैः प्रभापुरे । ४ ।

श्रीतिंकरमुनीद्रस्य देवागममुदीक्षयते ।

प्रतिबुद्धाः समं पित्रा धर्मं कर्तुं समुद्यताः । ५ ।

काले विकालवत्काले कंदवृदावृतांतरे ।
न्यब्रोधतस्मुल ते योग सन्मुनयः श्रिताः । ८ ।
तेषां तपःप्रभावेन चमरासुरनिमित्ता ।
मारी श्वसुरहृष्टेव नारी विटगताऽनशत् । ९ ।

वद्या चरित्र पृष्ठ १६४ मुद्रित ।

अथ—“अथानंतर आकाशविषे गमन करण्हारे सप्त चारण
ऋषि सप्तसूर्य समान है कांति जिनकी सो विहारे करते निर्यथ
मुनीद्र मथुरा पुरी आये । तिनके नाम सुरमन्यु १ श्रीमन्यु २ श्री-
निवय ३ सर्वसु दर ४ जयघान ५ विनयलालस ६ जयमित्र ७ ये सबही
महाचारित्रके पात्र अति सुन्दर राजा श्रीनंदन राणी धरणी सुंदरी-
के पुत्र पुथिवीविषे प्रसिद्ध पिता सहित प्रीतिंश्चर स्वामीका केवल
ज्ञान देख प्रतिवोधको प्राप्त भये सो चारुमासिक विषे मथुराके घन-
विषे बटके वृक्ष नीचे आय विराजे तिनके प्रभाव करि चंसरेंद्रकी
प्रेरी मरी दूर मई ।

वद्यपुरोण भाषा पृष्ठ ६९२ मुद्रित

संत्री अवस्था और राज अवस्थामें जिस समय उलिद्वारा मुनि-
योपर घोर उपसर्त हुआ था उस समय वे मुनि उज्जयिनीमें कहाँ
ठहरे थे ? हरिवश पुरोणमें उसका इस प्रकार उल्लेख है—

उज्जयिन्यां भवेद्राजा श्रीधर्मो नामविश्रुतः ।
श्रीमती श्रीसती तस्य महादेवी महागुणाः । ३ ।

चत्वारो मंत्रिणश्चास्य मंत्रमार्गनिदो वलिः ।
 वृहस्पतिश्च नमुचिः प्रलहाद इति चांचितः । ४ ।
 अन्यदा श्रुतपारस्थः सप्तशतसंयुतः ।
 आगत्याकंपनस्तस्थौ वाह्योद्याने महामुनिः । ५ ।
 बंदनार्थं नृपो लोकं निर्यातमिव सागरं ।
 प्रासादास्थस्तदालोक्य मंत्रिणोऽपृच्छदित्यसौ । ६

अर्थ—उज्जायिनी नगरीका स्वामी राजा श्रीधर्म था उसकी पटरोनीका नाम श्रीसती थो जो कि महो सुन्दरी हैनेसे श्रीमती ही, थी और अनेक गुणोंसे शोभायमान थी । राजा श्रीधर्मके वलि नमुचि, प्रलहाद, और अंचित, ये चार मन्त्रो थे जो कि मन्त्रकलामें अतिशय निपुण थे । एक दिन स्वामी अकंपनाचार्य जो कि समस्त ध्रुतके पारगामी थे सात सौ मुनियोंके साथ उज्जायिनी नगरी आये और उसके धाहिर उद्यानमें आकर विराज गये । जब नगरके निवासी लोगोंको यह पता लगा कि स्वामी, अकंपनाचार्य सातसौ मुनियोंके साथ आये हैं तो वे उमडे हुए समुद्रके समान बहुत बड़ी संख्यामें उनकी वन्दनाकेलिये चल दिये । राजा श्रीधर्म उस समय राजमहलपर बढ़े थे, ज्यों ही उन्होंने नगरनिवासी लोगोंको वन्दनार्थ जाते देखा मन्त्रियोंसे उन्होंने इस प्रकार पूछा—इत्यादि—

हस्तिनागपुरमें जिस समय अकंपनाचार्य पधारे थे उनके ठहरने का ह्यान हरिवंश पुराणमें इस प्रकार लिखा है—

ओमत्याकंपनाच यस्तदा नागपुरं शनैः
भुनीनामग्रहीद्योगं चातुर्मास्यावधिं चहिः । ६।

सर्ग २०

अर्थ—जहाँ तहाँ यिहार करते २ अचार्य अकंपन धीरे २ हस्तिनागपुर आये और चार मासका योग धारण कर हस्तिनागपुरके वाह्य जंगलमें विराज गये । ११ यहाँ उज्जयिनी और हस्तिनाग पुर दोनोंही नगरोंमें सुनियोक्ता ठहरना जंगलमें बताया गया है । यदि प्राम नगरके भीतर जिनमन्दिरोंमें रहनेका विवान होता तो उज्जयिनी और हस्तिनागपुरके शहर भीतर जिनमन्दिर और चैत्यालयोंमें सुनियोक्ते ठहरनेका उद्देश्य मिलता । इसलिये मानना पड़ेगा, प्राम नगरमें आकर मुनिगण उनके जंगलोंमें ही ठहरते हैं यही सिद्धात शास्त्रोक्त है । गांव नगरके भीतर जिनमन्दिर वा चैत्यालयोंमें सुनियोक्ता रहता बतलाना पीछेसे शाब्दोंमें बढ़ोया गया है ।

महाराज आरविन्द पोदनपुरके बड़े प्रभावशाली राजा थे । मगधान पाइर्वताथका जीव मक्षसति उनका अत्यन्त प्यारा मंत्री था । उसठ हूआरा अपने प्यारे मंत्रीके मरनेके समाचार सुन राजा धरयिन्द्रको महा दुःख हुआ था । उन्हें संसारसे एकदम वैराग्य हो गया था । इस समय पोदनपुरमें मुनिराज स्वयंग्रसका आतो हुआ था और वे प्राम नगरके भीतर चैत्यालयमें न ठहरकर पोदन पुरके उद्यानमें ठहरे थे । पादिराजसूरि कृष्ण पाइर्व-चरितमें उसको इस प्रकार धर्मान है—

विभावयंतं भवविभ्रमत्य स्वभावमेव नृपतिं प्रपद्य
निवेदयामास वनस्य गोप्ता स्वयंप्रभस्यागमनं महर्षे

। १०२ ।

अर्थ—महाराज अरविन्द इस प्रकार सांसारिक पदार्थोंके स्व-
रूपका विचार करही रहे थे कि उसी समय राजसभामें वनमाली
आया और मुनिराज स्वयंप्रभका आगमन इस प्रकार निवेदन
किया ।

देवव्रती देवपतिर्यतीनामृद्यानमद्याभिगतोऽस्मद्दीयं
अभूतपूर्वामधिगम्य शोभामन्येवतस्यागमनादृत्वनश्री

। १०३ ।

अर्थ---हे देव ! आज हमारे बागीचेमें एक हृदव्रती मुनियोंके
स्वामी जो मुनिराज स्वयंप्रभ पधारे हैं उनके शुभागमनमात्रसे ही
उन लक्ष्मीकी एक अपूर्ण ही शोभा हो गई है । वह उन मुनि-
राजके प्रभावसे एक विलक्षण ही मालूम होती है । १०३।

पाष्ठ'चरित पृष्ठ ७५ छपा ।

मुनियोंको प्राप्तमें एक दिन उहरना चाहिये और नगरमें पांच
दिन उहरना चाहिये, इस सिद्धान्तका आचार्य शिवको इकृत भग-
वती आदाधना प्रन्थमें तो खुलासा हीं इस प्रकार कर दिया है---
जहिणविसोक्ष्यअतिथ दु सदरसे हि रुवगंधफासेहि
सज्जायज्ज्ञायधादो वा वसदी विविता सा । ३३।

अर्थ—‘जा वसतिकामें शन्द रस रूप गंध स्पर्स करि अशुभ परिणाम नहीं होय तथा स्वाध्यायका अर शुभव्याका वात नहीं होय सो विविक्ष वस्तिका है ।

भावार्थ——मुनीश्वरनिके वसने योग्य वसतिको ऐसी होय तामें वर्षी । तहाँ प्रोपके निष्ट वस्तिकामें एक रात्रि बर्षे अर नगर वास्य वसतिका होय तामें पंच रात्रि वर्षे अधिक काल वर्षा अस्तु विना एक झेत्रमें नहीं वसें । अर जहाँ राग द्वेषकारी वस्तु देखि परिणाम विगड़ि आंय तथा स्वाध्याय ध्यान विगड़ि जाय तहाँ साधुको क्षणमात्र हुँ नहीं रहना ।’ (पत्र ९२ मुद्रित)

आम-नगरमें आकर मुनिगण उनके समीप जङ्गलों वा वसतिकामें हो ठहरते हैं, इस बातको पुष्ट करने वाले और भी अनेक प्रमाणोंसे शास्त्र मरे पढ़े हैं; परन्तु मुनिगण आम नगरके भीतर दैत्याक्षयोंमेंही रहते हैं इस बातका कहीं भी प्राचीन मान्य प्रन्थोंमें उल्लेख नहीं मिलता । इसलिये आम-नगरहे भीतर मुनियोंका रहना बतलाना भट्टारकेंडा निजी मत है और वह शिथिलाचारका पोषक होनेसे आगंमविरुद्ध है ।

यहाँतके प्रमाणोंसे यह बात अच्छी तरह सिद्ध हो चुकी कि ‘प’ आशाधरजी के उल्लेखानुसार तेरहवीं शताब्दीमें दिगम्बर मुनि मठपति हो चुके थे, उसके बाद उनमें वहुन शिथिलाचार बढ़ा, मठपतियोंने अपना भट्टारक रूप धारण कर लिया, कपड़ा पहिनना, पालकीमें बैठना, अनेक दासी दास रखना, बढ़िया अतर फुलेल आदि लगाना तिस पर भी-अपनेको महाव्रती कहना, आदि

चातौंका काफी प्रचार हुआ । ये लोग आवक्षेपे अपना कर बसूळ करने लगे । वह तरहसे आवकोंको सताने लगे । भी जैनमन्दिरों में इनकी छंची २ फामल गद्वा लगने लगीं । १००८ श्रा जिनेन्द्र देवकी अपेक्षा भी हन (ढोंगी भेवी पाञ्चांटियो)का अधिक विनय होने लगा और सत्रहवीं शताब्दीतक हन भट्टारकोंका आसा घोल थाला रहा । उस समयके अमानेकी ऐतिहासिक हूँडिसे छान चीन की जाने पर वह अच्छी तरह पता चल जाता है कि इन भट्टारकोंकी सत्ताले जैन अनता भव्यता पाइते हो चली थी । यह नहीं कहा बा सकता कि शिथिलाचारों दिगम्बर मुनियोंके जैन मन्दिरोंमें उन्हें पर उनके विरुद्ध उस चर्के द्वारा आवाज न उठाई हो—अवश्यकी उठाई भी ।

परन्तु माल्यमयही होता है कि इन मुनियोंके विरोधियोंका संगठन हृतना जनर्दस्त न था औ ये इस शिथिलाचारों प्रथाका मूलोच्छेद कर सकते; क्योंकि आवकोंकी आत्म दत्तासे उनपर भट्टारकोंका कुकाफी प्रभाव था । अब भाग आवक उनके अनुयोदी थे । इस लिये विरोध किय जाने पर भी उनका प्रयत्न सफल न हो सका था ।

आगे जाकर हमें गोमय शुद्धि, श्राद्ध, तर्पण, आदि धर्म विरुद्ध बातों पर भी विचार करना है; इस लिये जैन शास्त्रोंमें उनका प्रबेश कैसे हुआ? ऐतिहासिक हूँडिसे उन परभी इस थोड़ासा प्रकाश खालते हैं—

शक्ती नवीं शताब्दीसे शिथिलाचार प्रवृत्तिका सूत्रपात होकर

युनि मार्य ही मलिन नहीं हुमा किन्तु आगमके अन्दर धमविलङ्घ
बातोंका समावेश कर उसे भी मलिन बना छाला गया जिसका
अद्यंकर परिणाम यह हुमा कि जो बाते जैन धर्मके विज़कुल खिप-
टीत हैं उन्हें हिन्दू शास्त्रोंसे उठाकर जैन शास्त्रोंमें प्रविष्ट कर दिया
गया। जैन शास्त्रोंमें प्रविष्ट हो जाने पर वे ही विपरीत बाते
आज आपन बचन मानी जाने लगीं और उन्हें प्रमाण रूपसे पेश
कर विद्वान कहे जानेवाले कुछ परिण अन इस निर्मल जैन धर्मको
भलिन बनानेकी पूर्ण चेष्टा कर रहे हैं।

विस्तृत श्रुतिहास लिखनेकी यही भावश्यकना नहीं। समय आने
पर वह लिखा जा सकेगा परन्तु यात यह है कि कई भट्टारक ऐसे
हुए हैं जो विलङ्घन विद्वान् न थे। उन्हें यह तो शौक रहा कि
जिस तरह विद्वान् भट्टारकोंने प्रथम रचकर उन पर अपना नाम
दिया है उसे तरह हमारे नामसे भी प्रथम रखे जाने चाहिये, परन्तु
यह न सोचा कि हमारे अन्दर उन सरोकी विद्वत्ता नहीं है इस
लिये इन नाम लोलु ने ब्राह्मण परिषद नौकर रखा। अपने नाम
से उनके द्वारा प्रथम यन्धाये। ब्राह्मण परिषदोंने गर्हा जैसा देखा
हिन्दू प्रथको बाते मिला हीं। आन हीन भट्टारकोंमें उन प्रथोंके
छानधीनकी योग्यता थी नहीं ये बाते उसी तरह प्रथोंमें पढ़ी रह
गईं और उन्हें आपन बचन माना जाने लगा। दूसरे दक्षिण प्रांतमें
ब्राह्मणों द्वारा जैन धर्म पर यह दोषरोपण किया गया था कि
दिग्मपाठ की नी वर्णाश्रम व्यवस्थाको नहीं मानते। ब्राह्मण वर्ण
जो संसारमें सर्वोच्च वर्ण माना जाता है जैन धर्म उसे महत्वकी

द्वाइसे नहीं मानता । समयानुसार ब्राह्मण वर्ण को वह कल्पित ठहराना है । जैन धर्ममें श्राव्य, तर्पण, आचमन आदिकी कोई महत्व-पूर्ण व्यवस्था नहीं । गोदान, सुवर्णदान तथा कन्यादान आदिको कुदान माना जाता है, इत्यादि हलचलसे जैनियोंपर भारी संकट आकर उपस्थित हो गया था । शंकराचार्यका समय भी जैन धर्मके लिये कितना भयंकर था । राजाओंको अपने अधीन बना उनके द्वारा जैनियोंपर कैसे २ प्राण घातक वार किये गये थे, यह बात इन्हासज्जोंसे छिपी नहीं है । जब जैनियों पर यह संकट आकर उपस्थित हुआ तो उन्होंने ब्राह्मणोंसे सहयोग करना उचित समझा । एव उन्हें रिक्षानेके लिये क्रियाकांडके ग्रन्थोंमें हिंदूओंकी कुछ खास बातें प्रविष्ट की जानेपर राजों होगये । कुछ ग्रन्थ उस समय को प्रगतिके अनुसार जैन विद्वानोंने भी अवश्य बताये होंगे; परंतु अधिकांश प्रतिष्ठानों पाठ और श्रावकाचारोंके ग्रंथोंका निर्माण ब्राह्मणों द्वारा हो हुआ था और उन्होंने शब्दोंका परिवर्तन कर हिंदूधर्मकी बातोंको उव्वोक्ता त्वयि ढाल डाला था । उस समय की सभी जनता उन बातोंको माननेके लिये राजी न थी । उसे राजों करनेके लिये उन प्रतिष्ठानों पाठों और श्रावकाचारोंका फर्जी नाम अकलं कदेत्र, नेमिचन्द्र, विद्धांत चक्रवर्ती, उमा स्वामी आदि रख दिया गया, जिससे इन धुरंधर आचार्योंके नामसे कोई भी इन ग्रंथोंको अप्रामाणिक न मान सके । इसमें संदेह नहीं कि इन ग्रंथोंके कर्त्ता अनेक धर्म विहङ्ग बातोंको जैनधर्मका रूप देनेमें कोई कमी नहीं की है; परंतु जिन बातोंका जैनधर्मसे कोई सम्बन्ध हो ही नहीं

खक्ता उन बातोंको जैनधर्मानुकूल सिद्ध करनेमें कितनी भी आरीक दाल चली जाय, छुल ही जाती है। श्राद्ध, तर्पण, गोदान, गोबरसे आरती, गोमूत्रसे अभिषेक आदि बातें जैनधर्मके विलक्षुल विषयीत हैं। मला ऐसा कौन सव्वा जैनी होगा जो इन बातोंको धर्मानुकूल सानेगा ? जिन ग्रन्थोंके अन्दर ये धर्म विरुद्ध बातें लिखी हैं वे दूर्घट जबतक भेंडारोंमें पढ़े रहे, आम लोगोंके देखनेमें नहीं आये तथतक उन ग्रन्थोंको अप्रामाणिक ठहरानेकी चेष्टा नहीं की गई; दिन्तु जैसे ही वे ग्रन्थ प्रकाशमें आये, इनकी कलई सुली, उन्हें धर्म विरुद्ध करार देना पड़ा ।

बात रागताके पूजक जैनी गायकी पूजा तो कर ही नहीं सकते थे क्योंकि भगवान् समर्तभद्राचार्यने गायकी पूजाको देवमूढ़ता माना है। हाँ उन्होंने हिन्दूधर्मकी बातोंको अपनानेके लिये गोदान देना स्वीकार कर लिया होगा । गोबर गोमूत्रकी लोकमें विशेष मान्यता देख आरतीके लिये गोबर और अभिषेकके लिये गोमूत्र उन्हें लाचारीसे स्वीकार करना पड़ा होगा । उन्होंने यह बात स्वीकार करते समय यह जहर विचार लिया होगा कि इन घृणित पदार्थोंसे तीन लोकके नाथ भगवान् जिनेन्द्रिकी आरती और अभिषेक किसी भी उनी द्वारा नहीं किया जा सकता । उन्हें क्या मालूम थी कि इस समय लाचारीसे इन निंदा बातोंके स्वीकार लिये जानेपर जैन धर्मको मलिन बनानेकी नौबत आ जायगी । 'छिः ! गोबरसे आरती और गोमूत्रसे अभिषेक करना कितना घृणित काम है । गायके गोबरसे त्रिलोकीनाथ सगवान् जिने इकी आरती

और गोमूत्रसे अभिषेक किया जातेपर तो गाय ही मुख्यदेव हुई । जिनें देवकी उच्चना भी उसके सामने कुछ महत्व नहीं रखती । हमारा निजी अनुमति है । जो भी महाशय इन निंद्य बातोंकी इस समय शुचि कर रहे हैं वे उस समयकी घटनाकी अजानकारी और हठसे ही पेसा कर रहे हैं, विचारनेकी बात है कि जब गोवरसे आरती और गोमूत्रसे अभिषेककी शास्त्रमें आज्ञा है; तब कहीं तो किसी रूपमें उसका प्रचार होना चाहिये था, परंतु इम देखते हैं कि जहाँपर इन प्रतिष्ठा पाठोंकी रचना हुई थी और जहाँके लोग इन प्रतिष्ठा पाठोंको आप बचन समझते हैं, वहाँ (उस दक्षिण प्रांतमें) भी कहीं गोवरसे आरती और गोमूत्रसे अभिषेक देखतेमें नहीं आता । घरके लोग भी गोधर और गोमूत्रको अपवित्र मानकर उससे आरती और अभिषेक नहीं कर सकते । जब यह बात है तब यही मानना होगा कि खास आपत्तिके समय इस निंद्य बातको शास्त्रका रूप देना पड़ा था । घर आप बचन नहीं । इसलिये जो लोग गोधर गोमूत्रसे भारती और अभिषेक करना शास्त्रोक्त मानते हैं वे बहुत बड़ी गलतीपर हैं उन्हें जैनधर्मकी निर्मलताका रंचमात्र भी ध्यान नहीं ।

बहुतसे महाशय यहाँ यह तर्क करते हैं कि पंचकल्याणक प्रतिचेष्टा आगमानुकूल हैं और उनका विधान इन्हीं प्रतिष्ठापाठोंसे किया जाता है । तब इन प्रतिष्ठापाठोंको कैसे जाली कहा जा सकता है ? यदि ये जाली हैं तो दूसरे प्रतिष्ठा पाठ होने चाहिये । इसका उत्तर मेरे अनुमति के अनुसार तो यह है कि प्राचीन प्रतिष्ठापाठोंको

समयको प्रगतिके अनुसार या तो लुप्त कर दिया गया होगा या उन्हीं प्रनिष्ठापाठोंमें हिन्दूधर्मका यह विषय मिला दिया गया होगा । आपत्तिके समय ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं । आपत्तिके समय इससे भी भयझ्कर कार्य करने पड़ते हैं । कहा जाता है कि आपत्तिके समय भट्टाकलंकदेवको श्रीजिनेन्द्र देवकी प्रतिमापर चारीक धारा डालकर उसे लांघना पड़ा था और निकलंक देवने अपने प्राणोंके साथ एक निरपराध धोबीका बलिदान करा दिया था । देखनेमें ये बातें बड़ीही भयंकर हैं, सामान्य जैनीभी ऐसा कार्य नहीं कर सकता, फिर जैन धर्म के एकमात्र प्राण, आचार्य प्रवर भगवान शंकलंक, और उनके धर्मनिष्ठ भाई निकलंकसे तो ये सहानिंद्य बातें हो ही नहीं सकती थीं परन्तु उस समय सबसे बड़ा प्रश्न जैन धर्मकी रक्षाका था । यदि उस समय वैसा न किया जाता तो आज जैन धर्मका खोल भी नहीं मिलता । बौद्ध धर्म हो सब और दीख पड़ता । भगवान् समंतभट्टाचार्यका यह उपदेश है कि—“अहपफलाबहुविषातात् आवहेयम्” अर्थात् फल थोड़ा हो हानि अधिक हो, ऐसा काम कभी न करना चाहिये । और इस लिये जिसमे फल अधिक हो और हानि थोड़ी हो वह कार्य स्वतः विधेय ठहरता है । अकर्लंक देवादिकी उक्त कृतियोंमें विशाल फल नो था जैन धर्मकी रक्षा और स्वल्प हानि यी प्रतिमाका अविनय आदि, इसीसे भगवान् अकलंकदेव और निकलंक देवका वह साहस अनुचित नहीं माना गया था । दक्षिणमें दिग्मवर जैन धर्मपर धोर आपत्ति आकर पड़ी थी, उस समय धर्मकी रक्षार्थ

प्राचीन प्रतिष्ठापाठोंका लोप कर देना अथवा उन्हीमें कुछ दिनदूर संस्कृत असंगत वातोंको प्रविष्ट कर देना विशेष हानिकर न था । क्योंकि दिगम्बर जैन धर्मकी रक्षा रूप विशाल फल सामने विद्यमान था । जो हो, यह तो माननाहो पड़ेगा कि प्रतिष्ठापाठों वा शावकाचारोंमें जो निश्च धर्म विरुद्ध वाते दीख पड़ती हैं, वे दूसरे मतोंके ग्रन्थोंसे प्रविष्ट की गई हैं । भगवान महावीरकी कभी वैसो आज्ञा नहीं हो सकती ।

यहां पर यह शंका हो सकती है कि प्रतिष्ठा पाठोंके सिवाय और ग्रन्थोंमें भी आरनीके समय गोष्ठरका उल्लेख मिलता है, उनमें ऐसा वर्णों किया गया । इसका उत्तर यह है कि दो एक ग्रन्थोंमें जो गोष्ठरका उल्लेख मिलता है, वे ग्रन्थ भी उसी समयके आगे पीछे की रचना हैं । उनके कर्ता आदिने गोष्ठर आदिका उपयोग असंभव जान समयकी खूबीसे मात्र उल्लेख कर दिया है अथवा शिथिलाचारियोंने अपनो ओरसे उनमें वह वात मिला दी है— और कोई वात नहीं ।

यहां पर एक वात बड़े ध्यानसे विचारने योग्य है और वह यह कि भूमि पर नहीं गिरा हुआ ताजा गोबर, क्यों आरनीमें ग्रहण किया गया ? इसका क्या मतलब है ? जब गोबर स्वयं शुद्ध और दूसरी चीजोंको शुद्ध करनेवाली चीज है वह तो कभी अशुद्ध नहीं हो सकती, भूमि पर पड़ी हुई भी वह शुद्ध हो है । दूसरे आठ प्रकारकी शुद्धियोंमें गोष्ठरके समान मिट्टीको भी शुद्ध माना है, इस गिरिये शुद्ध चीज पर शुद्ध चीज पड़नेसे वह अशुद्ध हो ही नहीं सकती

फिर भूमिसे नहीं गिरा गोबर लेना अवश्य कुछ खसूसियत (विशेषता) रखता है । मेरा निजी अनुभव इस विषयमें यह है कि धनंसुर्हृत्तसे ही गोबरमें अगणित समूल्क ने जीव पैदा हो जाते हैं ऐसी शास्त्रकी आज्ञा है । जिस समय प्रतिष्ठा पाठोंमें गोबरका समावेश किया गया होगा उस समय किसी जैनीकी ओरसे यह तर्क अवश्य उठाया गया होगा कि गोबरमें बहुतसे समूर्छन जोक उत्पन्न हो जाते हैं, जिनेन्द्र मन्दिरमें गोबरके जाने पर बहुतसे जीवोंकी हिंसा होगी और इस तरह पर उस समय उसके विरोध की सुष्ठुप्ति हुई होगी । उस विरोधकाही यह परिणाम जान पड़ता है जो भूमि पर नहीं गिरे गोबरका विधान उल्लेख किया गया है । प्रतिष्ठा पाठोंके कर्ता परिणामोंने तब समझा दिया होगा कि हाल ही पेटसे निकलनेवाले गोबरमें कुछ गरमी होगी, गोबरकी गरमीसे जल्दी जीव नहीं पढ़ेगे; तब तक आरती भी हो जायगी । इस लिये आरतीमें गरमागरम गोबर ग्रहण करनेसे जीवोंकी हिंसा नहीं हो सकती । जैनी उस समय दबे हुए थे । नाहरण परिणामोंको जैन शास्त्रोंमें गोबरको महत्व देना था, उन्हे नाहरण परिणामोंकी बात माननी ही पड़ी होगी । इस गरमागरम गोबरके ग्रहणसे तो मामूली जैनी भी इस बातको धर्मानुकूल नहीं मान सकता । विद्वानः कहे जाने वाले व्यक्ति इस बातको आप्त बवन कह रहे हैं यह बड़ा धार्शर्थ है । ऐसी हठके लिये धिक्कार है । इसी प्रकार श्राद्ध तर्पण प्राणायाम आचमन आदि क्रियामें भी हिन्दू धर्मकी छाप है । उनका उल्लेख भी प्राणणोंकी क्रियासे जैन शास्त्रोंमें मिलता है ।

ये सारी क्रियायें जैन धर्मके विपरीत हैं। इन्हें मानता जैन धर्मकी निर्मलता नष्ट करना है।

सत्रहवीं शताब्दीमें जब कि शिथिलाचारका साम्राज्य था, सच्चे मुनि मार्गका लोप, मट्टारकोंकी उद्दण्ड प्रवृत्ति, शास्त्रोंमें विपरीत बातोंको समावेश आदिका पूर्ण बोल-बाला था, उस समय स्वनाम धन्य नररत्न कविवर बनारसी दास जीने जैन-जातिमें जन्म लेकर उसे पवित्र किया और जैन धर्मकी निर्मलताकी रक्षार्थी जो भी उन्होंने कार्य किये आज भी जैनियोंका बध्ना २ उन्हें परमोपकारी हितकारी मानता है, यह सभी जानते हैं।

पं० बनारसीदासजी अपने समयके प्रभावशाली विद्वान और कवि थे। अध्यात्म रसके ये कितने बड़े रसिक थे, यह उनकी नाटक समयसारकी कृति उबल त उदाहरण है। 'बनारसी विलास' में जो उनका जीवनचरित्र प्रकाशित है, उसीसे पाठक जान सकते हैं कि उनकी आत्मा कितनी उच्च पवित्र और सखल थी। सत्रहवीं शताब्दीमें जब उन्होंने शिथिलाचारका पूर्ण साम्राज्य देखा, जिनमन्दिरोंमें रहनेवाले दिगम्बर मुनियोंकी परिणति पहचानी मट्टारकोंकी उद्दण्ड प्रवृत्तिसे श्वावकोंको पीड़ित देखा, शास्त्रोंमें श्रोदृध तर्पण, गोदान, गोवरसे आरती, गोमूत्रसे अमिषेक आदि बातें पर हृष्ट डाली, उस समय उनकी सच्ची आत्मा खोल उठी। उन्होंने जैन धर्मके बास्तविक आचार्योंकी खोज की। उनके शास्त्रोंका अच्छी तरह मनन परिशोलन किया। उसीका यह फल है कि नवीं शताब्दी तक जो पवित्र लैनधर्मका स्वरूप सुरक्षित था

दसीको पुनः कायम करनेके लिये वे पिल पड़े । जैन धर्म जो अपनी पवित्रता खो चुका था, उसे पुनः ज्योंका ज्यों रखनेका श्रेय उन्होंने प्राप्त कर लिया । प० बनारसीदासजी अपने समयके बड़ेही परीक्षा-प्रधानी थे । मुनियोंकी बन्दना वे उनकी परीक्षा करनेके बादही किया करते थे, यह बात उनके जोवनचरित्रसे स्पष्ट है । प० बनारसीदासजीने महारक प्रथाका उच्छेद किया था शिथिलाचार, उसके पोषक गुरु और उत्तरके ग्रन्थोंकी महत्त्व उड़ा दी थी और सत्य सार्गकी रक्षा की थी । उस समय जैन संसारमें कोलाहल मच गया था । प० बनारसीदासजीने जो मत ढूँढ़ निकाला था, वह बनारसी मतके नामसे प्रसिद्ध हो गया था । वि० सं० १७०० के लगभग इतेताम्बराचार्य महामहोपाध्याय मेध-विजय गणीने जो 'युक्ति प्रबोध' नामका ग्रन्थ लिखा है, वह प० बनारसी दास जीके मत-खंडनके लिये ही बनाया था । उन्होंने लिखा है—

वोच्छं सुयणहितत्थं वाराणसियस्स मयभेयं ।

अर्थात्—सज्जनेकि हितार्थ में बनारसीदासके मतभेदको कहा गा । और भी उन्होंने लिखा है—

तस्हा दिगम्बराणं ए ए भट्टारगा वि ना पुज्जा
तिलतुसमित्तो जे सिपरिग्गहो णो व ते गुरुणो । १६।
जिणापडिमाणं भूसणमज्जामुहणाइ अं गपरियरणं
ज्ञाणाभसित्रो वारइ दिगंवरस्तागमाणाए । १७।

सिरिविक्कमनरनाहा गएहिंसोलससएहिंवासेहिं
असि उत्तरेहिं जायं बाणारसिअस्स मयभेयं ।१८

अर्थात् तिल तुष्टमात्र भी परिग्रहके धारक गुरु नहीं हो सकते ।
इसलिये बनारसीके मतमें दिगम्बर भट्टारक भी पूज्ये नहीं । १६
जिन प्रतिमाओंको आभूषण मालाये पहिनाना और केसर लगाना
बनारसीके मतमें निषिद्ध है । १७ । विं सं० १६८० में बनारसीके
मतका उदय हुआ था । १८ ।

पं० द्यानतरायजीने अपने शुद्धिविलास ग्रंथमें तेरह पंथकी
उत्पत्तिका समय विं सं० १६८३ लिखा है इसका तात्पर्य बनारसी
मतका नाम ही तेरह पथ जान पड़ता है । पं० बनारसी दासजीका
स्वर्गारोहण विं सं० १६९८ के बाद हुआ था ।

इस रूपसे यह स्पष्ट जान पड़ता है कि शुद्धाम्नायकी रक्षाका
सूत्रपात कविवर बनारसी दासजीने ही किया था । उसके बाद
आगरा और जैपुरके चिद्रानोने इसकी पूर्ण रक्षा की थी और सर्वत्र
वे शुद्धाम्नायके प्रचारमें सफल हुए थे । यह उन्हीं महानुभावोंकी
कृपाका फल है कि दिगम्बर जैनधर्मकी पवित्रता आजतक पूर्णरूपसे
सुरक्षित रही और है । परन्तु खेदके साथ लिखना पड़ता है कि अब
कतिपय छिद्रान नामधारियोंने पवित्र जैनधर्मको मलिन करनेकी
फिर हठ ठानी है, उसका पुष्ट प्रमाण 'चर्चासागर' ग्रंथका प्रकाशन
कर उसे पुष्ट करना है । पहिली भूल तो यही हुई कि ऐसे भ्रष्ट ग्रंथ
का प्रकाशन किया गया । समाजके धर्मात्मा सेठोंके धनका दुरु-

पयोग किया गया; उसके बाद बड़ी मारी भूल यह है कि इस ग्रंथ-
को प्रामाणिक मान लोग उसकी पुष्टि कर रहे हैं। अस्तु ।

थोड़ासा इतिहास लिखकर पाठकोंके सामने यह बात स्पष्ट
रूपसे रख दी गयी है कि जैनधर्मका सब्बा स्वरूप क्या था ? किस
समय उसमें शिथिलाचारका प्रवेश हुआ ? मुनियोंका नगर-प्रामके
भीतर जिन-मन्दिरोंमें रहना कबसे शुरू हुआ ? श्राद्ध, तर्पण,
योदान, गोवरसे आरती और गोमूत्रसे श्रीजिनेन्द्रका अभिषेक आदि
वातें किस समय जैनशास्त्रोंमें प्रविष्ट की गईं । पीछे कब इनका
सर्वथा नाश किया गया । किस प्रकार शुद्धाम्नायकी रक्षा हुई ।
आजतक वह किस तरह सुरक्षित रही । कुछ नामधारी विद्वान
शुद्धाम्नायको किस प्रकार मटियामेट करतो चाहते हैं । धर्मात्मा
सेठोंको मुलाकेमें डालकर किस तरह उनके धनका दुरुपयोग करते
हैं । निन्दित और शिथिलाचार पूर्ण बातोंका प्रकाशन करनेमें
कैसी निंदा हठ ठान रहे हैं ।

इतिहासके आधारसे सब बातोंका खुलासा हो जानेपर भी
फिर भी एक बहुत बड़ी शंका यह रह जाती है कि आजकलके
मुनि हीनशक्तिके धारक हैं, वे वन पर्वतोंको गुफा और नदियोंके तट
पर रह नहीं सकते । भगवान् कुंदकुंदने हीनशक्तिके धारक
मुनियोंके लिये वस्तिकाका विधान बतलाया है । वाचार्य सकल-
कीर्तिने भी—

प्राप्य वस्तिका सारं ध्यानं वाच्यथनं तपः
मनिःस हनने हीने कर्तुं शकोति नान्यथा । ७४।

अर्थात्—हीन संहननका धारक मुनि, उत्तम वस्तिका पाकर ही ध्यान, अध्ययन और तप कर सकता है, वस्तिकाके बिना नहीं। ७४। इस बचनसे हीन सहननके धारक मुनियोंको वस्तिकाका विधान बतलाया है। वह वस्तिका अभी दीख नहीं पड़तो। प्रोम नगरके भीतर जिन मंदिरोंमें मुनियोंका रहना धर्मविरुद्ध शिथिलाचारका पोषक है। प्रबल मायके उदयसे इस समय जहाँ तहाँ मुनियोंका विहार हो रहा है, फिर उनके रहनेका स्थान कौनसा होना चाहिये। इस विषयमें कहना यह है जिस समय मुनि मार्ग चालू था, उस समय प्राम-नगरोंके बाहिर वस्तिकाये रहती थीं। मुनिगण उनमें ठहरते थे। भगवती आराधना प्रथमें आचार्यवर शिवकोटिने वस्तिकाओंका स्वरूप बढ़े विस्तारसे कहा है। परन्तु जब सच्चा मुनिमार्ग लुप्त हो गया, मुनियोंकी संख्या भी अँगुलियों पर गिनने लायक रह गई, शिथिलाचारी भट्टारक मुनि माने जाने लगे, दिगम्बर मुद्राधारी मुनि भी चैत्यालय और मन्दिरवासी हो गये, उन्होंने अपनी सिंहवृत्तिको मुला दिया, उस समय वस्तिका की प्रथा छिन्न मिन्न हो गई। लोगोंने मुनियोंके शिथिलाचार पर भी ध्यान नहीं दिया। किन्तु वि० सं० १७०० में जब शिथिलाचार के महत्वका मूलोच्चेद हुआ, भट्टारक प्रथा विदा होने लगी, तबसे मुनिपना भी प्रायः विदा सा हो गया। अब थोड़े दिनोंसे मुनियोंकी सत्ता अमर्की है, उन्हें भी गांव नगरोंके भीतर मंदिर धर्मशाला चैत्यालयोंमें ही रहते देखा जाता है, इसलिये धर्मत्मा श्रावकोंका वस्तिकायोंकी ओर ध्यान नहीं जाता। शास्त्रोंके मननसे मैंने इस

वानका पूर्ण निर्णय कर लिया है कि मुनियोंको गांव नगरके भीतर कभी नहीं रहना चाहिये, खासकर चौथ्यालय और मन्दिरोंमें तो उनके ध्यानकी सिद्धि हो ही नहीं सकती । हाँ शरीरको ध्यानके आकारमें ढालकर वे ध्यानका टोग कर सकते हैं ।, इस समय भी आम-नगरके बाहिर बहुतसे जीर्ण मकान बगीचे छत्रियां रहती हैं, वहाँ मुनिगण सानन्द रह सकते हैं । जंगल और ऊसर भूमिमें जब वे रहेंगे तो अपार जनता वहीं उनके दर्शनोंके लिये पहुंचेगी । इस रूपसे जैनधर्मकी और भी विशेष प्रभावना होगी । जो लोग चलकर मुनियोंके दर्शनोंको जांयगे वे चाहे कितने भी उनके विरोधी हों, अब यह उनकी आत्मापर प्रभाव पड़ेगा ।; किन्तु जब मुनि स्वयं उन्हे दर्शन देने गांव नगरोंके भीतर आवेंगे और रहेंगे तब उतनी विशेषता नहीं हो सकती । हमारी तो यह भावना है कि मुनिगण नगर वा गांवाके जगलोंमें दुपचाप आकर ठहरे । किसी रूपसे नगर निवासियोंको उनके आनेकी सूचना मिले, उस समय असीर गरीब सभी नगर निवासी उनक दर्शनार्थ जंगलमें जाएं, उस समय-का आनन्द लाकोत्तर आनन्द होगा और वह विशेष प्रभावनाका कारण होगा । पहिले समय भी माली आदिसे मुनियोंके आगमन का समाचार पा, राजा, रईस, गरीब सभी मिलकर उनक दर्शनार्थ जाते थे और उनके उपदेश वा दृश्यसे अपना आत्मकल्याण करते थे । इस समय भी ऐसा होना कठिन नहीं, मुनिराजों की प्रवृत्ति औत्तरासमय हानेके कारण उनके भाव गांव नगरमें रहनेके कभी नहीं हो सकते; परन्तु कुछ शिथिलाचारी पद्धितजन, मुनियोंकी

इस प्रवृत्तिमें वाधक हैं। मुनियोंको वे इस प्रवृत्तिसे रोकते हैं; जिन मन्दिर चेत्यालयोंमें ही उन्हे रहने देना चाहते हैं। मुनिराजों-का इसमें कोई दोष नहीं। उनकी प्रवृत्ति पूज्य ही है। कुछ विद्वान् नामधारी लोग उनकी प्रवृत्तिका दूषित घना रहे हैं। मैं तो यह कहूँगा कि यदि इन व्यक्तियोंका पभाव मुनिसंघपर रहा तो यह निश्चय है कि मुनियोंकी प्रवृत्ति और भी शिथिलाचारकी ओर भ्रूक जायेगी। सच्चे धर्मात्माओंके माव मूनिसंघसे विचलित हो जायगे तथा गोवरसे तीन लोकके नाथ मगवान् जिनेश्वरकी आश्रती आद्व, तर्पण, गोदान आदि भ्रष्ट घातोंका जैन धर्ममें प्रचार होनेसे जैनधर्मका सच्चा स्वरूप ही विदा हो जायगा। इस रूपसे इन शिथिलाचारके पोषक विद्वानों द्वारा निर्मल जैन-धर्मको बहुत बड़ी छक्का पहुँचेगा। नवमी शताब्दीसे जैनधर्मके अन्दर जो शिथिलाचारका सूत्रपात हो गया था। छह-सात सौ वर्षोंमें उसने जैनधर्मको बिलकुल ही मलिन कर डोला, स्वर्गीय पं० बनारसीदासजी, दौलतरामजी, टोडरमलजी आदि महानुमाधोंकी कृपासे घह शिथिलाचार छिन्न भिन्न हो सका था; दुःख है :आज फिर भी कुछ पंडित उस पवित्र निर्मल दि० जैन-धर्मको मलिन घना रहे हैं। क्यों न हो प्रातः स्मरणीय आन्तर्यकल्प पं० टोडरमलजी सर्वांके विद्वानोंके लिये जब इन पण्डितोंका यहाँ तक साहस है कि “पं० टोडरमल जी विशेष विद्वान् न थे” तब उनके द्वारा सुरक्षित मार्गको मलिन बना देना इन पंडितोंके बाये हाथका खेल है। पं० मक्खनलालजीने अनेक

व्यक्तियोंके समक्ष कलकत्तामें पं० टोडरमलजीके विषयमें उपर्युक्त वात कह थी। यह उनका दुस्साहस ही था। भाई मक्खन-लालजी आपने जो कुछ भी जैन शास्त्रका ज्ञान प्राप्त किया है, वह स्वर्गीय पूर्व गुरु गोपालदासजीको कृपाका फल है। पं० टोडरमलजीके विषयमें इन गुरुजीके ये पवित्र भाव थे कि मैंने जो कुछ भी गोम्पटसारका विषय जाना है, वह पं० टोडरमलजीकी कृपासे जाना। विचारनेकी वात है जिस व्यक्तिका गुरु भी पं० टोडरमलजीको परम गुरु मानता हो, उस गुरुका शिष्य मलजी साहबको विशेष विद्वान भी न कहे, यह कितना बड़ा गुरुद्वेषीपना है ! पं० मक्खनलालजीने, पूर्व ललजीके लिये जो शब्द निकाले हैं, उससे शांत व्यक्ति भी एकबार खौल उठ सकता है; परन्तु सुर्खे खौलनेको आवश्यकता नहीं, जो जैसा करेगा अपना फल, स्वर्ण भोगेगा। भाई मक्खनलालजी गुरुद्वेषीपनका कुफल स्वर्ण भोगेगे।

पं० मक्खनलालजीने अपने टैक्टमें सबसे पहले गाँव नगरके भीतर जिनमन्दिर और चैत्यालयोंमें मुनियोंका रहना सिद्ध किया है। अध हम इस विषयपर विचार करते हैं। प डितजाने जो इस वातकी सिद्धिमें प्रमाण दिये हैं उनका सरण्डन तो हम पौछे करेंगे। पहिले हम वे शास्त्रीय प्रमाण देते हैं, जिनसे मुनियोंका गाँव नगरके भीतर जिन-मन्दिर और चैत्यालयोंमें रहना बही नहीं सकता। पाठक ध्यान पूर्वक पढ़ेकी कृपा करें।

मुनियों के वन-वास पर शास्त्रीय

प्रमुखण्ड

—*—

जैन शास्त्रोंमें उत्कृष्ट श्रावक एलकको भी जब वनमें ही रहने-की आज्ञा है, तब मुनियोंका निवासस्थान तो घन ही है। स्वामी समंतभद्राचार्यने रत्नकरंडश्रावकाचारमें एलकको वनमें रहनेकी इस प्रकार आज्ञा दी है—

गृहतो मुनिवनमित्वा गुरुपकंठे ब्रतानि परिगृह्य
भैद्याशनस्तपस्यन्तु कृष्टश्चेलखंडधरः । १४७

रत्न ० श्राव ०

‘अर्थात् वरसे निकलकर जिस वनमें मुनिराज विराजमान हों उस वनमें जावे। मुनिराजके समीप अच्छी तरह ब्रत धारण करै। भिन्नाभिन्नसे भोजन करै। उत्तम तपोंको तपै, ऐसा कोपीन मात्र परिग्रहका धारक उत्कृष्ट श्रावक होता है। यहापर एलकको वनमें निवासकी स्पष्ट आज्ञा है। जब एलकको मगवान उमंतभद्राचार्य वनमें रहनेकी स्पष्ट आज्ञा देते हैं, तब मुनि तो उनके मतानुसार वनवासीहैं ही। मगवान कुंकुं दने मुनियोंकी दोक्षाको स्वरूप इस प्रकार बतलाया है—

गाथा

सुरणाहरे तरुहिटे उज्जारो तह मसाणवासे वा
गिरिगुह गिरिसिहरे वा भीमवरो अहववसिते वा

छाया

शून्यगृहे तरुमूले उद्याने तथा इमसान वासे वा
गिरिगुहयांगिरिशिखरेवा भीमवनेअथवा वसतौवा४२-

टोका—सुरणाहरे तरुहिटे शून्यगृहे निवासः कर्तव्यः प्रब्रज्यावते
त्युपस्कारः । तरुहिटे बृक्षमूले स्थातव्यं । उज्जारो-उद्याने कृत्रिम बने
स्थातव्यं । तह मसाणवासे वा तथा इमसानवासे वा वितृवनस्थाने
स्थातव्य । गिरिगुह गिरिसिहरे वा-गिरिगुह-गिरेगुहायां स्थातव्यं
गिरिशिखरे वा पर्वनोपरि स्थातव्यं । भीमवरो अहव वसिते वा
भीमवने भयानकायो मटव्यां स्थातव्यं अथवा वसिते वा ग्राम-
नगरादौ वा स्थातव्यं । नगरे पंचरात्रे स्थातव्यं । ग्रामे विशेषण न
स्थातव्यं ।

अर्धीत दिगम्बरी दीक्षाके धारक मुनियोंको सूने मकान बृक्षों
के कोटर उद्यान-राजो महाराजा सेठ साहूकारोंके द्वारा बनाये गये
बन, मरघट, पर्वतीकी गुफा, पर्वतीके शिखर अथवा वसतिकाओं
में रहना चाहिये । ४२ ।

बोधप्राभृत पृ० १०६ घटप्राभृतादि संग्रह छपा ।

ग्राम नगरके बाहिर मुनियोंके रहने योग्य सूने मकानका नाम
बसनिका है । घोर बीर मुनि, बनेंमें पर्वतोंकी गुफा आदिमेंही

रहते हैं किन्तु जो मुनि हीन संहननके धारक हैं। वे बसतिकामें ठहरते हैं। भगवान् कुंदकुंदने बसतिका उक्का उल्लेख कर यह स्पष्ट कर दिया है कि मुनिगण सबसे जघन्य स्थान बसतिका-मेही रह सकते हैं। भगवान् कुंद कुंदने ग्राम नगरके भीतर जिन-मन्दिर वा जिन-चैत्यालयोंमें मुनियोंके रहनेका विधान नहीं किया। यदि ग्राम नगरके भीतर जिन-मन्दिर आदि स्थान भी मुनियोंके रहने योग्य होते तो आचार्य महाराज मुनियोंको उनमें ठहरनेका भी विधान कर देते। वैसा नहीं किया, इसलिये गांव नगरके भीतर जिनमन्दिरोंमें रहना शाख आज्ञाके विरुद्ध है, यह मानना हो देगा।

भगवान् कुंद कुंदके बनाये 'बोधप्राभृत' पर भट्टारक श्रुत सागर सूरिकी टीका है। भट्टारक श्रुतसागरसूरि चिक्रम सं० १५५० में हुए हैं। उन्होंने टीकामें 'बसति' शब्दका अर्थ ग्राम नगरादि किया है और अपनी गोरसे यह खुजासा भी कर दिया है कि नगरमें पाच दिन और गांवमें एक दिन ठहरना चाहिये। श्रुतसागर सूरिने जो बसतिकाका अर्थ बिज्ञा है उससे स्पष्ट है कि गांव नगरमें आकर मुनिगण उनके बाहिर बसतिकाओंमें रहते थे। श्रुतसागर सूरिने टीकामें भी ग्राम नगरके भीतर जिन मन्दिर आदि स्थानोंमें मुनियोंके रहनेका विधान नहीं किया इसलिये यही मानना पड़ेगा कि यह विधान शिथिलाचारियोंका चलाया हुआ है।

और भी प्रमाणों

गाथा

उपसर्गपरिसहस्रा गिर्जणदेसे हि शिव अत्येई
सिलकटु भूमितले सब्बे आरुहद् सब्बत्थ । ५६।

छाया

उपसर्गपरीषहस्राः, निर्जनदेशे हि नित्यं तिष्ठति
शिलायां काष्ठे भूमितले सर्वाणि आरोहति सर्वत्र । ५६

टीका—उवसर्गपरिसहस्रा—उपसर्गश्च तिर्यग्मानवदेवाचतेन-
यताश्चतुः प्रकाराः । परीषहाश्च पूर्वोक्ता द्वाविंशतिः । उपसर्गपरीं
पहस्राश्चनान् सहते तेषु वा सहायः समर्था उपसर्गपरिषहस्राः ।
गिर्जणदेसे हि शिव अत्येई—निर्जनदेशे-मनुष्यरहितप्रदेशे वने
हि रुद्रं नित्यं तिष्ठति सिलकटु भूमितले-शिलायां-दृष्टि-
काष्ठे—दारुफलके, भूमितले-भूमी, वृणायां वा सब्बे आरुहद् सब्ब-
त्थ एवानि सर्वाणि आरोहति उपविशति शेते च सर्वत्र वने ग्राम-
नगरादौ वा । ५६।

भावाधी—तिर्यक्त्र मनुष्य देव और अचेतनकृत चार प्रकारके
उपसर्ग तथा वार्ता परीपदोंके सहनेवाले मुनिगण निर्जन देवमनु-
ष्योंके आवागमन रहित जड़लोंमें सदा रहते हैं । शिला, काष्ठ—
चेजोड़ तृस्ना, और भूमि इन सबोंपर उठते बंठने सोते हैं । ५६ ।

यद्ग्रामाभृतादिसंग्रह वो० प्रा०-
यहांपर भगवान् कुन्टकुन्दने मुनियोंके निर्जन प्रदेश वनका

स्पष्ट उल्लेख किया है। गांव नगरके भीतर जिनमन्दिरोंमें मुनियोंके रहनेकी यदि भगवान महावीरकी ओळा होती तो भगवान कुन्द-कुन्दैँ उसका अवश्य उल्लेख करने; परन्तु वैसा नहीं कियो गया। यहांपर एक बात और भी ध्यान देने योग्य है कि भगवान कुन्द-कुन्दने कुण्डों धासपर मुनियोंके लिये सोने उठनेका खिलकुज ही विधान नहीं किया। श्रुतसामर सूरिने अपने समयकी प्रगतिके अनुसार वैसा लिख दिया है। क्योंकि श्रुतसामर सूरिके जमानेमें मुनिगण धासपर सोते होंगे। परन्तु धासपर सोना मुनियोंके डिये शास्त्राङ्गाके विरुद्ध है। इस विषयमें आचार्य पथन दोने पथ पंचविंशतिकामें इस प्रकार लिखा है:—

दुर्ध्यानार्थमव्यकारणमहो निर्यथताहानये
शश्याहेतुतृणाद्यपि प्रशमिनां लब्जाकरं स्वीकृतं ।
यत्तत्किं न गृहस्थयोग्यमपरं स्वर्णादिकं स्वाम्प्रतं
निर्यथेष्वपि चैतदस्ति नितरां प्रायः प्रविष्टः कलिः

५६ पृ० २९ मुद्रित

आचार्य कहते हैं:-निर्गृन्थ मुनि सोनेके समय यदि धास आदिको भी स्वीकार करले तो वह भी उनके स्वोटे ध्यानके लिये होता है, निन्दाका करनेवाला निर्गृन्थितामें हानि पहुंचानेवाला होता है। और लज्जाका करनेवाला भी होता है। तब वे निर्गृथ गृहस्थके योग्य सुधरणा आदिको कैसे रख सकते हैं। यदि इस

कालमे निग्रथ सुवर्ण आदिको रक्खें तो समझना चाहिये यह कलिकालका ही माहात्म्य है । ५३ ।

विद्वारनेकी बात है जब आचार्य पश्चान्दी तुणपर सोना पहादूपित लज्जाका कारण बतलाते हैं तब मगधान कुन्दकुन्दका वह भन कैसे हो सकतो है । अपने समयमें प्रचलित शिथिलाचारकी प्रथाके आधारसे वह श्रुतसागर सूरिका कथन है । समय जो सी करादे सो थोड़ा है । मुनि बनवासी ही हैं, इस विषयमें

और भी प्रमोरा

वाहिरसंगच्चाओ गिरिसरिदरिकंदराङ् आवासो
सथलो णानजभृयणो गिरत्थओ भावरहियाणं-
वाह्यसंगत्यागः गिरिसरिदरिकंदराद्यावासः ७
सकलं ज्ञानाध्ययनं निरर्थकं भावरहितानां ।

आदि शब्दात श्मसानोद्यानादौ आवासः—स्थितिः ।

भाव प्राभृत २३७

आचार्य—जो मुन माघ रहित द्रव्यलिंगी हैं उनके लिये घाष गिरग्रहका त्याग, पवंत, नदी, पर्वतोंकी गुफा, मरघट, दयान, आदिमें पहना, ध्यान अध्ययन सभी याते निरर्थक हैं । यहांपर आचार्य महाराजने स्पष्ट ही कर दिया है कि द्रव्यलिंगी और मावलिंगी दोनों ही प्रकारके मुनियोंका रहनेका स्थान बन ही है । यदि ग्राम नगरोंके भीतर जितमन्दिर आदि मुनियोंके रहनेके स्थान होते तो आचार्य महाराज उसे कभी नहीं भूल सकते थे ।

ओर भी प्रमाण

मूलाचार के कर्ता आचार्य बहकेर अपने समयके उद्दट आचार्य थे, मूलाचारमें मुनियोंके वरिवकां खासरूपसे घण्ठन किया गया है। आचार्य बहकेरने मुनियोंके रहने योग्य स्थान इस प्रकार उत्तराया है—

भिक्खुं चर वस रणे थोवं जेमेहि मा वहू जम्प
दुःखं सह जिण गिहा मेत्ति भावेहि सुहू वेरगं
भिक्षां चर वस अरण्ये स्तोकं जेम मा बहु जल्प
दुःखं सह जय निद्रां मैत्री भावय सुष्टु वैराग्यं ।

पृ० ३२२ मुश्किल

आचार्य—हें मुनियो ! आप भिक्षा वृत्तिसे भोजन करो, अनभै रहो, थोड़ा भोजन करो, बहुत न खोलो, दुख सहो, निश्च जीतो, और मैत्री भावना भावो, यही उत्तम वैराग्य है। यहापर मुनियों को घनवासका ही विधान किया है।

ओर भी प्रमाण

आथा

किं काहदि वणवासो सुरणागारो य रुक्खमूलो त्रा
भुजंदि आधाकम्मं सव्वे वि गिरत्थया जोगा ।

आया

किं करिष्यति बनवासः शून्यागारश्च वृक्षमूलो वा
भुङ्के अधः कर्म स्वेऽपि निरर्थकम् योगाः ॥

पृ० ३३१ मू० आ०

भावार्थ—यदि साधु अघः (१) कर्मका सेवन करता है तो
इसका पनवास शून्यागार और वृक्षका मूल क्या करेगा ? उसके
सब ही योग निरर्थक हैं । इस गाथासे भी भावार्थ महाराजने
पुहियोके लिये वन, शून्य मकान और वृक्षोंके मूल ही रहनेके
स्थान बताये हैं । गांव नगरके भीतर जिन् मन्दिर आदि नहीं ।

और भी पुष्ट प्रमाण

आया

गिरिकिंदरं मसाणं सुरणागारं च रुक्खमूलं वा
ठाणं विरागवहुलं धीरो भिक्खु गिसेवेऽ ।

पृ० ३४० मू० आ०

आया

गिरि किंदरां श्मसानं शून्यागारं च वृक्षमूलं वा
स्थानं वैराग्य वहुलं धीरो भिक्षुः निषेवतां ।

भावार्थ—धीर वीर मुनियोंको पर्वतकी गुफा, मरघट, शून्य
गार, वृक्षके मूल भाग, इन स्थानोंपर बैठकर स्थान करना चाहिये ।
भ्योऽपि ये स्थान वैराग्यके बद्धानेवाले हैं । पाठक विचार करें

नोट (१) अग; कर्मका स्वरूप भक्ती भावकलमें विस्तारसे बताते ।

मूलाभार जिसमें कि मुनियोंके ह। आचार विचारका वर्णन है जूसके कर्ता स्थामी घट्टकेरने गाँध नगरके मातर जनमन्दिर बादिमें मुनियोंके रहनेका कहो भी उल्लेख नहीं किया।

‘पद्मनदि’ पर्विशानिकाके नर्ना आचार्ये पद्मनदोके समयमें मुनिगण प्रवासी ही थे। गाव नगरोंके भीनर जिनमन्दिरोंमें रहनेका उस समय कोई जिक्र ही न था। यह बात आगे अच्छी तरह लिखो जायगी। पद्मनदिपर्विशानिकाके जिस अध्यायमें श्रावकोंको महिमाका वर्णन किया गया है। उस अध्यायके ‘संप्रत्यत्र कलौ काले’ इसादि श्लोकोंको अशुद्ध गढ़कर घर्षासागरके कर्ता पाहे चम्पालालने विना प्रकरणके यह लिख मारा है कि जिनमन्दिरोंमें मुनिगण रहते हैं, ऐसा पद्मनदो आचार्य का भत है। पांडे जो विशेष विद्वान न थे उनसे यदि गलनो हांगर्ह तो काहू बात नहीं। परन्तु आज कल विद्वान नामधारी व्यक्ति भी पक्षपान और हठके बशीभूत हुए जौनसिद्धार्तके विपरीत गलतीको पुष्टि कर रहे हैं, यह आश्चर्य है। यदि ये विद्वान नामधारी परिषद महाशय पद्मा० पञ्चविशतिकाके मुनि प्रकरणको भी देख लेते तो ‘उन्हें’ पांडे जो की असावधानोका पना लग जाता और सम्य भी मिथ्या पक्ष गतके लिये कमर न कसते। अस्तु जिस पद्मनदिपर्विशानिकाके बनावटी श्लोकके आधारसे मुनियोंका, जिनमन्दिरोंमें रहना पुष्ट किया जाता है, उसे ही निश्चय करनेवाले पद्मा० पञ्चविशतिकाके कुछ श्लोकोंको हम यहां उद्धृत करते हैं। वे श्लोक इस प्रकार है—

प्रोद्यत्तिगमकरोयतेजसि लसच्चंडानिलोयदिशि

स्फारीभूतसुतप्तभूमिरजसि प्रक्षोण निवृम्भसि
श्रीष्मे ये गुरुमेधनीध्रशिरसि ज्योतिर्निर्धायोरसि
व्यांतघ्वंसकरं वसंति मुनयस्ते सन्तु नः श्रेयसे ६४

जिस श्रीष्म मृत्युमें अत्यंत कड़ी धूप पड़ती है, चारों दिशाओंमें
भयङ्कर लूचलती है, रेता अस्त्रत गरम हो जाता है, कुएं नदियोंका
पानी सूख जाता है, ऐसी भयङ्कर मृत्युमें जो मुनि अङ्गानांघन्मर
को नाश करनेवाले सम्बर्ज्ञान रूपी तेजको अन्तरङ्गमें रखकर
अत्यन्त ऊंचे पहाड़की चोटी पर निवास करते हैं वे मुनि मेरे
कल्पयाणक चर्चा हों ।

ते वः पांतु मुमुक्षवः कृतरवैरव्यैरतिश्यामलैः
शश्वद्वारि वमन्द्रिरविधविषयक्षारत्वदोषादिव
काले मज्जदिले पतंद्विरिकुले धावद्धुनीसंकुले
भांभावातविसंस्थुले तरुतले तिष्ठंति ये साधवः ६५

जिस वर्पकालमें काले काले मेघ भयंकर शब्द करते हैं, समुद्रके
खाटीपनके कारण मातों जो जँहां तहाँ जल बर्पते फ़िरते हैं । जिस
कालमें उमीन नोचे को घसक जानी है, पर्वतोंसे बड़े-बड़े पत्थर
गिरते हैं, जलकी भरी नदियाँ सब जगह दीड़ती फ़िरनी हैं और
जो जल सहित सीधी पदनसे भयंकर हैं । ऐसे भयंकर वर्षाकालमें
मुनिगण वृक्षके नोचे घेंडकर तप तपते हैं वे तुम्हारी रक्षा करो । ६५

(५७)

और भी प्रमाण

स्लायत्कोकनदे गलतिपकंमदे भ्रंश्यद्रु मौघच्छदे
 हर्षद्रोमदरिद्रके हिमक्षतावत्यन्तदुःखप्रदे ।
 ये तिष्ठंति चतुष्पथे पृथु तपः सौधस्थिताः साधवो
 ध्यानोषण प्रहितोग्रशीतविधुरास्ते मे विदध्युः श्रियं
 ॥ ६६ ॥

जिस शीतकालमें कमल कुम्हला जाते हैं, वह दरोंका मद गल जाता है, वृक्षोंके पत्ते जल जाते हैं, वस्त्र रहित द्रिद्रोंके शरीरपर रोमांच खड़े हो जाते हैं और भी जो नोना प्रकारके दुःखोंका देने वाला है ऐसे भयंकर शीतकालमें ध्यान रूपी अग्निसे शीत दूर करने वाले जो मुनिगण चोपट मैदानमें घैठकर तप तपते हैं वे मुझे मोक्ष लक्ष्मी प्रदान करे । १ । ६६ ।

कालत्रये बहिरवास्थितजातवर्षा-
 शीतातपप्रभुखसंघटितोग्रदुःखे ।

आत्म प्रबोधविकले सकलोऽपि काय-
 चलेशो वृथा वृत्तिरिवोजिभतशालिवप्ने । ६७ ।

जो मुर्नि आत्म ज्ञानसे रहित हैं, उनका आहिर बनोंमें रहकर वर्षा शीत गर्मी तीनों कालमें उत्पन्न हुए दुःखोंके सहन रूप संपूर्ण व्यांयक्लेश वैसा ही निरर्थक है जैसा कि धान्यके कट जाने पर ज्येतकी आड़ लगाना निरर्थक है । ६७ ।

पश्चनं दिपं च विंशं तिकाके इन श्लोकोंसे यह बात स्पष्ट है कि सुनियोक्ता निवास स्थान उन ही हैं । गांव नगरके भीतर जिन मंदिर नहीं । जिस अध्यायके ये इलोक हैं आचार्य पश्चनंदीने उस अध्यायमें सुनियोक्ता के ही स्वरूपका वर्णन किया है । यदि आचार्य महाराजको सुनियोक्ता गांव नगरके भीतर जिन मंदिरोंमें रहना अभीष्ट होता तो वे इस सुनि प्रकरणके अध्यायमें वैसा जहर लिखते । सुनि प्रकरणमें पेसो आवश्यक बातको वे कभी नहीं भूल सकते थे । इस सुनिप्रकरणमें गांव नगरके भीतर जिन मंदिरोंमें सुनियोक्ते रहनेका विधान भी उनका प्रमाण कोटिगें लिया जाता परन्तु आचार्य पश्चनंदीकी लेखनीसे ऐसी धर्म विशद्ध बात कभी नहीं लिखी जा सकती थी । श्रावक प्रकरणमें जहां पर श्रावकोंके जिन मंदिर उनवानेकी महिमाका आचार्य महाराज वर्णन कर रहे हैं वहां उनके वचनोपर कुठाराघातकर जो अर्थका अनर्थ किया गया है वह महान पापवंधका कारण है । श्रावकोंकी महिमाके वर्णनमें आचार्य महाराज सुनियोक्ता रहना जिन मंदिरोंमें बतलावे और जहां सुनियोक्ता स्वरूप वर्णन किया है वहां वह बात छोड़ दें, वहां उनका रहना उनमें कहें, यह गलती आचार्य पश्चनंदी-सरीखे महानुभावोंसे नहीं हो सकती । मामूली मनुष्य भी यह विचार सकता है । अरु जो महानुभाव पश्च एवं शतिकाका अमाण देकर सुनियोक्ता गांव नगरके भीतर जिन मंदिरोंमें रहना चिह्न कर रहे हैं वे अब संतोष कर लें । उनका लिखना बिलकुल सिद्धान्त विशद्ध है ।

आदि और भी प्रमाण

आदि पुराणके कर्ता सगवज्जनसेनाधार्य अपने समयके कितने प्रभावी आधार्य थे, जैनियोंका बहा ३ इस बातको जानता है। आदि पुराणका जैन समर्जिमें काफी प्रचार है। आदि पुराणमें लिखा है कि महापूत चौत्यालय निर्जन स्थानमें था, मुनि गण वहा उहर जाते थे। ८० मक्खनलाल जीने इस बातको लक्ष्य कर यह लिख मारा है कि 'मुनिगण जब महापूत चौत्यालयमें रहते थे तब गांव नगरके भीतर जिनमन्दिरोंमें रहना विरुद्ध नहीं, यहां पर ८० मक्खनलालजी कितने भूले हैं। कषायवश अर्थका अनर्थ कर उन्होंने लोगोंको कितने बड़े भ्रममें डाला है, यह तो जब हम उनके शब्दोंपर विचार कर गे तब लिखेंगे, परन्तु मगवजित ऐनाचार्यने मुनियोंके रहनेका स्थान क्या कहा है, उसे बतलानेके लिये हम यहां उनके बचन उद्धृत करते हैं। श्री आदिपुराणजी में मुनियोंके ध्यान करने और रहने योग्य स्थानका इस प्रकार वर्णन है—

ध्यानद्वयं विस्मृज्याद्यमसत्संसारकारणं ॥

यदुत्तरं द्वयं ध्यानं मुनिनाभ्यसिशिष्यते ॥५५॥

तदिदं परिकर्मेष्टं देशावस्थाद्युपाश्रयं ॥

वहिः सामग्रयधीनं हि फलमत्र द्वयात्मकं ॥५६॥

शुन्यालये शमसानेवा जरदुध्यानकेऽपि वा ॥

सरित्पुलिनगिर्यगद्वरे द्रुमकोटरे ॥५७॥

**शुचावन्यतमे देशे चित्तहारिण्यपातपे
नात्युषणातिशिशिरे नापि प्रबद्धतरमारुतेऽप**

आदिपुराण अध्याय २१ पृ० ७५१ छपा

अर्थ—आदिके दोय ध्यान असमीचीन अर संसारके कारण हैं तिनहिं छाँड़ि कर मुनिगण उत्तरके दोय ध्यान धर्म्यध्यान अर शुक्लध्यान तिनिका अभ्यास करै हैं ।५५। सो उत्तम ध्यानकी सामग्री सुनहु—पवित्र स्थानक अचल आसन इत्यादि वाह्य सामग्रीका संयोग ध्यानीनिकौं योग्य ही है अर इन ध्याननिका फल निश्चयतै निज स्वरूपकी प्राप्ति अर व्यवहार नयकरि वशुमकी निवृत्ति उत्तम वा मुख्य फल - निर्माण गौणफल स्वर्गादिक ।५६। प्रथमही ध्यान योग्य स्थानक कहैं हैं—शून्य गृह, मसाण, जीण उद्धान, नदीके पुलिन, गिरिके शिखरकी गुफा, वृक्षनिके कोटर ।५७। अथवा और अनेक पवित्र स्थानक है चित्तके बश करण हारे जहाँ अति आताप नाहीं अतिशीत नाहीं प्रबल्ड पवन नाहीं ।५८)

और भी प्रमाण

स्त्रीपशुकलीवसंसक्तरहितं विजनं मुनेः ।

सर्वदैवोचितं स्थानं ध्यानकाले विशेषतः ।७७।

वसतोऽस्य जनाकोणे विषयानभिपश्यतः ।

नाहुल्यादिंद्रियार्थानां जातु व्यग्रीभवेन्मनः ।७८।

ततो विविक्तशायित्वं बनेवासश्र योगिनां । इति साधारणे मार्गे जिनस्थविरकल्पयोः ।७६।

आदि पुराण अध्याय २१ पृ० ७५४ ७५५

अर्थात्—स्त्री अर प्राम पशु, नपु सक निनिके संसर्गते रहित निजन बन सोही महामुनिनिकूँ उचित है अर व्याजके समय सो पकान्त स्थानक ही विशेष योग्य है ।७७। जो साधु कदाचित् (नगर) बसतीमें रहें सो लोकनिके विषय देखे सो देखिवे तैं इंद्रियनिकी व्याकुलता होय ताक रि मन व्याकुल होय ।७८। सातौं योगींक्रनिकूँ बनविषै एकांत स्थानकविषै निवास करना योग्य है यह स्थविरकल्पी जिन कल्पी दोऊ मुनिनिका सामान्य मार्ग है ।

भगवज्जिनसेनाचार्यके वचनोसे यह स्पष्ट हो चुका कि मुनियोंके रहनेका स्थान बन ही है । गांव नगरके भीतर जिनमंदिर आदिमें रहना शास्त्र विरुद्ध है । महापूत चैत्यालयमें आदि पुराणके अन्दर मुनियोंका ठहरनो लिखा उसका भाव न समझ माई मषखनलालजी ने उसका यह अनर्थ कर दिया है कि मुनिगण गांव नगरके भीतर जिनमन्दिरोंमें रह सकते हैं । यदि भगवज्जिनसेनाचार्यको गांव नगरके भीतर जिनमंदिरोंमें मुनियोंका रहना अभीष्ट था, तो जहाँ उन्होंने मुनियोंके रहनेके स्थानका वर्णन किया थहाँ यह क्यों नहीं कहा कि गांव नगरके भीतर जिनमंदिरोंमें भी मुनिगण रहते हैं । इस बातके कहनेमें उन्हें क्या भय था । इसलिये कहना पड़ेगा कि गांव नगरके भीतर जिनमन्दिरोंमें रहना आचार्य जिन सेन स्वामी

अम विरुद्ध समझते थे । इसलिये उन्होंने वैसा कथन नहीं किया । भाई मक्खनलालजीने इनके बचनोंको न समझनेके कारण वह सिद्धा लिखा है ।

और भी प्रमाण

आचार्य गुणमद अपने समयके उद्घट आचार्य थे । भगवान्नित सेनाचार्यके प्रधान शिष्य थे । भगवद्विजतसंनाचार्यके अधूरे महापुराणको इन्हीं आचार्य महाराजने पूरा किया था । आत्मानुशासनमें मुनियोंके लिये उन्होंने यह लिखा है—

इतस्ततश्च त्रस्य तो विभावर्या यथा मृगाः ।

बनाद्वस्त्युपग्रामं कलौ कष्टं तपस्विनः । १६७।

(मुद्रित)

अर्थात् वहे खेदकी बात है कि इस कलिकालमें मुनिगण जहां जहांसे भयभीत होकर वनसे आकर नगरके समीप रहते हैं । १६७ विचारनेकी बात है जब स्वामी गुणमदाचार्यने ग्रामके समीप वसना भी कुरा कहा है तब गांव नगरके भीतर जिनमंदिरोंमें रहना भी उनके मतानुसार सर्वथा आगम विरुद्ध है ।

और भी प्रमाण

आधारसारखे कर्ता आचार्य थे न दी हैं । ये अपने समयके चहत पड़े विद्वान् सिद्धान्त चक्रवर्ती पदसे भूषित मूलसंघ, पुस्तक गच्छ, देशोंय गणके आचार्य थे । इनके गुरुका नाम मेघवन्द्र था ।

—और ये विक्रमकी १२ वीं शताव्दीमें हुए थे। मुनियोंके रहने-योग्य स्थानका आचार्य धीरनंदीने इस प्रकार वर्णन किया है—

इत्यस्तेयव्रते पञ्च भावनाः कन्दरादिषु

स्वभावशून्येष्वावासो मुक्तामोचितसङ्घट्टसु ।४५।

पर्वतकी गुफा पर्वतके शिखर आदि प्रदेशोंमें रहना तथा स्वभावसे हो शून्य-मुक्त और आमोचित मकानोंमें रहना इत्यादि पांच भावना अचौर्यव्रत की हैं । ४५ । जो मैंन स्वयं छोड़ा हुआ हो वह तो मुक्त है और दूसरे राजाकी चढ़ाई होनेपर जो जब-रन छुड़वा दिया गया हो वह आमोचित है । आचार्य धीरनंदीने इस श्लोकसे गाघ नगरके भीतर जिन मंदिरोंमें मुनियोंका रहना नहीं कहा ।

और भी प्रमाण

शून्यागारदरोगुहादिशुचिनि स्थाने विविक्ते । स्थित-स्तीक्षणैर्मल्कुणकीटदंशमशकाद्यैश्चंडतुङ्गैः कृतां स्वांगार्ति परदेहजाति मिव तां यो मन्यमानो मुनिर्निःसङ्गः स सुखी च दंशमशक्वलेश्चमी तं नुमः ॥

अर्थ—जो मुनि सुने मकान, पर्वतकी गुफा आदि पवित्र एकांत स्थानमें रहता है, तोखे डंकवाले विषेले कीडे डास मच्छर आदि से उत्पन्न पीड़ाको पर देहकी पीड़ाके समान मानतो है, परिग्रह रहत है और डास मच्छरोंकी पीड़ाको सुखके साथ सह लेता है।

इस मुनिराजको हमारा नमस्कार है । ८। यहांपर आचार्य वीर-
शंदीने बन पर्वत आदि ही मुनियोंके रहने योग्य स्थान बताये हैं ।
इस अध्यायमें और भी बहुत इलोक है, जिनसे मुनियोंके लिये
बनवासका ही विधान किया है । प्रकरण बढ़ जानेके मयसे यहां
उन इलोकोंको नहीं प्रकाशित किया गया । यदि आचार्य वीरनंदीको
गांव नगरके भीतर जिन मन्दिरोंमें रहना अभीष्ट होता तो वे कहीं
नो उल्लेख करते ?

और भी प्रमाण

पं० आशाधरजी अपने समयके बहुत बड़े विद्वान थे । उन्होंने
आचक और मृनि दोनोंके आचारोंका विस्तारसे वर्णन किया है ।
अनगारधर्मसूत्रमें मुनियोंके रहने योग्य क्षेत्रका वे इस प्रकार
वर्णन करते हैं—

**शून्यं पदं विमोचित मुतावसेन्द्रै द्यशुच्छिमनुयस्येत्
न विसंवदेत्सधर्मभिरुपरुद्यान्न परमप्यचौर्यपरः ।**

संस्कृन शीका—आवसेदधिवसेद्चौर्यपररत्तीयव्रननिष्ठः साधुः
किंतत् । पदं स्थान । कि विशिष्टं, शून्यं निर्जनं गुहागेहादि, उत
अथवा विमोचितं परचकादिनोद्वासित पदमावसेत् । ५६ ।

अर्थात्—अचौर्य सहायतके पालन करनेवाले साधुको पर्वतको
शुफ़ा वा मकान आदि पून्य निर्जन स्थानोंमें तथा दूसरे राजकी
चढ़ाईसे जो ग्राम वा नगर उजड़ गये हों उनके मकानोंमें रहना
चाहिये । ५६ ।

(६५)

ध्यानके लिये एकांत स्थान कैसा होना चाहिये इसके लिये अनगारधर्ममृतमें इस प्रकार लिखा है... ४१-

**यत्र न चेतोविकृतिः शब्दाद्येषु प्रजायतेऽर्थेषु ।
स्वाध्यायध्यानहूतिर्न यत्र बसतिविविक्ता सा ॥**

अ० घ० पृष्ठ ४६० छपा

अर्थ.. शब्द रूप आदि इन्द्रियोंके विषयोंमें जहां किसी प्रकारका विकार न हो और स्वाध्याय ध्यानमें अडचन न पहुंचती हो वह एकांत स्थान कहा जाता है । एकांत स्थानके इस लक्षण से गाँव नगरके भीतर जिन मंदिरोंमें मृतिगण नहों रह सकते क्योंकि जिन मन्दिरोंमें तोनों समय पूजा आरती आदिके कारण कोलाहल होनेसे मूनियोंके ध्यान अध्ययनमें वाधा पहुंचेगी, इस लिये जो महानुभाव गाँव-नगरके भीतर जिनमंदिरोंमें मुनियोंका रहना मानते हैं वे भूल करते हैं ।

भगवान अकलङ्कदेव विक्रमकी सानवों आठवों शनाव्दीमें होगये हैं । भगवान अकलंक देव अपने समयके कितने बड़े प्रमोक्ष-शाली आचार्य थे । कैसे कठिन समयमें इन्होंने बौद्ध धर्मसे जैन धर्मकी रक्षा की थी, जैनियोंका बच्चा २ इस बातको जानता है । राज वार्तिक ग्रन्थमें मुनियोंके रहने योग्य स्थानोंका भगवान अकलक देवने इस प्रकार बताने किया है —

**संयतेन.. अकृत्रिमगिरिगुहातरुकोटरादयः
कृत्रिमाश्च शून्यागारादयो मुक्तामोचितावासा ॥**

अनात्मोदे शनिर्बर्तिता निरारम्भाः सेव्याः

अर्थात् संयमी मुनियोंको पर्णतको गुफाये, खुज्जोके कोटर आदि जो अकृत्रिम स्थान हैं उनमें रहना चाहिये तथा जिन स्थानों की रचना मुनियोंके उद्देशसे न हो ऐसे स्वयं छोड़े वा दूसरे द्वाजो आदि द्वारा उड़ाड़े गये शून्य घर आदि कृत्रिम स्थानोंमें रहना चाहिये । कोलाहल पूर्ण स्थानोंमें नहीं रहना चाहिये । यदि गांव नगरके भीतर जिन मन्दिरोंमें रहनेका विधान होता तो भगवान् अकलांक देव इस बातका अवश्य उल्लेख करते परन्तु वैसा उन्होंने नहीं किया, इसलिये मानना होगा कि गांव नगरके भीतर जिन मन्दिरोंमें रहना शास्त्रोक्त नहीं, ये ही प्रक्तियां ज्यों की त्यों इलोक वार्तिकमें हैं । इसलिये इलोक वार्तिकके कर्ता भगवान् विद्यानन्दके मतानुसार भी मुनियोंका गांव-नगरके भीतर जिन मन्दिरोंमें रहना सिद्ध नहीं होता ।

और भी प्रमाण

आचार्य—सकलकीर्ति अपने समयके अच्छे विद्वान् और अनेक ग्रंथोंके रचयिता हुए हैं । भट्टारक होनेपर भी मूलसंघकी आम्नायके ये कठूर अनुयायी थे, प्रश्नोत्तर आवकाचारमें मुनियोंके रहने योग्य स्थानोंका उन्होंने इस प्रकार वर्णित किया है —

गिरिशून्यगृहावासान् ध्यानविध्वस्तकिल्विषान् ।

वाह्याभ्यन्तरभेदेन त्यक्तसर्वपरिग्रहान् । ३२।

**आवृट्काले स्थितान् वृक्ष मूले हेमंतिकेऽचलान्
चतुर्मार्गे च ग्रीष्मे तान् नगशृङ्खे मुनीश्वरान् ३४
अनेकञ्चद्विसम्पूर्णान् समर्थान् भव्यतारणे ।
निर्भयान् सद्गुरुभ्नित्यं भज त्वं स्वर्गमुक्तये । ४०**

अथ—पहाड़ अर शूना घर विषे है स्थान जिनका अर ध्यान करि नष्ट किया है पाप जिनने अर वाश अभ्यंतर भेदकरि त्यागे हैं औबीस प्रकारका परिग्रह जिनने । ३२। अर वर्षाकालमें बृक्ष नीकों तिष्ठे हैं अर शोन कालविषे औहटा विषे अचल तिष्ठे हैं अर ग्रीष्म कोल विषे पर्वतनिके शिखर विषे तिष्ठे है । ३९। ऐसे अनेक झृद्धिन करि सम्पूर्ण-मरे अर भव्यनके तारणे विषे समर्थ अर निरभय ऐसे द्विसद्धा सद्गुरुस्वर्ग अर मुक्तिके अथ नित्य ही सेवने योग्य हैं । (१) ४०

पृ० २९ लिखित

और भी प्रमाण

वज्रकाया महाधैर्या महासत्त्वाःशु भाशयाः ।
परीषहसहा धीरा आदिसंहननान्विताः । ७५।
ध्यानाध्ययनकर्मादि सर्वं गिरिगुहोदिषु ।
भवन्ति मुनयः कर्तुं समर्थास्त्यक्तदेहिनः । ७६।
८० पन्नालालजी औद्धर्मी कृत प्राचीन भाषा ।

प्राप्य वस्तिकां सारं ध्यानं वाऽध्ययनं तपः
मुनिः संहनने हीने कर्तुं शक्रोति नान्यथा । ७७।

अथे—त्याया है देह कहिये शरीरका ममत्व जिनने अर वज्र वृपम संहननके धारी वज्रकाय ऐसे मुनि हैं ते महा धैर्यवान महापराक्रमी शुभ है चित्त जिनका अर बाईस परोषहोंके संहनहारे अर धीर ऐसे आदि संहननके धारी अर ध्यान अध्ययन कर्मादिक सर्व गिरि गुफानिविष मुनि हैं ते करनेकू समर्थ होय हैं अन्य हीन संहननिके धारीनिकी सामर्थ्य नाहीं । ७५-७६। मुनि हैं सो हीन संहनन विषे सारभूत वस्तिका तोहि प्राप्त होय ध्यान अध्यपन वो तप करनेको समर्थ होय हैं अर वस्तिका विना समर्थ नाही होय । ७४ ।

आचार्य सकल कीति ने यहां मजबूत संहनन और कमजोर संहननके धारक दोनों प्रकारके मुनियोंके लिये रहने योग्य स्थानका उल्लेख किया है । हीन संहननके धारक मुनियोंके लिये वस्तिका का विधान षतलाया है । यदि संहननकी कमजोरीके कारण मुनिगण पर्णन बन आदिमें नहीं रह सकते, तो वे वस्तिकाओंमें ठहर सकते हैं । गांव नगरके भीतर जिन मन्दिरोंमें रहनेको आचार्य सकलकीति ने भी आहा नहीं दी । यदि गांव नगरके भीतर जिन मन्दिरोंमें रहना शास्त्रोक्त होता तो आचार्य सकलकीर्ति ज़हर उसका उल्लेख करते । जो महानुपाव यह कहकर कि—आज कलके मुनिगण हीन शक्तिके धारक हैं बन पर्वतों पर वे रह नहीं

सकते थातः उनके लिये गांव नगरके भीतर जिनमन्दिरोंसे रहना दूषित नहीं मानते, उन्हें आचार्य सकलकीनि'के बचनोपर ध्यान देना चाहिये । आचार्य सकलकीति'को हीनशक्तिके धोरक मुनियोंका ख्याल था इसीलिये उन्होंने हीत शक्तिवाले मुनियोंके लिये घसतिकाका विधान किया है, यद्यपि मुनि मार्गकी शृंखला टूट जानेसे आजकल गांव नगरके बाहिर घसतिवा जहाँ दोख पढ़ती तथापि बहुतसे मकान छत्रियां आदि दीख पढ़ती हैं उनमें मुनिगण रह सकते हैं, यह बात ऊपर अच्छी तरह स्पष्ट की जा सकी है ।

हम लोग प्रतिदिन स स्कृत पूजा पढ़ते हैं, सस्कृत पूजाक जयमालमें मुनियोंके रहने योग्य स्थान इस प्रकार बतलाया है—

जे गिरिगुहकन्दरविवर थंति ।

अर्थात् मुनिगण पर्वतोंको गुफा और कन्दराओंमें निवास करते हैं । इस जयमालमें भी मुनियोंका गांव नगरके भीतर चौत्यालयोंमें रहना नहीं कहा ।

पाठक महाशय हम न्यायके सामने प्रातः स्मरणीय भगवान कुंद कुंद समन्तभद्र वटकेर, जिनसेन पद्मनन्दी, गुणभद्र, आदि जैन धर्मके धुरन्धर आचार्योंके काफी प्रमाण रख चुके हैं । और भी अगणित प्रमाण हमारे पास हैं । उन्हें देनेसे एक दूसरा महापुराण बन सकता है क्योंकि 'मुनिगण बनमें ही रहते हैं' यह अनादि अनन्त सिद्धान्त है । समर्पण वागम सोहित्य इस सिद्धेत से भरा पड़ा है । गांव नगरके भीतर जिन मन्दिरोंमें मुनियोंके

रहनेका विधान तो किसी भी प्राचीन ग्रन्थमें नहीं पाया जाता । दैन धर्ममें जबसे शिथिलाचार चला, खास कर भट्टारकोंके जमाने में लो प्रन्थ बने उन्होंमें कहीं २ उल्लेख मिहता है । तुलनाकरने पर पूर्वीचार्योंके वचनही मान्य समझे जायगे । अस्तु ।

दिग्बर जैन समाजमें पं० बनारसीदासजी, भूषरदासजी, दोद्दसलजी आदि भाषाके भी बड़े बड़े विद्वान हो गये हैं । इस समय जो भी दि० जैनधर्मकी पवित्रतो सुरक्षित है उन्हीं भाषाकार विद्वानोंकी कृपाका फल है । भाषाकार विद्वानोंने भी मुनियोंके रहने योग्य कौनसा स्थान बतलाया है, उसे भी हम यहाँ पाठकोंके द्वामने रखते हैं । पं० बनारसीदासजीने इस प्रकार लिखा है—

प्रापुक शिला उचित भू खेत अचल अङ्गसाम भावसमेत
उच्छ्वम रैन अलप विद्राल सो योगीश्वर बंचै काल
बढ़ो स्तुति ।

पं० बनारसीदासजीने प्रापुक शिला आदिका उल्लेख कर मुनियोंका रहना जंगलमें ही बतलाया है । गाँव नगरके भीतर जिन राहिरोंमें नहों ।

और भी प्रमाण

स्वर्गीय पं० भूषरदासजीकी गुरुस्तुति जैनियोंके बच्चेको कंठ है उसमें मुनियोंका निवास स्थान जंगलहो बतलाया है—

यह तन अपावन अशुचि है संसार सकल असार
ये भोग विष पक्षवानसे इस भाँति सोच विचार

तर विरचिश्रीमुनि बनबसै सबत्यागिपरिग्रह भीर
ते साधु । २।

जे कांच कञ्चन सम गिनै अरि मित्र एक स्वरूप
निन्दा वढाई सारिखो बनखंड शहर अनूप । ३।
जे वाहूय पर्वत वन वसै गिरि गुहा महल मनोग
शिल सेज, समता सहचरी, शारोकिरन दोपकजोग
मृग मित्र भोजन तपमर्थी विज्ञान निर्मल नीर
ते साधु । ४॥

और भी आगेके पद्मोमें बनहीका विधान है। गाँव नगरके
भीतर चंत्यालयोमें मुनियोंका रहना कहीं भी नहीं बताया गया।

और भी प्रमाण

आचार्यतुल्य प० टोडरमलजो साहबका जैत समाजपर महान
उपकार है। यदि पूज्य मलजो साहब न जन्म लेते तो आज
श्रीगोम्मटसार सरीझे महान प्रथका भाव कोई जल्दी समझ ही
नहीं सकता था। मलजी साहबका मत मुानयोंके रहनेके विषयमें
इस प्रकार है:—

“कलिकाल विष्वे तपस्वी मृगवत् इधर उधरतै भयघान होते
बनते नगरके समीप आय बसे हैं यह महा खेदकारी कार्य भया।
यहाँ नगर समीप ही रहना निषेध्या है, तो नगर विष्वे रहना तो
निषिद्ध भया ही।

मलजी साहबके इन बच्चोंसे उन लोगोंको शिक्षा देनी चाहिये जो कि मुनियोंका गांव नगरके भीतर जिन मंदिरोंमें रहना पुष्ट करते हैं। पं० टोडर मलजी अपने समयके प्रभावशाली विद्वान थे। वे भी गांव नगरके भीतर जिन गाँधरोंमें मुनियोंका रहना उचित बता सकते थे, परंतु उन्होंने इस बातको शाखोक न समझा, इसलिये गांव नगरके भीतर मुनियोंका जिनमंदिरोंमें रहना शाखाज्ञाके प्रतिकूल है। पूज्य मलजी साहिबने और भी यह लिखा है।

“वेहुरि जिन मंदिर तो धर्मका ठिकाना है तदां नाना कुकथा करनी सोचता इत्यादि प्रमाद रूप प्रवर्तते। भोक्ता मार्गप्रकाश पृ० २७० मुनिगण यदि गांव नगरके भीतर जिन मंदिरोंमें रहेंगे तो वही सोचेंगे उन्हें भी अवश्य प्रमाद दोष लगेगा।

और भी प्रमाण

पं० सदासुखजीने अनेक ग्रंथोंकी भाषा-टीका की है अथे प्रकाशिकामें वे शून्यागार विमोचितावास इत्यादि सूत्रकी टीकामें मूनियोंके रहने योग्य स्थान इस प्रकार बतलाते हैं
शून्य गृह जो पर्वत गुफा बनवृक्षकोटरादिकनिमें बसना अर परका छोड़ा हुआ अर उजड़ा स्थानमें बसना।” यहांपर पं० सदासुखजीने गांव नगरके भीतर जिन मंदिरोंमें मूनियोंका रहना नहीं बनाया।

और भी प्रमाण

पं० दोलनरामजी जैनधर्मके अच्छे प्रभावशाली विद्वान और

कवि थे । जैन समाजमें पठितजीके पदोंका काफी प्रचार है । जैनधर्मकी वारीकसे वारीक कथनों भी बड़े सुन्दर और सरल ढंगसे उन्होंने पदोंमें भर दा है क्रियाकोपने उन्होंने मुनियोंके रहनेको स्थान इस प्रकार बतलाया हैः—

**मुनि हैं निर्भय वनवासी एकांत वास सुखरासी ।
निज ध्यानी आत्म रामा जगकी संगति नहिं कामा
जे मुनि रहनेको थाना वनमें काराहं मतिवाना
ते पावै शिव सुरथाना यह सूत्र प्रमाण बखाना ।३१**

परिषद्धत दौलतरामजाने 'सूत्रप्रमाण बखाना' यह लिखकर यह स्पष्ट ही कर दिया है कि शास्त्रानुसार मुनियोंका निवास स्थान बन ही है । यदि गाव नगरके भीतर जिन मंदिरोंमें मुनियोंके रहनेका विधान होता तो यहा वे इस बातका भी जरूर उल्लेख करते ।

और भी प्रमाण

ज्ञानानन्द श्रावकाचार ग्रंथमें मुनियोंके रहने ये ग्रंथ स्थानका वर्णन इस प्रकार किया गया है ।

बहुरि मुनि ध्यान विष गरक हुआ सोम द्वृष्टिको धर्या है अर ध्याय नगरादिकसे राजा बन्दवा आवै हैं सो वह मुनि कहां तिष्ठे है— कैतो मसान भूमिका विषै । कैसो पुराना बन विषै । कभी तो पर्वतकी कत्तद्वा काहये गुफा विषै । अर कैतो पर्वतके शिखर विषै । अर कभी तो नदीके तोर विषै अर कैतो उजाड़ अटवो विषै कैतो

एकात्र ब्रह्म तलै शर वस्तिका धिष्ठै अथवा नगर वाहा चैत्यालक
विष्ठै इत्यादिक रमनोंक मनका लगानेका कारण उदासीनताका
कारण ऐसे स्थानक विष्ठै निष्ठै हैं पृ० ८ ।

और भी प्रमाणे

रत्नकरङ्ग श्रावकाचारकी टोकामें मुनियोंके रहने योग्य स्थान
का इस प्रकार वर्णन किया गया है—

कैसे हैं दिगम्बर यातै सम्यन्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक् चार्त्ति
इत्यादिक गुणनिका निधान हैं । बहुरि कैसे हैं यातै नहो है अंतरंग
वहिरंग परिप्रह जिनके ऐसे भठ मठान उपोस्थिता आश्रमादिक
रहित एकाकी अथवा गुरुजनाकः चरणाको लार कदै वनमें कदै
पर्वतनिकी निर्जन गुफानिमें कदै घार वनमें नदीनिके तटनिमें
नियम रहित है नित्य विहार जिनका इत्यादि पृ० १८९ । और भी
भाषा ग्रन्थोंके अनेक प्रमाण दिये जा सकते हैं परन्तु विद्वान
पाठकोंके लिये इतने ही पर्याप्त हैं । जहां परभी भाषा शास्त्रोंमें मुरुओं
का वर्णन है वहांपर उनका रहना वनमें हा बनलाया है । यदि गांव
नगरके भीतर जिन मन्दिरोंमें रहना शास्त्रानुकूल होना तो वह भी
भाषा शास्त्रोंमें लिखा दोख पड़ता परन्तु वह कहीं भी माधा शास्त्रों
में नहीं पाया जाना इमलिये यही कहना होगा कि गांव नगरके भीतर
मुनियोंका जिन मन्दिरोंमें रहना बतलाना शास्त्रके विरुद्ध है ।

प्राकृत संस्कृत और भाषा शास्त्रोंके आधारसे मुनियोंका
मिवास स्थान धन ही है, इस बातको जानकर मी बहुतसे महा
नुभावोंका यह कहना है कि आदर्श मार्ग नो वनका रहना ही है

किन्तु मन्दिरोंका रहना भी अपवाद मार्ग है परन्तु यह बात ठीक नहीं । गांव नगरके भीतर मन्दिरोंमें यदि मुनिगण रहेंगे तो उनका मुनिपना सुरक्षित नहीं रह सकता, क्योंकि ध्यान अव्ययन की मुनियोंका सास कर्तव्य है । वह एकांत शांत स्थानोंमें ही हो सकता है । गांव नगरके भीतर जिनमन्दिरोंका स्थान शांत एकांत स्थान नहीं । इन महानुभावोंके कथनानुसार भट्टारक ग्रन्थोंके आधारसे यदि गांव नगरके भीतर जिन मन्दिरोंका रहना अपवाद मार्ग कह कर अपना लिया जाय तो अपवाद मार्ग तो और भी हैं उन्हें भी मान लेना होगा । वि० सं० १६०० में भट्टारक श्रुतसागर सूरि हुए हैं उन्होंने तत्त्वार्थ सूत्रपर एक टीका लिखो है उसके संयम श्रुत प्रति सेवनेत्यादि सूत्रपर द्रव्यलिंगी मुनियोंके लिये इस प्रकार लिखा है—

लिंगं द्विभेदं द्रव्यभावलिंगभेदोत् तत्र—
 भावलिंगिनः पञ्चप्रकारा अपि नियन्था भवन्ति ।
 द्रव्यलिंगिनः, असमर्था महर्षयः शीतकालादौ
 कंवलादिकं यहोत्वा न प्रक्षालयन्ति न सीव्यन्ति
 न प्रयत्नादिकं कुवृति । अपरकाले परिहरती ।
 भगवत्याराधनाप्रोक्ताभिप्रायेण कुशीलापेक्षया-
 वक्तव्यं ।

अर्थात्—द्रव्यलिंग और भावलिंगके मेदसे मुनिलिंग हो प्रकार

का है। भावलिंगी पंच प्रकारके हैं और वे सभी निर्धार्थ होते हैं। परीषहोंके सहनेमें असमर्थ द्रव्यलिंगी मुनिशीत कालमें कंबल आदि ग्रहण करते हैं उसे वे धोते सीमते नहीं न उसकी इकार्थ कोई दूसरा प्रयत्न करते हैं। शोतकालके चले जानेपर वे कंबलको छोड़ देते हैं यह कथन कुशील मुनिकी अपेक्षा मगवती आराधनाएँ कथनके अनुमार लिखा है।

यह शास्त्रका सिद्धान्त है कि द्रव्य लिंगी और भावलिंगी मुनिकी पहिचान दिव्यज्ञानीके चिवाय दूसरा नहीं कर सकता; क्यों कि दोनों ही प्रकारके मुनियोंका वाह्य लिंग समान रहता है, वाह्य चरित्रका आराधन भी समान रूपसे करते हैं, विशेष क्या द्रव्य लिंगीको भी यह पता नहीं लगता कि मैं द्रव्यलिंगी हूँ फिर न मालूम श्रुत सागर सूर्ति द्रव्यलिंगीकी इतनी मोटी पहिचान से क्लेष बता दा। इतनो मोटी पहिचानसे द्रव्य लिङ्ग मुनिपर श्रद्धा होना कठिन है। श्रुत सागर सूर्तिके हिसाबसे यदि कंबल न ग्रहण कर तो वह भावलिंगीभी हो सकता है। जान नहीं पड़ता येसा क्यों लिखा गया। जो हो मुनिके लिये श्रुत सागर सूर्तने शीतकालमें केवल लेनेका विधान किया है। द्या इसे मौ अपवाद सार्ग मानकर अपना लियाँ जा सकता है?

प्रधादेव जी वि० सं० १६०० में हुए हैं इन्होंने परमात्मप्रकाश की टीका लिखी है, उसमें इस प्रकार लिखा है—

परमोपेक्षासंयमाभावे तु वीतरागशुद्धा-
त्मानुभूतिभावसंयमरक्षणार्थं विशिष्ट

संहननादि शक्त्यभावे सति यद्यपि तपःपर्याय
 शरीरसहकारिभूतमन्त्रपानसंयमशोचज्ञानो-
 पकरणतुणमयप्रावरणादिकं किमपि गृहणाति
 तथापि ममत्वं न करोति । गाथा २१६ पृ० २३२

अर्थात् तावक समयके न रहने पर धीनराग शुद्धात्मानुभूति रूप संयमको रक्षाके लिये बलचान संहनन आदि शक्तिके अभावम तपके कारण शरीरक सहकारो खाना पीना संयम शौच शानके उपकरण चटाई आदिको मुनि प्रहण कर लेते हैं पर उसमे ममता नहीं रखते । यहां पर ब्रह्मदेवके मतानुसार मुनिगण चटाई लपेट कर आहारके लिये नगरमें आसकते हैं । क्या इसे भी अपवाद मार्ग कहकर स्वीकार किया जा सकता है ? यदि कोई महानुभाव इन भ्रष्ट धातोंकी भी पुष्टि करे तो मैं तो यही कहूँगा । इससे मुनिन्द्रित न धारण करना अच्छा । शक्ती नवमी शताव्दीमें मुनियोंके अन्दर इतनाही शिथिलाचार शुरू हुआ था कि वे रात्रिमें गांवके समीप आकर रहने लगे थे, इसके बाद वह शिथिलाचार बढ़ताही चला गया और आगेचलकर वह शिथिलाचार भट्टारक रूपमें परिणात हो गया, निरथताका ही लोप हो गया । मुनियोंके लिये शीतकालमें कष्ट आदिका भी विधान होने लगा । तथा खास समय पर चटाईका लपेटना भी दूषित नहीं समझा जाने लगा परन्तु जीवोंके शुभोदयसे प०० बैनारसी दासजी आदि महानुभावोंने जन्म लेकर शिथिलाचारको सत्यानाशी प्रथाका महत्व कम कर दिया ।

नहीं तो न मालूम जैन धर्म किस रूपमें दीख प ना
 अस्तु घनेक धुरन्धर आचार्य और विद्वानोंके पुष्ट प्रमाणोंसे यह
 यात बच्छी दरह सिद्ध हो चुकी कि मुनियोंका निवास स्थान
 जंशलही है यही अनादि अनन्त सिद्धांत है । गांव नगरके भीतर
 जिन मन्दिरोंमें जो मुनियोंके रहनेका विधान किया गया है । वह
 शिद्धिलाचारिय की कृति है, क्योंकि प्राचीन शास्त्रोंमें कहाँ भी
 चैसा विधोन नहीं मिलता । इस लिये पं० मक्खनलाल जी और
 डनके हिमायती जो गांव नगरके भीतर मुनियोंका जिन मन्दिरोंमें
 रहना शास्त्रानुकूल बताते हैं वह उनका भ्रम है । यहांतक हमने
 खण्डन का और दूष्ट न ढाल कर जैन सिद्धांतको असलियतका
 निरूपण किया है । अब हम पं० मक्खनलाल जीने जो अनेक
 प्रमाण (प्रमाणामास) देकर गांव नगरके भीतर जिन मन्दिरों
 में मुनियोंका रहना सिद्ध कर सच्चे दिग्म्बर धर्मको मतिन बनाने
 की कुचेष्टा की है । उस पर विचार करते हैं ।

मुनियोंके जिनमन्दिरवासपर दिये गये शास्त्रीय प्रमाणोंका

खंडक



सबसे पहले हमें यहां यह अतला देना चहुत ही जरूरी है कि पं० मध्यनन्दलालजीने जो द्रैकृत लिखा है वह विलकुलही वे सिल सिले लिखा है ज्योंकि प्रथम तो यही नहीं मालूम होता कि इस द्रैकृतकी भूमिका कहतक है। पृष्ठ नं० ८ में जहां पर पण्डित जीके खूब मोटे अक्षरोंमें दस्तखत हैं, भूमिकाकी समाप्ति वहीं जान पढ़ता है परन्तु आगे बढ़नेसे जान पढ़ता है कि 'चर्चा सागर पर शास्त्रीय प्रमाण' इस हेडिंगके आगे भी भूमिकाका विषय लिखा गया है और पण्डितजी को जिन्हें कोसना था उन्हें शुरी तरह कोसा गया है। पहले आठ पृष्ठोंकी भूमिकामें जो बातें लिख दी गई हैं उन्हें ही फिर लिख मारा है। अपनेको विद्वान माननेवाला व्यक्ति भूमिका का मा विषय न समझे, सचुचही एक बड़े आश्चर्यकी बात है। ऐसी ज़द्दी किस कामकी जिससे विद्रोता ही धूलमें मिल जाय ! यदि हम मिथता वा समान धर्मीयनेके नातेसे पण्डितजीके इस बलवान दोषपर न भी दूषिष्टपात करें तथा 'चर्चा-सागरपर शास्त्रीय प्रमाण'। इस हेडिंगके बादको लिखनेके भी

भूमिका काही विषय समझ लें, तबमी पृष्ठ नं० ९ पर 'धर्मवन्धुओंसे निबेदन' इस हे छङ्गके पढ़नेके बांद भूमिकाकी समाप्ति झज्जरने लगती है। परन्तु और भी आगे पढ़नेपर यह स्पष्ट मालूम होता है कि पण्डितजीकी भूमिको समाप्त ही नहीं मालूम होती। रहरे कर उन्हें जो बातें सुझनी जाती हैं लिखे ही मारे जाते हैं। कोसते २ उतका पेट ही नहीं भरना। अच्छों होता कुछ समय सोचकर एक साथ ही वे खूब पेटभर गालों दे लेते। पण्डितजीकी इस थोथी पण्डिताईकी मूर्ख लोग भले ही तारीफ करें, विद्वान लोग तो इस वे शिर पेरकी लेखन शैलीकी कभी तारीफ नहीं कर सकता। अस्तु पृष्ठ नं० १८ पर 'मुनियोंके नारमें रहनेके सम्बन्धमें विचार' इस हेड़िङ्गसे आगे हम इस द्रेकटकी शुरुआत समझते हैं पर फिर आगे देखते हैं कि—गाली देते देते पण्डितजी नहीं हारते। क्या किया जाय आदतकी लाचारी है। पण्डितजीका मुख उनकी निजी संपत्ति है। वह गालियोंसे भरा पड़ा है। दूसरी कोई चीज उसके अन्दर नहीं जोन पड़नी थिर वे धर्मदूषिसे तत्त्वपर कैसे विचार कर सकते हैं? अब हम पण्डितजीके गाली गलौजका उत्तर न देकर खास बातकी ओर पाठर्नाका ध्यान आकृषित करते हैं—

पृष्ठ नं० १९ में प० मक्खनलालजी लिखते हैं कि—“चर्चा-सागरका अभिप्राय तो इतना ही है कि आजकल मुन बनोंमें नहीं रह सकते इसलिये वे जिन मन्दिरजी आदि शून्य स्थानोंमें नगरों में भी रह सकते हैं इसका अर्थ यह करना कि चर्चासागरने मुनियों के बनमें निवास करनेका सर्वथा निषेध ही किया है यह समाजको

धोखा देना और उल्टा समझाना है” इत्यादि । पंडितजीके इन शब्दोंपर विशेष टीका टिप्पणा न कर चर्चासागरमें जो लिखा है उसे हम उपोका त्यों यहां उद्धृत किये देते हैं । पाठक स्वयं विचार कर ले गे कि प० मध्यखनलालजोका लिखना कहाराक सच्चा है—

चर्चासागर चर्चा १६ पृ० १७ मुद्रित प्रति

“प्रश्न—इस प चमकालमें इस वर्तमान समयमें होनेवाले मुनि-राज किस क्षेत्रमें उत्तरे ? वन, उपवन, पर्वत, गुफा, नदीके किनारे, इमशान आदमें निवास करें अथवा किसी और जगह भी अपना स्थिति रखें । समाधान—इस प चमकाल वर्तमान समयमें होनेवाले मुनियों की स्थिति श्रा जिनमन्दिरजीमें बतलाई है । यह बात श्रीपद्मनंदी पचिंशतिकांके छठे अधिकारमें लिखो है ।

**संप्रत्यन्त कलो काले जिनगेहे (!) मुनिस्थितिः ।
धर्मस्य (!) दानभित्येषां श्रावका मूलकारणम् ॥६ ॥**

धर्मका दान देनेके लिये एक श्रावक ही मूल कारण है । मार्गार्थ इस वर्तमान समयमें श्रावक ही धर्म सुननेके पात्र हैं इसलिये मुनि-राजोंकी स्थिति जिनालयोंमें होनेसे ही श्रावकोंको लाभ पहुँच सकता है । श्रा इन्द्रनन्दीने नीतिसारमें भी लिखा है ।

काले कलौ वनेवासो वर्जनीयो मुनोश्वरैः ।

स्थीयेत च जिनागारग्रामादिषु विशेषतः ॥ १६ ॥

१ कलिकालमें मुनियोंकी स्थिति जिनालयमें ही है २ कलिकाल में मुनियोंको वनमें निवास नहीं करना चाहिये । आजकल बहुतसे

लोग मुनियोंके जिनालयमें निवास करनेपर नुक्ता चीनी करते हैं परन्तु यह उनकी मूल है जब शास्त्र में स्पष्ट आशा है तब इसमें शङ्का करना च्यथे है ।”

यहापर हमने चर्चासागरकी पांक्तिर्या ज्योकी त्यो उद्धृत करदी है । खास शब्दोंके नीचे रेखा भी लगा दी है । कहिये पणिडतजी ! क्या अब भी आप यह कह सकेगे कि चर्चासागरमें मुनियोंका केवल जिनमन्दिरोंमें रहना नहीं लिखा । आश्चर्य है इनने बड़े भूठ को आपने छिपानेकी वयों कोशिश की । अब आप ही विचारले समाजको धोखा आप दे रहे हैं या कोई दूसरा ! ‘मुनियोंकी स्थिति जिनाल दमें ही है’ चर्चासागरमें इन शब्दोंके रहते भी उन्हें नहीं स्वीकार करना सचमुच ही बड़े सोहसका काम है ।

पृ० न० २० में ‘संहणणस्म गुणेण्य’ इत्यादि श्लोक भाव सम्रह ग्रन्थका उद्धृत किया है । इस इलाकमें स्थविरकल्पी मुनियों को पुर नगर गावका दसनेवाला यतलाया है इसलिये इस इलोककों आधारसे पंडितजीने यह लिख मारा है कि मुनिगण पुर नगर गावोंके अन्दर जिनमन्दिरोंमें रहते हैं । परन्तु पंडितजीका यह लिखना ठीक नहीं । पुर नगर गावके रहनेका विधान अनादिकाल से है और उसका मतलब यह है कि मुनिगण पुर नगर गावोंके बाहिर दृष्टान्-धोग घरोंचे, बनामें ठहरते हैं । दूसरों जगह उलका रहना वार्धन है । इस विषयको अनेक युक्ति और शाखीय प्रमाण से अच्छी तरह ऊपर सिद्ध कर दिया गया है । पुर नगर गावोंके भीतर जिन मन्दिरोंमें आकर मुनिगण रहते हैं ऐसा कहीं भी

चल्लेख नहीं, न कोई शास्त्रोंमें ऐसी कथा ही मिलती है। किन्तु जो मुनि पुर नगर गावोऽ उद्यान वगोचे आदि चाहिर स्थानों। ठहरते हैं उन्हें ही पुर नगर गाँव धासा कहा जाना है। यदि पुर नगर गावके भीतर जिन मन्दिरोंमें रहना शास्त्रात् होता तो बाचाय देवसेन यह स्पष्ट हो लिखदेते उन्हें मय किस बातको था। जब उन्होंने पुर नगर गाँवके भीतर जिन मन्दिरोंमें मुनियोंका रहना शास्त्रात् नहीं समझा तभी उन्होंने नहीं लिखा। पुराणोंका स्वाध्याय करनेवाले भी इस मांटो बातको जानते हैं कि मुनिगण गाँव शहरमें आकर उनके चाहिर धाग बांगोंचोंमें ठड़ते हैं। माली आदिके मुखसे मुतिराजका आगमन सुन लोग उनकी घन्दनाको बनोंमें जाते हैं। किर न मालूम पर्दित मक्खनलालजीसे यह बात क्यों बिना जानी रह गई? मालूम यहो होता है कि इस बातको खूब जानकर भी अपने निन्दित मतको पुष्टिकेलिये र डितजीने चाल चलो है। सिद्धांतस्त्री जरासो धान न जाननेसे अपनी गिर्दताप्रद धटा लगाया है। पर्दित मक्खनलालजीने पुर नगर गावके भीतर जिन मन्दिरोंमें मुनियोंका रहना बताकर पवित्र मुनिधर्मार ही कुठाराधात नहीं किया, लोगोंको सिद्धांतके खिपरीन तत्त्व सुझाया है।

पृष्ठ २१ में स्थविर और ज्ञिनकल्पी मुनियोंका भेद आर उनका स्वरूप समझानेके लिये वृद्ध इलाक उद्धृत कर अनेक पत्र वृश्चारग ढाले हैं। तथा अपना ओरसे ही गढ़कर यह बात भी लिख डाली है कि—“बहुतसे लोग यह समझते हैं कि स्थविर कल्पी आर जिनकल्पी भेद श्वेताम्बर मतमें है। दिगम्बर मतमें नहीं इत्यादि।

पंडितजीकी इस फिजूलकी कल्पनासे हम बहुत दुखी हुए हैं। स्वाध्याय करनेवाले व्यक्ति कमसे कम पुराणोंका स्वाध्याय तो करते ही हैं। हम ऊपर श्रीधारिपुराणजीके कई इलोक उद्भृत कर आये हैं उनमें जिनकल्पी और स्थविर कल्पी मुनियोंका स्पष्ट उल्लेख है। जब पुराणोंके स्वाध्याय करनेवालोंको भी जिनकल्पी स्थविरकल्पी मुनियोंफा ज्ञान हैं तब विद्वान् तो उन्का स्वरूप अच्छी तरह समझते ही हैं। फिर न मालूम पंडितजीने ऐसी कल्पना क्यों कर डाली। पंडितजी भले ही हमसे नाराज हो जाय, पंडितजीकी इस कल्पनासे तो हम यही समझते हैं कि द्वे कृके लिखनेके पहिले पंडितजीने शायद जिनकल्प और स्थविर कल्पका स्वरूप अच्छी तरह न समझ रखवा हो। उन्हें यह नई बात सूझ पढ़ी होगी इसलिये अपनी बुद्धिके अनुसार उन्होंने वैसी कल्पना कर डाली। इसकल्पनाके उल्लेखसे तो यही पता चलता है कि इस बारान् बातके जानकार पंडितजी ही हैं और सभी मुर्ख हैं। जिनकल्प और स्थविरकल्पका स्वरूप समझानेसे तो यही जान पड़ता है कि पंडितजीने सारी समाजको विद्यार्थी मान रखा है और उसे बैं पाठ पढ़ा रहे हैं। क्या किया जाय आदतकी लाचारी है क्योंकि पंडितजी एक विद्यालयके अध्यापक हैं। उन्हें पाठ पढ़ाना न सूझेगा तब किसे सूझेगा ?

इसके बाद फिर पंडितजीने भूमिका उठाई है और विस्तारसे अपनी कल्पनाकी बहार भजकर्दा है जो कि विलक्षण व्यर्थ है बहुत नी गुठी घाते लोगोंके रिक्षानेको लिये लिखी हैं जा कि विलक्षण

च्यर्थी हैं । उन सवका उत्तर भूमिकासे ही प्राप्त होगा । यहाँ लिखना प्रकरण विरुद्ध है । प्रतिहि सा की भावनासे जैसा पण्डितजीका माथा अशांत रहा प्रकरण वे प्रकरणका जरा भी खपाल न कर जहाँ उन्हें जो बात थाद आई वहाँ लिख मारो वैसा हमारा माथा अशान—गर्व नहीं । हमें तत्त्वपर विचार करनों हैं जिससे जैन धर्मकी पवित्रता सुरक्षित बनो रहे ।

पृष्ठ न० २७ में 'प'चम चरिए पक्खइ' इत्यादि गाथा त्रिलोक सारकी उद्धृत की है । इस गाथामें प'चम कालके अन्त तक मुनियोंको सदा यताई गई है । यह गाथा उद्धृत कर पण्डितजी ने यह शिक्षा दी है कि लोग जो कहते हैं कि प'चम कालमें मुनि हो ही नहीं सकते यह बात ठोक नहीं क्योंकि त्रिलोकसारके बचनानुसार प'चम कालके अंत तक मुनिगण रहेंगे" इत्यादि । यहाँ पर भी प'डितजीने अध्यापकी छोंकी है । जब प्रत्येक स्वाध्याय प्रेमीको यह बात मालूम है कि भरतक्षेत्रमें प'चमकालके अन्त तक मुनि रहेंगे, तब न मालूम प'डितजीने यह बात क्यों वृथा लिखी । देने वेठे हैं चर्चासागर पर शास्त्रीय प्रमाण और लिख रहे हैं यहाँ यहाँकी वे प्रकरण बातें । इसी लिये तो पण्डितजीका द्वैकृष्ण घट गया है, नहीं तो जो बातें उन्होंने कामकी समझ कर लिखी हैं वे ८ पृष्ठसे ज्यादाको नहीं है । पाठकही विचारें जब प'चमकालके अन्त तक मुनि रहेंगे । प्रायः सभी स्वाध्यायप्रेमी लोग यह बात जानते हैं तब प'डितजी को यह पाठ पढ़ानेको क्या आवश्यकता थी । हमें तो यहाँ भी यही मालूम होता है कि

महं वात जानकर ही पण्डितजीने यह वान जिख भारी है।

पृ० न० २८ में 'भरहे दुस्समकाले' इत्यादि गाथा पट्याहुङ्क प्रथमी उद्धृत की है। इस गाथामें पंचमकालमें भरत शेषके मुनि और धर्म ध्यान होता है यह वतलाया है। यह गाथा उद्धृत कर परिणतजीने समझाया है कि "पञ्चमकालमें भी मुनियोंके धर्म ध्यान होता है" इत्यादि। पण्डितजीका यह उल्लेख करना भी व्यर्थ ही है क्योंकि जब चौथे ही गुणस्थानसे धर्म ध्यानका विधान है तब भावलिंगी मुनयोंके तो वह होगा ही। प्रत्येक स्वाध्याय प्रेमी यह वान जोनता है। पृष्ठ न० २८ में 'बज्जवि तिरियण सुद्धा' इत्यादि गाथा उद्धृत की है। इस गाथामें लिखा है कि पंचम कालके मूनि रत्नब्रय धारण कर इन्द्र पद वा लोकानिक पद ग्राप कर मोक्ष जाते हैं।" नहीं मालूम होता पंडितजी यह क्या पाठ पढ़ते ही चले जाते हैं क्योंकि सच्चे मुनियोंके लिये यह वात क्या कठिन है? इसी २८ वें पृष्ठमें 'वे कथयति महाब्रतिनो न विद्यते ते नास्तिक्षा जिनसूत्रवाद्या ज्ञानव्या' अर्थात् जो लोग कहते हैं कि आजकल महाब्रती होवेहो नहीं है वे नास्तिक और जिन सूत्रसे वाहिर हैं।" इत्यादि लिखा हैं यह भी लिखना व्यर्थ है। जब पंचमकालमें मुनि है तब वे महाब्रती नो होंगे हा। न मालूम इन कालतू वातोंसे द्यूकु बढ़ानेमें पण्डितजीने क्या महत्व समझ रखा है। इसने भी यह सोच लिया है कि पण्डितजीने विद्रूत्ताको कुछ पर्वी नहीं की है लोगोंको रिक्तानेको उन्होंने ठान ठानलो है। इसलिये पण्डितजीकी उपर्याप्ति वातों पर दुख मनाना व्यर्थ है।

पृष्ठ नं० २८ में ही “मुनि चैत्यालयोंमें निवास करते हैं इसके और भी प्रमाण ।” यह ख़बूल मेटे अक्षरोंमें हैडिङ्ग दिया है। यहां पर तो परिणाम जाने आखारीमें धूजही झाँकी है। हमारा पाठकों से निवेदन है कि वे शुक्लसे उनतामवं पेत्र तक पढ़ले, कही भी कोई भी मुनियोंके जिन मन्दिरोंमें रहनेका प्रमाण नहीं दिया। स्थविर कल्पी मुनियोंके लिये एक जगह पुर नगर ग्राम बासी होने का उल्लेख किया जिसका कि मुनि, पुर नगर गावके उद्यान वाग बगीचोंमें उत्तरते हैं यह शास्त्रात्क अर्थ है। यही नहीं यहां पर परिणामजी लिखते हैं—कि “इस पंचम कालमें मुनिगण पुर नगर, गावमें निवास करते हैं। इनना स्पष्ट प्रमाण होनेसे अब अधिक प्रमाणोंकी आशङ्का नहीं है फिर कतिपय और प्रमाणों द्वारा हम मुनियोंका निवास चैत्यालय आदि स्थानोंमें होता है इस बात को और भी खुजासा करते हैं।” यह लिखकर तो पंडितजीने कमाल ही कर डाला है। इनने बड़े भूटकी भी कुछ इद है। यहां तक एक भी तो प्रमाण नहीं दिया गया। फिर न मालूम पंडितजी किस बुनियाद पर यह लिख रहे हैं ? हम इस विषयमें अधिक क्या लिखें पाठक स्वयं साच ले परिणामजो कितने सत्यवक्ता है ? अस्तु

पृष्ठ नंबर ३० में ‘कलौ काले बने बासो बद्यते मुनिसत्तमैः’ इत्यादि रत्नमालाका इतेक सद्गुत फ्रिया है। इसका अर्थ यह है कि कलिकालमें मुनिगण बनका रहना छोड़कर गांव आदिमें जिन मन्दिरोंमें रहते हैं। ग्रन्थक अन्तमें शिवकोटि पद आया है इस लिये ऐतिहासिक दृष्टिसे विचार न कर रत्नमालाके कर्ताको परिणाम

जीते भगवान् समन्तसदाचार्यके शिष्य, प्रभिद्वयन्थ भगवतो आराधनाके कर्ता, आचार्य शिवार्य वा शिवकोटि समझ लिया है। यहां पर इमारा इतना ही लिखना पर्याप्त है कि रत्नमालाके क शिवद्वोटि वि० सं० १५०० में भट्टारक हो गये हैं। ये खुद सन्दिग्धामी भट्टारक थे। उस समय जिन मन्दिरोंमें रहनेका शिधिलाचार बड़े जारोंसे विद्यमान था। इसलिये समयकी प्रगतिके अनुमार भट्टारक शिवकोटिने वैसा लिख दिया है। इस ग्रन्थमें और सी कई बातें सिद्धान्त विरुद्ध हैं। सम्भवतः उस समयमें उन बातोंका प्रचार देख भट्टारक शिवद्वोटिने उन्हें लिख दिया है। इतिहासका यहां हमने उल्लेख किया है भट्टारक शिवकोटिके विषयमें हम खुलासा लिख आये हैं। यदि इस ग्रन्थकी बातोंको हप प्रमाण मानते हैं तो उत्तर पुराण, आदि पुराण, मूलाचार, आदि समान ग्रन्थोंसे विरोध आता है। जैन शास्त्रोंमें सिद्धान्त विषयक दिरोध हो नहीं सकता। रत्नमाला ग्रन्थकी अपेक्षा आदिपुराण आदिको बातें मान्य माननी होगी। इसलिये रत्नमालामें जो नार्व नगरके भानर जिन मन्दिरोंमें रहनेका विधान है वह समयकी प्रगतिके अनुसार हैं, सिद्धान्तके अनुकूल नहीं।

५० मक्षवन लालजोने रत्नमालाके कर्ता शिवकोटि भट्टारकको समन्त भट्टाचार्यके शिष्य भगवती आराधनाके कर्ता आचार्य शिवाय वा शिवकोटि मान लिया है, यह उनकी भूल है। ऐतिहासिक दृष्टिसे यदि विचार किया जाता तो वे समझ सकते थे परन्तु इतनी मिहनत करे कौन? पर ऐसा जल्दीका फूल समझदारों

की दृष्टिमें घुरा होता है। आगमकी धातोंकी कुंजियोंपर विचार न कर जिसप्रकार पुर नगर गाँववासीका अर्थ, पुर नगर गावोंके आग धगीचोंमें मुनि ठहरते हैं, यह सच्चा अर्थ पंडितजीके सूझ नहीं पढ़ा। उसी प्रकार ऐतिहासिक दृष्टिसे विचार न करनेके कारण वि० सं० १५०० में होनेवाले भट्टारक शिवकोटिको उन्होंने विक्रमकी प्रायः दूसरी सदीमें होनेवाले भगवती आराधनाके कर्ता आचार्य शिवार्य वा शिवकोटि समझ लिया, यह कितना घड़ा प्रमाद है। विशेष परिश्रम न कर यदि पं० मक्कलनलालजी दोनों ग्रन्थोंकी रचनाका भी मिलान कर लेते तो भी वे रत्नमालोंके कर्ता गट्टारक शिवकोटि को, भगवती आराधनाके कर्ता आचार्य शिवार्य वा शिवकोटि कहने की घड़ी भारी भूल न कर डालते। क्योंकि यह मानी हुई बात है कि—एक आचार्यकी दो कृतियोंमें एक तो प्रायः एकसी भाषा रहती है। यदि एकभी भाषा न भी रहे तो भाव और शैलीमें भिन्नता नहीं रहती। भगवती आराधना ग्रन्थ प्राकृत भाषामें है। रत्नमाला संस्कृत भाषामें है। भगवती आराधनाकी रचना बड़े गम्भीर भावको लेकर की गई है। रत्नमालाकी रचनामें एकदम हल्का पन और गम्भीरताका नाम तक नहीं है। संस्कृतकी कथिता भी महत्व नहीं रखती फिर न मालूम पंडितजीने भगवती आराधना और रत्नमालाका कर्ता एक कैसे बता दियो। आश्चर्य है!! यह बात जरूर है कि इस बातकी छानबीनके लिये विवेक पूर्ण विचारकी जरूरत थी। आदिसे अन्ततक ग्रन्थ दोनों देखने पड़ते, जिससे महान कष्ट होता। वहाँ तो जल्दी मान बड़ाई लुटनेको अभिजाषा

थी। परिश्रम कैसे किया जाता? धर्म विरुद्ध वातके पोषनेके लिये ऐसी मान बड़ाईके लिये धिकार है।

पृ० ३० में 'जिनेन्द्रनन्दिरे सारे' इत्यादि धर्म प्रश्नोत्तर श्रावका चारको इन्द्रोक उद्धृत किया है, इसका अथ यह है कि सार जिन सन्दिरोमें मुनिजन ठहरते हैं। पंडितज्ञने इस इन्द्रोकको उद्धृत कर यह जिख मारा है कि "मुनिगण जिन मन्दिरोमें निवास करते हैं और इसके द्वारा यह सिद्ध स्वरनेकी चेत्रा का है कि गांव नगरके भीतर जिन मन्दिरोमें रहना मुनियोंका शास्त्र विरुद्ध नहों।" यहाँ तो पण्डितज्ञने अपनी पंडिताईको ही विसार दिया है। यह वात शास्त्रात्मक है कि जिस समय मुनिगण आहार विहारके लिये गमन करते हैं उस समय मार्गमें जिन मन्दिर आनेसे वे उनमें दर्शनके लिये जाते हैं। वहाँ ठहरकर गृह्यांको उपदेश भो देते हैं, प्रश्नोत्तर श्रावकाचारके कर्त्तने "स्थिति तं कुवं लि योगितः" अर्थात् मुनि गण ठहरते हैं, यहो लिखा है। स्थिति ता अर्थे ठहरना है क्यों कि व्याकरण शास्त्रमें स्था, धातुसे मात्र अथवे क्लिन् प्रत्यय करनेसे 'स्थिति' शब्द बनता है। स्था धातुका अर्थ गति निवृत्ति अर्थात् चलते २ ठहर जाना है। पाठक स्थय' विचार सकते हैं कि चलतेर ठहरता जसी हो सकता है कि जब रास्तेमें मुनि जारहे हो और जिन मन्दिर जान वे उसमें ठहर जाय। जब प्रश्नोत्तर श्रावका चारके कर्त्तने स्थिति शब्दका प्रयोग कर यह उष्टु हो कर दिया है कि जिनमन्दिर जान मुनि, ठहर जाते हैं तब न मालूम यहाँ पर इस इजोकसे पं० सक्खनलालजीने मुनियोंका जिन मन्दिरोमें

निवास करना यह अर्थ कैसे निकाल लिया ? पंडितजीने जो सबसे छोटा व्याकरण लघु कौमुदी पढ़ी है उसमें भी तो स्थाघातु आई है । क्या वह भी भुला दी गई ? यदि पंडितजी प्रन्थको प्रकरण मी देख रहे तो भी उन्हे सधा अथ मालूम हो जाता , पर इतनी मिहनत बौन चरे । मिहनत करना तो पंडितजी जानते ही नहीं । जो ही यहाँ तकके पश्चिमजाके ट्रैक्ट पर विचार करने पर हमें तीन वातोंका रूलासा हुआ है प्रथम तो यह है कि—‘पुर नगर गांवका शास्त्रोक्त अर्थ न चर सिद्धान्त ज्ञानका फीकापन जाहिर किया है । दूसरे—भगवती आराधना और रत्नमालाका फर्ना पक चताकर इतिहासकी अनभिज्ञता प्रगट की है । तीसरे स्थिति शब्दका ठीक अर्थ’ न समझ, व्याकरण ज्ञानका कोरापन जचा दिया है ।

पृष्ठ—३१ में

“संप्रत्यत्र कलौ काले जिनगेहे (!) मुनिस्थितिः
धर्मश्च दानमित्येषां श्रावका मूलकारणम् ।

अर्थात्—वत्तमान कलिकालमें मुनियोंकी स्थिति जिन मन्दिरमें बतलाई है, और उसो मुनिस्थितिसे धर्म और दान प्रवर्तित होते हैं और इन सब वातोंके—अर्थात् जिन मन्दिरोंमें होनेवाली मुनि स्थिति, धर्म और दान इन सबके मूल कारण श्रावक होते हैं ।” इस श्लोकमें ‘जिनगेहे’ की जगह ‘जिनगेहे’ यह अशुद्ध पाठ गढ़ कर और उसी पाठके अनुसार शास्त्रोंके विरुद्ध अर्थ कर पश्चानन्दि पञ्च

कि मतिकाका श्लोक उद्भूत किया है। ऊपर अनेक शास्त्रीय प्रक्षणोंके आधारसे वह हम अच्छी तरह सिद्ध कर आये हैं कि चांद नगरके सीनर जिन मन्दिरोंमें मुनियोंका रहना शास्त्र विरुद्ध है पद्म। एवं विशार्णिकाके आधारसे भी वह सिद्ध नहीं हो सकता क्योंकि पांडे चंपालालजीने पद्म। पञ्च। काके श्लोकको अशुद्ध नहूँ कर बैना जबरन अर्थ किया है। प०० मक्खनलाल जीने भी पांहुे = 'यालालजीकी शलनी पर विचार नहीं किया है। उसे ठीक ही नान लिया है। अस्तु इस श्लोकसे जिन मन्दिरोंमें मुनियोंका रहना सिद्ध हाना है या नहीं इस विषय पर थोड़ा सा हम विचार न्यौं देते हैं ।

सबसे पहिले यह यह समझ लेना जरूरी है कि 'स' त्यत्र कलों काले' इस श्लोकके किस शब्दको अशुद्ध गढ़कर 'मुनियोंका जिन मन्दिरोंमें रहना' सिद्ध किया गया है? उसका खुलासा यह है कि वह 'जिनरोह' शब्द है। शुद्ध पाठ 'जिनगेहोमुनि लिर्णत' ऐसा है और उसका अर्थ जिन मन्दिरोंका बनवाना और मुनियोंकी स्थिति करना यह होता है जोकि आगमके अनुसार ठीक है। पांडे चंपालाल जीने 'जिनगेहोकी जगह' 'जिनरोहे' यह पाठ सनसे गढ़ा है जिसका कि अर्थे जिन मन्दिरोंमें मुनि रहते हैं यह होता है। यह अर्थ आगमके विरुद्ध है। पद्मनन्दी आचार्यके मनानुसार ऐसा भ्रष्ट अर्थ नहीं हो सकता। उसका खुलासा इस प्रकार है—

प्रथम तो बात यह है कि ऐतिहासिक दृष्टिसे दशवीं शताब्दी

के पहिलेके किसी भी मूल संघके ग्रन्थमें मुनियोंका गांव नगरले भीतर जिन मन्दिरमें विधान नहीं पाया जाता क्योंकि शक ८२० (वि० स० ९५५) में उत्तर पुराणको समाप्त करनेवाले भगवज्जिन-सेनके शिष्य श्री गुणभद्राचार्यने आत्मानुशासन ग्रन्थमें मुनियों का ग्राम नगरके समाप्त रहना भी दूषित बतलाया है । इससे जान पड़ता है कि उस समयके दिगम्बर मुनियोंमें इतना ही शिथिलाचार जारी हुआ था कि उन्होंने गांव और नगरोंके समीप आकर रहना शुरू किया था यदि उस समय मुनिगण गाव और नगरोंके भीतर जिन मन्दिरोंमें रहते तो गुणभद्राचार्य इस बातका जरूर उल्लेख करते । आचार्य गुणभद्रके गुरु भगवज्जिनसेनाचार्यने मुनियोंको ग्राममें रहनेका निषेध किया है । आचार्य पद्मनन्दी भगवज्जिनसेनाचार्यके पहिले हो गये हैं ।* उनके समयमेंतो गांव नगर के भीतर जिन मन्दिरोंमें रहना समझ हो नहीं सकता । दर्शनसार में आचार्य पद्मनन्दीके बारेमें इस प्रकार लिखा हुआ है—

**सिरिवीरसेण सीसोजिणसेणोत्तमल सत्थविरणाणी
सिर पउमणांदि पक्छा चउसंघसमुद्धरण धोरो ।३०**

अथात्—श्रीपद्मनन्दी आचार्यके पीछे श्री धीरसेन स्वामीके शिष्य श्री भगवज्जिनसेनाचार्य समस्त शास्त्रोंके परगामी और चारों प्रकारके संघ उद्धार करनेमें धीर वीर हुए । ३०।

* यद्यपि आचार्य पद्मनन्दिका समय चिवादाम्पद है क्योंकि पद्मनन्दी नामके कई आचार्य हो गये हैं परन्तु जबतक ठीक निराण्यनहीं होता तब तक यह समय निराधार भी नहीं माना जा सका ।

तस्य य सीरो गुणत्रयगुणभद्रोदिव्वगाणपरिपुणो

पञ्चवसा लुद्धमदी महात्मो भावलिंगो य । ३१

अथात्—भगवज्जनसेनाचार्यके शिष्य गुणवान् दिव्य ज्ञानसे परिपूर्ण पक्ष पवासा शुद्ध बुद्धिके धारक महा तपस्वी भावलिंगी मुनि गुणभद्र हुए । ३१। दर्शनस्रोरके इस पुष्ट प्रमाणसे यह बात सिद्ध है कि आचार्य पद्मनन्दी भगवद्विज्ञनसेनाचार्यसे पहिले हुए हैं उनके समयमें मुनियों के जिन मन्दिरोंमें रहना कभी सिद्ध नहीं हो सकता । चर्चा सागरके कर्त्तने पद्म० पंचविंशतिकाके इओकको अशुद्ध गढ़कर उसका जवरन प्रमाण दे डाला है । इस लिये ‘जिनगेहो मुनिस्थिनिः’ अर्थात् जिन मन्दिर और मुनियोंकी स्थिति दो बातें मिन्न २ हैं किंतु जिनगेहे मुनिस्थिनिः अर्थात् जिन मन्दिरोंमें मुनि रहने हैं यह बात नहीं ।

दूसरे—पद्मनन्दी पंच विशतिका ग्रन्थ पर पं० जोहरी लालजी और पं० पन्नालालजी किंदुकाकी हिन्दो टोका है । टोडरमलजी नदोनुखदासजी आदि भाषा टीकाकारों के बचन आचार्य वचनके समान ही प्रमाण माने जाते हैं उक्त दोनों पण्डितों ने ‘जिनगेहा मुनिस्थिनिः’ यही गठ रखकर—“अवारभा इस कलिकाल विपे जिन मन्दिर करायना तथा आहार दान देने करि मुनी-श्वरनिः। शरार की स्थिति करना इस प्रकार जिनगेह और मुनिस्थिति इन दोनों मिन्न पदोका मिन्न २ अर्थ किया है । इस

रूपसे एक सो मूल पाठ 'जिन गहो मुनिस्थिति' और दूसरे साषा कारने भी उसी पाठका अर्थ हिंदा है इस लिये इस पुस्तक प्रमाण से भी मुनियोंका जिन मन्दिरोंमें रहनों नहीं बन सकता अनः जिन गहो मुनिस्थितिः यही पाठ शुद्ध है ।

तीसरे पदम् प चविशनिः से पहिले तो यह श्लोक है—

संप्रत्यष्पि प्रवत्तेत धर्मस्तेनैव वर्त्मना ।

तेनैतेऽपि च गणयने गृहस्था धर्महेतवःपु।

अर्थ— अबार इस कालके विषये भी धर्म पूर्वोक्त है, सो तिसही मार्ग करिकें आश्रित सकल देश रूपहो प्रवत्तें हैं ता कारण करिकें ये गृहस्थ हैं ते भी धर्मका कारण कहिये हैं । ५। इसमें बाद 'संप्रत्यष्पि कलौकाले जिनगोहो मुनिस्थिति' यह श्लोक है जो चर्चा सागर के कर्ताने प्रमाण रूपमें लिया है । पहिले श्लोकमें ग्रन्थकारने 'धर्मस्तेनैव वर्त्मना, यह लिखा है इसका अर्थ' यह है कि पूर्वकाल (चौथेकालमें) जिस प्रकार धर्म सकलरूप और देश रूप था । उसी प्रकार अब इस लिकालमें भी प्रवत्तमान है—उसमें किसी प्रकारका हेरफेर नहीं । तथा चतुर्थकालके श्रावकोंके समानही इस कालक आवश्यकी धर्मके कारण हैं । विचारनेकी बात है कि जब आजकलरूप श्रावक चौथे फालके समानही धर्मके कारण हैं तब चतुर्थ कालमें ता मुनियोंका जिन मन्दिरोंमें रहनेका कहीं विधान नहीं और न कहीं यह लिखा है कि गृहस्थ जिन मन्दिरोंमें मुनियों को रख सकते हैं, तब आजकल मुनि गाव नगरके भीतर जिन

मन्दिरोंमें रहै तो उसी हृपसे धर्म कहां रहा तथा श्रावक उन्हें जिन स मन्दिरोंमें रखते, तो चौथे कालके श्रावकोंके समान आजकलके सी धर्मके मूल कारण कैसे हो सकते हैं। यह तो थोथे कालकी अपेक्षा मुनिधर्मका परिवर्तन हो गया और चौथे कालके समान श्रावक भी नहीं ठहरे तब ग्रंथकारका 'तेनैव वत्मना' अर्थात् धर्म उसी हृपसे प्रवर्तना है यह बचनही निरर्थक है। इस लिये मानना होगा कि चौथे कालमें जिन मन्दिरोंमें रहना मुनिधर्म न था वैसा आजकल भी मनिधर्म नहीं हो सकता तथा चौथे कालमें जिस प्र प्रकार श्रावक मुनियोंको मन्दिरोंमें नहीं रख सकते थे उसी प्रकार आज भी वे वैसा नहीं कर सकते। तथा और भी यह बात है कि—

'संप्रत्यत्र कलौ काले जिनगेहो मुनिस्थितिः इस आगेके श्लोक में श्रावकोंका धर्म बर्णन करते हुए वाचायं महार्जने स्पष्टही कर दिया है कि जिस प्रकार पूर्वकालमें जिन मन्दिरोंका बनवाना, मुनियोंकी स्थिति (मर्यादा) कायम रखना, धर्मका प्रवर्तनना और दान देना ये बातें श्रावकों द्वारा होनी थीं इस लिये इन बातों के मूल कारण उस समयके श्रावक ये उसी प्रकार इस समय इस कलिकालमें भी ये बातें श्रावकों द्वारा होती हैं इस लिये आजकलके श्रावक भी धर्मके मूल कारण हैं। 'संप्रत्यत्र कलौ काले' ये वाक्य—पूर्वकालके श्रावकोंके साथ आजकलके श्रावकोंकी तुलना केही नियंग्रंथकारने लिए हैं, जिसका पोषण पूर्व श्लोकमें प्रयुक्त हुए 'अपि' शब्दसंभी हाता है। नहीं तो इनका लिखना व्यर्थ

था और इतनाही कहना काफी था कि श्रावक इन बातोंको कराते हैं। नथा यह पहिले कहा जा चुका है कि पूर्णकालमें गर्व नगर के भीतर जिन मन्दिरोंमें रहनेका कही विधान नहीं तब आचार्योंके वचनों को पलट कर जिन मन्दिरोंमें मुनियोंका रहना जबरन सिद्ध कर देना वडे भारी साहसका ही काम समझना चाहिये।

चौथे—‘स प्रत्यत्र कलौ काले’ इस श्लोकके बाद पद्म० पंच विश्विकामे यह श्लोक है—

**देवपूजा गुरुपास्ति: स्वाध्यायः सयमस्तपः
दानं चेति गृहस्थानां षट्कर्माणि दिने दिने।**

अर्थात्—देव पूजा, गुरुसेवा, स्वाध्याय, संयम, तप और दान ये छह श्रावकोंके नित्यक्रम हैं। इस श्लोकके देनेका तात्पर्य यह है कि ‘संप्रत्यत्र कलौ काले’ इस श्लोकमें जिन मन्दिर, मुनिस्थिति धर्म और दान इन चारों बातोंके जुदा २ रहनेसे जिन मन्दिरोंके बनवानेसे तो देव पूजा मुनिस्थिति करनेसे गुरुसेवा, धर्मसे स्वाध्याय संयम और तप और दानसे दान इन श्रावकशयक कर्मोंकी पुष्टि होती है। यदि जिन मन्दिरोंका बनवाना श्रावकोंका मुख्य कार्य न रहेगा तो जिस प्रकार दान आदिके मूलकारण श्रावक कहे गये हैं, उस प्रकार जिन मन्दिरोंके बनवानेमें मूलकारण श्रावक नहीं हो सकते, क्योंकि मन्दिरोंके बनवानेवाले श्रावक ही होते हैं, शास्त्रोंमें जगह २ यह लिखा है।

पाचवें—जब जिन मन्दिरोंको श्रावक ही बनवाते हैं, तब श्राव-

कोकी दान आदिकी महिमा वर्णन करने पर जिन मंदिरोंके बनावे की महिमाका भी तो ग्रंथकारको पठमनंदी पञ्चविंशतिकामें वर्णन दरना चाहिये था सो नहीं किया; क्योंकि “जिन गेहे मुनि-स्थितिः” जिन मन्दिरोंमें मुनि रहते हैं ऐसा पाठ माननेसे जिन मंदिरोंमें मुनियोंका रखना तो श्रावकोंका मुख्य कार्य ठहरता है परन्तु श्रावकोंका जिन मन्दिरका तिर्माण करना मुख्य कर्तव्य सिद्ध नहीं होता। इस अध्यायमें केवल श्रावकोंकी महिमाका वर्णन है यहा श्रावकोंकी महिमाके वर्णनमें जिन मन्दिरोंको जो श्रावक बनवाते हैं इस महिमाका वर्णन करना बहुत जरूरी है। इस अध्यायमें और किसी श्लोकसे जिन मन्दिरोंका बनवाना श्रावकोंके लिये मुख्य कर्तव्य बतलाया नहीं। श्रावकोंकी महिमाकी खास बात भूल जाना यह आचार्य पद्मनन्दी सरीखे महानुभावोंसे असम्भव है इस लिये जिनगेहे मुनिस्थितिः अर्थात् जिन मन्दिर और मुनिस्थिति इस जुड़े २ अर्धवाला ही पाठ शुद्ध है।

इसप्रकार—अनेक प्रमाणोंसे यह बात सिद्ध है कि मुनियोंका पद्मनन्दी पञ्चविंशतिकाके आधारसे जिन मंदिरोंमें ही रहना सिद्ध करना वर्चासागरकर्नाकी मनगढ़त कल्पना है। किसी भी प्रकार वह पद्मनन्दी आचार्यका सिद्धान्त नहीं हो सकता। इसलिये विशेष शास्त्रकी जानकारी न रखनेसे पांडे चम्पालालजीसे जो भूल हो गई सो तो हा नई किन्तु आज इस पक्षकी खोंचानानी करनेवाले कति पय विद्वान भी स्तरासर भूल कर रहे हैं। उन्हें तो सोन्द्र-समझकर बालना चाहिये।

चर्चासागरके कर्तने जिन मन्दिरोंमें ही मुनियोंकी स्थिति सिद्ध करनेके लिये दूसरा प्रमाण इंद्रनन्दी नीतिसारका (१) यह दिया है । “काले कलौ वनेवासो वर्जनीयो मुनिश्वरै, स्थीयेत च जिनागार ग्रामादिषु विशेषतः ।” उसका तात्पर्य यह है कि इस कलिकालमें मुनीश्वरोंको वनमें नहीं रहना चाहिये, बहुतकर उन्हें जिनमन्दिर ग्राम आदिमें रहना चाहिये । भट्टारक इंद्रनन्दीके इन वचनोंसे भी ‘कलिकालमें मुनिगण जिनमन्दिरोंमें ही रहते हैं’ यह बात सिद्ध नहीं होती, इसपर भी हम यहां थोड़ासा विचार किये देते हैं—

इन्द्रनन्दी कहे हो गये हैं । नीतिसारके कर्ता भट्टारक इंद्रनन्दी तेरहवीं शताब्दीके बाद हुए हैं । तेरहवीं शताब्दीमें मुनियोंके अन्दर जिनमन्दिरोंमें रहनेका शिथिलाचार शुरू हो गया था । इंद्रनन्दीजी-ने भी जिनमन्दिरोंमें रहना प्रारम्भ कर दिया था, इसलिये अपने स्वभावके अनुसार उन्होंने ऐसे मुनियोंको जिनमन्दिरोंमें ठहरनेकी रोयमात्र दी है, फिर भी सबे मुनियोंको जिनमन्दिरोंमें ठहरनेका उन्होंने विधान नहीं किया है ।

दूसरे—‘काले कलौ वनेवासो वर्जनीयो मुनीश्वरैः’ इत्यादि

(१) यह श्लोक इंद्रनन्दी नीतिसारमें नहीं है संहिताका जान पड़ता है ।

श्लोकमें ‘स्थीयेत’ और वर्जनीयः इन दो क्रियाओंका उल्लेख किया है ‘स्थीयेत’ यह विधि लकारका क्रिया है । विधि, निमन्त्रण, आमंत्रण, असीष्ट, संप्रश्न और प्राथना इन अर्थोंमें व्याकरण शास्त्रके अनुसार विधिलकारका प्रयोग होता है । विधिका अर्थ विधान कर देना वा

सिद्धात रूपसे कहना होता है। भट्टारक इंद्रनदी 'स्थीयेत' इस क्रियाका प्रयोग विधिलकारमें लो कर नहीं सकते थे; क्योंकि उनके पूर्वकालीन आचार्य गुणभद्र, जिनसेन, पद्ममनन्दी, समतभद्र आदि ने सुनियोंको जिनमंदिरोंमें रहनेका कहीं विधान नहीं किया, तब इंद्रनंदी उस बातका कैसे विधान कर सकते थे। निमंत्रण, आमंत्रण आदि अर्थोंकी यहां योग्यता नहीं, इसलिये प्रार्थना अर्थमें उन्होंने यहां विधिलकारका प्रयोग किया है। अर्थात् मुनोश्वर पद देकर उन्होंने यह प्रार्थना की है कि इस कलिकालमें मुनीश्वरोंको वनमें न रहकर जिनमंदिर ग्रामभादिमें रहना चाहिये। इस रूपसे कलिकालमें मुनियोंका जिनमंदिरमें ही रहना इंद्रनंदी महाराजके वचनोंसे सिद्ध नहीं होता।

तीसरे—मुनीश्वरोंको वनका रहना छोड़ देना चाहिये। जिनमंदिर ग्राम आदिमें रहना चाहिये। इंद्रनंदी महाराजके इन वचनों से यह स्पष्ट मालूम होता है कि उस समय कुछ मुनि जिनमंदिरोंमें रहने लगे थे : किन्तु धीरवीर मुनि उस समय तक भी वनवासी ही थे, इसलिये मुनीश्वर शब्दका प्रयोग कर इंद्रनंदी महाराजने धीरवीर मुनियोंसे भी यह प्रार्थना की है कि घाप लोगोंको भी अब वनका रहना छोड़कर जिनमंदिर ग्राम आदिमें रहना चाहिये।

चौथे—'विशेषतः' पद देकर तो भट्टारक इंद्रनंदीने स्पष्ट ही कर दिया है कि बहुत कर जिनमंदिर ग्राम आदिमें रहना चाहिये अर्थात् इसका मतलब यह है कि यदि धीरवीर मुनि वनोंमें रहे

तो उनकी खुशी पर अब घहुत कर जिनमंदिर ग्राम आदिमें रहना
ठीक है ।

इस रूपसे भट्टारक इंद्रनदीके वचनोंसे भी यह नहीं सिद्ध
होना कि मुनियोंको जिनमंदिरोंमें ही रहना चाहिये । फिर चर्चा
सागरमें इंद्रनंदीके वचनोंसे जो यह लिख मारा है कि मुनियोंको
जिनमंदिरोंमें ही रहना चाहिये यह उनकी धींगाधीगी है । राय देने
अथवा प्रार्थना करनेसे कोई बात सिद्धात नहीं हो जाती । सच्चे
मुनि इस प्रकार शिथिलाचारकी पोषण करनेवाली राय वा
प्रार्थनाका कभी स्वीकार नहीं घर सकते ।

इस रीतिसे यह बात अच्छी तरह सिद्ध हो चुकी कि चर्चा
सागरके कर्ना पाढे घम्पालालजीने जिन दो प्रमाणोंके आधारसे
'मुनियोंका केवल जिनमंदिरोंमें रहना' सिद्ध करना चाहा था वह
नहीं हो सका । इसलिये चर्चासागरके प्रमाणोंके अनुसार जो
महाशय दिगंबर मुनियोंको स्थिति जिनमंदिरोंमें ही मानते हैं वे
गलती पर हैं ।

जो हो 'संप्रत्यन्तं कलौ काले' इस पद्मम० पंच० काके इलोकसे
'मुनि जिनमंदिरोंमें नहीं रह सकते' इस बातको अच्छी तरह
बता दिया गया, साथमें जिनमंदिरोंमें मुनियोंकी सिद्धिके लिये
जो 'इंद्रन'ही भट्टारकका प्रमाण दिया है, उससे भी वह बात सिद्ध
नहीं हो सकती, यह भी लिख चुके । अब हम पं० मक्खनलालजीने
'संप्रत्यन्तं कलौ काले' इस इलोकपर जो अडबंड भाष्य लिख मारा
है, उसपर विचार करते हैं—

सबसे पहिले आपने भाई रत्नलालजी को सा है सो तो आपका धोहार ही है। हम आपके आहारमें खलल डालना नहीं चाहते। खूब मजेसे आप पेट मर सकते हैं। आगे चलकर आपने लिखा है— “जिनगेहे इस पाठको पं० गजाधरलालजी न्याय-तीर्थने अशुद्ध बताया था और कहा था कि जिनगहो पाठ ठीक है” इत्यादि। इसके उत्तरमें यह निबेदन है कि मैंने अवश्य जिनगेहे यह स्वाम्यन्त पाठ अशुद्ध बताया था तथा ऊपर लिखे अनेक शास्त्रीय प्रभाणोंसे वह अशुद्ध ठहरा भी दिया गया। वर्षापर जिनगहो यह प्रथमांत पाठ ही शुद्ध है। जिनगहो यह पाठ तो शुद्ध हो हा नहीं सकता, क्योंकि घर अर्थका कहनेवाला गह शब्द संस्कृत भाषामें नहीं है फिर मैं कैसे उस पाठको शुद्ध कह सकता था। भाई मन्त्रखनलालजी ! मैं व्याकरण कोषका कुछ बल रखता था, इतनी गलती मुझसे नहीं हो सकती, व्याकरण कोषकी जानकारीमें मुझे आप कोरा सिद्ध करनेकी चेष्टा न करें, आप अपना रक्षा करें।”

आगे चलकर आपने लिखा है कि हमें एक अशुद्ध प्रति द्विखाई थी उसमें जिनगड़ो यह अशुद्ध पाठ था, पद्म पं० प्रथपर एक माषा टीका ह टीकाकारने भी कुछ विचार न कर उस अशुद्ध पाठ का ही अर्थ किया है जो कि टीकाकारकी गलती है इत्यादि। इस पर हमें यह कहना है कि पद्मनन्दिपंचविंशतिका प्रथपर स्वर्गीय विद्वान् पं० जौहरीलालजो व० पं० मन्नालालजो साहब लिंदका इन दो विद्वानोंकी हिंदी टीका है। ये महोदय जैन सिद्धांतके अन्तर्मे-

ज्ञाता थे । किसी भी श्लोकका सिद्धांत विश्वदृध अर्थ हमें से नहीं हो सकता । पंडित मधुखनलालजीने स्वर्गीय पं० जोहरीलालजी व प० मन्नालालजी साहब खिदुकोंको अज्ञानो बताकर उनका घोर अपमान किया है । जिन महानुभावोंकी कृपासे पवित्र जैन धर्म की रक्षा हुई है, जिन्होंने अनेक प्रथाओंकी टोका कर हमें ज्ञान दान दिया हैं, उन परमोपकारी विद्वानोंको अज्ञानी कहना हमारी धृष्टिना है ।” क्यों न हो, जहाँ ओचार्यकल्प प्रातः स्मरणोय पं० दोडरमलजी साहबको भी मासूली पंडित कह दिया जाय वहाँ और विद्वानोंको अज्ञानी कह देना कोई बड़ी बात नहीं । ‘अधजल गगरी छलफत जाय’ ।

आगे चलकर आप लिखते हैं—“पं० जी (गजाधरलाल) युवकमंडलके कार्यकर्ता आ के अनुगंता हैं, इसलिये वे किसी शास्त्र के विषयमें कुछ भी कह दे नो आइचर्यकी ‘बात नहीं’ इत्यादि । यहाँपर पंडित मधुखनलालजीसे मेरा यह निवेदन है कि आप मेरे द्वेषोंको स्पष्ट ही क्यों न कर देते ? घषड़ाते क्यों हैं ? चर्चासागर के विरोधमें आषोज उठानेवाले माई रतनलालजी सांभारीको जिस प्रकार आपने विधवा विवाह-पोषक और सुधारक कह दला है जिन बातोंकी उनमें गन्ध तक नहीं उसी प्रकार मुझे भी उनबानोंका प्रचारक कह डालिये । छुट्टी हुई युवक मण्डलीके कार्यकर्ताओंका अनुगंता कहकर ही क्यों दिल शांत कर लिया । किसीको बढ़वारी न चाहने वाले व्यक्तिका ऐसाही खास गुण होना चाहिये । मिहिरवान ! आप किसीको भी कुछ कह सकते हैं । मर्जी आप की ।

आपने लिखा है—“वीर नि०सं० २४४० में गजाधर लालने पद्म० प चविशतिकाका स्वय अनुवाद किया है। उसमें जिनगेहे यह सप्नस्थंत पाठ ही रखा है। अब वे यदि उसे अशुद्ध बतलावे तो” इत्यादि। इसके ‘उत्तरमें निवेदन यह है कि मैंने जो अनुवाद किया है’ वह जिनगेहो इस प्रथमांत पाठका ही किया है चर्चासागरके सतानुसार सप्तम्यत पाठका नहीं। पण्डितजी सुके वृथा बदनाम कर दमाज़को धोखा दे रहे हैं। वह मेरा अनुवाद ज्यों का त्यों इस प्रकार है—

“अर्थः—और इस कालमें श्रावकगण बड़े बड़े जिनमन्दिर बनवाते हैं। तथा आहार देकर मुनियोंके शरीरकी स्थिति करते हैं। त . सर्व देश एक देश रूप धर्मकी प्रवृत्ति करते हैं और दान देते हैं इस लिये इन सर्वोंके मूलकारण श्रावकही हैं, अतः श्रावक धर्म सी अत्यन्त उत्कृष्ट है।” ६। पृ० १९५ छंपी प्रति।

पाठक मेरे अनुवादको पढ़े। मैंने जिनगेहो इस प्रथमांत पाठकाही अर्थ किया है। जिन मन्दिरका बनवाना और मुनियोंकी स्थिति करना ये दो बातें मैंने जुदी २ लिखी हैं। कहिये पण्डितजी ! अब और वया धोखा देना चाहते हैं ? क्या आपने यहो समझ लिया था कि मेरा पद्म० पंच० का ग्रन्थका अनुवाद लोगोंके देखनेमें आय- नाहो नहीं। खेद है !!!

छंपी प्रतियोंमें से कुछ प्रतियोंमें जिनगेहे पाठ छप गया था, वह छंपेकी गलती है। दूसरी प्रतियोंमें “जिनगेहो” यही पाठ छपा है। मेरे पास दोनों प्रतियां मौजूद हैं। जिन्हें प्रूफ शोधनेका काम

पढ़ा हैं वे अच्छी तरह जानते हैं कि कोई २ गलती छपते समय मशीन पर पकड़ी जाती हैं और उस समय उसे सुधारा जाता है। जो फार्म गजती सुधारनेके पहिले छप जाते हैं उनमें त। वह गलती रह ही जाती है किन्तु बाकीके फार्म शुद्ध छपते हैं। पृष्ठ ० ५ व विशेषतिकाके छपते समय यही हुआ था। मशीन पर गलती सुधरी देखती है। इलोकका अर्थ देखना चाहिये वह किस पाठका किया है। अर्थ “जिनगेहो” इस प्रथमांत पाठका ही किया गया है इसलिये प्रथमांत “जिनगेहो” यही पाठ शुद्ध मानना होगा। मामूली आदमी भी यह जान सकता है कि जिस पाठका अनुबाद जाता है अनुबादकका वही पाठ शुद्ध माना जाता है जब मैंने “जिन-गेहो” इसी प्रथमांत पाठका अर्थ किया है तो पाठ वही शुद्ध मानना होगा। यदि जिनगेहे यह सप्तम्यांत पाठ मुख्य शुद्ध जँचता तो मैं ‘जि मन्दिरोमें मुनि रहते हैं’ यह अनुबाद वरता परन्तु मैंने जिनमन्दिर चनवाना और मुनियोंकी स्थिति करना’ यह मिन्न ३ अर्थ किया है जो कि जिनगेहो इस प्रथमांत पाठकाहो अर्थ होता है परिणत जी आपने विचार शक्तिका पक्कदम दिवाला खोल दिया है। क्या आप इतनाभी विचार नहीं कर भक्ते थे? जहां पर शास्त्र विरुद्ध भूठे पक्कका हठ है वहां विचार शक्तिका निर्गत रहना अस भव है। उसपाकर मेरे लिखे पूम् ० प८० काके अनुबादको फिरसे पढ़े मैंने बिलकुल ठीक लिखा हैं। आप उसे झूठा नहीं बता सकते।

आगे आपने लिखा है—“जिनगेहो” पाठ न मान कर ‘जिनगेह’ यही पाठ ठीक समझा जाय तो फिर इलोकमें ‘संप्रत्यञ्च कलोकाले’

ये एद क्यें दिये जाये हैं इत्यादि । महाराज ! यहां पर तो आपने खारी विचार शक्तिहो पूरी कर डाली । यदि आप पद्म० पंच विश्वानिका ग्रन्थ देख लेते तो आपको ऐसे कुनकोंके लिये मौकाही न मिलता । “स प्रत्यन्त्र कलौकाले” इन शब्दोंके देनेका तात्पर्य यह है कि औथे कालमें श्रावक जिस प्रकार जिन मन्दिर बनवाते थे, सुनियोंदी स्थिति रखते थे, धर्म और दान करते थे उसी प्रकार आजकल कलिकालके श्रावक भी करते हैं, इस लिये औथे कालके समान आजकलके श्रावक भी जिन मन्दिर आदिके करनेमें मूल कारण हैं । आचार्य पद्मनन्दीने आजकलके श्रावकों को विशेष महिमा ‘दिखानेके लियेही ‘कलिकाल’ शब्दका प्रयोग किया है क्योंकि कलिकालमें धर्मकी विमुखतासे श्रावकोंकी क्वचिं औथे कालके श्रावकोंके समान नहीं भी रह सकती, परन्तु वह अब भी वैसोहो बनी हूँ यह घड़े महत्वके साथ आचार्य महाराजने लिखा है । ग्रन्थको खोलकर पूर्वापर विचार किया न जायगा श्लोकको देखकर ही विचारको तरंगे बांध दी जायगो तब उसी बातपर कैसे विचार कियो जा सकता है ? कृपा कर आप एक बार पद्म० पंच० ग्रन्थका फिर खाद्याय करें और पूर्ववर्ती श्लोकमें पुयुक्त “अपि” शब्द पर भी ध्यान दे । आपका ही जान पड़ेगा कि ‘कलिकाल’ पद देनेका ग्रन्थकारका क्या असिप्राय है ।

आगे आपने एक संकृत टोकाका हवाला देकर यह बतलाया है कि उसमें ‘जितगेहे’ यह सत्तन्यंत पाठ हा है और उसका अर्थ ‘भुनि जिन मन्दिरोंमें रहते हैं’ यही होता है इत्यादि । यहां ‘परं मेरा

आपसे यह निवेदन है कि आपने और जा प्रमाण दिये हैं वहां उन प्रन्थों और उनके कर्ताओंके नाम लिखे हैं। इस टीकाको क्या तो नाम है ? कौन उसका कर्ता है ? किस समय वह बनी ? यह भी तो लिखना चाहिये । परन्तु आपने इस बातका जिक्रतक नहीं किया । टीकाके शब्दोंसे इस बातका पता चलता है कि यह टीका किसी आचार्यकी लिखी नहीं है । आपने जो इलोकका 'अथ' दिया है ठीक ठीक उससे मिली जुली है । संभव है आपका लिखा वह अर्थ भाषाका हो और यह संस्कृतका हो और उसीका टीका नाम 'रख दिया हो । पद्म० पञ्च० प्रथका प्रकरण देख कोई आचार्य वैसः टीका कर नहीं सकता । यदि की है तो कहना होगा वह भूल है ।

आपने लिखा है—भालरापाटन घर्वद्व आदिकी प्रतियोगि "जिनगेहे" यह सप्तम्यंत ही पाठ है, इस लिये 'मुनिगण जिन मन्दिरों में रहते हैं' यह बात शास्त्र विरुद्ध नहीं, इत्यादि । ज्ञाना कीजिये पश्चिडत जी ! यह आपकी बहानाबाजी है । हमें जैपुरके नामी बिद्वानोंकी भाषा टीका 'जिनगेहो इस प्रथमांत पाठकी मिल रही है और वह अथ' प्राचीन मान्य आचार्योंके मतानुसार है । दूसरे जिस समय मैंने अनुवाद किया था तब ५-६ प्रभियोंके आधारसे किया था सबोंमें जिनगेहो यह प्रथमांतही पाठ था इस लिये अनु वाद भी उसी पाठका किया गया है । यदि आपके मतानुसार 'जिनगेहे यह सप्तम्यंत पाठ मिलता तो मैं उसीका अनुवाद करता । आज तो यह बात मत्तगढ़ीका कारण घन गई है '१८ अष्ट' पहिले तो

कोई भगड़ा न था। मैं कोई अंतर्यामी भी न था जो आजके भगड़ेको चितार कर पहिलेहो संभल जाता। सेरा तो यह जिजी अनुसव है कि शिथिलाचारियाँने बहुत पहिले इस पाठको बहुत सी प्रतियोंमें अशुद्ध बना दिया होगा, सब प्रतियोंमें वे अशुद्ध नहीं बना सके, नहीं तो आज यह भगड़ा ही न उठता।

आपने लिखा है—इतने प्रमाणोंके होते हुए भी यदि पं० गजाधरलालजी अपने लिखे संस्कृत पाठको अशुद्ध बतावें और भूल और असावधानीसे लिखे हुए अपने हिन्दी अनुवादको अब भी सही कहें, तो फिर उन्हें गोमटसारकी 'सुत्तादृतं सम्नं इत्यादि गाथाका स्मरण कर लेना चाहिये। अर्थात् समझाने पर भी यदि न माने तो उन्हें मिथ्या दूषित समझना चाहिये इत्यादि। यहाँ पर मुझे यह तो मालूम हुआ कि पण्डित जीने मेरा किया पद्म० पच० का अनुवाद पढ़ा है परन्तु अनुवाद पढ़कर वे मूल पाठ को भी शुद्ध कर लेते तो अच्छा होता। क्योंकि मूल पाठ जैसा होगा वैसा ही अनुवाद किया जा सकता है। परन्तु इनने परिश्रमकी और विचारकी पंडितजी को फुरसत कहां। खेद है अपनी गलती पर जारी भी ख्याल न कर पंडितजी ऊउपर्टांग लिखते ही जा रहे हैं। आपही कहें—“जिनगेहे” यह सप्तम्यंत पाठ मिष्ठने से मैं वैसा अनुवाद कर सकता था क्यो ! इनना मैं नासमझ न था। आप वृथा अपनो कल्पनाओंकी बहार न बतावें आपने जो यह लिखा है कि गजाधरलालको मिथ्यादूषित समझना चाहिये। सो महाराज यदि आप इस प्रकार जामासे बाहर न

होते तो आपकी विद्वता में घटा नहीं लगता । जो व्यक्ति सिद्ध धांत की मोटी बात पर भी विचार न कर सके वह सिद्धान्त के अनुकूल कहनेवाले को मिथ्यादृष्टि कहें यह उसकी योग्यता और नासमझीका कारण है । भगवान् केवलोंको भी इन्द्रजाली कहनेवाले जीव संसार में मौजूद थे मैं तो खीजाही क्या हूँ । महाराज पंडितजी । आप मुझे अपनी दुदिधके अनुसार मिथ्यादृष्टि मान भी ले तो मैं अपना ही बुराकर सकता हूँ । जैन सिद्धान्त की निर्मलता मुझसे नष्ट नहीं की जा सकती । आपनेता जैन सिद्धान्त की निर्मलता नष्ट करनेका खोटा पक्ष खोच रखा है आप तो हूँवोगेहीं दुनियाको भी बुधानेका प्रयत्न धापने कर डाला है । आप सरीखे घासमार्गीकी अपेक्षा मेरा मिथ्यादृष्टि होना बुरा नहीं । आप समझ लीजिये मेरे ऊपर किसीको प्रभाव नहीं न मैं किसीका साथ दे रहा हूँ । मेरा पक्ष सत्य पक्ष है । शास्त्रोंके अनुसार ही वह किसीके द्वारा मलिन नहीं किया जा सकता ।

पृष्ठ न० ३५ में 'यत्र श्रावक लोक पद्व वसति' इत्यादि पद्मपंच ० विंशतिकाका इलोक उधृत कर आपने इससे मूलियोंका जिन मंदिरोंमें रहना सिद्ध किया हैं । सो आपकी यह वर्णी भारी गलती है । वहांपर भी यही अर्थ है कि मूलिगण आदार विद्वारके समय मंदिरोंमें आकर उद्दरते और गृहस्थोंको उपदेश दान देते हैं । पद मनदी आचार्यके मरानुसार मूलियोंका जिन मंदिरोंमें रहना कभी सिद्ध नहीं हो सकता यह ऊपर अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया गया है । इस इलोकके भाष्यमें आपने मुझे घुरुत क्षेत्रा है

सो आप स्वूच कोसिये । जब जवाब ठीक नहीं बनता तब गुस्सा आती है । गाली गलौज करनी पड़ती ही है । मुझे इस बातका दुख नहीं । पाठक स्वयं विचार कर ले गे ।

पृष्ठ नं० ३७ में—

**सुरण घर गिरि गुहारुरु अमूलआगंतुगारदेवकुलं
अकुदप्पाभारा रामधरादिलिण य विवित्ताइ । ३६।**

भाषा—सुना गृह होय, वा गिरिकी गुफा होय, तथा वृक्षका मूल होय, तथा आगन्तुक जो आवने जावने वालेनिके विश्रामका मकान होय, तथा देवकुल होय, तथा शिक्षागृह होय, तथा अकृत प्रामार कहिये कोई करि आपके निमित्त किया नहीं होय वा बाग वगीचेनिके महल मकान होय सो विविक्त वस्तिका साधुनिके रहने योग्य होय है । ६।” यह मगवती आराधनाकी गाथा था पं० सदा-सुखजीकी भाषा वचनिका सहित उच्छृत की है । इसमें देवकुल शब्द आया है उस देवकुलका अर्थ जिनमन्दिर समझ पं० भक्तवत्त लालजीने लिख दिया है कि भगवती आराधनामें भी मुनियोंका जिनमन्दिरमें रहना लिखा है । माई पण्डितजी ! सिदांतके अनुकूल शब्दका अर्थेन समझ जा आप अपनी ओरसे अर्थ कर डालते हैं यह बहुत बुरा करते हैं ऐसा अर्थ करना आपको शोभा नहीं देता । आपने पं० सदा सुखदासजीका अर्थ उच्छृत किया है । यदि गाथाके प्रत्येक शब्दसे उसका मिलान कर लेते तो भा आपको देवकुलका अर्थ जिन मन्दिर नहीं सूझता पर आप ऐसा क्यों करने

लगे , पं० सदासुखदासजीने देवकुलका अर्थ शिक्षागृह किया है वही आगमोक्त है देवकुलफा अर्थ जिनमन्दिर वहां आगमोक्त नहीं । 'आचार्योपाध्यायतपास्व' इत्यादि सूत्रमें कुल शब्द आया है । भगवान् अकलंकदेवने राजवार्तिकमें कुलका अर्थ इस प्रकार लिखा है—

"दीक्षकाचार्य शिष्य संस्त्यायः कुल । दीक्षकाचार्यस्य शिष्यं संस्त्यापः कुलव्यपदेश मर्हति । अर्थात् दीक्षा देनेवाले आचार्यके शिष्य संप्रदायको कुल कहते हैं । तात्पर्य यह है कि शिष्य संप्रदाय का नाम कुल है तथा जिस स्थानमें यह शिष्य संप्रदाय रहती है उस स्थानको भी कुल कह दिया जाता है । बाज भी ऋषिकुल गुरुकुलके नामसे बहुतसे शिक्षागृह प्रसिद्ध हैं । इसलिये गाथामें जो देवकुल आया है उसका अर्थ मुनियोंका शिक्षागृह यही है । अतः पं० सदासुखदासजीने देवकुलफा अर्थ जो शिक्षागृह किया है वही आगमानुकूल है । गाथाके 'देवकुल' शब्दका जिनमन्दिर यह अर्थ हो ही नहीं सकता ।

यथपि भगवती आराधनमें देवकुल शब्दकी जगह गुरुकुल शब्द दिया जा सकता था परन्तु गुरुकुल श्रावकोंका भी शिक्षागृह कहा जा सकता था देवकुलसे मुनियोंका शिक्षागृह बताना था क्योंकि देवगुरु शालत्र तीनोंके लिये देव शब्दका व्यवहार होता है इसलिये देवकुल शब्दसे मुनियोंका शिक्षागृह ही लिया जा सकता है उसी शिक्षागृहमें मुनि ठहर सकते हैं । तथा और भी यह बात है कि भगवती आराधनामें जहांपर यह गाथा लिखी है घर्षणपर विविक्त वस्तिकाका स्वरूप बतलाया है । विविक्त वस्तिका जंगलों

में ही होती है क्योंकि वही स्थान एकांतका है। जिनमंदिर सभी बर्नोंमें हो यह बान नहीं गाँव नगरके भीतर भी होते हैं। मुनियोंके शिक्षागृह नगरके बाहिर जंगलोंमें ही रहते हैं इसलिये भगवती आराधनाके प्रकरणके अनुसार भी देवकुलका अर्थ मुनियोंका शिक्षागृह ही हो सकता है उसका अर्थ जिन मंदिर नहीं। सिद्धान्त के अनुकूल अर्थका विचार न कर पं० सक्खनलालजीने जबरन देवकुलका अर्थ जिनमंदिर किया है। इसलिये भगवती आराधनाके अनुसार जिनमन्दिरोंमें मुनियोंका रहना सिद्ध नहीं हो सकता। आपने लिखा है कि—

पं० सदासुखदासजीके बचनसे भी यह स्पष्ट है कि मुनिगण शिक्षागृह पाठशाला विद्यालयोंमें भी रह सकते हैं इत्यादि। परिषद्गतजी ! जरा विचार शक्तिको काममें लाइये। सदासुखजीके ये निजी बचन नहीं हैं कि मुनिगण शिक्षागृहमें ठहरते हैं। उन्होंने जो शिक्षागृह लिखा है वह देवकुल शब्दका अर्थ है। आपके कथन से यह बात निकलती है कि आपने इस घृतपर विचार ही नहीं किया है कि शिक्षागृह अर्थ सदासुखदासजी कहांसे ले आये यदि आप ऐसा विचार कर लेते तो आपको देवकुलका अर्थ शिक्षागृह सूझ जाता नद आपको देवकुलका अर्थ जिनमन्दिर करनेके लिये साहस ही नहीं होता। यदि भगवती आराधनाकी भाषा टोका न होती तब तो काई दुख न होता बयोंकि अपनो ओरसे ऊटपटांग जो अर्थ नासमझीसे लिखा जा सकता है परन्तु उसपर विस्तृत हिन्दी टोका है और देवकुलका स्पष्ट अर्थ “आगमोक्त शिक्षागृह”

लिखा है, उसे न देख आखि घन्दकर ओंधी सधी मार देना बुद्धि-मानी नहीं । यहांपर आपने 'देवकुल' का अर्थ 'शिक्षागृह' न समझ जो 'जिनमन्दिर' किया है यह यहां भारी अनर्थ किया है । इसे सिद्धांतके ज्ञानकी अजानकारी कहना होगा । तथा आपने जो 'शिक्षागृह'का अर्थ 'पाठशाला विद्यालय' समझा है यह भी आपकी गलती है । मिहिरवान ! जिस पाठशाला वा विद्यालयके आप अध्यापक हैं वह पाठशाला विद्यालय वहां शिक्षागृहको अर्थ नहीं । वहांपर "मुनियोंके योग्य शिक्षागृह" ही अर्थ है, क्योंकि वहां देवकुल शब्दका प्रयोग किया गया है जिसका कि खास अर्थ "मुनियोंका शिक्षागृह" ही है । यात यह है कि देवकुल शब्द देखते ही आपने फौरन उसका 'जिनमन्दिर' अर्थ कर दिया है । आपको वहांका प्रकरण और पं० सदासुखदासजीका अर्थ देखनेकी पर्दाह नहीं रही है । परिणतजी ! इस धागाधींगी और लापरवाहीसे मुनियोंका जिन मन्दिरोंमें रहना सिद्ध नहीं हो सकता । कहा तो आप पूज्य पं० दोडरमलजोको मामूली परिणत कहनेकी दम भरें और कहा पं० सदासुखदासजीके हिन्दो अर्थको भी न समझें, यह कितनी लज्जास्पद धात है । पृष्ठ नं० ३८ में आपने—

इत्यस्तेयत्रते पंच भावनाः कंदरादिष्ट
स्वभावशून्येष्वावासो मुक्तामोचितसद्ब्रह्मसु॥४५॥

[अर्थात्— स्वभावसे शून्य पर्वतकी गुफा आदिमें रहना तथा मुक्त और आमोचित मकानोंमें रहना । इत्यादि पांच भावनों अवैय

ब्रतकी है ।] यह इलोक आचारसारका उद्भूत कियो है । इस श्लोक से मुनियोंका जिनमन्दिरोंमें रहना सिद्ध नहीं होता, तो भी न मालूम पर्छितजीने क्या समझ यह श्लोक उद्भूत किया है । क्यों पर्छित जो ! ऐसे बिना प्रकरणके इज्जोक्ताँको उद्भूत कर जो आपने पोथा बढ़ाया है यह ठीक है क्या ? इस उलोकके ऊपर आप लिख रहे हैं—“और भी प्रमाण” परन्तु श्लोकमें वह बातहाँ नहीं है, इस जाल-जाजीकी भी कोई हृद है । इस इलोकमें मुक्त और आमोचित शब्द अंग्रेही हैं उनका अर्थ आप लिखते हैं—“मुक्त मकान वह है जो धनी द्वारा (मुनियोंके लिये) स्वयं छोड़ दिया जाय और आमोचित मकान वह है कि जो इससे (धनीसे मुनियोंके लिये) खाली करा लिया जाय ।” - महाराज । मुक्त आमोचित शब्दोंका यह अर्थ लिख कर तो आपने सिद्धान्त ज्ञानका दिवालाही खोल डाला । मिहिर-बान । सभी बातोंमें आपकी अटकल नहीं चल सकती । जोन शास्त्रके शब्दोंके अर्थ करनेमें जैन शास्त्रोंको देखनेका कष्ट करता होगा । मुक्तका अर्थ इस प्रकार किया गया है कि जिस गांवका नगरके लोग व्यापार आदिकी हीनता वा झोग आदिको मर्यादिता से स्वयं गांव नगरोंको छोड़ दें उस गांव वा नगरके घर “मुक्त” कहे जाते हैं तथा विमाचित वा आमोचित शब्दका अर्थ पर्छ ० आशाधरजीने अनगारअर्थमामृतमें यह कियो है “विमाचित” परचकां दिना द्वासितं पदमावसेत्” अर्थात् दूसरे राजा आदिसे जो गांव उजाड़ दिये जाय, तहस नहस कर दिये जाय उन उजाड़े गये गांवोंके घर आमोचित कहे जाते हैं” यह अर्थ मुक्त आमोचित शब्दोंका शास्त्रोक्त

है। भगवनीआराधना ग्रन्थमें वस्तिकाके ४६ दोष बताये हैं। जो शून्य मकान मुनियोंके निमित्तसे खाली किये हों वा धर्ती द्वारा खाली करा लिये हों, यदि मुनियोंका यह बात मात्रम पड़ जाय तो मुनि उसमें कभी नहीं ठहर सकते। यह एक मामूली व्यक्ति जानता है कि जो कार्य मुनियोंके निमित्त होता है, मुनियोंके काममें वह नहीं आता। किर मोरेना तिद्वांत विद्यालयके अध्यापक पं० मक्खन लालजी यह बात न समझे। यह आश्चर्य है। जो अध्यापक शास्त्रकी इस मोटी बातको भी नहो समझ, वह विद्यार्थियोंका आगमकी बारीक बातें क्षेत्र समझाता होगा। समझमें नहीं आता। ऐसेहो शिथिलाचारा व्यक्ति मुनियोंका शिथिलाचारकी ओर झुकाकर मुनिधमरी पवित्रता नष्ट कर सकते हैं। पृष्ठ नं० ३९ में नामापि यः स्मरति मोक्षपथस्थसाधोः

आशु क्षयं ब्रजति तंदुरितं समस्तं ।
यो भक्तभेषजमठादकृतोपकारः

संसारमुत्तरति सोऽत्र नरोऽत्र चित्रं । १६।

पं० मक्खनलोलजीने यह पद्म० पञ्च० का इज्जोक उद्धृत किया है। इसमें भी जिनमन्दिरोंमें मुनियोंके रहनेका विधान नहीं। इस लिये प्रमाण रूपमें यह इलोक नहीं समझा जा सकता, इसमें यह लिखा है—श्रावकों द्वारा मुनियोंका भोजन दवा मठ वादिसे उपकार किया जाता है। यहाँ पर इतनाहीं लिखता बहुत है कि भोजन दवा मठ (वस्तिका) आदि द्वारा श्रावक मुनियोंकी रक्ष

करते ही हैं। ऊपर हम इस बातको स्पष्ट कर आये हैं कि हीन शक्तिके घारक मुनियोंके लिये बसतिकाकी बहुत आवश्यकता होती है। ये मठ और बसतिका जङ्गलोंमें होती हैं, मुनिगण उसमें ठहरते हैं। परिणितजीने व्यर्थी बातें लिखकर अपने ट्रैक्टके पेज काले किये हैं। विद्वान कहे जानेवाले व्यक्तिका यह कार्य ठीक नहीं। आपको सिद्ध करना है ग्राम नगरके भीतर जिनमन्दिरोंके अन्दर मुनियोंका रहना, सो इस इलोकसे यह बात नहीं सिद्ध होती, इसे आपभी विचार सकते हैं। इस इलोकके माध्यको लेकर आप न मुझपर यह गहरा बार किया है कि—

“कहिये पं० गजाधर लालजी ! शायद आपको जैन शास्त्रों पर तो विश्वास न होगा, पर अपने लिखे (इस इलोकके अनुवाद) पर तो विश्वास होना चाहिये ।” इत्यादि। यहां पर मेरा यह निवेदन है कि महाराज ! मुझे जैन शास्त्रोंपर पूरा विडशास है पर आपके शास्त्र और मत पर जराभी विश्वास नहीं। आप मुझे मिथ्यादृष्टिही समझें। पद्म० पञ्च० के इस श्लोकसे आपका पञ्च पुष्ट होता, उस समय आप मुझ पर रोब जमाते तो शोभा भी देगा, सो तो आपके पञ्चकी पुष्टिकी यहां गन्ध मी नहीं, फिर आप का मेरे लिये यहा कुछमी लिखना निष्फल है। आर क्या लिख रहे हैं, जरा विचारें तो सही। पृष्ठ नं० ४० मे आपने—

पठद्विरनिशं साधुवृद्दैराह मनस्त्विनं
अजल्पन्तिव यो भव्यैव्यंभाव्यत समागतैः ।१८३।

कृतेर्याशुच्छिरिच्छिः प्रविश्य जिनमंदिरं ।
तत्रापश्यत् कृषीन् दीप्ततपस कृतवेदनः ।२७५।

ये दो इलोक आदि पुराणजोके उद्घृत किये हैं। इन श्लोकों में महापूत चैत्यालयमें मुनियोंका ठहरना लिखा है। इसीके आधार से पं० मकरनलालजीने यह लिख भारी है कि आदि पुराणमें मुनियोंका जिनमन्दिरोंमें रहना लिखा है। यह परिणाम जीकी भूल है। आदि पुराणमें जहाँ पर मुनियोंका रहना वा ध्यानका स्थान बनलाया है वहाँ पर गाव नगरके भीतर उनका रहना बड़े जोरसे निषेधा है और जिन मन्दिरोंमें रहनेका वर्द्धा विलक्षुल विधान नहीं किया—शून्य गृह, पवतेके शिखर, गुफा, इमशान आदि स्थानों परही उनका रहना बनाया है यह हम ऊपर बहुत विस्तारसे लिख चुके हैं। प्रमाण रूपमें आदि पुराणके कई इलोक भी लिख आये हैं। मुनिगण आहार विहारके समय वा किसी जंगलके शून्य अदेशमें जिन मन्दिरके रहने पर, उसमें दर्शनार्थी जा सकते हैं स्तुनि-पाठ कर सकते हैं। उहर भी सकते हैं। यही बात इन इलोकोंसे आदि पुराणमें लिखी है। मुनि प्राम नगरके भीतर जिनमन्दिरों में रहते हैं यह बात वहीं नहीं लिखी। महापूत चैत्यालय जगल मथा, वहा मुनिगणका आना जाना होता था। उज्ज जंघ जब मन्दिरमें गये होंगे उस समय मुनि वहाँ थे, इससे जिन मन्दिरोंसे सतत मुनियोंका रहना सिद्ध नहीं हो सकता। एक जगह आदि पुराणमें गाव नगरोंमें मुनियोंके रहनेका निषेध किया जाय और

जहाँ मुनियोंके व्यानके स्थान बतलाये हैं, वहाँ जिन मन्दिरोंके उल्लेख न कर दृसरी जगह जिनमन्दिरोंमें उनका रहना लिखा जाय यह आदिपुराणमें पूर्वाग्रविरोधी बात नहीं हो सकती। पंडितजी महाराज ! अपनी अजानवारीसे आप मगवज्जन-सेनाचार्यको बलंकृत न करें। पृष्ठ न० ४५में—

कल्याणकलिते तोर्थे चैत्यगेहे जिनालये
भूमिगम्भे मठेयामे विवेकिश्रावकाश्रिते २६८
विजंतुकलतागेहे पुलिने चैत्यपादपे
निवासः प्राक्तनैः प्रोक्तः मूनीनां चित्तशांतये २६९

परमार्थोपदेशके इन श्लोकोंमें चैत्यालय और जिनमन्दिरोंमें मुनियोंके रहनेका उल्लेख आया है, इसीलिये प० मवखनलालजीने ये इलोक उद्घृत किये हैं। यहाँ पर इनना ही लिखना काफी है भट्टारक ज्ञानमूर्यण जिन्होंने परमार्थोपदेशको रचना की है, वि क्रपक्षी १६वीं शताब्दीमें हो गये हैं। उस समय भट्टारक मुनियोंको रहना जिनमन्दिरोंमें जोरी था। इसलिये समयकी खुशीसे उन्होंने वैसा ही लिख दिया है। वह बात सिद्धान्त नहीं। दूसरे चित्त शांतये यह पठ उन्होंने दिया है। गाव नगरके भीतर जिनमन्दिरोंमें चित्तकी शांति नहीं हो सकती, जगलोंके चैत्यालय और जिन मन्दिरोंमें ही हो सकती है, यह ऊपर अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया गया है। इसलिये भट्टारक ज्ञानभूपणने यदि चैत्यालय और जिन मन्दिरोंको मुनि-

योंके रहनेका स्थान मी कहा है तो उसका अर्थ “नगरसे बाहिर जंगलोंके या तोर्थ स्थानोंके चौत्यालय जिन मदिरों” का प्रहण है। इससे गाव नगरके भीतर जिनमन्दिरोंमें मुनियोंका रहना सिद्ध नहीं हो सकता ।

पृष्ठ न ४२ और ४३ में --

‘दीर्घ कालाभ्यस्त गुरुकुले’ त्योदि राजवार्तिकको और “सय-मायतनारो भक्तिहेतोः” इत्यादि चारित्रसारकी पंक्तियां उद्भूत को हैं, उनमें लिखा है मुनियोंको नगरमें ५ दिन और गांवमें एक दिन ठहरना चाहिये । इससे पंडितजीने घतलाया है कि जब गाव नगरमें रहनेकी स्पष्ट आशा है तब वे उनके भीतर जिन मदिरोंमें रह सकते हैं इसीलिये राजवार्तिक और चारित्रसारके अनुसार मुनियोंका जिनमन्दिरोंमें रहना वाधिन नहो” इत्यादि । परन्तु यह परिणतजीका मत है जब कि राजवार्तिक और चारित्रसारके कर्ता ओं मुनियोंका गाव नगरके भीतर रहना इष्ट था तब उस धानका खुलासा कर देना था ऐ नहीं किया, इससे जिनमन्दिरोंका रहना कभी सिद्ध नहीं हो सकता । गांव नगरका जो उल्लेख किया है उसका नात्पर्य यह है कि जो मुनिगण गांव नगरके बाहिर उद्यान बाग-बगीचोंमें ठहरते हैं वे ही गांव नगरके ठहरनेवाले कहे जाने हैं । यह बान युक्त और शाल्वीय प्रमाणोंसे ऊपर हम खूब सिद्ध कर आये हैं । आदिपुराणके मनुसार गांव नगरमें ठहरना मुनियोंका हो ही नहीं सकता । शास्त्रोंमें जगह २ इस बातका उल्लेख है । भाई परिणतजी । इतनी भी सिद्धान्तकी बात न समझोगे तो कैसे जैन

सिद्धान्तकी रक्षा कर सकोगे । हठ पकड़ो, पर सिद्धान्तके विपरीत हठ पकड़ना महापाप है । पृष्ठ नं ४४ में—

‘उद्दसग्ग परीसहस्रह’ इस ‘षड्पाहुड़’ की टीकाके “ग्रामनगरा दौवा” ये शब्द उच्छृत किये हैं, पृष्ठ नं ४५ में नगरे पांच रात्रे स्थातव्य ग्रामे विशेषणा न स्थातव्यं षट् पाहुडकी ४२ वीं गाथा टीकाके शब्द उच्छृत किये हैं । पृष्ठ नं० ४६ में ग्रामोल्लानाटवीत्यादि राजवा-र्तिक्के शब्द उच्छृत किये हैं, इनमें गांव नगरमें मुनियोंका ठहरना लिखा है । इसका वही समाधान है कि गांव नगरके भीतर मुनि-योक्ता रहना नहीं हो सकता । गांव नगरके बाग घगीचोंमें रहनेसे गांव नगरका रहना कहा जाता है । पंडितजी इस विषयके उदाहरण तो दे रहे हैं परन्तु पुराणोमें क्या ऐसी एक भी कथा बता सकेंगे कि अमुक मुनि गांव नगरके भीतर ठहरा ? ‘गांव नगरके बाग घगीचोंमें ठहरते हैं’ इस कथनसे तो तमाम पुराण भरे पढ़े हैं । शास्त्रके मर्मपर दूषि न ढाल कर मूठा हठ करना व्यर्थ है । पृष्ठ नं ४७ में—

‘एकान्ते आराम भवनादि प्रदेशे’ यह राजवार्तिक और “एकान्ते भवनारामादि प्रदेशे” यह चारित्रसार हस प्रकार दो ग्रन्थोंके वाधारसे एकान्त स्थानका आपने तात्पर्य समझाया है । यहां एकान्त शब्दसे नगरके बाहिर बाग घगीचोंका ही प्रहण किया है । पकान्त शब्दसे जिनमन्दिरका प्रहण नहीं किया । यदि जिनमन्दिरमें मुनियोंके ध्यानके योग्य पकान्त स्थान होता तो अवश्य उल्लेख रहता । शहाराज पंडितजी ! अब आप ही सोच लीजिये, जब राज-

चार्तिक आदि मान्य प्रन्थोंमें किसी रूपसे मुनियोंका गाव नगरके भीतर जिनमन्दिरोंमें रहना नहीं बनता, तथ आपका जो लिखना है वह सबैथा निरर्थक है । पृष्ठ नं० ४७ में—

सुकुमाल चरित्रके आधारसे सुकुमालकी कथा उद्भूत की है । मनिराज यशोभद्र उनके उसीभवके मामा थे । कुमार सुकुमालकी आयु थोड़ी जान और उन्हें निकट भव्यमान धार्मिक मोहके कारण वे उनके महलके बागीचेमें उनको संबोधनेके लिये आ विराजे थे ; सुकुमालकी मांका पुत्रपर विशेष मोह था । माताको मनिराजके मुख्यसं यह समाचार मिल चुका था कि मूनि दर्शनसे ही सुकुमाल मुनि दीक्षा धारण कर लेंगे और जरासे कारणसे उन्हें वैराग्य हो जायगा, इसलिये उसने ऐसी जगह सुकुमालके लिये भवन बनवाया था जहाँ नगरकी कोई वात न पहुंच सकती थी, मरना जीना रोना आदिको होल भी सुकुमाल नहीं जान सकते थे । पाठक विचार सकते हैं जिस जगह नगरकी वात न सुन पड़े, वह जगह कैसे शांत एकान्त स्थानमें थी । और वहाँ पर मुनियोंके ठहरनेमें क्या ओपत्ति हो सकती थी । एक तो ऐसा नियोग ही था, इसलिये यशोभद्र मुनिके बैसे परिणाम हुए, दूसरे वह स्थान भी शांत-और एकोनका था इसलिये इस खससियत पर लक्ष्य न रखकर प० मध्यनलाल-जीने जो इस व थाके आधारसे मुनियोंका गाव नगरके भीतर जिन मन्दिरोंमें रहना सिद्ध किया है, वह व्यर्थ है । किसी कारणसे कोई खास वात हो जाय तो वह सिद्धांत नहीं ही सकता । पृष्ठ नम्बर ५० में पण्डितजीने--

अत्रेदानी लिष्टेधंति शुक्लध्यानं जिनोत्तमाः
धर्मध्यानं पुनः प्राहुः श्रेणिभ्यां प्राग्वर्तिनां दृ

अर्थात् “इस कालमें मुनियोंके शुक्लध्याननहीं होता । श्रेणिसे पहिले धर्मध्यान होना है ।” यह इज्ञोक उद्देश्य किया है । परिणितज्ञ सहाराज । आप पहिले ही धर्मध्यानकी प्राप्ति आजकलके मुनियोंमें बना आये हैं फिर त मालूप यह श्लोक वृथा उच्छ्रृत कर क्यों आपने कलमको कष्ट दिया है । यह इज्ञोक मुनि, जिनमन्दिरोंमें रहते हैं इस बातकी पुष्टिमें प्रमाण रूप तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें वह बात नहीं । हम नहीं समझने वे प्रकरण बात लिखनेमें क्या महत्त्व आपने समझ रखा है ! मर्जी आपकी । पृष्ठ
नं० ५१ में—

काले कलौ चले चित्ते देहे चान्नादिकीटके
एतच्चित्रं यद्यापि जिनलिंगधरा नराः । ४०३॥
यथा पूज्यं जिनेंद्राणां रूपं लेपादिनिर्मितं
तथा पूर्वमुनिच्छायाः पूज्याः संप्रति संयताः ४०४॥

ये दो इलोक यशस्विन्लक्ष्म्यूके उद्देश्य किये हैं । सोमदेव सूर्यने दिग्घ्यर दीक्षाकी कठिनताको अनुभव कर कलिकालमें जिन लिङ्गधारी मुनियोंकी आश्चर्यके साथ प्रशंसा की है । इन इलोकोंसे भी मुनियोंका जिनमन्दिरोंमें रहना सिद्ध नहीं होता । हन इलोकोंसे कलिकालमें मुनियोंकी सत्ता बतलाई है, सो मुनियोंकी सत्ता पंचम

कालके अन्त तक रहेगो, स्वाध्याय प्रेमी प्रायः जानते हैं। इसलिये इन श्लोकोंका उद्भूत करना भी पण्डितजीका निरर्थक है। पृष्ठ नं० ५२ में —

'येऽत्राहुर्नहि कालोऽयं' इत्यादि श्लोक लिखकर पण्डितजीने पचमकालमें ध्यानकी सिद्धि की है। यह भी पण्डितजीको प्रयास व्यर्थी है क्योंकि जब इस कालके अन्ततः मुनि रहे तब ध्यान तो होना सिद्ध है हा, क्योंकि मुनियोंके लिये ध्यान ही सब कुछ चीज है। इस दलाकके बाद पण्डितजीने प्रकृत विषयके उपसंहारमें एक छोटा सा लेख लिखा है, उसमें माई रतनलालजो झाझरो और उनके मित्रांको कोसा है। यह भी लिखा है कि इन लोगोंने चच सागरका आमान्य ठहराकर भगवान् पाप किया है, इसलिये उन्हें प्रायशिचत्तके साथ अपने शब्द वापिस लेने चाहिये इत्यादि। यहाँ पर मेरा निवेदन यह है कि झाझरोंजो और उनके साथियोंने धर्म बुद्धिसे धर्मकी निर्गताकी रक्षा की है। उन्होंने कई पाप नहीं किया। पाप तो महाराज। आपने किया है क्योंकि अपने निंदित पक्षकी पुष्टिके लिये आपने शास्त्राङ्गोंको लोपा है, अर्थका अनथ किया है, लोगोंको धर्मसे चलायमान करनेकी चेष्टा की है, मुनियों की पवित्रताका लोप कर उन्हें शिविलाचारी बतानेका साहस किया है। यह बहुत बड़ा पाप है। इसका कितना बड़ा प्रायशिचत्त होना चाहिये यह मगधान केवली ही जान सकते हैं।

आपने लिखा है “चर्चासागरमें पश्चनन्दी और शिवकोटि आचार्योंके बचनानुसार मुनियोंको जिनमन्दिरोंमें रहना सिद्ध-

किया है कोई मनसे नहीं लिखा है” इत्यादि, यहाँपर मुझे यह रखना है कि पदुमनन्दी आचार्यके इलोकको अशुद्ध गढ़कर उनका वचन तो लिखा है, शिवकोटिका कौनसा प्रमाण दिया है सो नहीं दीख पड़ा ; इंद्रजंदी मट्टारकका एक प्रमाण जरूर है। शायद यह गलना होगी । अत्यु

खास शब्द—गाव नगरके भीतर जिनमन्दिरोंमें मुनियोंका रहना सिद्ध करनेके लिये आपने ५२ पेज रग डाले हैं। आपने जितने प्रमाण दिये हैं उनमें मट्टारक शिवकोटिके रत्नमाला ग्रन्थ और मट्टारक ज्ञानभूषणके परमार्थोपदेश ग्रन्थ इन दो ग्रन्थोंके ग्रामाणोंके सिवाय किसी भी प्रमाणसे मुनियोंका जिनमन्दिरोंमें रहना सिद्ध नहीं होता । मट्टारक ज्ञान भूषणने जो चौत्यालय और जिनमन्दिरोंमें मुनियोंका रहना बतलाया है वहां पर भी नगरके बाहर बनोंके चौत्यालय और जिनमन्दिरोंका ग्रहण है क्योंकि वहां पर जिन स्थानोंका वर्णन किया है वे बनोंके एकान्त स्थानही ग्रहण कियो हैं । वहां पर गांव नगरके भीतर जिन मन्दिरों का ग्रहण नहीं हो सकता । दूसरे चित्तशांतये यह पद देकर तो गाव नगरके भीतर जिनमन्दिरोंमें रहना मुनियोंका लियाही नहीं जा सकता । जब आपको जिनमन्दिरोंमें मुनियोंका रहना सिद्ध करनेवाला काँइ और प्रमाण न मिला, तब आपने राजवार्तिक चारित्र सार आदि ग्रन्थोंमें गाव नगरका उल्लेख देख उनसे गांव नगरके भीतर जिन मन्दिरोंमें मुनियों का रहना सिद्ध करना चाहा । १. ५ उससे आपने अपने सिद्धान्त ज्ञानके कारापनकी जांच करा

दी, क्योंकि वहां गांव नगरको अर्थ गांव नगरके बाहिर बागर वगाचे आदि हैं, वहाँ मुनिगण ठहरते हैं। पुराणोंमें सब जगह यही लिखा है। इस लिये अपने मतकी पुष्टिके लिये आपका एक ही प्रमाण रत्नमालाका कहा जा सकता है; परन्तु वह मोठीक नहीं; क्योंकि रत्नमालाके कर्ता मट्टारक शिवकोटि विं सं० १५०० में हुए हैं। उस समय शिथिलाचारका जमाना था। मन्दिरोंमें रहनेका शिथिलाचार जारी था; जमानेकी सूचीसे वैसा लिख देनेसे वह सिद्धधान्त बचन नहीं हा सकता। इस प्रकार गांव नगरके भीतर जिनमन्दिरोंमें मुनियोंका रहना सिद्ध करने वाला एकमो पुष्ट प्रमाण न रहते जो आपने शांत जैन समाजका क्षुब्ध कर दिया है, यह आपको बड़ी भारी भूल है। आपने बहुत बड़ा अनर्थ कर डाला है। अमरी हमारी यह प्रार्थना है कि एक बार फिर आप इस विषय पर विचार करें।



गोदावरि पर विचार

भगवान् जिने द्रुक्षी जो पूजा वा आरती की जाती है उन दोनों सा उहेश्य आठों कामोंके नाश करनेकी अभिलाषा है। पूजा और आरतीके समय पवित्र और सुगन्धित द्रव्य ही काममें आती हैं। लोग उस द्रव्यको मले हो ग्राह्य वा पवित्र समझें यदि वह हिंसाकी कारण है और जिसकी उत्पत्ति विष्टा मार्गसे हुई है, वह तीन लोक के नाथकी पूजा आरती सरीखे पवित्र कामोंमें नहीं आ सकती। लोकमें गायको देवता माना जाता है, इसी लिये उसके गोवर गोमू-
त्रको भी पवित्रताकी दृष्टिसे देखा जाता है, परन्तु विचार करनेपर कभी पवित्र नहीं हो सकता। चर्चा सामरमें भगवान् जिनेन्द्रकी शारतोकु स्वरूप बतलाया है; वहाँ पर गोवरसे भी आशती करना लिखा है; वह श्लोक इस प्रकार है —

दुर्भास्वस्तिकद्भेष्टकनदीमृद्रोचनागोमयः
श्रीखंडोत्तमहेमरौप्यकुसुमश्रीदोपभृंगारकान्
सिद्धार्थं तिलशालिकुंकुमयवप्रत्ययधूपादिकान्
सर्वान् मंगलसंचकान्क्रमयुगस्योत्तारयाम्यहेतः

अर्थात् दूष, स्वस्तिक, दाभ, कमलगटा, नदीकी मट्टी, गोवर आदि शब्दोंसे मैं आरती करता हूँ । यहाँपर गोवरसे आरतीका विधान किया है । भाई रतनलालजी भास्तुरोकी ओरसे यहाँ पर यह कहा गया है कि गोवरसे आरती करना धर्म विरुद्ध है । मान्य शास्त्रोंमें कहीं भी यह विधान नहीं आया, चर्चा सागरके कृताने इस भ्रष्ट मार्गको खोपा है । इस पर ८० मक्खनलालजोने गोवरके शुद्ध बनानेमें आकाश पांतल एक कर दिया है । नेमिचन्द्र प्रतिष्ठापाठ आदि अप्रमाणित ग्रन्थोंके प्रमाण देकर उसे शुद्ध बता नेकी वृथा चेष्टा की । भीत आगनके लिपनेमें गोवरका लोकमें अधिक प्रचार देख राजवार्तिक चरित्रसार आदि ग्रन्थोंमें उसे लोकिक शुद्धियोंमें ले लिया है । जो पदार्थ हो तो वस्तुनः अशुद्ध परन्तु लोग उसे किसी कारणसे व्यवहारमें लाते हो इसलिये उसे लाचारीसे शुद्ध मान लेना यह लौकिक शुद्धिका अर्थ है । जहाँ पर गोवरको लौकिक शुद्धियोंमें माना है वहाँ पर उसका यही माव है कि गोवर है तो अशुद्ध परन्तु अधिकांश लोग उसे लीपने आदिके व्यवहारमें लाते हैं इसलिये वह शुद्ध है । परन्तु ऐसा लौकिक शुद्ध पदार्थ लोक व्यवहारमें भले ही काममें आये । पूजा आरती आदि पवित्र कामोंमें यह काम नहीं आ सकता । यदि पूजा आदि पवित्र कामोंमें भी वह शुद्ध माना जाता ता उसे जहाँ लौकिक शुद्धियोंमें घताया है वहाँ पर यह भी कह देना था कि इससे पूजा आरती भी हो सकती है । ऐसा लिखनेमें भगवान अकलक देव सरोखे आचार्योंको कोई भय भी न था परन्तु यह घात उन्होंने नहीं लिखो इस लिये पूजा

आरतीके समय गोबर सरोखी निकृष्टे चीजका उपयोग करना। जैन धर्मकी पवित्रता नष्ट करना है। और जैन धर्म पर हिन्दू धर्मकी छाप लगाना है।

लोकमें मृगछाला (मृगधर्म) हाथी दांत, ऊन, शंख आदि बहुत सी अपवित्र चीजें भी शुद्ध मानी जाती हैं परन्तु जैनियोंके धार्मिक कार्योंमें उनका उपयोग नहीं होता। क्या कहो भी जिन मन्दिरोंमें मृगछाला वा शेरकी खाल कहीं बिछो दीख पड़ती है ! क्या ऊंती वस्त्रोंसे कहीं भगवान् जिनेन्द्रकी पूजाका विधान है । हाथी दांत बहुत पवित्र माना जाता है। जिस तरह हाथी दांतकी गणश जी, ब्रह्मा जी, श्रोकृष्ण आदिकी मूर्तियाँ दीख पड़ती है क्या कोई हाथी दांतकी भगवान् जिनेन्द्रको प्रतिमाभी दीख पड़ती है । यदि कहीं मिल भी जाय तो क्या वह वेदोंमें विराजमान कर पूजी जा सकती है ? कभी नहीं । इस लिये जिस प्रकार मृगछाला हाथी दांत आदि चीजें लोकमें शुद्ध मानी जाने पर भी उनका धार्मिक कार्योंमें उपयोग नहीं होता उसी प्रकार गोबर भी मले हो लोकमें शुद्ध माना जाय, पूजा आरती आदि धार्मिक कार्योंमें उसका कभी उपयोग नहीं हो सकता । जमोन वगैरह जो गोबर से लीपी जाती है उसका एक मात्र कारण अद्वृद्ध दूर करना है । तथा मिठाको उत्तमेषे कुछ रोकना और जमाना है इस लिये लीपने आदिमें उसका उपयोग हो सकता है । वह पवित्र नहीं माना जा सकता ।

शास्त्रोंमें यह बात लिखी है कि गोबरमें बहुत जल्दी जीव

पड़ते हैं। यदि आरती आदिके कार्यमें गोबर लिया जायगा तो यह निश्चय है कि उससे अनेक जीवोंकी हिंसा होगी। जहां पर हिंसा है वहां पर धर्म नहीं हो सकता। यह जैन धर्मका खास सिद्धान्त है। इस रूपसे गोबर कभी भगवान् जिनेन्द्रकी आरती के समय ग्रहण नहीं किया जा सकता।

दशवें शताब्दीके पहिलेके किसी भी ग्रन्थमें आरतीके लिये गोबरका विधान नहीं पाया जाता। आदि पुराणमें भगवज्ञन सेनाचार्यने नीराजना (आरती) का उल्लेख किया है परन्तु वहा पर नीराजना द्रव्योंमें गोबरका उल्लेख नहीं किया। लघु अभिषेक पाठमें नीराजना द्रव्य लिखी है परन्तु वहां भी गोबरका उल्लेख नहीं है। जबसे जैन धर्ममें शिथिलाचार जारी हुआ है तबसे और भ्रष्ट वातोंकी तरह भगवान् जिनेन्द्रकी आरतीमें गोबर ग्रहण करनेमें भी पाप नहीं समझा गया है। प्रविष्टपाठोंमें तो गोबर गोमूत्रको सर्वोत्कृष्ट द्रव्य मान जिया है। यह शिथिलाचार बर-बर १६ वीं शताब्दी तक कायम रहा। फिर आगे ऐसे प्रमाणी जैनाचार्य भी नहीं हुए जो संस्कृत प्राकृतमें ग्रन्थोंका निर्माण कर इन शिथिलाचारी प्रथाओंका मूलोच्छेद करते, भाषाके अनेक जैन धर्मके मर्माङ्क विद्वान् हो गये हैं उन्होंने इसका पूरा निषेध किया है।

उन्होंने गोबरको जीवोंका पिण्ड बतलाया है। मल कहकर उसे पुकारा है। महा वपवित्र माना है। अब हम अपनी ओर से विशेष न लिखकर शास्त्रोंमें गोबरके विषयमें क्या

लिखा है यह बात पाठकोंके सामने रखते हैं। पाठक गोवरं शुद्ध है वा अशुद्ध है ? तीन लोकके नाथ भगवान् जिनेन्द्रकी आरतीमें उसका ग्रहण करना ठीक है या नहीं । इस बात पर स्वयं विचार कर सकेंगे ।

भाषाके विद्वानोंने डैन धर्मकी आचार विचार सम्बन्धी गृह वातोंको भाषामें ढोलकर जैन धर्मकी बहुत बड़ी रक्षा की है । जो कुछ भी आचार विचार आज लोगोंमें दीख पड़ता है वह क्रिया कोषोंकी कृपासे ही दीख पड़ता है । पं० दोलतरामजी कृत क्रिया क्रोधका जैन समाजमें बहुत बड़ा आदर है । गोवरको महा अपवित्र पदार्थ बतलाते हुए वे लिखते हैं—

नहि छीटै गोवर गोमृत मल मूत्रादिक महा अपूत
छाणा ईधन काज अजोगि लकड़ी हूँ वींधी नहिजोगि

पृ० १४ छपा

यहाँ पं० दोलतरामजीने स्पष्ट ही कर दिया है कि गोवर और गो मृत्र ये मल और मूत्र हैं महा अपवित्र है, इनका स्पर्श भी नहीं करना चाहिये तथा जो लोग गोवरके छाँड़े (कन्डे) काममें लाते हैं यह भी महा अपवित्र है । छाँड़ोंसे कभी रसोई बंगेरह न करनी चाहिये । भाई रत्नलालजी भाँकरीजीने गोवरको विष्टा कह दिया था । उस पर पं० मक्खनलालजीने मनमाना उन्हें कोस डाला है । भाई रत्नलालजीका गोवरको विष्टा बतलाना मनगढ़न्त न था, शास्त्रके आधारसे था; क्योंकि क्रियाक्रोप शास्त्रमें गोवरको

मल (विष्टा) कहा गया है। देखना हैं प० दोलतरामजीके लिये भा० मक्खनलालजीका कोसना किस रूपसे होता है। तथा आगे जोकर प० मक्खनलालजीने दाल घाटी आदिका गोवरक कंडों पर होनेसे गोवरको पवित्र बतलाया है, परन्तु पंडितजीका वैसा ही लिखना शास्त्र विरुद्ध है क्योंकि क्रियाकोषमें प० दोलतरामजीने छाड़ोंपर दालघाटी करना अनुचित बतलाया है। आज भी जिन लोगोंके खाने पीनेका आचार विचार है, वे लोग गोवरके छाणोंकी रसोई नहीं जीमते। उसका चौकामें आना पाप समझते हैं। आचार विचार शून्य बहुतसे भी व्यक्ति यदि गोवरके छाणोंकी रसोई खाते हैं तो वे धर्म विरुद्ध ही कार्य करते हैं। उनका वैसा करनेसे धर्म हाइसे गोवर पवित्र नहीं हो सकता। जब क्रियाकोषमें गोवरको महा अपवित्र माना है उसके सूखे कण्ठों पर रसोई करना भी मना किया है तब तीन लोकके नाथ भगवान जिनेन्द्रकी आरती गोवरसे बतलाना, कभी ठोक नहीं हो सकता पीछेके ग्रन्थोंमें जो गोवरसे आरतीका गोमूत्रसे भगवान जिनेन्द्रके अभिषेकका विधान मिलता है वह बनावटी है। हिन्दू धर्मकी घात जबरन जैनग्रन्थोंमें घुसेही गयी हैं।

और भी प्रमाण

प० किसनलालजो कृत क्रियाकोषमें भी गोवरको महा अपवित्र माना है। जल्दी जीव पड़नेसे उसे घोर हिंसाका कारण माना है। जहाँ शुद्ध घृतकी विधि बतलाई है वहाँ पर पशुओंको स प्रकार रखना चाहिये तथा गोवरका क्या होना चाहिये।

इस विषयमें इस प्रकार लिखा है—

गोवर तिनको है नित सोइ,

अपने गेह न थापै कोइ ।

औरन को मायो नहि देइ,

त्रस सिताव जामै उपजेइ । ४३।

बाल् रेत नाखि जा माँहि,

करडो करि सो देइ सुखाइ ।

चरिवे को रामे न खिडाइ,

जल पीना निवार नहिं जाई

पष्ठ ४३ लिखा ।

अर्थात् पशुओंका जो गोवर हो उसे छाणोंके लिये अपने'घर न राखे । यदि गोवर कोई मांगे तो उसे भी न दे क्योंकि बहुत ही लल्दी उसमें ब्रह्म (जीव) पड़ते हैं इसलिए गोवर हो उसी समय उसमें बाल् रेत आदि खारी चीजें मिलाकर सुखाने डाल दे । किया कोपके कर्तनि यहाँ पर यह स्पष्ट कर दिया है कि गोवरमें बहुत जलदी जीव पड़ते हैं, इसलिये किसी भी काममें उसका लेना अनेक जीवोंकी हिंसा कर महान् पाप वध करना है । तथा उसकी सुखानीकी जो विधि बतलाई है उससे यह स्पष्ट बर दिया है कि सुखा गोवर रसोई आदिके काममें नहीं लिया जा सकता । अब कहिये पं० मक्खनलालजी । गोघर कडों पर दालचाटी चूरमाका

करना क्या आप शास्त्रकी आज्ञाके अनुकूल मानेंगे ? आचार विचार वाला मनुष्य कभी गोवरके छाड़ोंकी रसोई नहीं खा सकता । जो ऐसा करते हैं लोककी देखा देखी करते हैं, उन्हें शास्त्रकी आज्ञाका पना नहीं ।

कियाकोषमें यहाँ तक लिखा है कि दूध निकालते समय गायको स्नान कराया जाता है । यदि उस समय गाय गोवर या पेशब कर दे तो फौरन दूध दुहना बन्द कर देना चाहिये । और उसे फिरसे स्नान कराकर दूध निकालना चाहिये । यहाँ पर यह बात विचारनेकी है कि जब गोवर और गोमूत्रको पवित्र मान लिया गया है और उससे भगवान् जिनेंद्रकी आरनी और अस्मिषेक तकका विधान है तब गोवरको इतना अपवित्र क्यों माना गया कि उसके होते ही फिर गायको स्नान कराना चाहिये । असल बात यह है कि लोक लाजसे गोवरको ग्रहण करने योग माना भी हो तो भी हैं तो वह गायका विष्टा ही । धर्म दृष्टिसे वह कभी पवित्र नहीं हो सकता ।

और भी प्रमाण

जिस त्रिवर्णाचारका धर्मरसिक नाम दिया हैं और जिसके लोकोंको बड़े गौवरके साथ चर्चासागरमें प्रमाण रूपसे उद्धृत किया है देखिये उस त्रिवर्णाचारमें भी गोवरके विषयमें क्या लिखा है—

त्रिग्मूत्रोच्छृष्टपात्रं च पृथचर्मास्थिरकं

गोमयं पंकदुर्गधस्तमोरोगांगप्रीडितः १५०

अस्तमार्जितमुच्छूलिष्टृताह्निधूससंवृत्तं

मलिनं वस्त्रपात्रादियुक्ता स्त्रीः पूर्णगर्भिणी

सूतकीयहसंधिस्थो म्लेच्छशब्दोऽतिनिष्ठुरः

तिष्ठन्ति यत्र शालायां भुक्तिस्तत्र निषिध्यते १५२

अथ जहाँग विष्टा मूत्र पड़ा हो, जूठे वर्तन रखे हों, पीव चमड़ा हड्डी और छूट पड़ा हो, गोवर पड़ा हो, कोचड़ हो, दुर्गन्ध आती हो, अन्धकार हो, रोगसे पीड़ित मनुष्य हो, जो जगह स्ताङ् पॉछ कर साक न की गई हो, धूल पड़ी हो, प्राणियोंके अवयव पड़े हों, धूर्धासे आच्छादित हो, मैले वर्तन कपड़े पढ़े हों, पूर्ण गर्भवती लीं बैठी हो, प्रसूनियूह की दीवालसे सटा हो, म्लेच्छोंके शब्दोंसे भयंकर हों, वहाँ बैठकर भोजन न करना चाहिये । १५०—१५२

विचारनेकी बात है कि एक जगह तो गोवरको इतना पवित्र मान लिया कि उससे यग्वान जिन्द्रकी आरती भी को जा सकती है और दूसरी जगह वही गोवर इतना अपवित्र मान लिया कि उसे पीव चमड़ा हड्डोंकी गणनामें गिन लिया । एक ही चीजके बारेमें परस्पर विरुद्ध ये दो विधान कैसे हुए । समझमें नहीं आता । जो महानुभाव त्रिवर्णाचार और प्रतिष्ठापाठोंके लेखानुसार गोवरको शुद्ध मानते हैं उन्हे इस पूर्वापर विरोधी लेखपर खयाल करनी आहिं । बनावटी बातके धर्णान करनेमें कितनी भी चतुरता रक्ख जाय कहीं न कहीं पोल रह ही जानी है । यदि गोवरको वस्तुतः

पवित्र माना जाता तो दशमी शनाच्छीके पहिलेके प्रत्योंमें अवश्य उस धातका उल्लेख रहता परन्तु कहीं देखनेमें नहीं आता । इस लिये मानना होगा कि धर्मद्वेषियोंने जैनधर्ममें इन भ्रष्ट बातोंका प्रचार कर उसे मजिन घनानका साहस किया है । ऐसे भ्रष्ट बचन कमा केवला मगवानके नहीं हो सकते ।

और भी प्रमाण

भोपाके विद्वानोंमें प० सदासुखदासजीका आसन यहुत हो ऊँचा है । यद्यपि लौकिक शुद्धिमें उन्हाँने गोवर घनलाया है परन्तु उसे महाहिंसाका कारण कहा है । वे लिखत हैं—

“गौके वाधनेमें तथो जाक मल (गावर) में मूत्र (गोमूत्र में असख्यात जात्र उपजे हैं ।” इत्यादि । विचारनेकी बात हे जिस गोवरको प० सदासुखदासजी मल (विष्टा) यतला रहे हैं, उससे कैसे मगवान जिनेद्रकी आरता हो सकता है ? प० सदासुखदासजीके मतानुसार यदि गोवर मल है तो कहना होगा मगवानकी आरती मलसे भी हो सकती है । यदि सदासुखदासजी त्रैवरको पवित्र मानते तो उसे कभी भक्ष नहीं कह सकते थे । उन्होंने जो गोवरको लोक लाजसे शुद्ध माना उसका यही मतलब है कि वह है तो महा अपवित्र मल ही, परन्तु लोक उसे अज्ञानतासे वैसा नहीं समझते । खद है विद्वान कहे जानेवाले परिष्ठतजन भी शास्त्रोंके शब्दोंको समझनेकी चेष्टा नहीं करते, फूटी हठसे जैनधर्मकी पवित्रता नष्ट करना आहते हैं ।

कुछ पश्चपाना परिष्ठतोंका कहना है कि जिस प्रकार प्रतिष्ठा

पाठ आदिमे गोवरका विधान मिलता है, उसो प्रकार संस्कृत और प्राकृतके ग्रंथोंमें उसका निषेध क्यों नहीं मिलता। इसका उत्तर यह है कि पदार्थके स्वरूप पर विचार करना चाहिये। गोवरको स्वरूप जब अशुद्ध है, उत्पत्ति भी उसको अशुद्ध मार्गसे है, तब वह शुद्ध किसी हालतमें नहीं हो सकता। दूसरे दशवर्षी शताब्दीके पहिलेके किसी ग्रंथमें गोवरका विधान नहीं, जबसे जैनधर्ममें शिथिलाचार चला है, आचार्योंके नामसे हिन्दू व्राह्मणों, द्वारा प्रतिष्ठा पाठ आदिका निर्माण हुआ है, उनमें गोवरका विधान मिलता है। १५-वीं १६-वीं शताब्दीके बाद आचार्य हुए नहीं, माधाके विद्रोह हुए हैं, उन्होंने अनेक ग्रंथोंका निर्माण किया है। उनके बचनोंका आदर भी आचार्य चचनोंका सा ही माना जाना है। माधा ग्रंथोंमें जहाँ भी प्रकरण आया है गोवरको अनेक जावोंका पिंड और मल (विष्टा) बतलाया है, इसलिये किसी भी हालतमें गोवर शुद्ध नहीं माना जा सकता, जैनधर्मके सब्जे उपासक अचार विचारक पालन करनेवाले महानुभाव उसका सर्व करना भी पाप समझते हैं, फिर भगवान् जिनेंद्रकी आरतीमें तो उसका उपयोग हो ही नहीं सकता। जो लोग गोवरसे भगवान् जिनेंद्रकी आरतीके पक्षपाता हैं वे हठबादी हैं। जो हो अनेक प्रमाणोंके आधारसे यह अच्छी तरह सिद्ध कर दिया कि गोवर महा अपनिन्न पदार्थ है, शास्त्रोंमें उसे मल (विष्टा) कहा है। अब पं० मक्खनलालजीने उसे शुद्ध बतानेमें जो प्रमाण दिये हैं उनपर हम विचार करते हैं—

पृष्ठ नं० ५३ ५४ में पं० मक्खनलालजीने भाई रत्नलालजी

के वे शब्द उद्धुन मिये हैं जो उन्होंने तीन लोगों के नाथ भगवान जिनेंद्रकी आरतीमें गोवर वधान देखकर दुःखित हृदयसे निकाले हैं। पंडितजीने उन शब्दोंके आधारसे यह लिख मारा है कि “भास्मरी जीने पूज्य आचार्योंको गाली दी है। जैनधर्मका घोर अपमान किया है” इत्यादि। परन्तु पण्डितजीने भास्मरीजीके भावोंकी ओर ध्यान नहीं दिया। जिन लोगोंने गोवर सरोखो भ्रष्ट चीजोंसे भगवान जिनेंद्रकी आरतीको विधान कर, जो जैनधर्मकी पवित्रता पर पानी फेरा है, उससे सच्चे जैनधर्मोंको दुख हुए विना नहीं रह सकता। भास्मरीजीको असभ्य, नीन (नीच) बढे घरकी हथा खिलाये जानेके योग्य आदि तक लिखा गया है। यह अनुचित ही है, भास्मरीजीने न तो आचार्योंको ही गाली दी है, न पांडे चम्पालालजीका बुरे बचन सुनाये हैं। वहाँ तो जिन्होंने गोवर और गोमूत्रको पवित्र मान जैनधर्म पर हिन्दूधर्मकी छोप लगाकर उसके सच्चे स्वरूपको नष्ट करनेकी विष्टा की है उनके लिये वे दुखमरे बचन हैं। पण्डितजीने यह भी लिखा है कि भास्मरीजी सच्चत पढ़े नहीं, शास्त्रोंका मर्म समझते नहीं, फिर उन्होंने गोवरको किस प्रकार विष्टा लिख डाला है, जान नहीं पड़ता। भास्मरीजी बीस पंथ तेरह पथमें फूट डालना चाहते हैं इत्यादि।” इसका उत्तर यह है कि प्रश्नोत्तर श्रावकाचारके कर्त्तने उसे विष्टाकी विष्टा बताया है, प० दौलतरामजो प० किसनलालजीने भी उसे महानिध और विष्टा कहा है। प० सदासुखदासजोने भी उसे मल (विष्टा) कहा है, फिर रत्नलालजीका कहना शास्त्रोंकी आज्ञानुसार है।

उन्हें वृथा गाली सुनाकर अपनी पंडिताईका रोआब जमाना व्यर्थ है। दोन यह है आप नाम सुनकर ही अपनी राय दे देते हैं। भाव की ओर व्यान नहीं देते, इसीलिये आपका विचार महत्व नहीं रखता।

पुष्ट नं० ५७-६० तक पंडितजीने गोवरको शुद्ध करनेके लिये आठ कल्प उठाये हैं सबोंका अर्थ यही है कि गोवरसे लीपा जाता है और गोवरके छाणोंपर दालबाटो पकाकर खाई जाती है। इसका उत्तर यह है कि गोवरको लोक लाजसे शुद्ध मान लिया है उससे लागोंके देखादेखी मकानोंका लीपना आदि प्रचलित है। परन्तु उससे वह भगवान जिनेंद्रकी आरतीके काममें आवे यह कभी नहीं हो सकता। क्योंकि जा महानुभाव सच्चे जैनो है, जैन धर्मके अहिंसा स्वरूपको समझते हैं, वे गोवरका स्पर्श तक नहीं कर सकते और जब वे गोवरके छाणोंको चौका तकसे ले जाना स्वपवित्र मानते हैं तथ उनपर की हुई दालबाटो तो वे खा ही नहीं सकते। इस लिपसे जैनधर्मके सच्चे जानकार जब गोवरका छूना पाप समझते हैं, तब पं० मकखनलालजीका यह कहना कि दि० जैनियोंमें गोवर पवित्र और मांगालिक द्रव्य माना जाना है तथा वे इसके छाणोंपर की हुई दालबाटो खाते हैं, यह बहुत बड़ा धोखा देना है। नामधारी जैनी विना समझे लागोंकी देखा देखी गोवर अपना निकले तो वह उनको अजानकारी है। अपनाने मात्रसे काङ् पदार्थ शास्त्रोंकी दृष्टिमें शुद्ध नहीं हो सकता। जैनियोंमें और भी बहुत सो बातें “व्यानतासे प्रचलित हैं, तो क्या वे भी

(१३९)

धर्म दूषितसे ठीक मानी जा सकती है ? आपने लिखा है मनुष्यकी विष्टा पर पैर पड़ जानेसे स्नान करना पड़ता है । गोवर पर पैर पड़ जानेसे नहीं , इसलिये गोवरको विष्टा कहना भूल है इत्यादि । इसका उत्तर यह है कि गोवरको मनुष्यकी विष्टा नहीं कहा गया, गायकी विष्टा कहा गया है और वह गायकी विष्टा ही है । गायकी विष्टा छोड़कर उसे कोई मक्खन मिश्रा नहीं बता सकता । आपने लिखा है—“होमादि कुण्डोके गोवरसे लीपा जाना है” सो इसका समाधोन यह है कि यह लेख उन्हीं ग्रथोमें पाया जाता हैं जिनकी कि जैनधर्ममें प्रामाणिकता नहीं । मान्य आचार्योंके किसी ग्रथमें वह विधान नहीं । आपने जो लिखा है भाभरीजीने गोवरको विष्टाके बराबर बताया है सो ठीक नहीं, खल रस भागके परिणामन एवं घस्तुस्वरूपमें भेद होनेसे विष्टा और गोवर मन्न २ पदार्थ हैं” इत्यादि । इसका उत्तर यह है कि ग्रत्येक मनुष्यके खल रस भाग जुदे २ हैं, परन्तु मनुष्योंको विष्टाके विषयमें यह नहीं कहा जोता कि अमुककी विष्टा विशेष अपवित्र है और अमुककी विष्टा विशेष अपवित्र नहीं । इस रूपसे खल रस भागका हेतु पोच है और उससे गोवरकी पवित्रता सिद्ध नहीं हो सकती । इसलिये लोकरीतिके धाधारसे जो पंडितजी गोवरको पवित्र सिद्ध करना चाहते हैं, वह सिद्ध नहीं हो सकता । पृष्ठ न० ६० में

**मृत्स्नयेष्टकथा वापि भस्मना गोमयेन च
शौचं तावत्प्रकुर्वीत यावन्निमलता भवेत् । ११**

अर्थात्—मिट्ठी ईंटका चूरा राख और गोबरके द्वारा वहाँ तक शुद्धि करनी चाहिये, जहाँ तक कि निर्मलता आजाय। यह यशस्तिलक चम्पूका इलोक उद्धत कर गोबरकी पवित्रता सिद्ध को गई है। परन्तु इस रूपसे गोबर इतना पवित्र नहीं माना जा सकता कि वह भगवान जिनेन्द्रकी आरतीकी सामग्री बन सके। टट्ठी आदि से आकर हाथ धोनेके विषयमें यह कहा गया है कि जबतक बदबू दूर न हो जाय तबतक मिट्ठी आदिसे बराबर हाथ धोना चाहिये। लोक रीतिमें यह बात देखी जाती है, उसीको शास्त्रमें लिख दिया गया है, इस लिये इस रीतिसे गोबर भगवान जिनेन्द्रकी आरतीके लायक पवित्र नहीं हो सकता। पृष्ठ नं० ६१ में—

‘लौकिक शुचित्वमष्टविधं—कालाग्नि भरम मृतिका गोमयेल्यादि’ राजवार्तिककी पंक्ति उद्भूत की है। यहाँ पर लौकिक शुद्धिमें गोबर लिया गया है, यही पक्कड़ कर उसे पवित्र सिद्ध करनेकी वैष्णा की गई है, पर यहाँ पर भी यही माव है कि लीपने हाथ धोने आदिके लिये दी गोबर काममें आ सकता है। भगवान जिनेन्द्रकी आरती उससे नहीं की जा सकती। लौकिक शुद्धि माननेका अर्थही यह है कि वह लौकिक कामोंमें प्रहण किया जा सकता है, धार्मिक कामोंमें उसका उपयोग नहीं हो सकता। इस लिये गोबरको भगवान जिनेन्द्रकी आरतीकी सामग्री बताना महा भूल है। चारित्रसारमें भी इसी प्रकार गोबरको लौकिक शुद्धिमें माना है, उसका तात्पर्य यही है लीपना हाथ धोना आदि कामोंमें गोबरका प्रहण हो सकता है। पूजा आदि धार्मिक कार्य उससे

(१४१ :)

नहीं किये जा सकते । पुष्ट न० ६३ मे-

तेन सामान्यतोऽदत्तमाददानस्य सन्मुनेः
सरिन्नभरेणाद्यं भः शुष्कगोमयखं डकं । २।
भस्मादि त्रा स्वयं मुक्तं पिच्छालांबु फलादिकं
प्रासुकं न भवेत्स्तेयं प्रमत्तत्वस्य हानितः ३।

अर्थात्—नदीके भरने आदित्रा जल, सूखे गोवरका टुकड़ा (कण्ठा उपला), भस्मादि अपने आप छोड़ी गई मयूरको पिच्छे सूखी तुंबी आदि जो प्रासुक चीजें हैं वे यदि किसीके द्वारा बिना दी हुई हैं उन्हें भी प्रहणा करने वाले जो श्रेष्ठ मुनि हों तो उन मुनिराजका प्रमोदका योग न होनेसे चोरीका दोष नहीं लगता । ये दी श्लोक श्लोकवार्तिकके उद्धृत किये हैं । यहां पर सूखे गोवरके कण्ठेका उल्लेख रहनेसे पंडितजीने गोवरको पवित्र सिद्ध करनेकी जो चेष्टा की है, वह व्यर्थ है जब सिद्धधान्त यह है कि मुनिगण बिना दी मिट्टी और जल भी नहीं ले सकते तब वे जंगल में पड़ी मोरकी पिच्छे तुंबी आदि कैसे ले सकते हैं, यह भी तो विचारना चाहिये । यहां पर श्लोक वार्तिक पंक्तियोंका मतलब यह है कि—

भरनेका पानी, गोवरका टुकड़ा, मयूरकी पिच्छे तुंबी आदि चीजें जो जंगलमें पड़ी रहती हैं, उनका कोई मालिक नहीं । मुनियोंका इन चीजोंके लेनेकी आज्ञा तो शास्त्र नहीं देता, परन्तु

यदि मुनि लेने तो उन्हे' चौरीका दोष नहीं लग सकता । यदि गोवर यहाँ मुनियोंके किसी काममें आता तो उसे शुद्ध मोना जाना, सो तो काममें आता नहीं फिर इस लेखसे गोवरको पवित्र नहीं माना जा सकता । लौकिक शुद्धियोंमें गोवर लिया गया है इसलिये भरनेके पानो आदिके साथ उसका भी ग्रहण कर दिया है । कुछ भी है, भगवान जिनें द्रकी आरतीमें गोवरका उपयोग नहीं हो सकता । पृष्ठ नं० ६३ मं—

पं० सदासुख दासजीने काल शौच अग्नि शौच आदि आठ प्रकारकी शुद्धियोंमें गोमय शौच भी माना है अर्थात् लौकिक दृष्टिसे गोवरको ग्रहण करने योग्य कहा है । इसका तात्पर्य भी यही है कि वह लोपने हाथ धोने आदि लौकिक कार्योंमें काम आ सकता है । पूजा आदि धार्मिक कार्योंमें उसका ग्रहण नहीं हो सकता । रत्न करण श्रावणीका पृष्ठ नं० १८२ में पं० सदासुख दासजीने गोवर, गोमूत्रको स्पष्टही मल-मूत्र बनलायो है । जब उनके मतानुसार गोवर मल (विष्णु) है, तब वह भगवानकी आरतीमें कभी नहीं लिया जा सकता । यहाँ पर यह बात और भी विचारने की है कि राजधानीक और चारित्रसारमें पवन शौचका लौकिक शुद्धिमें उल्लेख नहीं किया है, पं० सदासुख दासजीने किया है यह भेद कैसा । मालूम होता है भगवान अकलङ्क देव और चामुण्डरायको पवन शौच "सन्द न था अथवा उस समय प्रचलित न होगा, पं० सदासुखजीके जमानेमें प्रचलित होगा । इस रूपसे यह बात समझमें आनाती है कि लौकिक

शुद्धियोंका विधान लोकके देखादेखो है । प ० सदासुख दास
जीने मलोंकी अपवित्रनामें जहाँ हीनाधिकता बतलाई हैं, वहाँ पर
गोबरको ग्रहण योग्य मल बताया है, परन्तु वहा मलहो है नथा
जो मन है उससे भगवान् जिनेन्द्रकी आरतीका करना बड़ाही
निंद्य काम है । प ० मक्खनलाल जीने जो रत्न करण श्रा०
टीकाके आधारसे गोबरको पवित्र सिद्ध करनेकी चेष्टा की है
लखयहडीकभूल हैं । जब वहा बराबर गोबरको मल बहकर । कि
गया है, तब मलसे भगवान् जिनेन्द्रकी आरती कैसे हो सकती है ।
यह भी तो विचारना चाहिये । पृष्ठ न ० ६६ में—

पूजा और आरतीमें भेद बनलानेके लिये पंडितजीने वृथा कई
पृष्ठ काले किये हैं जो भेद पंडितजीने आरतीका बतलाया है उसे
सब जानते हैं । प्रकरणमें आरतीसे भगवान् जिनेन्द्रकी आरतीका
ग्रहण है । यदि अच्छी तरह विचार किया जाय तो भगवान्
जिनेन्द्रकी आरती और पूजाकी ब्रव्य मिन्न २ रहते भी उद्देश देनें
का एकही है । आठों कमोंके नाशकाँ इच्छासे ही लोगोंकी
प्रवृत्ति पूजा आरतीमें होती है, इस लिये भगवान् जिनेन्द्रकी
आरती और पूजाको किसी रूपसे एक कह देना भी विरुद्ध नहीं
झोम्झोरोजीका तात्पर्य भी आरतीसे भगवान् जिनेन्द्रकी
आरतीका ही है । उनके शब्दों पर विचार न कर मक्खनलालजीने
वृथा उन्हें कोसा है । पंडिताई जाहिर करनेका यह तरीका विद्वान्
पसन्द नहीं कर सकते । पृष्ठ न ० ६९ में पंडितजीने लिखा है—
गोबरके साथ आरती हमने भी नहीं की है, परन्तु उस शास्त्रा-

ज्ञाका हम निषेध नहीं कर सकते । प्रतिष्ठाचार्योंको यह अवसर जछर मिला होगा ।” इत्यादि ! यहाँ पर यह कहना है कि जब शास्त्रभी आज्ञा गोवरसे आरती करनेकी है तब आपने क्यों नहीं की । आज्ञा क्या दूसरोंका कहनेके लिये ही हैं स्वयं माननेका नहीं । आज्ञा रहते जो कार्य नहीं किया जाय वह उस आज्ञाका अविनय हैं आगमका अरमान करना है । आश्चर्य है कि शास्त्रोंमें गोवरसे आरतीका विधान रहते भी कहीं भी किसी देशके किसी मन्दिरजीमें गोवरसे आरती करना देखा सुना नहीं गया । कहीं तो होना सुना जाना था । जिन्होंने गायको देवना मान रखा है और उसके गोवर गोमूत्रको अमृत समझ रखा है, उनके यहा भी यह अष्ट विधान नहीं कि मगवानकी आरती और अभिषेक गोवर गोमूत्रसे हो । शिथिलाचार्तियोंने जैन शास्त्रोंको गोवर और गोमूत्रको पवित्रताके लिये और भी आगे बढ़ा दिया है । यह बड़ी लज्जाकी बात है पृष्ठ नं० ७० मे०

‘देहेस्मन् विदितार्चने निनदर्ति’ इत्यादि श्लोक यशस्विलक चम्पूका उद्घृत किया है । वहाँ पर मगवानको आरती गोवर से भी करना लिखा है इस लिये आपने गोवरको पवित्र कह डाला है । हमने इस श्लोकके ऊपर नीचेके विषय पर जब विचार किया है तो यही मालूम डृत है कि यह इत्तोक वे प्रकरण वहाँ जथरन कहींका दूसेड़ा गया है । क्षेपक है । आचार्य सोमदेव ऐसा अष्ट विधान नहीं कर सकते । आचार्योंका विचार भेद हो सकता है परन्तु विचारमें भूषिता नहीं आ

सकती । तीन लोकके नाथ भगवान् जिनेन्द्रकी आरती गोवरसे हो यह सर्वथा अनुचित है । पृष्ठ नं० ७१ से ७३, तक—

“भूम्यात् पतित गोमये”त्यादि नेमिचन्द्र प्रतिष्ठा पाठकी पंक्तिया उछूत कर आपने गोवरसे आरती करना पुष्ट किया है तथा नेमिचन्द्रको गोम्मटसारके कर्ता आचार्य नेमिचन्द्र लिखा है यह प० मक्खनलालजोकी बड़ी भारी अजानकारी है । आपको इतिहासके आधारसे यह थात लिखनी थी । नेमिचन्द्र प्रतिष्ठा पाठके इतिहासकी खोज करनेसे पना लगा है कि नेमिचन्द्र एक गृहस्थ ब्राह्मण विद्वान् थे । जैन होनेपर भी वे हिन्दूधर्मसंके कट्टर पक्षपाती जान पड़ते थे । विचारनेकी बात है जो हिन्दू धर्मका पक्षपाती हो, कर जैन पंथ लिखेगा, वह जस्तर अपने मृतकी बातें उसमें घुसें देंगा । गृहस्थ ब्राह्मण नेमिचन्द्रजोने जो अपने बनाये प्रतिष्ठा पाठ में गोधरसे आरती और गोमूष्रसे अभिषेक लिखा है, वह उन्होंने ठीक, ही किया है, क्योंकि वे तो उसे पवित्र मानते ही थे किर भला बैनियोंसे उसे पवित्र मनानेकी वे क्यों चेष्टा नहीं करते । इन नेमिचन्द्र ब्राह्मण गृहस्थको आचार्य बना देना और उसे पुजा देना प० मक्खनलालजोका अति साहस समझना, चाहिये । परिणतजी महाराज ! जब एक गृहस्थ ब्राह्मणोंको आप आचार्य बना सकते हैं तब गोवरसे आरतीकी पुष्टि कर देना आपके लिये बड़ी बात नहीं । बलिहारी आपकी समझदारीका है । पृष्ठ नं० ७३ में—

‘गोमये नूर्तनैः शुद्धैः’ इत्यादि अकलक प्रतिष्ठापाठके वचन

उद्भूत कर गोवरसे आरती करना सिद्ध किया है तथा अकलङ्कदेव को राजवातिकके कर्ता भगवान् अकलङ्कदेव लिख डाला है। यहाँ पर भी परिणतज्ञीने वहुत बड़ी गलती की है; यह प्रतिष्ठा पाठ भी भगवान् अकलङ्कदेवका बनाया नहीं हो सकता। यह नाम फर्जी है। प्रतिष्ठा पाठकी मान्यता बढ़ानेके लिये भगवान् अकलङ्कका नाम दिया गया है। यह सीकिसी ब्राह्मणकी ही कृति है। ऐसे अंथ-करोंको आचार्य अकलंकदेव बना देना बड़ी भुल है। जब प्रतिष्ठा पाठकी ही प्रामाणिकता नहीं तब उसमें जो गोवरसे आरतीका विधान बतलाया है वह कैसे ठीक साना जा सकता है? इस रीति से इस प्रतिष्ठा पाठके आधारसे भी गोवर शुद्ध नहीं साना जा सकता। उसे पवित्र बताकर जैन धर्मकी पवित्रता नष्ट करना है। पृष्ठ नं० ७६ में

'महिकपा गोमयका मत्सपिंडा' इत्यादि इन्द्रनन्दी भट्टारककृत इन्द्रनन्दिसंहिनाकी पंक्ति उद्भूत की है, उससे गोवरसे आरतीका विधान है उससे परिणतज्ञीने गोवरको पवित्र सिद्ध करना चाहा है। यहापर भी वही लिखना है कि भट्टारक इन्द्रनन्दीके बे बचन शिथिलाचारी भट्टारक होनेके कारण हो सकते हैं। गोवरसे आरतीका विधान मान्य आचार्य बचनोसे नहीं हो सकता। इस रूपसे परिणतज्ञीने जितने भी प्रसाण दिये हैं वे उन प्रतिष्ठा पाठों के हैं जो कि जैनधर्ममें अप्रामाणिक माने जाते हैं। और जो दूसरे प्रमाण दिये हैं उनमें गोवरको लौकिक शुद्धिमें माना है। धर्मिक

कार्यमे उसका उपयोग नहीं हो सकता । अनः गोवरसे भगवान जिनेन्द्रकी आरतीको पुष्टि करना शास्त्राङ्के विपरीत है । पृष्ठ नं० ७६ में आपने यह भी लिखा है— “लेख वाहूत्यसे अधिक प्रमाण नहीं दिये गये हैं, आगम पर श्रद्धा लानेवालोंके लिये इतने प्रमाण ही पर्याप्त हैं । जिन्हे आगमकी पर्वाह नहीं है किन्तु अपनी और अपनी चुचक मण्डलीका यात्रा ही हठ है, उन लोगोंके लिये यह हमारा लेख पर्याप्त है भी नहीं” इत्यादि । इस विषयमें ग्रार्थना यह है कि अप्रामाणिक प्रन्थोंके प्रमाण, प्रमाण नहीं कहलाते । आपने लौकिक शुद्धिमें गोवरका नाम देख उसका उपयोग भगवान जिनेन्द्रकी पूजामें घता दिया है, यह आपकी गलनी है । ऐसे कहींके प्रमाणोंको कहीं घलीट कर गोवर पवित्र सिद्ध नहीं हो सकता । यदि लीपने वा हाथ धोनेके लिये गोवरका निषेध किया जाता तो यह प्रमाण आपका लागू हो सकता है । सा निषेध किया नहीं गया । आपने अप्रामाणिक प्रतिष्ठा पाठोंके प्रमाण मर मारे हैं । इन्हें कैसे माना जाय । जब वे प्रन्थ ही प्रमाण नहीं, तो उनकी वाते कसे प्रमाण मानी जा सकती हैं । आपने एक यशस्तिलक प्रथका प्रमाण दिया है । वह ज्ञे १ क है उसकी भी महत्ता नहीं । अब आपही सोचें आपने क्या प्रमाण दिये ? कैसे आपके प्रमाणों द्वारा श्रद्धा की जाय ? हमें आगमकी श्रद्धा है, धार्मिक विषयमें चुचक मण्डलीका हठ भी नहीं, तब ऐसा आपका लिखना व्यर्थ क्यै । ऐसे खोले रुआवका किसी पर प्रभाव नहीं पड़ सकता ।

प्रमाण एक भी न होंगे, डॉग मारी जायगी प्रमाणोंकी, सो कैसे हो 'सकता है ? परिदृतजी' ! प्रमाणोंके न रहते आपको ऐसा लिखना ठीक ही है । मर्जी आपकी । पृष्ठ नं० ७७ में परिदृतजीने-ऐसा प्रकल्प किया है—

चर्चा स्तागरसे गोवरसे आरतीका लेख आनेसे जब उसका वहिष्कार किया जायगा तो सभा प्रतिष्ठा पाठोंका वहिष्कार करना होगा पर्योक्ति उनमें गोवरसे आरतीका उल्लेख है । जब प्रतिष्ठा पाठोंका वहिष्कार हो जायगा तब विश्वप्रतिष्ठा मन्दिर प्रतिष्ठा आदि कैसे प्रमाण समझी जायगी इत्यादि । इसका उत्तर यह है । पून प्रतिष्ठा पाठोंमें भ्रष्ट वार्ते मिलाकर जो उन्हें भ्रष्ट किया गया है उन वार्तोंको निकालकर इन्हे शुद्ध करना ही होगा । और उनके शाधारसे प्रतिष्ठा हो सकेंगी । गोवरसे आरती करने और गो-मूर्त्ये मगवान जिनेंका अभिषेक होनेसे हो प्रतिष्ठा पूरी नहीं हो सकती । इनके चिनामो पूरी हो सकती हैं । गोवर और गोमूरसे आरती अभिषेक करना महा नीच काम है । कोई सज्जा जैनी इस निंद्य बातको नहीं कर सकता । पृष्ठ नं० ७८ में आपने लिखा है—

चर्चा सा०का वहिष्कार और इसकी अप्रमाणताका हो हल्ला मचानेवाले भाई आचार्यकृत प्रतिष्ठा पाठोंके प्रमाण देखकर अपनो भुल पर पश्चात्ताप करें तो महान अचार्य श्रीमद्वाह कलंक देव, आचार्य नेमिक्रंद आचार्य इन्द्रनन्दि आचार्य सोम

देव आदि महान् आचार्यों को जो अपमान हुआ है उससे जितना भारी पाप धध हुआ है वह इलका अवश्य हो जायगा इत्यादि । इस विषयमें यह प्रार्थना है कि चर्चासागरमें जो प्रमाण दिये हैं उनमें जो वचन भ्रष्टाचारियोंके हैं, उनके सम्बन्धसे उसका बहिकार हुआ है । कोई भी जैनो भगवान् अकलकदेव, नेमिनांद आदि पूज्य आचार्योंका अपमान नहीं कर सकता । उनके नामसे जो जालसाजी की गई है उस जालसाजाका अपमान है । इतिहासकी खोजके लिये परिश्रम न कर आपने प्रतिष्ठा पाठोंके कर्त्ताओंको जो भगवान् अकलंक देव नेमिचन्द्र सिद्धांत चक्रवर्तों आदि मान लिया है यह आपको अजानकारी है । जिन्होंने प्रतिष्ठा पाठोंकी पोल खोली है उन्होंने खूब सोच विचार कर काम किया है, उनके कर्त्ता वे पूज्य आचार्य नहीं हो सकते, जिनका नाम आपने गिनाया है आप विचारशक्तिको काममें लाफर दूसरों पर कलंक लगानेकी चेष्टा न करें, आपके कहे अनुमार यह कोई तर्ही मान सकता कि मांझी और उनके साथियोंने आचार्योंको गालियां ही हैं । दूसरोंको बदनाम करनेके लिये यह आपका जाल बिछाना व्यर्थ है अपनी नासमझीसे दूसरोंको नीचा दिखाना बुद्धिमानी नहीं । प्रतिष्ठापाठोंके कर्त्ता कौन थे ? यह खुद आपको भी ज्ञान नहीं । इस विषयमें आप दूसरोंसे जाननेकी चेष्टा करें ।

सारांश यह है कि गोवरको पवित्र सिद्ध करनेके लिये आपने जो भी प्रमाण दिये थे उनमें एक भी पुष्ट प्रमाण सिद्ध नहीं हुआ ।

इसलिये आपके द्वारा दिये गये प्रमाणोंसे जब गोवर पवित्र सिद्ध नहीं होता तब उससे सगवान जिनेंद्रकी आरती कभी नहीं की जा सकती । इसलिये सगवान जिनेंद्रकी आरती गोवरसं करना अष्टाचारियोंकी कल्पना है—मात्य आचार्योंकी आज्ञा नहीं । आचार्य जिनसेन आदिने कही भी धार्मिक कामोंमें गोवरका प्रयोग नहीं कहा । बहुतसे लोग गोवरको पवित्र माननेमें यह हेतु देते हैं कि जिस प्रकार गायका दूध शुद्ध है क्योंकि उसके खल रस भाग जुदे २ हैं, उसी प्रकार गोवरके भी खल रस भाग जुदे २ हैं, इसलिये वह भी शुद्ध है । उनका इस बेशिर पैरकी कल्पनासे हमें निरांत खेद है । विचारनेकी बात है जो चीज गायके गुदा वा योनि मांगें, तिकलै वह कैसे शुद्ध कही जा सकती है । ऐसे कहने वाले यदि गायकी गुदाको गुदा और योनिको योनि न मानें यह बात दूसरी है परन्तु इतनो मोटा धूल आँखोंमें भीकी नहीं जा सकता, क्योंकि वह छोटे बड़े सभा जानते हैं । खियोंके दूध होता है, घालक उसे पीते हैं, वहभा पवित्र ही माना जाता है, उसके गुदा और योनिसे निकलनेवाली चीज भी गायके गोवरके समान पवित्र भान लेनी चाहिये । क्योंकि खल रस मांग तो यहां भी जुदे २ हैं । यदि नहीं जायगा कि लोकमें वह पवित्र नहीं मानी जाती तो यह मानना होगा कि जो चीज जिस रूपसे मानी जाती है उसका उसी रूपसे उपयोग होना चाहिये । गोवर लापने हाथ धाने आदि कामोंके लिये उपयुक्त माना गया है, इसलिये उन्हीं कामोंमें उसका

उपयोग होना चाहिये । इतना वह शुद्ध पवित्र नहीं माना जा सकता कि तीन लोकके नाथ भगवान् जिनेंद्रकी आरती भी उससे हो सके । इसलिये गोवरको जो इतना पवित्र मानते हैं उनकी भूल है । बहुतसे लोग यहांपर यह भी अपनी राय देते हैं कि तोन लोक-के नाथ भगवान् जिनेंद्रकी आरतीमें गोवरका प्रहण नहीं किया गया किन्तु गृहस्थावस्थामें जिस समय इन्द्र मेरु पर उनका अभिषेक करता है उस समय दूष, गोवर आदि मांगलीक इव्योंसे इंशाणी बालक भगवानकी आरती करती है इसलिये उस समय भी आरतीमें गोवरका विधान है परन्तु यह कहना उसका ठोक नहीं, क्योंकि जहां पर भी गोवर से आरतीका विधान है वहांपर अहंत भगवानका खास उल्लेख है । अहंत अवस्था केवल ज्ञानके समय मानी जाती है, प्रतिष्ठा पाठोंमें भी यही उल्लेख है । वे अच्छों तरह जांच सकते हैं । इन्हीं महाशयोंका यह भी कहना है कि जब प्रतिमाजीके लिये पत्थर पसन्द कर लिया जाता है उस समय उस पत्थरका गोमूत्र आदिसे अभिषेक माना है, जिनेंद्र भगवानका मूर्तिका नहीं । यह भी कोरी कल्पनावाजो हा है । यह स्पष्ट लिखा है कि गो मूत्र आदिसे मैं भगवान् जिनेंद्रका अभिषेक करता हूँ । वे प्रतिष्ठा पाठोंसे यह अच्छों तरह तिरांय कर सकते हैं यदि किसी तरह इनकी बात मानभी ली जाय तो गोवर और गोमूत्र जिसे शास्त्रोंमें मलके नामसे पुकारा गया है जो अनेक त्रस (जीवों)का पिंड और निकृष्ट है उससे आरतो और अभिषेकको क्या जरूरत है । ससारमें

भी अनेक उत्तमोत्तम चोजें हैं उनसे वह कार्य कर लिया जा सकता है। किसी मृष्टाचाराने पवित्र जेन धर्मको मलिन करनेके लिये ये बातें शास्त्रके रूपमें रख दीं तो हठ नहीं करनी चाहिये, उन बातों पर विचार कर लेना जरूरी है। यदि ये लोग कहें कि गोवर गोमूत्रसे भारती अभिषेक करनेमें बड़ा भारी डैन धर्मका रहस्य छिपा हुशा है तो इस पर हमारा इतनाहाँ कहना है कि उस रहस्यको या तो वे ही महाशय जानते हैं या केवला भगवान जानते होंगे। हमारे सरीरा आदमी उस गूढ़ रहस्यको समझनेकी भला क्या चेष्टा कर सकता है। कुछ मा हा; यह बात अच्छी तरह सिद्ध हो चुकी कि गोवर, शास्त्रोंकी आज्ञानुसार मल है, मलसे कोई धार्मिक कार्य नहीं किया जा सकता। भगवानका आरता वा पूजा धार्मिक कार्य हैं, वह महा अपवित्र गोवरसे नहीं किया जा सकता। जो मनुष्य भ्रष्टाचारियोंके बचतोंसे ऐसा मानते हैं वे गलती पर हैं। उन्हें हठ छोड़कर शास्त्रोंबातों पर अच्छी तरह विचार करना चाहिये। प० मधुनलालज्ञांका त्रुपासं हमें यदि किसी सिद्धान्तको हितकारी कथना पर विचार करना पड़ता तो हम भी अपनेको धन्य समझते; परन्तु हमें गोवर और गोमूत्र सरीखी महानिकृष्ट मलमूत्र चोजों पर विचार करना पड़ा है, यह दुःखकी बात है। जिन परमाणुओंसे गायका गावर और गोमूत्र बने वे परमाणु अवश्य ही धन्यवादके पात्र हैं क्योंकि हमारे मित्र प० मधुनलाल जी और उनके साथी निदान उनकी तारीफ

कर रहे हैं । 'यशस्कीर्ति' नाम कर्मका उदय जड़ पदार्थोंमें नहीं माना जाता, परन्तु यहां तो बलात् गोबर गोमृतके यशस्कीर्ति नाम कर्मका उदय मानना ही होगा, क्यों कि उनको यशगान बड़े २ विद्वान नाम धारी कर रहे हैं ।

मालाओं पर विचार

जिन महानुभावोंका मन निश्चल है उन्हें जपके लिये मालाओं की कोई जरूरत नहीं किन्तु जप करते समय जिनका विच्छिन्न ठिकाने नहीं रहता उनके लिये मालाओंका विधान किया गया है । मालाये' नौ प्रकारकी मानी हैं । 'अमोरसे अमीर' और गरोबसे गरीब अपने योग्य मालाओंसे जाप 'कर सकता है । 'मालाओंके भेदमें' किसी को ऐनराज नहीं । मान्य ग्रन्थोंमें जब इस बातका उल्लेख है तब उसे स्वीकार करनेमें किसीको आनाकानी नहीं हो सकती । किन्तु कीमती मालाओंका जो अत्यधिकफल बतलाया है उस विषय में यह ऐनराज है कि इस प्रकारका अत्यधिक फल अन्य किन मान्य अन्थोंमें लिखा है । क्योंकि जापका फल भावोंकी विशुद्धि पर है । जितने जिसके भाव जाप करते समय विशुद्ध होंगे उतनाही उसको फल प्राप्त होगा । रत्नोंकी मालासे जाप करने वालेके परिणाम यदि 'चञ्चल हैं तो वह रत्नोंकी मालासे जाप करनेपरभी

परिणामोंमें शान्ति न रहनेसे विशेष फल प्राप्त नहीं कर सकता । और सूतकी मालासे जप करनेवालेके यदि परिणाम शान्त है तो तब मामूली सूतकी मालासे जाप करने पर भी परिणामोंमें शान्ति रहनेसे विशेष फल प्राप्त कर सकता है । इस लिये मालाओंके कीमती बेकीमती पनसे बहुत ज्यादा वा बहुत कम फलका मिलना नहीं है । परिणामोंकी शांति और अशान्तिसे बहुत ज्यादा और बहुत कम फल मिलता है । हाँ, यह बात ज़रूर है रत्नोंकी माला रखनेवाला डबा माना जाता है, सूत आदिकी माला रखनेवाला गरीब माना जाता है । मालाओंके फलसे इस बातका कोई सम्बन्ध नहीं । भाई रत्नलालजी भाऊरीने मालाओंके भेद पर कोई आपत्ति नहीं को । कीमती मालभोका जो बहुत ज्यादा फल बतलाया है उस पर आपत्ति का है । पं० मक्खनलालजीने इस आपत्तिको समझा नहीं । मालाओंके भेदोंकी उन्होंने पुष्टि कर ढाली है, जिसकी कोई ज़रूरत न थी, क्योंकि भाऊरीजीको उनके सेव माननेमें काई ऐतराज न था, किन्तु कीमती मालाओंका जो बहुत ज्यादा फल बतलाया है, उसकी पुष्टिमें पण्डिजाने एक भी प्रमोण नहीं दियो । यहाँ हम चर्चासागर और भाई रत्नलालजी भाऊरः दोनोंके शब्द उच्छृंत किये देते हैं । पाठक स्वयं जाच कर लेंगे—

चर्चासागरके शब्द

इस प्रकरणमें मालाके भेद इस प्रकार समझने चाहिये ।

क्रिपाकोपमें लिखा है ।

प्रथम फटिक मणि मोती माल ।
 सोना रूपा सुरंग प्रवाल ॥
 जीवा पोता रेशम जान ।
 कमल बीज फुनि सूत बखान ।
 ये नव भाँति जापके भेद ।
 भजिये जिनवर तजि मनखेद ॥

दूसरी जगह लिखा है—

सूत्रस्य जाप्यमालायाः सदा जापः सुखावहः
 दग्धमृदास्थ काष्ठाना यज्ञमाला फलप्रदा ।१।
 सुवर्ण रौप्य विद्रुत मौक्तिका जपमालिकाः ।
 उपवास सहस्राणां फलं यच्छ्रुति जापतः ।२।

अर्थात् सूतकी माला सदा सुख देनेवाली है । अग्निके द्वारा पकी हुई मिट्टी हड्डी, लकड़ी और रुद्राक्ष आदिकी मालाएँ, फल देनेवाली नहीं हैं, ये मालाएँ अयोग्य हैं, प्रहण करने योग्य नहीं हैं अर्थात् इनस जप कभी नहीं करना चाहिये तथा सोना, चाढ़ी मूर्ंगा और मोतीकी माला हजारों उपवासोंका फल देनेवाली हैं । इनकी मालाओंके द्वारा जप करनेसे हजारों उपवासोंका फल मिलता है । इस प्रकार मालाओंका फल बतलाया है ।

झाँझरीजीके शब्द

“सोना, चांदी, मूँगा और मोतीकी माला द्वारा जाप्य करनेसे हजारों उपवासको फल प्राप्त होता है” तो क्या रत्नोंकी माला द्वारा जाप्य करनेसे लाखों उपवासका फल होगा ? लोग व्यर्थ ही रुतकी मालाओं द्वारा जाप्य करके हजारों उपवासोंका फल यों ही छोड़ देते हैं। भावोंका विचार न कर माव कीमती मालाओंको प्रहृतब देना बास्तवमें नई सूझ है ।”

चर्चासागर और झाँझरीजी दोनोंके शब्दोंको मिलाकर पाठक समझ गये होंगे कि मालाके नौ प्रकारके होनेमें झाँझरीजीको कोई आपत्ति नहीं । किन्तु कीमती मालाओंका जो हजारों उपवासोंका फल बताया है यह और जगह मान्य शास्त्रोंमें कहां लिखा है ? ऐतराज इसीपर है । परिणामतजोका यहांपर कीमती मालाओंके बहुत ज्यादा फलकी पुष्टिमें विशेष प्रमाण देने चाहिये थे, सो आपने एक भी ग्रमाण नहीं दिया । अस्तु अब हम य० मध्यनलालजीने जो लिखा है उसपर विचार करते हैं—

पृष्ठ नं० ८० में आपने लिखा है—“झाँझरीजी और हम जैसे विचारबालोंको इन मालाओंके विषयमें भी क्यों कुतर्क खड़ा हो गया ?” इस विषयमें निवेदन यह है कि नौ प्रकारकी मालाओं के माननेमें कोई आपत्ति नहीं । कीमती मालाओंका जो बहुत ज्यादा फल कहा है, उस विषयमें आपत्ति है कि वह किस आधारसे है ? चर्चासागरमें जो श्लोक लिखे हैं वे किस ग्रन्थके हैं ? अन्य

प्रन्थोमें उस धातको कहा पुष्ट किया गया है ? महाराज ! आपने प्रश्न नहीं समझा, बिना समझे यह लिख रहे हैं कि 'कुतर्क क्यों, खड़ा हा गया ?' मालाभोके विषयमें हमारी कोई आपत्ति नहीं। सोच-समझ कर आपको लिखना था ।

पृष्ठ न० ८० पर आपने 'प्रायदेवं तवनुति पदे' इत्यादि इलोक पक्षी माघ स्तोत्रका दिया है उसमें मणियोंकी मालाओंका उल्लेख है । जिसपर किसीका आपत्ति नहीं । पृ० न० ८१ पर 'पुष्पैः पर्वभिर्धुज' इत्यादि यशस्तिलक घम्पूके इलोक उद्धृत किये हैं, उनमें कुछ मालाभोके भेद गिनाये हैं । वे भी मान्य हैं । वहापर कीमती मालाओंका बहुत ज्यादा फल नहीं कहा । पृ० न० ८२ पर "स्फटिकं च प्रवालच" इत्यादि इलोक प्रति० पा० के दिये हैं, वहापर भी कीमती मालाओंका बहुत ज्यादा फल नहीं कहा; मालाओंके भेदमात्र कहे हैं । तथा स्फटिक प्रवाल मुक्ता इत्यादि इलोक विद्यानुवादको उद्धृत किया है, इसमें भी कोमती मालाओंका बहुत जादा फल नहीं कहा । तथा पृ० न० ८३ पर धाचार्य देवसेनका और विवाह पद्धतिका, पृ० ८४ पर भक्तामरका, पृ० ८५ में इन्द्रनन्दी संहिताका, पृ० ८६ पर वृहज्जिनधीणी संप्रह का और पृ० ८७ पर धमुनन्द श्रावकाचारके प्रमाण दिये हैं । उनमें भी मालाओंके भेदही बताये हैं, जिन पर कोई विवाद नहीं । कीमती मालाओंकी अत्यधिकता इन प्रमाणोंमें कही नहीं कहा । आपको पुष्ट करनी चाहिये थी कीमती मालाओंके अत्यधिक

फल की, क्योंकि झांझरीजोकी आपन्ति उसी पर है, इस प्रकार आपने प्रश्न न समझ कर जो मो पृष्ठ काले किये हैं सब व्यर्थ हैं । कल कत्ता में सालाशोंको लेकरही हमारा आपको विवाद ४ घण्टेतक हुआ था । उस समय हम यह कहते थे कि कीमती मालाशोंका बहुत ज्यादा फल अन्य किन ग्रन्थोंमें लिखा है । आप उस समय भी यही कह रहे थे मोलाये नौ प्रकारकी हैं । उस समय आप प्रश्न नहीं समझ रहे थे, ट्रैक्टे के लिखते समय भी आपने प्रश्न न समझा, यह बड़े भारी अचरजकी बात है । अच्छा है अब विद्वान लोग हमारे प्रश्न और आपके उत्तरकी जाँच कर लेंगे । पृ० ८० न० ८२ में आपने लिखा है—“कलकत्तामें विद्यानुवाद शास्त्रको बड़े मन्दिरजीसे मँगाकर उसमेंसे इन सब बातोंको हमने पं० गजाधर लाल जी, रतनलालजी झांझरी और उपस्थित सब माझ्योंको देताया भी था इत्यादि । ज्ञान कीजिये पण्डितजी ! आपने विद्यानुवाद ग्रन्थका जो पारायण किया था, वह उपस्थित विद्वानोंसे छिपा नहीं था । आपके मुँहसे अशुद्ध उच्चारण सुन सब लोग आपकी मख्खौल उड़ा रहे थे शायद आपको वह स्मरण होगा । १५-२० श्लोकोंका पारायण करने पर भी उसमें कहीं भी कीमती मालाशोंका बहुत जादा फल नहीं निकला था । बाज भी आप उससे निकालकर देते तो भी हम समझते सो अब भी आपसे निकाल कर नहीं दिया गया । हम तो समझते थे इस हास्यपूर्ण बटनाका आप उल्लेख नहीं करेंगे पर आप क्यों चूकेंगे आपको

तो इस घातका पूरा अभ्यास हैं कि थोड़े लेग दोष भलेही जाने सब तो नहीं जानते ऐसा विचार कर आप आपने दोषको पर्वाही नहीं करते । आपने सोनेके चमर छुन्न आदिको उल्लेख कर वृथा पूछ काले किये हैं, वे बातें फालतू हैं । पूछ न ० ९० मे लिखा है—

“किसी भी आगममें रत्न मालाओंका निषेध नहीं मिल सकता । नहीं मालूम ये लोग किस आधार पर इन विषयोंका विरोध करते हुए शास्त्रोंको अमान्य ठहराने चले हैं ? आश्चर्य हैं इस भारी दुस्साहस पर !” इसका उत्तर है कि मणिमालोंओंका कोई निषेध नहीं करता,आप भाँझरीजीके शब्दोंको ध्यानसे पढ़ें । आप लोगोंका दुस्साहस नहीं, क्योंकि हम लेग ठीक ही लिख रहे हैं । दुस्साहस आपका है जो प्रश्न न समझकर भी ऊटपटांग लिख कर आपनी झूठी विद्वत्ता छोकनेमें संकोच नहीं करते । आप ही विचारे- मानाओंके विषयमें जो आपने लिखा है वह भाँझरीजीकी आपत्तिका उत्तर हो सकता है ? वे पूछ रहे हैं कुछ आप उत्तर दे रहे हैं कुछ ? क्या इसीको आपने प डिताई समझ रखा हैं । सच पूछिये तो इस निकम्मी प'डिताईसे आपने जैन समाजमें बड़ा क्षोभ पौदा कर दिया है जिसका बहुत बड़ा प्राय- श्वित्त करना होगा । समाजकी शक्तिको इस तरह नष्ट करना शोभा नहीं देता ।

सारांश—भाँझरीजीकी आपत्ति यह थी कि छीमतो मालाओं-

का बहुत ज्यादा फल और किन २ शास्त्रोंमें लिखा है। पंडितजीको उन शास्त्रोंके प्रमाण देने थे, परं पंडितजीने 'एक भी प्रमाण नहीं दिया। पंडितजीने इस विषयके प्रमाण दे डाले हैं' कि माला-इतने प्रकारकी हैं; जिस पर कोई आपत्ति न श्री। यदि पंडितजी प्रश्नकी आपत्ति समझ लेते तो यह वृथा कलम पीसते। हमें तो यह जान पड़ता है कि पंडितजीको कीमती मालाओंके बहुत ज्यादा फलको पुष्ट करनेवाले किसी ग्रन्थमें प्रमाण मिले नहीं। मालों औंके विषयमें विना कुछ लिखे विद्वत्तामें बट्ठा लगता था। इसे लिये जान यूकर पंडितजीने भांभरीजीकी आपत्तिका उपदेश किया है, नहीं तो पं० मक्खनलालजी भांभरीजीके मामूली शब्द न समझे यह हो नहीं शकता। पंडितजी भले ही इस उटपटांग प्रश्न और उत्तरकी चालको गौरवकी दृष्टिसे देखें, विद्वान् तो इस चालको बुरा ही समझे गे।

आसनोंपर विचार

॥४५॥

जहांपर कर्म कालिमाको दूर कर आत्माकी शुद्धिका उद्योग किया जाता है वहां पर किसीप्रकारके आसनको जरूरत नहीं पड़तो । वहां पर आत्मा ही आसन माना जाता है और उसीमें विराजमान होकर अपना कल्याण कर लिया जाता है । तथा जो भक्ति भावसे पूजन वा जाप की जाती है वहां पर भी कोई खास आसनकी जरूरत नहीं, भक्तिके रसमें ओत प्रोत व्यक्ति जिनेंद्रके गुणोंमें जीव लीन होता है वहां पर भी आसनकी जरूरत नहीं होती । यदि वहां भी आसनकी खास आवश्यकता कही जाय तो तीर्थयात्रा वा और भी जगह; जहां पर आसन नहीं मिल सकते शिला खंड और जमीन पर घैठकर ही पूजन जाप करनी पड़ती है वहां पर फिर पूजा और जाप न हो सकेंगे, क्योंकि न आसन मिलें और न ये खास कार्य किये जायें । चर्चा सागरमें तो शिला और भूमिके आसन पर बैठनेका फल दुखदायी बताया है तब तो जहां आसन न मिलेंगे वहा पूजा आदि हो ही न सकेंगे, क्योंकि जान वृभक्त कौन दुखके भर्मेलेमें पढ़ेगा इसलिये यही कहना पड़ेगा । कि भावोंमें यदि भक्ति रस है तो आसन वगैरह व्यर्थ हैं आचार्य अमितगतिने इस विषयको स्पष्ट इस प्रकार किया है—

न संस्तरोऽध्या न तृणं न मेदिनी
 विद्वान्तो नो फलको विनिर्मितः
 यतो निरस्ताक्षकषायविद्विषः
 सुधीभिरात्मैव सुनिर्मलो मतः
 न संस्तरो भद्रसमाधिसाधनं
 न लोकपूजा न च संघमेलनं
 यतस्ततोऽध्यात्मरतो भवानिश्चां
 विसुच्य सर्वामपि वास्तवासनां ॥

अर्थात् जो मनुष्य विद्वान् है वस्तुका सच्चा स्वरूप समझते हैं वे आत्माको निर्मल बनानेके लिये आसन, पत्थर, तृण, भूमि, काष्ठ, खंडको कारण नहीं मानते, वे तो इन्द्रिय कषायोसे रहित-पना ही आत्माकी निर्मलताका कारण मानते हैं अर्थात् यदि आत्मामे इन्द्रिय कषायोंको प्रवलता है तो कैसे भी आसन पर बैठा जाय आत्मा कभी निर्मल नहीं हो सकता क्योंकि आसन लोकपूजा और संघकी रक्षा आदि वातें समाधि-ध्यानके कारण नहीं इसलिये है आत्मन ! यदि तुझे ध्यान करना है तो तू इन समस्त वाहिरी आडंवरोंको छोड़कर अपने आत्मस्वरूपमे लीन हो । आचार्य अमितगतिके इन वचनोसे यह स्पष्ट है कि पूजा जप आदि जहा आत्माकी भलाईके लिये किये जाते हैं वहां आसन वगैरह निष्प्रयोजन हैं । वहां तो भावोंकी निर्मलताकी ही आवश्यकता है परन्तु हां :—

जहापर राज्य, धन, पुत्र, आदि इस लोक संवंधो वातोंकी सिद्धिके लिये मत्रोंका आग्रहन करना पड़ता है। व्यंतरादिकोंको उपासनाकर उन्हें खुश करनेकी चेष्टा को जाती है, उनको रुचिके अनुसार खास वस्त्र और आसन आदिकी आवश्यकता हो सकती हैं। परन्तु ये क्रियायें लौकिक स्वार्थोंकी सिद्धिके लिये मानी हैं, इसमें धार्मिकपना नहीं। किन्तु जो क्रियायें धार्मिक हैं उनसे यदि वंध होता है तो पुण्यका होता है अथवा आत्माके कर्ममलोका नाश होकर वह शुद्ध बनता चला जाता है, अधार्मिक क्रियाओंके लिये भाव-शुद्धिकी आवश्यकता है वहां पर आसन आदि आडवरमात्र हैं। चर्चा सागरमें जहाँ पर आसनोंके गुण दोपोंका विचार किया है वह यदि मन्त्राराधनके समय लिया जाता तो उस पर टीका ट्रिप्प-णीकी विशेष आवश्यकता न थी। परन्तु पूजा और जापके समय आसनोंमें किसीको दुखदायी और किसीको सुखदायी लिखा है यह ठीक नहीं, क्योंकि पूजा जप धार्मिक कार्य है। वहां पर भावों की शुद्धि प्रधान कारण है, वहापर आसन मिलै तो कोई हानि लाभ नहीं हो सकता। भाई रतनलालजी भाभरीजीने यही लिखा है कि पूजा जापके समय यदि भाव शुद्ध है तो किसी प्रकारके आसनसे कोई हानि लाभ नहीं हो सकता। आसनोंपर ही बुरे भले फलका मान लेना कल्पना मात्र है। तथा चर्चासागरमें जो श्लोक दिये हैं वे त्रिवर्णाचार ग्रन्थके हैं जो ग्रन्थ अप्रमाणाक है। अन्य किसी मान्य ग्रन्थमें यह वात आसनोंके विषयमें देखनेमें नहीं आई इसलिये यह आसनोंके बुरे भले का विचार प्रामाणिक नहीं,

माना जा सकता । यहांपर हम चर्चासागरके शब्द और भांझरी-
जीके शब्द लिखे देते हैं; पाठक स्वयं उनपर विचार कर लेंगे—

चर्चासागरके शब्द

वंशासने दरिद्रः स्यात्पाषाणे व्याघ्रिपीडितः ।
धरण्यां दुःखसंभूतिदौर्भाग्यं दारुकानने ॥१५॥
तृणास्त्वे यदोहानिः पल्लवे चित्ताविभ्रमः ।
अजिने ज्ञाननाशः स्यात्कवले पापवर्धनं ॥१६॥
नीले वस्त्रे परं दुखं हरिते मानभंगता ।
द्वेतवस्त्रे यज्ञोवृद्धिः हरिद्रे हर्षवर्धनं ॥१७॥
रक्तवस्त्रं परं श्रेष्ठं प्राणायामविधौ ततः ।
सर्वेषां धर्मसिद्ध्यर्थं दर्सासनं तु चोत्तमं ॥१८॥

अर्थात् वांसके आसन पर बैठकर पूजा और जप करनेसे दरिद्रता, पापाणकी शिला पर बैठनेसे रोगकी पीड़ा, पृथ्वीपर बैठनेसे दुःख, दारु काठपर बैठनेसे हुभाग्य, तृणके आसनसे यशकी हानि, पत्तोंके आसनसे चित्तका डांवाडोल पना, मृगछाला पर बैठनेसे ज्ञानका नाश, कंवलके आसनसे पापकी बढ़वारी, नीले वस्त्रके आसनसे दुःख, हरे वस्त्रके आसनसे मानभंग सफेदवस्त्रके आसनसे यशकी बढ़वारी, हलदीके रंगे हुए आसनपर बैठनेसे हर्ष, लालवस्त्रका आसन परमश्रेष्ठ, दर्म-

(डाभ तृण)का आसन उत्तम माना है। इसके सिवाय हरि-वंश पुराणमें लिखा है कि श्रीकृष्णने समुद्रके किनारे तेला स्थापनकर डाभके आसनपर बैठकर अपने कार्यकी सिद्धि की तथा आदि पुराणमें जो गर्भान्वय आदि क्रियायें लिखी हैं उनमें भी डाभके आसनका ही विशेष वर्णन लिखा है इससे सिद्ध होता है कि डाभका आसन ही सबसे उत्तम आसन है।

झाझरीजीके शब्द

चर्चा न० २५—“भगवानकी पूजा और जप चार प्रकारके आसनपर बैठकर ही करे” यथा (१) सफैद वस्त्रके आसन (२) हल्दी द्वारा रंगे वस्त्र (३) लाल वस्त्र (४) डाभके आसन। अन्यथा जप और पूजा करनेवालोंको नीचे लिखे फल होते हैं:— बांसके आसनसे दरिद्रता, पापाण शिलासे रोग पीड़ा, पृथ्वीसे दुर्भाग्य, तृण वा धाससे यशाहानि, पत्तोंके आसनसे विभ्रम-डांवाडोल, बनात कंचलसे पापवृद्धि, नीले वस्त्रसे अधिक दुख चित्तका हरेवस्त्रसे मानमंग”श्रीसम्मेदशिखरजी आदिकी यात्राओंमें सभी भाई पृथ्वी या पापाण शिलापर खड़े होकर ही पूजा करते हैं या करते आये हैं तो क्या इसका फल उन्हें दुर्भाग्य और रोग पीड़ा ही प्राप्त होगा ? पूजा और ध्यानका फल भावों द्वारा न प्राप्त होकर केवल आसनोंपर अवलम्बित बताना केवल धृष्टता है। मुनिगण ऐसे आसन कहांसे प्राप्त कर सकते हैं ?

चर्चा सागरके शब्दोंपर पाठकोंने विचार किया होगा कि बहां-पर मन्त्रग्राधनके समय आसनोंपर विचार नहीं किया है किन्तु

पूजा और जप (ध्यान) के समय आसनोंपर विचार किया है पूजा और ध्यानका फल परिणामोंकी शुद्धिके आधीन है कैसे भी आसन हों यदि परिणाम शुद्ध हैं तो उसका फल अवश्य मिलेगा । यदि परिणाम शुद्ध नहीं है तो किसी भी आसनसे फल नहीं मिल सकता । भाँझरीजीने ऐसे ही विचारसे आसनोंके फलोंके विषयमें आपत्ति की थी और खुलासा भी कर दिया था कि तीर्थ-यात्रा आदि स्थानोंपर जहां आसनोंकी प्राप्ति नहीं वहांपर विना आसनोंके अथवा शिला आदि आसनोंसे या तो फल प्राप्त होगा ही नहीं यदि होगा भी तो गेहकी पीड़ा आदि फल होगा, क्योंकि चर्चा सागरमें शिला आदि आसनोंसे रोगकी पीड़ा आदि दुखदायी फल बतलाये हैं । भाँझरीजीने इस वात पर तो कोई आपत्ति ही नहीं की कि मंत्राराधनके समय ये आसन बुरे हैं फिर पूजा और ध्यानके समय भी आसनोंको ही मुख्य मान लेना भावोंकी निर्मलताको कोई परवाने करना, यह वात कभी युक्त नहीं हो सकती । यदि यह भी होता कि आसनोंके बुरे भले फलके विषयमें चर्चा सागरमें अन्य किसी मान्य ग्रन्थका प्रमाण होता तोभी उसपर टीकाटिप्पणी करनेकी हिम्मत न पड़ती सो तो है नहीं वहांपर प्रमाण दिया है जाली ग्रंथ त्रिवर्णाचारका, जिसकी पवित्र ऊन समाजमें कोई मान्यता नहीं । इस क्षिये यह व्यत अच्छीतरह सिद्ध हो चुकी है कि त्रिवर्णाचारके वचनोंके अनुसार पूजा और ध्यानके समय जो आसनोंका फल बुरा भला कहा है वह कभी ठीक नहीं हो सकता । यदि परिणाम शुद्ध नहीं है तो

हजार उत्तमोत्तम आसनोके रहते भी उत्तम फल नहीं मिल सकता और यदि परिणाम शुद्ध है तो कोई भी आसन मत हो अथवा बुरासे बुरा भी आसन हो, कभी निंदित फल नहीं मिल सकता । बुरे भले आसनोंसे बुरा भला फल मान लेना त्रिवर्णाचारके कर्ता की कपोल कल्पना है और चर्चासागरमें जो उसके श्लोकोंको प्रमाणरूपसे उद्धृत किया गया है यह चर्चासागरके कर्ताकी विशेष समझदारीका न रखना है ।

यहांपर एक बात और ध्यान देने योग्य यह है कि जो बात बुरी होती है वह प्रायः सबके लिये बुरी ही होती है । यह नहीं कि एकके लिये बुरी हो और दूसरेके लिये बुरी न हो । पाषाण शिलाके आसनको रोगकी पीड़ाका कारण बताया है और जमीनके आसनको दुखका कारण कहा है । ये आसन श्रावक और मुनि दोनोंके लिये ही दुखदायी होगे । किर मुनिगण भी तो पाषाण शिला वा प्रासुक जमीन पर बैठ कर ध्यान करते हैं उन्हें भी इस दुखदायी फलका सामना करना पड़ेगा । तब तो मुनियों को चर्चासागरके अनुसार कोई शुद्ध आसनका भी परिव्रह रखना होगा । यदि यहां पर यह कहा जाय कि आसनोंके बुरे भले फलका विचार श्रावकोंकी ही अपेक्षा है मुनियोंको अपेक्षा नहीं ? तो इसका उत्तर यह है कि जब पाषाण शिलाको रोगकी पीड़ाका कारण बतला दिया है । तब वह तो सभी ध्यानियोंके लिये वैसाही फल देगा । मुनि भी उस फलसे नहीं बच सकते । यह तो यहां कहना व्यर्थ ही है कि मुनिगण परम ध्यानी होते हैं इस लिये

उनके लिये बुरा फल नहीं हो सकता । क्योंकि यह कल्पनामात्र है । एक झूठके लिये हजारों झूठोंको कल्पना सरीबा है । यहांपर यह एक बात और भी है कि तुणके आसनको यशका नाश करने वाला बतलाया है परन्तु साथ ही डाम नामक तुणके आसनको सर्वोच्चम भाना है । यह वारीक बात समझमे नहीं आई । क्या डाम, तुण नहीं है ? दूसरे तुण तो विचारे इतने बुरे और डाम तुण इतना उत्तम यह कल्पना किस लिये है ! समझ नहीं पड़ती । जो हो ये सारों कल्पनायें कुछ सार नहीं रखतीं । जो आसन शुद्ध और प्रासुक हो वह सभी ग्रहण करने योग्य है चाहे वह पापाण शिला हो चाहें डाम हो । पूजा और ध्यानके विषयमें आसनोंका बुरा भला फल बतलाना व्यर्थ है । हम आसनोंके विषयमें जो सार बात है पाठकोंके सामने रख चुके । अब पं० मवखनलालजीने आसनोंके विषयमें जो लिखा है उसपर विचार करते हैं—पृष्ठ नं० ६३ में पेंडितजीने लिखा है—

‘ परमार्थ वा पुण्य प्राप्तिके लिये जहां पूजा जप किये जाते हैं वहां आसन वस्त्र आदिकी कोई जावश्यकता नहीं किन्तु मनोरथ सिद्धिके लिये जहां पूजा ध्यान किया जाता है वहां आसनोंकी आवश्यकता पड़ती है श्री भक्तामरके मंत्रके जपते समय जो आसन माने हैं उनका भो पण्डितजीने उल्लेख किया है इत्यादि’ वहां पर पण्डितजीके लिखनेमें और हमारे लिखनेमें कोई भेद नहीं परन्तु चर्चासागरमें पूजा जापका सामान्य सूपसे उल्लेख किया है वहांपर मनोरथ सिद्धि केलिये पूजा जापका कोई उल्लेखनहीं किया इसलिये ‘मनोरथको सिद्धिके लिये वहांपर बुरे भले आसनोंका विधान है’ यह कमी नहीं कहा जा

सकता । यदि यह बात वहां स्पष्ट होती तो भाँझरीजी कभी आपत्ति कर ही नहीं सकते थे । चर्चासागरमें जिस रूपसे पूजा ध्यानने समय आसनोंके बुरे भले पनपर विचार किया है उससे यह एक घड़ा भारी अनर्थ हो सकता है कि जहां पर दर्म आदि आसन मिल सकेंगे वहां तो पूजा ध्यान करनेके लिये लोगोंकी प्रवृत्ति होगी और जहां वे आसन न मिलेंगे भूमि शिला आदि ही मिलेंगे वहां कोई भी पूजा ध्यानके लिये प्रवृत्त न होगा । यदि चर्चासागरके कर्ताका यह विचार होता कि मन्त्रोंके अराधन करते समय ही ऐसे आसनों पर विचार है तो वे स्पष्ट कर देते परन्तु उन्होंने स्पष्ट नहीं किया, इसलिये परमार्थ और पुण्य-बंधके कारण ध्यान और पूजाके लिये भी आसनोंके बुरे भलेपनका विचार करना चाहिये ऐसा उनका मत है । पंडितजीने जो आसनोंका स्वरूप समझाया है वह चर्चा सागरका मत नहीं । चर्चा सागरको देखकर पंडितजीको अपना विचार प्रगट करना था । बल्कि पंडितजीको यह भी लिखनेमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती थी कि चर्चा सागरमें यह कमी रह गई है । अस्तु हमारे और पंडितजीके मतानुसार जब यह बात ठीक है कि किसी कामना (मनौती) को ध्यानमें न रखकर आत्मकल्याणकी अभिलाषासे जहां पूजा और जाप होते हैं वहा पर आसनोंके बुरे भलेपनकी कोई जरूरत नहीं तब चर्चासागरने जो खुलासा नहीं लिखा वह भूल है और ऐसी भूल रहते चर्चासागरसे कभी जीवोंका कल्याण नहीं हो सकता । पंडितजीको यहा पर दोही शब्द लिख देने

थे कि चर्चा सागरका ऐसा लिखना भूल है वहां पर ऐसा होना चाहिये था । पंडितजीने—

दर्भास्तरणसंबंधतः पञ्जाङुदीर्घतां ।

विष्णोपशांतये दर्पमथनाथं नमः पदं ॥६॥

आदिपुराण । पर्व ४०

आदि पुराणजीका यह श्लोक उद्भृत किया है इस श्लोकमें दर्भ (डाभ) के आसनका उल्लेख है । ग्रासुक और शुद्ध जान कर ही यहां डाभके आसनका ग्रहण किया गया है किन्तु यह नहीं लिखा कि सब आसनोंमें दर्भका आसन ही उत्तम है । इसलिये इस प्रमाणसे चर्चासागरमें जो यह लिखा है कि डाभका आसन सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है, इस बातकी पुष्टि नहीं होती । अतः चर्चा सागरका जो लेख है वह त्रिवर्णचारके अनुसार होनेसे प्रमाण नहीं माना जा सकता । दूसरी ओर यह भी है कि आदिपुराणमें यह श्लोक गर्भान्वयादिक क्रियाओंके स्वरूप बतलाते समय लिखा है । गर्भान्वयादि क्रियाओंमें गर्भ आदिकी रक्षाकी खास इच्छा रहती है । इसलिये वहां डाभके आसन आदिकी आवश्यकता हो सकती है । चर्चासागरमें पूजा और ध्यानके समय आसनोंके भले त्रिपेन पर विचार किया है तथा वहां पर किसी कामनासे पूजा ध्यानका उल्लेख नहीं किया इसलिये आदि पुराणका यह श्लोक यहां कार्य कारी नहीं । पृष्ठ न० ६१ से आपने ऐसा आशय व्यक्त किया ।

“आसनोंके साथ सफेद वस्त्र पीला वस्त्र रक्त वस्त्र आदि

वस्त्रोंका विधान रहनेसे आसनोंका विधान श्रावकोंके लिये किया गया है मुनियोंके लिये नहीं क्योंकि मुनियोंको वस्त्र 'धारण करनेकी आज्ञा नहीं इसलिये भांभरीजीने मुनियोंके लिये आसनोंका विधान बना कर वहुत बड़ा धोखा दिया है" इत्यादि । इसके उत्तरमें निवेदन यह है कि वहापर अवश्य श्रावकोंके लिये ही आसनोंका विधान है परन्तु आसनोंमें जो पत्थरके आसनका यह फल बनलाया है कि उसपर बेठनेसे रोगकी पीड़ा होती है । भूमिपर बैठनेसे दुःख होता है यह फल तो उनका मिट नहीं सकता । चाहे मुनि हो चाहे श्रावक हो जो भी उन आसनोंपर बैठकर ध्यान करेगा । उसका दुखदायी फल तो उसे भोगना ही होगा । सर्पके काटनेसे विष न चढे यह बात नहीं हो सकती । मुनियोंके लिये पापाण और भूमिका आसन, दुखदायी फल नहीं दे; यह बात जंच नहीं सकती क्योंकि जो जिस स्वभाव-की चीज होती है उसका वह स्वभाव टल नहीं सकता गुडसे सीचे जानेपर भी नीमका फल कटवा ही होता है । इसलिये यही जान पड़ता है कि आसनोंका उस प्रकारका वुगा भला फल कोई प्रधानता नहीं रखता । इष्टकामनाके लिये भंत्वाराधनके समय बैसा आसनोंका भेड जंच सकता है । इसलिये महाराज पडितजी ! भांभरीजीने किसी प्रकारका धोखा नहीं दिया चर्चा-सागरके कर्ताको सिद्धांत विप्रथक जानकारीकी कमीसे इस विषयका खुलासा करना नहीं आया है इसलिये उन्होंने लोगोंको धोखेमें डाल दिया है । आपने जो लिखा है उसे चर्चासागरसे

मिलान करलें । आपने जो आसनोंके विषयमें लिखा है क्या वही चर्चा सागरमें लिखा है ! आप खुद चर्चासागरके कर्ताकी भूल समझ जायंगे । पृष्ठ नं० ९५ में—

आपने भाँझरीजीको अनभिज्ञ और उद्भूत लिखा है । सो मेरी रायसे तो आसनोंके विषयमें जो भाँझरीजीने लिखा है । उसी बातकी पुष्टि आपने भी की है । हर एक विद्वान् भी उसी बातको पुष्टि करेगा इस लिये भाँझरीजीने चर्चासागर के शब्दोपर समझकर ही आपत्ति को है । आसनोंके स्वरूप लिखनेमें चर्चासागरके कर्ताकी ही भूल जान पड़ती है जो उन्होंने समझ दूभकर उस विषयको नहीं लिखा । इसलिये शास्त्रानुसार सच्ची बात लिखनेसे यदि भाँझरीजी धोखेवाज और उद्भूत हैं तो आप पहिले धोखेवाज और उद्भूत कहे जायंगे क्योंकि आपका और उनका लिखना एक है । अस्तु, सारांश यह है कि किसी भंत्रके आगधन करनेपर आसन आदिके भेदोंका विचार किया जाता है किन्तु आत्म कल्याणके लिये जहा पूजा ध्यान किया जाता है वहां आसनोंके भले बुरे फल पर कोई विचार नहीं किया जाता । वहां नो विशुद्ध परिणामोंके रखनेमें सावधानी रखनी पड़ती है इस लिये चर्चासागरमें सभी प्रकारको पूजा और जपके समय जो बुरे भले आसनोंके आधार बुरा भला फल माना है वह जैनागमके प्रतिकूल होनेके कारण ठोक नहीं ।

ब्रतभ्रष्ट और शूद्रके दर्शनपर शुद्धिका विचार

जपका नर्य किसी पदार्थका चित्तवन करना है। ध्यानमें भी किसी पक तान पदार्थका चित्तवन तो किया जाता है इसकिये जप और ध्यान ये दोनों एक ही अर्थको प्राप्तवाले शब्द हैं। यह ध्यान उनी समय होता है जब चिन्तकी वस्ति मिश्र होती है। जिस चाजका ध्यान किया जाय उसीमें चित्तवा लोन रहना स्थिरता फूलों जाता है। जिस समय मनुष्य ध्यानमें लोन होता है उस समय पान्हों इंद्रियोंमें पक भी इंद्रिय अपना काम नहीं करती। बच्चा ध्यानी दैर्घ्यता मुनता उधना भी नहीं। अपने ध्येयके चिनारमें गर्या रहता है। ध्यान करते समय यदि इंद्रिय अपना काम बराबर बरनी ही रहे तो उह ध्यान नहीं कहा जा सकता वह ध्यानका ढोंग कहा जाता है। ध्यानके समय हम देखे मुने और सुने तो हमारा चित्त कभी स्थिर रहती नहीं सकता ध्यानमें समय यदि हमारे सामने चाढ़ाउ शूद्र या ब्रतभ्रष्ट आ जाय तो हम उसे कभी नहीं देख सकते। यदि देखते हैं तो हमारा ध्यान कायम नहीं रह सकता। ध्यानी मनुष्यको छीक जमाई अपान वायु भी नहीं हो सकती क्योंकि ये धानें मनकी चंचलतामें होती हैं। जब मनकी वृत्ति दूधर उधर रहेगी तभी ये धानें हो सकती हैं। त्रिवर्णाचार प्रन्थके श्लोक उद्दृत कर चर्चासागरमें

यह लिखा है कि “जाप करते समय यदि चांडाल, शूद्र, व्रतभ्रष्टके दर्शन हो जायं वा छोंक, उवासी, अपानवायुका अवसर प्राप्त हो जाय तो जाप छोड़कर आचमन प्राणायाम आदिकर फिर जाप जपनी चाहिये, यह वात जैन सिद्धांतकी नहीं हो सकती। दूसरे मतोंमें मालाके मनकाओंका फेरना ही जप समझ रखा है। चर्चासागरके लिखे अनुसार जैन सिद्धांतमें भी मालाओंके मनका फेरना ही जप कहा जायगा। पर यह वात नहीं। जपमें तो किसी खास पदार्थका चितवन किया जाता है। रुआबके साथ पालती भारकर मालाके मनिकाओंके सरकानेको ही जप कहने पर तो शूद्र आदिके दर्शनसे जप छोड़ दिया जा सकता है क्योंकि वहां मन स्थिर ही नहीं। वहां तो आरामसे मालाके मनका भी सरकाये जा सकते हैं तथा और भी किया आसानीसे की जा सकती है। अन्य मतोंमें यह वात अच्छी तरह देख सुन पड़ती है। जपके स्वरूपका विचार न कर हिंदूधर्मसे त्रिवर्णाचारमें यह वात ली गई है और अपनी ना समझीसे चर्चासागरमें भी यह वात उन्होंकी त्यों रख दी गई है। हां यह वात हो सकती है कि जपकी शुरुआतमें यदि यह वात हो तो आचमन आदि कर जपका प्रारम्भ किया जा सकता है क्योंकि उस समय तक जप शुरू नहीं हुआ है। जैन सिद्धांत आडम्बरी वातको नहीं मानता। ध्यानीको ऐसे आडम्बर पसन्द नहीं आ सकते। ध्यानके रसको जाननेवालेके सामने कोई भी वात हो वह ध्यानसे विचलित नहीं हो सकता। ध्यानके स्वरूपको न पहचान कर ही

चर्चा सागरमे इस अन्य मैजहवको वातको स्थान मिल गया है। नहीं तो ऐसे आडम्बरको जैन सिद्धांतमें जगह कहां। तथा जब यह वात है कि जपका यह स्वरूप हिंदूधर्मके अनुसार है तब आचमन और प्राणायाम ये शब्द भी हिंदूधर्ममें ही प्रचलित हैं इसलिये यह वात भी हिंदू धर्मके अनुसार ही लिखी गयी है। यह वात भी जैन सिद्धांतके अनुसार नहीं हो सकती। यहांपर यह वात कहो जा सकती हैं 'कि जैन ग्रन्थोंमें भी आचमन और प्राणायाम शब्दोंका उल्लेख मिलता है इस लिये हिंदूधर्ममें ही प्राणायाम और आचमनका स्वरूप है, यह वात ठीक नहीं। इसका उत्तर यह है कि शब्द तो ये हिंदूधर्मके ही हैं। जैनाचार्योंने जो इन शब्दोंका उपयोग किया है वह लोक रुढ़िको ध्यानमे रखकर किया है। परन्तु उनकी किया जैन धर्मानुकूल बतलाई है। आचमन करते समय हाथकी मुद्रा और प्राणायामके समय नाक आदिका विकार जो हिंदू धर्ममे माना है, वह नहीं ग्रहण किया है। तथा जाप-ध्यानके समय आचमन प्राणायामका उपयोग कही भी नहीं लिखा यह तो त्रिवर्णचारमें ही लिखा है या उसके आधोन चर्चा सागरमें हैं और जगह तो शौच आदि क्रियाओंके समय आचमनका विधान किया है। जिसका अर्थ कुछां करना है, तथा ध्यानमें हृदयताके लिये प्राणायामका उल्लेख किया है जिससे चित्त निश्चल होकर ध्यानके योग्य बन सके। श्राद्ध वा पितृतर्पण आदि शब्दभी हिंदू धर्मके हैं लोकरुढ़िके अनुसार जैनाचार्योंने उन शब्दोंका उल्लेख किया है परन्तु उनका अर्थ जैन सिद्धांतानुसार

माना है। चर्चा सागरमें जो आचमन प्राणायाम आदृश वगैरह वातें लिखी हैं वे त्रिवर्णाचारके आधारसे लिखी हैं। त्रिवर्णाचारमें ये सब वातें हिन्दू धर्मके अनुसार मानी हैं इस लिये ये वातें जौन सिद्धातसी कभी नहीं मानी जा सकती। भाई रतनलालजी भाँझरीने भी यही वात लिखी है कि जपके समय आचमन और प्राणायामका विधान नया ही सुना गया है। जौन सिद्धान्तमें ये किया नहीं चन सकती। इन वातोंका लेखक जौनी नहीं हो सकता। इसपर पं० मकबरनलालजीने उनके शब्दोपर तो विचार किया। नहीं बहुतसा उन्हे कोस डाला है और ऊट पटांग लिख मारा है—हम यहां भी चर्चा सागर और भाँझरीजी दोनोंके शब्द उद्धृत किये देते हैं पाठक स्वयं विचार कर लेंगे।

चर्चासागरके शब्द

ब्रनच्युतल्यजातीनां दर्शने भाषणे श्रुते ।

क्षुतेऽधोवातगमने जृभने जपमुत्सृजेत् ॥३३॥

प्रासादाचाग्यते तेषां प्राणायानं षड़ंगकं ।

कृत्वा सम्यगजयेच्छेषं यद्वा जिनादिदर्शनं ॥३४॥

अर्थात्—‘जो अपने ब्रतोंसे भ्रष्ट होगया है उसका तथा शूद्रका देखना, इन दोनोंके साथ वात चीत करना, इन दोनोंके वचन सुनना, छोंक लेना, अर्पानवायु वा उवासीका होना यदि जप करते समय ये ऊपर लिखी वातें हो जायं तो उसी समय जप छोड़ देना चाहिये और फिर आचमन और पहंग—छंह अंगोंसे

सुशोभित प्राणायाम कर वाकी बचे हुए जपको अच्छीतरह करना चाहिये यदि आचमन और प्राणायाम न होसके तो भगवान जिनेंद्र का दर्शन कर पीछे जप करना चाहिये ।”

ज्ञांशरीजीके शब्द

“शूद्र तथा ब्रतभ्रष्टके दर्शन होजाय तो जपको छोड़कर प्राणायाम और आचमन करनेसे शुद्धि हो । मुनियोंको आचमन करनेकी सुविधा किस प्रकार हो सकती है ? सभी ग्रन्थोंमें मुनियों द्वारा शूद्रों चांडालों और ब्रतभ्रष्टोंको उपदेश देनेकी बात पाई जाती है जब वे जाप कर रहे हो और उसी समय कोई शूद्र या ब्रतभ्रष्ट उनके सामने आ उपस्थित हो तो मुनि या श्रावक ने, आचमन ओर प्राणायाम द्वारा शुद्धि की हो ऐसा किसी महानुभावने देखा या सुना हैं क्या ? यह आचमन और प्राणायामका संबंध जैनियोंमें नया ही सुना है । यदि रात्रिमें ऐसा अवसर आ उपस्थित हो तो रात्रिमुक्त त्यागी किस प्रकार आचमन कर सकता है ? इससे मालूम होता है कि इसका लेखक जैनी नहीं है या जैनधर्मसे अनभिज्ञ है”

यद्यपि चर्चा सागरमें यह विधि गृहस्थके लिये कही है और वह त्रिवर्णाचारके आधारपर कही गई है । मुनियोंके लिये वह उल्लेख नहीं । परन्तु ध्यानके समय ये बातें असम्भव हैं । यदि की जाती है तो ध्यान नहीं घन सकता । यदि गृहस्थ ध्यानियों के लिये ये बातें हैं तो ध्यानी मुनियोंके लिये भी कहनी चाहिये

परंतु वहां बन नहीं सकती इसलिये ध्यानी गृहस्थ हो या सुनि हो दोनोंके लिये ध्यानके समय ऐसा होना असम्भव है इस बात को लक्ष्यमें रखकर भाभरीजीने वहां मुनियोंका उल्लेख किया है। दरअसलमें जापके समय ऐसा आचमन आदिका विधान कही नहीं दीख पड़ता। विवरणाचार और चर्चासागरमें दीख पड़ा है। यदि कहीं होना तो प० मकबनठालजी जहर उसका उल्लेख करते। सो उन्होंने इस बातकी पुष्टिमें एक भी प्रमाण नहीं दिया इसलिये यही कहना होगा कि यह बात हिंदू धर्मकी है। धर्म द्रोहियोंने जैनधर्मको कलंकित करनेके लिये जबरन इन भ्रष्ट वातों को जैनधर्मका रूप देनेकी चेष्टा की है।

चर्चासागरमें यह लिखा है कि 'जापके समय ब्रतभ्रष्ट आदि का दर्शन होजाय तो जाप छोड़कर आचमन इत्यादि कर फिर जाप पूरी करनी चाहिये।' पंडितजोंको इस बातकी पुष्टिमें अन्य ग्रन्थोंके प्रमाण देने चाहिये थे कि असुक ग्रन्थमें भी यहो लिखा है कि-जापके समय ब्रतभ्रष्ट आदिके दर्शन होनेपर आचमन आदि कर फिर जाप पूरी करनी चाहिये। परंतु पंडितजीने इस बातका एक भी प्रमाण नहीं दिया। इसलिये कहना होगा कि ध्यानके नमय इस प्रकारका विधान धर्मविहङ्ग हैं। नहीं तो पंडितजी धर्मानुकूल उसे जहर सिद्ध करते। पंडितजीने तो आचमन और प्राणायामकी सिद्धिमें कुछ प्रमाण दे डाले हैं जिनकी स्तिद्विधकी यहाँ विशेष जरूरत न थो। खास विषयको तो पंडित

जीने उड़ा ही दिया है । क्या पड़ितजी ! त्रिवर्णाचारके मिवाय आप कह सकेंगे कि---जापके समय आचमन प्राणायामसे शुद्धिध का विधान दूसरी जगह भी है ? जो हो पड़ितजी समझते हैं कि जनता इतना कहा विचार कर सकती है इसीलिये उन्होंने लिखना तो कुछ चाहिये और लिख कुछ और ही मारा है खैर हम पड़ितजी के जौसे शब्द हैं उन्हीं पर विचार करते हैं—

पृष्ठ न० ६६-६७ तक आपने लिखा है कि “चर्वास्त्वागरमे जो यह जापके समय आचमन आदिका विधान है वह श्रावकोंके लिये है मुनियोंके लिये नहीं । मुनियोंके लिये बताकर भाँकरी-जीने धोखेवाजी को है” इत्यादि । इसका उत्तर यह है कि ध्यानी श्रावक हो वा मुनि हो व्रतभ्रष्ट आदिके देखने पर आचमन आदिका विधान उसके लिये अयुक्त है यदि श्रावकके लिये यह बान ढोक है तो मुनियोंके लिये भी होसकती है क्योंकि चित्तकी एकाग्रतासे श्रावक भी ध्यान करता है और मुनि भी करता है । इसी आशयसे भाँकरीजीने मुनियोंका उल्लेख किया है उन्हें धोखेवाज बतलाना अपनी अज्ञानकारी प्रगट करना है । आपने लिखा है कि “आचमन प्राणायामको किया दक्षिणमे है” इस विषयमे यह लिखना है कि वहुतसे दक्षिणके पुरुषोंसे हमारा संपर्क रहा है । प्राणायाम और आचमन करने उन्हे नहीं देखागया यदि कुछ करते हैं तो वे त्रिवर्णाचार सरोखे भूषण ग्रन्थके उपासक हैं इसलिये उनका वह कार्य हम धर्मानुकूल नहीं समझते क्योंकि इसमें जापके समय व्रत भूषण आदिके दर्शन होने पर आचमन आदि

का विधान सिवाय त्रिवर्णचारके दीख नहीं पड़ा यदि होता तो चर्चासागरके कर्ता उसका भी प्रमाण देते यदि उनसे नहीं वन् पड़ा तो आप तो जाहर देते ही, सो आपसे भी तो नहीं वन पड़ा । इसलिये यही कहना पड़ेगा कि त्रिवर्णचारके आधारसे जो चर्चासागरमे यह बात लिखी है वह मनगढ़त कल्पना है इसी लिये वह धर्म विस्तृदध्य है । आपने यहां पर भाक्षरीजीको बहुत कोसा है । सो महाराज ! इस कोसनेसे चर्चासागरकी बात सिद्ध नहीं हो सकती । आपके पास उत्तर न होनेसे यह कोसना है । जो कि एक विद्वान कहे जानेवाले व्यक्तिकेलिये धृणित कार्य है पृष्ठ न० १००मे पृथ्वदिणे ण वयेसु वि ण दंतकहुँ ण आचामं तप्णं । एहाणंजणणस्साणं परिहारो तस्स सण्णेओ ।१४।

अथात् पर्व और अन्य ब्रतोंके दिनोंमे लकड़ीकी दांतुन आचमन तर्पण स्नान अंजन नस्य इनका त्याग समझना चाहिये । यह श्लोक इंद्रनंदि संहिता का उद्घृत कर जैन शास्त्रानुसार आपने आचमनकी पुष्टि की है । प्रथम तो यहांपर यह कहना है कि संहिताके कर्ता भट्टारक हैं इसलिये संहितामें और भी अनेक बातें हिन्दू धर्मके अनुसार होने से जिस प्रकार ॥जैन धर्मकी नहीं मानी जाती उसी प्रकार यह आचमनकी प्रथा भी हि दूर्धर्ममे प्रचलित हैं इसलिये यह भी किया जे न धर्मानुकूल नहीं हो सकती । दूसरी बात यह है कि यदि आचमनसे यहां हिन्दू धर्मके अनुसार आचमनका अर्थ न लेकर

केवल 'कुल्ला करना' यह अर्थ लिया जाय तो पर्व वा ग्रतोंके दिन 'मुख शुद्धि नहीं करना चाहिये' इतना ही अर्थ इस श्लोकका है। इससे इस वातकी पुष्टि नहीं होती कि 'जपने समय ब्रतभूष्ट आदि के उर्जान होनेपर आचमन करके फिर जप पूरा करना चाहिये' क्योंकि चर्चासागरमें यही वात लिखी है और उसीकी सिद्धिके लिये पडितजीने प्रमाण देनेके लिये कमर कसी है। इस रूपसे चर्चासागरके कथनकी जब इससे पुष्टि नहीं होती तो प्रमाणरूपमें यह श्लोक देना निरर्थक है। आचमनको पुष्टिमें यह श्लोक दिया जान पड़ता है नो उसकी पुष्टि भी इससे नहीं हो सकती क्योंकि चर्चासागरमें जिस आचमनका उल्लेख किया है वह त्रिवर्णाचारके आधार से किया है। त्रिवर्णाचारमें आचमनकी विधि हिंदू धर्मके अनुकूल है जो कि जैन धर्मके विरुद्ध है। यहा तो आचमनका अर्थ केवल कुल्ला करना मात्र है। आचमन शब्द देखकर पडितजीने यह श्लोक उछृत कर दिया परन्तु उसके अर्थ पर विचार नहीं किया यह सेव है। यहापर पडितजीने यह भी लिख मारा है कि 'भाँकरीजी ने जो यह लिखा हैं कि आचमन और प्राणायामका सवन्ध नया ही सुना है सो भाई भाँकरीजी आप और आपके समर्थकोंने कितने शास्त्र देखे हैं? आपके लिये अनेकों नयी वात सूक्ष्मगी सो क्या अमान्य ठहरेंगी इत्यादि।' इसके उत्तरमें यह कहना है कि कम से कम आपके बराबर तो समर्थकोंने शास्त्र देखे ही हैं। समर्थकों

मेरे इतनी विशेषता और हैं कि वे शद्दमात्र से नहीं भड़क उठते वे गहराई टटोलते हैं। आप शद्दमात्र से संतोष कर लेने हैं। चर्चासागर में तो कुछ लिखा है पुष्टि आप कुछ और ही कर रहे हैं यह आपको ही शोभा देता है। पृष्ठ नं० १०१ में —

वहिर्विहृष्य सम्प्राप्तो नानाच्छम्य ग्रहं विशेन् ।
वहिरागतो नानाच्छम्य गृहं प्रविशेत् ॥

अर्थात् वाहिर से आकर घर में कुल्ला करके ही घुसना चाहिये। ये वाक्य यशस्तिलक चम्पू और नीतिवृत्त्यामृत के लिखकर आचमन की पुष्टि की गई है। यहां पर भी आचमन का अर्थ कुल्ला है। हिन्दूशास्त्र के अनुसार यहा आचमन की किया नहीं ली गई। वाहर से आकर हाथ पैर धोकर कुल्ला कर घर में घुसना चाहिये यह बात शास्त्री यता नहीं रखती लोक में यह स्त्रिवाज दीख पड़ती है। तथा पुज्ञा व्रतपरणाडय इत्यादि भाव संग्रन्थ की गाथा उड्ढृत की है वहां पर भी यही अर्थ है कि भगवान जिनेन्द्र की पूजा स्नान कुल्ला करके करनी चाहिये। महाराज पटितजो ! चर्चासागर में जो लिखा है उसकी पुष्टि में आप प्रसाण दे। इधर दूध की बातों में कोई तत्त्व नहीं। तथा—

‘तावत्प्रातः समुत्थाय’—इत्यादि इलोक में यह बताया है कि शोन्त्र और कुल्ला कर प्रातः काल की विधि करनी चाहिये। यहां पर भी आचमन का अर्थ कुल्ला है। इससे भी चर्चासागर की बात

पुष्ट नहीं होती । यहांपर आपने भाँझरीजी और उनके मित्रोंको वेहद कोसा है यह खोखापन है । पृष्ठ नंबर १०३ में आपने—

सुनिष्णितसुसिद्धांतैः प्राणायामः प्रशस्यते

मुनिभिर्व्यानसिद्धवर्थं स्थौर्वर्थं चांतरात्मनः ।

अर्थात् अंतरात्माकी स्थिरता और ध्यानका सिद्धि के लिए पूर्ण सिद्धान्तके जानकार मुनियोंने प्राणायामको उत्तम बतलाया है । ज्ञानार्णवका यह श्लोक उद्भृत कर प्राणायामकी पुष्टि की है । परन्तु इस रूपसे प्राणायामकी पुष्टि करना व्यर्थ है कारण प्राणायाम शब्द हिंदूधर्मका है । प्राणायामका लोकमें अधिक प्रचार होनेसे मट्टारक शुभचंद्रने उसे जैन धर्मके रूपमें ढाला है । क्यों कि जैन शास्त्रोंमें धर्मध्यान और शुहूध्यान ये दो प्रशस्त ध्यान माने हैं । प्राणायाम यदि और जैनधर्मके अनुकूल किया जायगा तो वह धर्मध्यानमें ही गर्भित होगा क्योंकि चित्तकी स्थिरताके लिये ही धर्मध्यान किया जाता है । प्राणायाम करनेका भी यही प्रयोजन है । इसरूपसे प्राणायाम जैन सिद्धांतका खास शब्द नहीं । जैन सिद्धांतके अनुसार याहे उसे प्राणायाम कह लो चाहे और कुछ नाम रख दो कोई आपत्ति नहीं । त्रिवर्णाचारमें प्राणायामका स्वरूप हिंदूधर्मके अनुसार माना है इसी पर भाँझरीजीने आपत्ति की है । तथा स्थिरीभवन्ति चेनांसि इत्थादि दो श्लोक ज्ञानार्णवके और भी उद्भृत किये हैं उनमें भी प्राणायामको चित्तकी स्थिरताका कारण माना है यह भी लोकमें प्रचलित प्राणा-

यामको जैनधर्ममें ढाला हैं । इस स्पष्टसे जैन शास्त्रोंमें प्राणायाम का विधान नहीं माना जाता किन्तु लोगोंके कहनेके लिये यह कह दिया जाता है कि भाई हम भी प्राणायाम मानते हैं और उसका तात्पर्य यह है । यदि प्राणायाम शब्द जैन आगमका होता तो ज्ञानार्णवके सिवाय अन्य भी प्राचीन शास्त्रोंमें उसका उल्लेख मिलता । सो नहीं दीख पड़ता । पृष्ठ नं० १०० में

त्रिधा लक्षण भेदेन संस्मृतः पूर्व सूरिभिः

पूरकः कुंभकश्चैव रेचकस्तदनन्तरं ।

अर्थात् पूर्वाचायोंने पूरक कुंभक और रेचकके भेदसे प्राणायाम तीन प्रकारका माना है । यह श्लोक उद्भृत कर प्राणायामके भेद बताये हैं । परन्तु भट्टारक शुभचंद्रके पूर्व किन प्राचीन आचार्यने इस विषयको स्पष्ट किया हैं ज्ञात नहीं होता । ध्यानका विषय कई प्राचीन ग्रन्थोंमें आया है परन्तु चर्चासागरके अनुसार प्राणायामका उल्लेख नहीं दीख पड़ा । तथा

समाकृत्य यदा प्राणधारणं स तु पूरक

नाभिमध्ये स्थिरीकृत्य रोधनं स तु कुंभक ।

यत्कोष्ठादतियत्नेन नासाव्रहम् पुरातनै

वहि: प्रक्षेपणं वायोः स रेचक इति स्मृतः ।

ज्ञानार्णवमें ये दो श्लोक उक्तं चक्षकहकर दूसरे ग्रंथके दिये हैं । ये श्लोक जहांतक माटूम पड़ता है वैशेषिक दर्शनके हैं । किसी जैन

शास्त्रके नहीं। पण्डितजीने उन्हें जैनशास्त्रके मानकर यह लिख मारा है कि प्राणायामकी क्रिया ज्ञानार्णवसे पहिले भी जैन सिद्धातमे प्रचलित थी यह उनकी गलती है। छानवीन करनेसे यह वान चौडे आजायेगी और यह भी स्पष्ट हो जायगा कि प्राणायाम—पूरक कुंभक रेचक ये सब वाते हिंदूधर्मकी हैं। उन्हें बुद्धिमत्तासे जैन धर्मानुसार ढाला गया है। पृष्ठ न० १०५ मे—

आकार' मरुना पूय कु'भित्व रेफवहि'ना

दण्डवा स्ववपुषा कर्म स्वतो भस्म विरेच्य च । १८३

अर्थात् ध्यानके समय अपने समक्ष आकारको पवनसे चैष्टित मानना तो पूरक हैं। रेफल्पी आगसे उसे कुंभित करना रोकना कुंभक है और स्वयं अपने शरीरसे कर्मोंको जलाकर उनकी भस्मको वाहिर फेकना यह रेचक है। इस तत्वानुशासनके श्लोकसे तो यह स्पष्ट ही हो जाता है कि पूरक कुंभक और रेचक ये शब्द दूसरे मतके हैं। उनका अर्थ उस मतमें दूसरे प्रकार माना है परन्तु वह अर्थ ठीक न होकर ठीक यही है। ऐसे करनेसे ही ध्यानकी सिद्धि हो सकती हैं और उसी ध्यानसे आत्माका कल्याण हो सकता है। शास्त्रोंमें यह देखनेमें आता हैं कि भगवान जिनेंद्रको ब्रह्मा विष्णु महादेव बुद्ध आदि कह दिया जाता हैं। परन्तु स्तुति उनकी जिनेंद्रके स्वरूपसे ही की जाती है ब्रह्मा वा विष्णु आदिके स्वरूपोंसे नहीं उसी प्रकार ध्यान की क्रियाको पूरक कुंभक आदि नाम दे दिये जांय परन्तु कहना

उन्हे धर्मसंध्यान हो होगा क्योंकि ब्रह्मा विष्णु आदि शब्दोंके समान पूरक कुभक आदि शब्द भी परमतके हैं। पृष्ठ नं० १०६-मे आपने ।

तत् उपविश्य पूर्ववदाचामत् कृत्वा ओं ह्रीं
असि आ उसाय नम स्वाहा अनेन पञ्चागुरुणां विवारं
जलादि अर्धप्रदानं विधाय पुनराचामनं कृत्वा पञ्च
दश तर्पणानि कुर्यात् ओं ह्रीं अर्हद्भ्यः स्वाहा ओं ह्रीं
सिद्धेभ्य स्वाहा इत्यादि

अर्थात् फिर बैठकर पहिलेके समान आचमन करके 'ओ ह्रीं' असि आ उसाय नमः स्वाहा'इस मन्त्रको बोलकर पञ्च परमेष्ठियोंको तीन बार जलादि अर्ध देकर फिर आचमन करके पंद्रह तर्पण करे। ओं ह्रीं अर्हद्भ्यः स्वाहा ओं ह्रीं सिद्धेभ्यः स्वाहा इत्यादि पंद्रह तर्पण मन्त्र है इस प्रकार अकलंकप्रतिष्ठापाठका प्रमाण देकर आचमनकी पुष्टि की है। यहांपर इन्हा ही लिखना पर्याप्त हैं कि यह हिंदूधर्मके अनुसार आचमनको नकल की है वहांके मन्त्रों मे असि आ उसा, आदि जैनमंत्र जोड़ दिये हैं। यह सब बनावटी मालूम होता है ऐसी नकलरो डैनधर्मकी रक्षा नहीं हो सकती। इसी तरह अगुण्डानामिकाभ्या नासाविवरणह्य इत्यादि नेमिचन्द्र प्रतिष्ठा पाठके गच्छ उद्भूत कर आचमनकी पुष्टि की है। यह भी बनावटी है। दूसरे मन्त्रकी बातोंको इस प्रकार ढालने पर वे आगमकी बातें नहीं मानी जा सकती ।

लोंका भेड़ दूढ़िया पथियोका है। गुजरातमें इनकी प्रबलता अधिक थी। इनकी कियायें भ्रष्ट होती ही हैं। किसी कारणवश भट्ठारक श्रुतसागरने पट्ट पाहुड़की टीका लिखते समय “अथत्यचारा गृहस्थधर्मदिपि पतिता उभयस्वप्ना वेदितव्याः ते लोंका इत्यादि लिख कर सधेरे उनका नाम लेना और मुह देखना भी बुरा बतलाया है। पाठक जानते हैं दूढ़िया मत जुदा ही है। उस मतके पालन करनेवालोंको व्रतभ्रष्ट नहीं कह सकते क्योंकि दि० जैनधर्मनुसार जो व्रत धारणकर उसे छोड़ देता है वह भ्रष्ट कहा जाता है। ‘लोंका लोग जब जुदे हैं तो वे व्रतभ्रष्ट नहीं कहे जा सकते। शूद्रोंरो अस्पृश्य शूद्रोंका ग्रहण है वे अस्पृश्य भी नहीं। इस रूपसे लोका लोग जब व्रतभ्रष्ट और शूद्र दोनों ही नहीं कहे जा सकते तब पृष्ठ नं० १०७मे व्रतभ्रष्ट और शूद्रके दर्शनका निषेध ऐसा मोटे अक्षरमें हेडिङ्ग देकर पण्डितजीने उन्हे व्रतभ्रष्ट और शूद्र कैसे कह दिया ? यह जान नहीं पड़ता। यदि इस उदाहरणको न देकर कोई दूसरा उदाहरण पण्डितजी दे देने तो भी ठोक रहता परन्तु वहां तो जो मनमें आता है वह लिख दिया जाता है। विचारके लिये नो दिमागको काट दिया ही नहीं जाता पृष्ठ नं० १०८ मे असंजातान्यसंसर्ग, मुध्रीदेवानपाचरेत् अर्थात् विघ्नानको चाहिये कि दूसरेके संपर्कसे रहित होकर वह देवोंकी उपासना करे। ये शब्द यशास्तिर्लक्ष चुंपूके दिये हैं। और ये पूजाके समय कहे गये हैं। पूजाके समय स्नान पूर्वक शुद्ध थोती-

दुपद्धा पहिन कर पुजारी दर्शन करनेवाले जैनियोंको भी नहीं छुता क्योंकि उनके वस्त्र शुद्ध नहीं रहते । इन वाक्योंको उद्धृतकर क्या पण्डितजीका यह भी मत है कि जिन्हें पुजारी नहीं छुता वे दर्शनोंके लिये मन्दिरमें आये हुए सभी जैनी ब्रतभ्रष्ट और शूद्ध हैं । मालूम नहीं होता इन वचनोंके उद्धृत करनेकी यहां क्या आवश्यकता थी क्योंकि इस श्लोकमें ब्रतभ्रष्ट और शूद्धके स्पष्ट का निषेध नहीं किया गया । ऐसों वे प्रकरण चार्त लिखनेमें न मालूम पण्डितजीने क्या महत्व समझ रखता है पृष्ठ नं० १०८ में

चांडालादिक नर जिते हीन करम करनार ।

तिनहि लखन वचनहि सुनत अंतराय निरधार ॥

यह दोहा क्रिया कोपका उद्धृतकर चांडालादिको देखना उनके वचन सुनना अंतरायके कारण माने हैं परन्तु यहां पर यह नहीं कहा कि जप करते समय यह अंतराय है क्योंकि चर्चा-सागरमें जप करते समय इनका देखना बुरा कहा है । जो हो चर्चा-सागरमें यह लिखा था कि जप करते समय अदि ब्रतभ्रष्ट या शूद्ध के दर्शन हो जाय तो जप छोड़ देना चाहिये फिर आचमन प्राणायाम या जिनेन्द्र दर्शन कर शेष जपको पूरा करना चाहिये । इस वातकी पुस्तिमें पण्डितजीको प्रमाण देने चाहिये श्रे परन्तु थापने एकभी प्रमाण नहीं दिया ठीकही है जब यह वात जैनधर्म नुक़ल हो तब तो प्रमाण दिये जासकते हैं जब यह वात ही नहीं तब प्रमाण कहांसे डिये जा सकते हैं ? भाई गननलालजी भाँझरी ने यह लिख दिया था कि यह आचमन और प्राणायामका नाम

नया सुना है । क्योंकि भाभरीजीका तात्पर्य यह हैं कि त्रिवर्णाचारमें जो आचमन और प्राणायामका वर्णन है वह हिन्दूधर्मके अनुसार होनेसे प्रामाणिक नहीं माना जा सकता । वस इसी वातपर आचमन और प्राणायामकी पुष्टिके लिये पण्डितजीने कई प्रमाण दे डाले हैं पर वहापर आचमनका अर्थ कुल्ला-या मुख शुद्धि मात्र है । हिन्दूधर्मके अनुसार मन्त्रपूर्वक आचमनका विधान नहीं तथा प्राणायामका अर्थ जो ऊपर तत्वानुशासनके श्लोकके आधारसे किया गया है वह है । ये शब्द और इनकी क्रियायें हिन्दूधर्ममे प्रचलित हैं । इनका विशेष प्रचार देख जैनधर्म के अनुकूल इन क्रियाओंको ढाला गया है । जिन ग्रन्थकारोंने यह कार्य किया है अपनी समझसे अच्छा ही किया है परन्तु मैं इस वातको पसन्द नहीं करता क्योंकि सभी मनुष्योंको आचमन और प्राणायामका जैन धर्मानुकूल अर्थ नहीं मालूम हो सकता । प्रचार भी जैन धर्ममे उसका कम है । शायद पण्डितजी खुद भी आचमन प्राणायाम नहीं करते होंगे । इस रूपसे लोककी देखादेखी आचमन प्राणायाम क्रियायें की जानेपर जैनधर्मकी पवित्रता नष्ट होती है । किसी भी रूपमें इन घातोंकी पुष्टि न होकर इनका खन्डन ही होना चाहिये । दूसरे मतके शब्दोंको जैन शास्त्रमें उद्धृतकर पवित्रजैनधर्मकागौरव नहीं कायम रहसकता । पण्डितजीने आचमनकी पुष्टिमे प्रतिष्ठापाठोंके शब्द उद्धृत किये हैं वहा तो स्पष्ट ही हो जाता है कि हिन्दूधर्मके मंत्रोंमें फेरफारकर तथा जैनधर्मके जवरन मन्त्र गढ़कर उनकीजगह बैठाकर

वह वनाचटी रचना को गई है। अस्तु चर्चासागरकी जिस वातकों
अनेक अन्य प्रमाणोंसे पुष्टि होनी चाहिये उसको पुष्टि न करे
यण्डितजीने वृथा समय नष्ट किया है इस वातका खेद है।



किस और मुख्यकर पूजा करनी चाहिये इसपर विचार



पूजाका अर्थ भक्तिपूर्वक सेवा करना है। देव पूजा गुरु
उपासना आदि छह आधश्यक कर्मोंमें पूजाका सबसे पहिले
विधान किया है। गृहस्थको प्रतिदिन पूजा करनी ही चाहिये
नहीं तो गृहस्थपना निरर्थक है। ऐसा जगह २ शास्त्रोंमें विधान
मिलता है। जितनेभर मनुष्य पूजा करते हैं वे अपने कल्याणके
लिये करते हैं चाहे वे किसी भी रूपसे पूजा करें। पूजाके समय
जो उनके परिणामोंमें निर्मलता होती है उससे अवश्य उन्हे
पुण्यवन्ध होता है और उस पुण्यवधसे संसारके उत्तमोत्तम
सुख मिलनेके बाद उन्हें मोक्ष सुखकी प्राप्ति होती है। भगवान्
जिनेन्द्रका मुख पूर्व उत्तरकी ओर शास्त्रोंमें प्रशस्त माना है
उसी आधारसे पूजारीको भी पूर्व और उत्तर सुख होकर पूजन
करनी चाहिये ऐसा लिखा है परन्तु यह सम्भव नहीं हो सकता
कि पूजाका फल पूर्व दिशा और उत्तर दिशाकी ओर सुख करने
वालोंको ही मिलता है और अन्य दिशाओंकी ओर सुख करके

पूजा करनेवालोको भयङ्कर हानि उठानी पडती है । क्योंकि इस रूपसे पूजाका फलाफल वतानेपर भलावुरा करनेमें दिशाही कागण पडती है । पूजासे जो परिणामोमें निर्मलता होती है उसका कुछ फल नहीं मिलता । यह निश्चित है पूर्व और उत्तर दिशाका ओर मुख करनेवालोके यदि परिणामोमें निर्मलता नहीं है तो लाख प्रयत्न करनेपर भी उन्हें पूजाका फल नहीं प्राप्त हो सकता और यदि उनके परिणामोमें निर्मलता है तो पश्चिम और दक्षिण दिशाको ओर मुखकर पूजा करनेपर भी पूजाका उत्तम फल अवश्य प्राप्त होता है । यह तो हो ही नहीं सकता कि पश्चिम दक्षिण दिशाको ओर मुखकर पूजा करनेवालोको पुत्र नाश आदि अनिष्ट फल प्राप्त हों । चर्चासागरमें यदि इनना ही लिखा रहता कि पूर्व और उत्तर दिशाकी ओर मुखकर पूजन करनी चाहिये तो भी किसी वातकी आपत्ति नहीं हो सकती थी परन्तु वहां अन्य दिशाओंमें मुखकर पूजा करने पर पुत्रनाश आदि अनिष्ट फल वताये गये हैं यह अवश्य ही खट्टकले लायक वात है । क्योंकि चर्चासागरमें ये वातें उमास्वामीश्रावकाचारके आधारसे लिखा गई हैं । उमास्वामि श्रावकाचार तत्वार्थ सूत्रके कर्ता भगवान उमास्वामिकृत नहीं हैं उनके नामसे कल्पित हैं । आदिपुराण आदि अन्योंमें भी पूजाका प्रकरण आया है वहापर किसी दिशाका वुरा फल नहीं वतलाया । उमास्वामिश्रावकाचार ने कहांसे लिख मारा । यह वात विचारनेकी है । जो हो हमचर्चासिं

गरके शब्द यहां उद्भृत किये देते हैं और भाँझरीजीने उनपर क्या आपत्तिकी है। यह भी लिखे देते हैं पाठक स्वयं विचार कर लेंगे।

चर्चासागरके शब्द

पश्चिमाभिमुखीभूय पूजां कुर्याज्जनेशिनां
तदा स्यात्सन्ततिच्छेदो दक्षिणस्यामसंततिः ।
आरनेयां चेत्कृता पूजा धनहानिदि॑नेदिने ।
वायव्यां संततिनैव नैक्रृत्यां तु कुलक्षयां ।
ईशान्यां नैव कर्तव्या पूजा सौभाग्यहारिणी ।

अर्थात् भगवान जिनेन्द्र देवकी पूजा पश्चिम दिशाकी ओर मुखकर करनेसे संतानका नाश होता है। दक्षिण दिशाकी ओर करनेसे सन्तान नहीं होती है। आर्ग्यी दिशाकी ओर करनेसे दिन दिन धनकी हानि, वायवी दिशाकी ओर करनेसे संतितका न होना, नैक्रृत्य दिशामे करनेसे कुलका नाश और ईशान दिशाकी ओर मुख कर पूजा करनेसे सौभाग्यका नाश होता है। इस प्रकार वर्णन है। ऐसा समझकर पूर्व और उत्तर दिशाकी ओर मुख करके ही भगवानकी पूजा करनी चाहिये। वाको की दिशाओं वा विदिशाओंकी ओर मुख कर पूजा करनेमें अनेक दोष आते हैं ऐसा जानकर उन दिशाओंको ओर मुखकर कभी पूजा नहीं करनी चाहिये। केवल अपनेको सम्यक दृष्टि मानने वाले अन्य किनने ही जीव अपनी बुद्धिके बलसे तथा हठसे

सामने खड़े होकर पूजा करनेका उपदेश देते हैं सो वे अपना तथा दूसरोका दोनोंका अकल्याण करते हैं। ऐसे लोग शास्त्रोंकी वारोंको भा नहीं मानते केवल अपने हटकों दूढ़ करते रहते हैं। ऐसे लोगोंको जिनवचनका विरोधी ही समझना चाहिये ।

ज्ञांश्रीजीके शब्द

भगवानको पूजा करनेवालेका पूजा करते समय यदि पश्चिम दक्षिण,आग्नेय,वायव्य,नवदृश्य और ईशान दिशामे मुखहोतो क्रमशः सन्तान नाश, पुत्र पौत्रादिनाश, प्रति दिन धन हानी, सन्तान नहीं होना, कुलनाश एव समस्त सौभाग्य नष्ट हो जाना लिखा गया है। भगवानकी पूजनका-ऐसा खोटा फल बतलाना पाप है, यदि ऐसा हो तो जहापर चतुर्मुख प्रतिमाजी विराजमान हो वहा चारों तरफसे पूजा नहीं करनी चाहिये। मन्त्रोंमें सदा भगवानके सामने चौकीके अगल बगल खड़े होकर लोग पूजा किया करते हैं ऐसी अवस्थामें कुछ भाइयोका मुख पश्चिम दक्षिण दिशाओंमें अवश्य होता है तो क्या भगवानकी पूजाका महान फल प्राप्तिके बजाय ऊबल मात्र एक ओर मुख कर लेनेसे इतने भयङ्कर दुःख प्राप्त होंगे। केसा अन्धेर है।

पाठकोंको मालूम होना चाहिये कि चर्चासागरके ये श्लोक उमास्वामि श्रावकाचारके हैं जो श्रावकाचार भगवान उमास्वामि द्वारा बना हुआ न होकर किसी ढोंगीका बनाया है। उसमें पश्चिम आदि दिशाओंमें जो पूजा करनेका महा दुखदायी फल

बतलाया है वह उस आवकाचारके कर्त्ताकी कल्पना है । अन्य अन्योंमें इस प्रकारका भयड़क .फल कहीं भी नहीं लिखा । यही नहीं उमास्त्वामि (?) आवकाचारके वचनोंके अनुसार न चलने-चालेंको हठी जैनधर्मका छेषी तक बतला दिया है । भांभरीजी ने यहांपर यही आपत्ति की है कि यह बात जैनधर्मके अनुकूल नहीं हो सकती । इसपर पं० मक्षवनलाल जीने अनाप शनांप लिखा भारा है जो कि यिलकुल ही जैन शास्त्रोंके विरुद्ध हैं पण्डितजी के निर्थक शब्दोपर तो हम पाँछे विचार करेंगे पहिले पाठकोंके सामने हम धुरंधर आचार्योंके वे प्रमाण पेश करते हैं जिनसे सन्मुख आदि वैडकर पूजा करनेमें महान फल बतलाया है । वे प्रमाण इस प्रकार है—

आचार्यवर्द्ध स्वामी बहुकेर कृत मूलाचारका जैन समाजमें बहुत बड़ा आदर है । यह बात हम ऊपर खुलासा रूपसे लिख चुके हैं जहांपर उन्होंने पूजाका प्रकरण लिखा है वहां सन्मुख खड़े होकर पूजा करनेका फल इस प्रकार बतलाया है—

तेसिं अहिमुहुदाए अत्था सिज्जंति तहय भन्नीए
तो भत्तिरागपुच्चं बुद्ध एदं पाहि निदाणं ५७२ । पृ० २६८
तेषामभिमुखत अर्था. सिद्धंति नथा च भक्त्या ॥
सा भक्तो रागपूर्वमुच्यते इदं न हि निदाणं ॥५७३॥

निन जिनधरादिकनिका सन्मुख पणां करि तथा दृमकिकरि चांछित अर्थ सिद्ध होय है कि या आत्म स्वभावकी सिद्धि होय है

ताते' या भक्ति, राग पूर्वक कहिये है। अर निदान नाहीं है क्योंकि यामे संसारका कारण पणाका अभाव है याते'। यहापर इस प्रमाणसे स्पष्ट है कि भगवान जिनेन्द्रके सन्मुख होकर पूजा करने से विशेष फलकी सिद्धि होती है। सन्मुख होकर पूजा करने वाला चर्चासागरके गव्दोके अनुसार जैनधर्मका विरोधी नहीं हो सकता। यदि ऐसा कहा जायगा तो स्वामी बहुकेर महाराज सबसे पहिले जैनधर्मके विरोधी बने गे क्योंकि उन्होंने सन्मुख होकर पूजा करनेका विधान किया है।

और भी प्रमाण

प्रातः स्मरणीय भगवज्जनसेनाचार्य श्री आदिपुराणमें इस प्रकार सन्मुख होकर पूजा करनेका विधान करते हैं पर्व ४८ में विवाह कियाके वर्णनमें उन्होंने इसप्रकार लिखा है।

पुण्यश्रमे क्वचित्सद्वप्तिमाभिमुखं तयोः ।
दंपत्योःपरथा भूत्या कार्यं पाणिग्रहोत्सवः ॥ १२८॥

अर्थात्—किसी पवित्र आश्रममें सिद्ध भगवानकी प्रतिमाके सन्मुख वडे ठाट वाटके साथ उन दोनों दृपतीके विवाहका उत्सव मनाना चाहिये। यहांपर भी सिद्ध भगवानकी प्रतिमाके सन्मुख ही विवाह कार्य करनेकी आज्ञा दी है—

और भी प्रमाण

जहापर आदि पुराणजोमे वर्णलाभ कियाका वर्णन किया है वहापर भगवज्जनसेनाचार्यने इस प्रकार लिखा है—

तदोपि पूर्ववृत्तसद्ग्र प्रतिमार्चन भग्रतः ।

कृत्वान्योपासकान् मुख्यान् साक्षीकृन्यार्थयेद्धनं १३८

अर्थात् उस समय भी पहले के समान सिद्ध भगवानकी प्रतिमाकी पूजा करै और उसके आगे मुख्य २ श्रावकोंके समक्ष सट चढ़ावे । यहांपर भी इस क्रियाका जिनेन्द्र भगवानकी प्रतिमाके सामने ही विधान किया है ।

और भी प्रभाण

आदिपुराण पर्व ३६ में जहा उपासक दीक्षाका वर्णन किया है वहांपर आचार्य जिनसेनने इस प्रकार लिखा है—

जिनार्चाभिमुखं सूरिर्विधिनैवं निवेदये त्

तदोपासकदीक्षेयमिति सूर्दिने मुहु स्पृशन् ।

अर्थात्—यह तु ग्रहारी श्रावककी दीक्षा है इस प्रकार कहकर दीक्षा देनेवालेके मस्तकपर बार बार हाथ फेरता हुआ आचार्य भगवान जिनेन्द्रकी पूजाके बाद भगवान् जिनेन्द्रके आगे उस दीक्षा देनेवालेको बैठाये । यहांपर दीक्षाके समय भी सामने हीका विधान किया है । चर्चासागरके कथनानुसार क्या आदिपुराणके कर्ता भगवजिनसेनाचार्यको भी जिन वचनोंका विरोधी कहा जायगा ? क्योंकि उन्होंने पूर्व और उत्तर दिशामें पूजा आदिका विधान न कर सन्मुख होकर पूजाका विधान किया है ।

और भी प्रमाण

आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धांतवक्तव्यती विरचित त्रिलोकसार की प्रतिष्ठा जैनसमाजमें नहुत बढ़ो चढ़ो हैं पूजाके प्रकारणमें आचार्य नेमिचन्द्रजी इस प्रकार लिखते हैं ।

गाथा—दिव्यफलपुण्पहत्था सत्थाभरणा सचामराणोया
बहुधयन्तुरारावा गत्ता कुर्वन्ति कल्लाणं ॥०७२॥
पडिवरसं आसाहे तह कत्तिय फङ्गुणे य अट्टमिदो ।
पुण्णदिणोत्तिय भिक्षां दो दो पहरन्तु ससुरेहि ।०७३।
सोहम्मो ईमाणो चमरो बडरोयगो य दक्षिणदो ।
पुच्चवरदक्षिणुतरदिशासु कुञ्जांति कल्लाणं ।०७४।
छाया-दिव्य रुलपुण्पहस्ता श सनाभरणा सचामरानोका

बहुधयजत्तुर्यारावा गत्वा कुर्वन्ति कल्लाणं ।०७५।
भूतिवर्धमाषाहे तथा कार्निके फालगुने च अष्टमोत्त
पूर्णदिनांतं चाभीक्षणं द्वौ द्वौ पूर्हरौ तु स्वसुरैः ।०७६।
सौधम् ईशान चमरो वैरोचनं प्रदक्षिणत.
पूर्वापरदक्षीणोत्तरदिशासु कुर्वन्ति कल्लाणं ।०७७।

अर्थ—दिव्य फल पुण्प आदि पूजन द्रव्य हस्त विषे धारे हैं ।
बहुरि पूर्णस्त आभरण पहरे हैं । चामरानिकरि सहित सेना युक्त है । वहुत ध्वना अर वाजित्रनिके शब्दकरि सयुक्त हैं । ऐसे होत सते अपने स्थाननि ते तहा न दोश्वर द्वोप विषे जाय इन्द्रधनुज

आदि जो जिन पूजन रूप कल्याण ताहि करै हैं । ६७५ । वर्ष
वर्षे प्रति आपाहु मासविष्ये अर तौसे ही कार्तिक मास विष्ये
अर फ़ालुन मास विष्ये अष्टमी तिथि तै लगाय पूर्णिमा दिन
पर्यंत अभीष्टण कहिये निरंतर दोय २ पहर अपने अपने
देवनिकरि । ६७६ । कौन कहा करै हैं सों कहैं हैं—
प्रथम स्वर्ग युगल के इंद्र सौधर्म अर ईशान वहुरि
असुर कुमारनिके इंड चमर अर वैरोचन ये चारों प्रदक्षिणा-
रूप पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर दिशानिविष्ये कल्याण जो जिन
पूजन ताहि करे हैं । पूर्ववाला दक्षिण जाय तब उत्तरवाला पूर्व
को आवै ऐसे चारो दिशानिमे प्रदक्षिणारूप महोत्सव युक्त पूजन
करे हैं । ६७७। यहां पर चारो दिशाओमे स्पष्टरूपसे पूजनका विधान
है । यदि दक्षिण और पश्चिममे सुख कर पूजन करनेमें सन्तान
नाश आदि भयकर फलकी प्राप्ति सिद्धांतोक्त होती तो आचार्य
नेमिचन्द्र कभी नौसा विधान नहीं करते इससे बढ़कर और पुष्ट प्रमाण
क्या हो सकता हैं ? इसलिये यह बात सिद्ध है कि उमास्त्रामि
आचारकाचारके आधारसे जो चर्चासागरमे दक्षिण और पश्चिम
की और सुख कर पूजाका भयंकर फल बतलाया है वह विल-
हुल करिपत है और जैन शास्त्रोके विरुद्ध है ।

और भी प्रमाण

देवोऽर्हत्प्राङ्मुखो वा नियन्तिमनुसरन्नुत्तराशामुखोद्वा-
न्यामध्यास्तेस्म पुण्यां समवस्त्रतिमहीं तां परीत्याध्यवासुः

प्रादिक्षणयेन धींद्रा ध्युयुवतिगणिनी वृस्त्रियः स्वद्वचदेव्यो
देवा सेंद्राद्वच मत्या पशाथ इति गण छादशामी क्रमेण

समवसरणप्रकरण

अर्थात् “मर्यादाने अंगीकार करनवारो अरहंत देव या पवित्र
समवसरण की पृष्ठोंका मध्यकेविर्वं पूर्वदिशाके तथा उत्तर दिशाके
सन्मुख तिष्ठे हैं अरवा अर्हंतने प्रदक्षिणारूप वेष्ट न करि मुनी-
श्वर करपवासिनो थार्यकाने आदि लेय मनुष्यनिकी स्त्री ज्योति-
पनी देवी, व्यंतर देवी भवनवासिनी भमनवासी देव व्यंतर देव
ज्योतिपी देव कल्पवासी देव मनुष्य तिर्यंच ये द्वादश गण अनुक-
मते तिष्ठे हैं नमस्कार पूजा वन्दना करें हैं”। यहांपर भी कोई
दिशाका विधान नहीं सभी दिशाओंकी ओर मुखकर
बैठनेवाले सानन्द भगवानकी पूजा वन्दना करते हैं।
यदि दक्षिण पश्चिम दिशामें मुखकर पूजा करनेसे भयंकर
फल ग्रास होता तो समवसरणकी रचना ऐसी क्यों की
जाती ? परमशक्तिका धारक इंद्र लोगोंको पूर्व और उत्तर दिशा
की ओर मुख कर ही बैठनेकी व्यवस्था करता । साक्षात् केवल
ज्ञानोंके विराजमान रहने पर तो कोई गलती नहीं हो सकती थी ।
इसलिये यही मानना होगा कि उमास्वामिश्रावकाचारमें पूजाका
जो दिशाओंके अनुसार बुरा भला फल माना है वह उनकी निज
की कल्पना है । पूर्वाचार्योंके ग्रथ देख कर उन्होंने यह बात नहीं
लिखी हैं । इस लिये वह कभी प्रामाणिक नहीं मानी जा सकती ।
तथा जो जैनशास्त्रोंके स्वाध्याय करनेवाले हैं उन्हें यह बात
अच्छी तरह मालूम हैं कि—

समवरणमें मानस्तंभके स्रूलमें, अकुत्रिम मन्दिरोंमें, मानस्थंभके मस्तकपर, चैत्य बृक्षोंके स्रूलमें, चतुर्मुख सिद्धोंकी प्रतिमा तथा स्तूप गिरियोंमें चतुर्मुख प्रतिमायें विराजमान रहती हैं। वहांपर भी दक्षिण पश्चिम मुखकर आरती अभिषेक पूजन महाअर्ध्य विधान शातिधारा आदि होती है उन्हें धर्मविरुद्ध नहीं माना जाता। और भी इस विपयमें अनेक प्रमाण दिये जा सकते हैं परन्तु विस्तारके भयसे वैसा करना अनुचित मालूम पड़ता है। सारचात यह है कि पूजा करनेवाला किसी भी ओर मुखकर अपने परिणामोंकी निर्मलताके अनुसार पुण्यवंध कर सकता है चर्चासागरमें जो दिशाओंके आधीन वुरा भला फल माना है वह पूजाके स्त्रूपको न समझ कर ही वैसा किया है। यदि दिशा ही द्वारे भले फलोंके देनेवाली मानी जायगी तो फिर परिणामोंकी निर्मलता कोई चोज ही न ठहरेगी। तथाम्तु अब हम पं० मक्खनलालजीने जो चर्चासागरकी वात पुष्ट करनेकी चेष्टा की है उसपर चिचार करते हैं—

पृष्ट न० १०६ में पण्डितजीने चर्चासागरकी पक्कियां उद्धृत की हैं। वे पक्कियां हवह चर्चासागरकी नहीं उन्हें श्लोक उद्धृत करने थे। दक्षिण आदि दिशाओंका जो महा भयंकर फल चर्चासागरमें बतलाया है वह तो पण्डितजी छोड़ ही गये हैं। जो पक्कियां पण्डितजीने उद्धृतकी हैं यदि वे वैसे रूपमें होती तो जल्दी कोई आपत्ति भी न करता। इसलिये पण्डितजीने चर्चासागर की खास पक्कियोंको छिपाया है। पृष्ट न० ११० में झाँझरीजीके

शब्दोंपर टीका टिप्पणी की है वह भी अयुक्त है। वहाँपर आपने यह भी लिखा है कि “चतुर्मुख प्रतिमाकी चिशेप वात है। उसका विधान भी चिशेप है, इसलिये वहाँपर दिशाओंका नियम नहीं इत्यादि” परन्तु वह ठीक नहीं। वयों कि जब दक्षिण और पश्चिम दिशाकी ओर मुखकर पूजा करना संताननाश आदि अनर्थ का कारण बताया है तब वह दिशाका फल तो चतुर्मुख प्रतिमाकी पूजाके समय भी गिलेगा ही। उस समय कहाँ जा सकता है। यदि यहाँ वात है तो आपको किसी अन्यका प्रमाण देना था कि—चतुर्मुख प्रतिमाके समक्ष दिशाओंका नियम नहीं। आपने अपनी ओरसे लिख दिया वह कैसे प्रमाण माना जा सकता है? कपाय और हठ बहुत बुरी चीज हैं। जिस तरह आपने बिना प्रमाणके यह कल्पना कर दी है कि चतुर्मुख प्रतिमाके समय दिशाओंका विधान नहीं उसी तरह यही लिख देते कि चर्चासागरकी इस विषयमें यथ ठीक नहीं तो बखेड़ा भी न उठता परन्तु आपसे ऐसा कैसे हो सकता है? जिनको भराड़ा कर जन धनकी शक्ति नष्ट करनेमें आजनन्द आता है उन्हें सच्ची वात कह कर शांतिमें कैसे मजा आ सकता है। चर्चासागरमें यह लिखा है कि दक्षिण आदि दिशाओंकी ओर मुखकर पूजा करनेसे सन्तान नाश आदि भयंकर फल भोगने पड़ते हैं। ऐसा ही लेख आपको दूसरे ग्रंथोंका प्रमाणरूपमें उपस्थित करना चाहिये था। परन्तु आपने एक भी उस वातकी उपचिका प्रमाण नहीं दिया। पूर्व और उत्तर दिशाकी ओर मुख कर पूजां करनेका

ता शास्त्रोंमें विधान है परन्तु और दिशाओंकी ओर सुख करनेपर सत्यानाशी फल मिलता है। यह कहीं भी नहीं बतलाया। पृष्ठ
न० ११२ में आपने—

पूर्वशाभिसुखो विद्वानुत्तराभिसुखोऽथवा

पूजां श्रेयोऽथवा जाप्यं सुधीः कुर्याद्दहर्निशं ।

थर्पत् पूर्व और उत्तर की ओर सुखकर विद्वानको पूजा जाप करनी चाहिये यह विद्वानुवादका श्लोक उद्घृत किया है। यहापूर्व उत्तर दिशाका विधान किया है। दक्षिण आदि दिशाका भव्यंकर फल नहीं बनाया इसलिये आप जिस बात को पुष्टि करना चाहते हैं वह इससे सिद्ध नहीं होती। इसी तरह आपने—

उद्गुसुखं स्वयं निष्ठेन् इत्यादि दो श्लोक यशस्तिलक चंपूके उद्घृत किये हैं। निष्ठेहि स्वयं पुज्ञा। इत्यादि गाथा इंद्रनन्दिसहिताको लिखो है। पूरव उत्तर दिसि सुखसार। पूजक पूर्व करै सुख सार इत्यादि किमाकोपका छढ उद्घृत किया है। वेदो दक्षिण अर उत्तर सुख जानिये इत्यादि तेरह छोप पूजाका, पूर्वशाभि-सुख, साक्षादि त्यादि जानार्णव ग्रंथका, पूरव विशि सुखकर बुधवान इत्यादि किमाकोपका प्रमाण उद्घृत किया है। इन स्वयोंमें पूर्व और उत्तर सुखकर पूजा करनेका विधान बतलाया है। दक्षिण आदि दिशाओंका भव्यकर फल नहीं बतलाया। इसलिये ये सब प्रमाण आपके निरर्थक हैं, वर्चासागरकी बात इनसे पुष्ट नहीं हो सकती। पूर्व और उत्तर दिशाओंमें सुखकर पूजन करना चाहिये

इस विषयमे तो कोई आपत्ति ही नहीं । आपत्ति इस बात पर है कि “इन दो ही दिशाओंमें मुख कर पूजन करनी चाहिये, और दिशा ओंकी ओर मुखकर नहीं । यदि दक्षिण आदि दिशाओंमें मुखकर पूजन की जायगी तो संतान नांश आदि भय कर फल प्राप्त होगा” परन्तु इस बातकी पुष्टिमे आपने एक भी प्रमाण नहीं दिया । पृष्ठ न० १६ में आपने क्रियाकोषके आधारसे स्नान दानुन आदि-का विधान भी दिशाओंके आधारसे लिखा है वह भी निरर्थक है क्योंकि इसका कोई उपयोग नहीं फिर भी जिन दिशा ओंका विधान किया है उनरो भिन्न दूसरी दिशाओंमें स्नान आदि करनेसे भयंकर फल नहीं बतलाया । अरन्तु ।

सारांश—पूर्व और उत्तर दिशाकी ओर मुखकर पूजाका विधान विशेषतारो मिलता है परन्तु सन्मुख होकर वा दक्षिण पश्चिमकी ओर मुखकर भी पूजाका विधान है उसकी पुष्टिमें ऊपर अनेक प्रमाण दिये जा चुके हैं । दक्षिण और उत्तरकी ओर मुख करनेसे सतानका नाश आदि महा भयकर फल प्राप्त होता है यह तो कहीं भी मान्य आचार्योंके ग्रन्थोंमें नहीं लिखा । कल्पित ग्रंथ उमास्वामी श्रावकाचारके आधारसे चर्चासागरमें लिखा देखा गया है । वस इसीपर यह आपत्ति को गई है कि ‘‘दिशाओंके आधारसे जिन पूजा का यह भयकर परिणाम और किस मान्य ग्रंथमें लिखा है ।’’ पं० मक्खनलालजीने चर्चासागरकी पुष्टिके लिये यह विषय लिखा है परन्तु किसो ग्रंथमें पूजाका वैसा फल न मिलनेसे वे भी उस बात की पुष्टि करनेमें समर्थ नहीं हुए हैं । उन्होंने पूर्व और उत्तर दिशा

की ओर मुखकर पूजा करनो चाहिये, इस वातकी पुष्टिमें कुछ प्रमाण दे डाले हैं जिनका कि देना विलकुल निरर्थक है क्योंकि उस वात पर कोई आपत्ति थी हो नहीं। पूर्व उत्तर दिशाकी ओर मुखकर पूजा करना सबोको अभीष्ट है। इस लिये पण्डितजीने इस विषयमें जो लिखा है मात्र कई पृष्ठ निरर्थक काले किये हैं। जिस वातपर आपत्ति थी उस वातपर कुछभी न लिख कर अंडवड लिखना बुद्धिमानी नहीं। भोले लोग भले ही समझे कि पण्डितजीने प्रमाण दिये हैं परन्तु जो महानुभाव कुछ बुद्धि रखने हैं और जिन्हे कुछ भी शास्त्रका ज्ञान है, वे कभी पण्डितजीके ऊट पटांग लिखनेको महत्व नहीं दे सकते। असली वात छिपाकर उथर उधर की विना प्रयोजन वात लिखकर जो शक्ति और समय नष्ट किया गया है यह अवश्य ही महान वैदेकी विषय है।



श्राद्ध और पितृतर्पण पर

विचार

॥४५॥

अपने किये कर्मका फल आपको ही भोगना पड़ता है। दूसरा कोई भी उसमें भाग नहीं बटा सकता। जैन शास्त्रोंमें इस वातका घड़े विस्तारसे खुलासा किया है। यदि पुत्र चाहे कि मेरे अपने पिताकी तकलीफ हरहूँ, तो वह हर नहीं सकता। एक जीव मरकर रवर्गमें ही जन्म ले, वह भी कभी नहीं हो सकता। जो जीव आज मनुष्यकी पर्याप्तमे मोजूँद है, वह मरकर फुक्ता, विल्ली, सूअर, गधा, चमगीदड आदि निदित पर्यार्थ भी धारण कर लेता है। जो आज अपना पिता है वह मरकर अपना पुत्र, पोता, पर पोता तक हो जाता है। विशेष क्या आप आपके ही पैदा हो जाता है। ऐसी अनेक कथाओंसे जैन शास्त्र भरे पड़े हैं। लोकमें जो श्राद्ध वा पितृतर्पणकी प्रथा प्रचलित है वह विलकुल कलित, स्वार्थियोंकी बलाई हुर्द, मिथ्या है। क्योंकि श्राद्ध वा पितृतर्पणका वे यह उद्देश बतलाते हैं कि ब्राह्मण और कौओंको भोजन करानेसे वा और भी अनेक चीजें ब्राह्मणों को देनेसे, वे हमारे पितरोंके पास पहुँच जाती हैं परन्तु यह सम्भव नहीं हो सकता। थोड़ी देरके लिये मानलीजिये कि किसी का पिता अपने अशुभ कर्मके उदयसे कुत्ता वा सूअर हो गया

और वहांपर सीं शरीरमें रोग हो जानेसे वह महा बुखों रहने लगा। पूर्वजन्मके उसके पुत्रोंने पिताको, पितर भान्नकर उसका आद्य किया अनेक प्रकारके दान दिये, वे ब्राह्मणोंतक ही रह गये। कुल्ता और सूअरकी पर्यायमें जो पितर थे उनके पास कुछ भी नहीं पहुँचा। अब बताइये चिच्चारे कुल्ता और सूअर स्वप्न पितरोंके उससे ज्ञा लाभ हुआ। ऐसे अनेकों दृष्टिंत शास्त्रोंमें भरे पड़े हैं। एवं आद्य और तर्पणको चिल्कुल सूखोंकी कल्पना तभी जैवजायोंने बड़े जोरसे उनका उपड़न किया है। उपड़न करते समय जैन चायोंने आद्य तर्पणका जैन सिद्धांत नुसार अर्थ भी घटाया है परन्तु उससे जैनशास्त्रों द्वारा आद्य पितृतपेणको पुष्टि नहीं हो सकती ज्ञानोंकि वे हिंदूधर्मके शब्द है इनका नामोत्त्वेव करनेसे जैनधर्मकी पवित्रता नष्ट होती है। जैनचायोंने जो इनका सच्चा अर्थ समझाया है उसके जाननेवाले बहुत कम लोग हो सकते हैं। आद्य तर्पणको कियायें लोकमें प्रचलित है। अपने शास्त्रोंमें भी उनका जान देखकर लोग समझने आद्य तर्पणका विधान हमारे यहाँ भी है। इसलिये लोगोंको देखा देखा वे आद्य आदि करने लग जायेंगे। इससे जैनधर्मको बहुत बड़ा बड़ा लगेगा। जैनसिद्धधारतमें आद्य तर्पणका नाम कोई जानवा ही नहीं। मुनि आदिको दान देना जो आद्य तर्पण कहा गया है उसका नाम आद्य तर्पण नहीं। उसका नाम आहार दान है। उसे आद्य तर्पण कह देना आद्य तर्पणके अर्थको जैन सिद्धांतानुसार ढालना है। इस

रूपसे जिस धर्ममें श्राद्ध तर्पणका विधान हो न हो वहां पर विधान कर देना अवश्य ही चौंका देनेवाली बात है। चर्चासागरमें यहांपर तिलकका विचार किया है वहांपर उसके बिना श्राद्ध तर्पणको भी निरर्थक बतलाया है। वहांपर श्राद्ध तर्पणका विधान देखकर स्वयमेव यह आशका हो जाती है कि श्राद्ध तर्पणकी प्रथा जैनियोंमें कहांसे आई? जिस श्लोक से श्राद्ध तर्पणका विधान किया है वह श्लोक त्रिवर्णाचारका है। त्रिवर्णाचारमें श्राद्ध तर्पणकी पुष्टि हिंदूधर्मके अनुमार की गई है। वहांपर जैन धर्मके अनुसार कोई बात ही नहीं कहा। भाई रत्नलालजीने यह धर्म विश्व बात देखकर ही आपत्ति की है। श्राद्ध तर्पणके प्रकरणमें पं० मकरनलालजीको त्रिवर्णाचार देख कर उसको मिथ्या उहराना था परन्तु उन्होंने उम्म बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने जैनधर्मानुसार जहा श्राद्ध, तर्पण, शब्द आये हैं उनके कुछ प्रमाण दे दाले हें। जो कि चिलकुल निरर्थक हैं व्योंकि वे बातें तो मानीं ही जातीं हैं। पर चर्चासागरमें जो श्राद्ध तर्पण लिया गया है। वह जैनशारत्र सम्मत नहीं हो सकता। पणिडतजीने यहांपर भाँझरोजीको बुरी तरह कोस डाला है यह उनकी गलती है। जा हो हम यहा चर्चासागरकी पंचितया ज्यों को त्यो रखके देते हैं तथा जिस ग्रन्थके आधारसे वे पंक्तिया लिखा है उन श्लोकोंको भी लिखे देते हैं पाठक स्वयं समझ जायगे कि चर्चासागरऔर त्रिवर्णाचारसे जैनधर्मकी पवित्रता किस रूपसे नष्ट होती हैं। इसके बाद हम भाँझरोजीकी जो आपत्ति हैं वह भी उद्भृत करेंगे।

चार्चासागरके शब्द

जपो होस्तनस्था दानं स्वाध्यायः पितृतर्पणं ।

जिसपूजा श्रुतारव्याख्यानं न कुर्यात्तिलकं विना । ४-८५

अर्थात् शास्त्रोंनि लिखा है कि यमोकार आदि मंत्रोंके जप, होम, सत्पात्रोंको दान, जैनशास्त्रोंका पांचों प्रकारका स्वाध्याय, पितृतर्पण, जिनेद्रदेवको पूजन, तथा शास्त्रका श्रवण आदि कार्य विना तिलक लगाये कभी न करना चाहिये । ये चर्चासागरके शब्द हैं । यद्यपि पं० मक्खनलालजीने श्राद्ध तर्पणका अर्थ जैनधार्योंके न्तानुसार किया है परन्तु दहां पर चर्चासागरके कर्तानि जिस ग्रन्थका प्रमाण दिया है उस ग्रन्थमें तर्पण और श्राद्धका अर्थ क्या लिखा है ? वह देखना चाहिये । चर्चासागरके कर्तानि वह इलाल त्रिवर्णाचारसे डाया है उस विवरणाचारमें श्राद्ध तर्पणका खुलासा इस प्रकार किया है—तर्पण

असंस्काराद्वये केविज्ञलाशाः पितरः सुराः

तेषां संतापतृप्यर्थी दीयते सलिलं भया । ११ । अ० ३

अर्थ—जो पिना संस्कार होन मरे हों जलकी इच्छा रखते हों और जो देव जलके इच्छुक हों उनके संतापकेलिये मैं पानो देताहूं बलसे तर्पण करता हूं । ११ ।

हस्ताभ्यां निक्षिपेत्तोयं तत्तोरे सलिलाद्वहिः

उत्तर्य पीड्येद्वस्त्रं संत्रतो दक्षिणे ततः । २३ ।

अर्थ—यह उपयुक्त झलोक पढ़कर हाथमें जल लेकर उसजलाशशयके तीरपर जलके बाहिर जलको अंजली छोड़े इसके बाद वस्त्र उतार कर मंत्रपूर्वक दक्षिण दिशाकी तरफ निवैदें । २३ ।

केचिद्दिस्मः कुले जाता अपूर्वव्यंतराः सुरोः ।

ते गृह्णं तु मया दत्तं वस्त्रनिष्पोडनोदकम् ॥१३॥

अर्थ—और जो कोई हमारे कुलमें उत्पन्न हुए पुरुष मरकर व्यंतर या असुर जातिके देव हुए हो तो वे मेरे द्वारा वस्त्र निचोड कर दिया हुआ जल ग्रहण करें । १३ । कहिये पण्डितजी महाराज ! यह आपके प्रमाणीक ग्रंथ त्रिवर्णाचारमें तर्पणका खुलासा है, क्या यह आपको स्वीकार है ? यदि स्वीकार है तो आपको यह विधि खुलासा लिखकर पुष्ट करनी चाहिये थी । मुनिदान आदिको जो तर्पण श्राद्धका रूप दिया गया है उस पर न भुक पड़ना चाहिये था । कथोंकि उपरके जिस श्लोकसे श्राद्ध तर्पणका विधान किया है वह भी त्रिवर्णाचारका है । और यह विधि भी त्रिवर्णाचार में लिखी है । आपने श्लोकके तर्पण पदको सिद्धधार्तोक मानकर उसकी पुष्टिके लिये तो अनेक पृष्ठ काले कर डाले और इस त्रिवर्णाचारको लिखी विधिको प्रमाण माननेमें पोल खुलती देखकर उसका नाम तक नहीं लिखा । क्या आपके मतानुसार त्रिवर्णाचारके कर्त्ता सोमसेन जैनाचार्य नहीं ? उनको तो आपने जैनाचार्य कहकर लिखा है । एक बात उनको प्रमाण मानी जाय और दूसरी प्रमाण न मानी जाय यह हो हो नहीं सकता नहीं तो उन्हें जैनाचार्य कहना समजाको धोखा देना कहा जायगा ? अब त्रिवर्णाचारकी श्राद्ध विधि सुनिये—

तीर्थतटे प्रकर्तव्यं प्राणायामं तथाचमम् ।

संध्यां श्राद्धं च पिंडस्य दानं गेहेऽथवा शुचौ ॥१७७॥

अर्थ— प्राणायाम, आचमन, संध्या, श्राद्ध, और पिंडदान ये नदी वगैरहके किनारे पर बैठकर करे। अथवा अपने घरमें भी किसी पवित्र स्थान पर बैठकर करे। १७७।

सिंहकर्कटयोर्साध्ये सर्वा नद्यो रजस्वलाः ।

तासां तटे न कुञ्चोऽत वर्जयित्वा समुद्रगाः ॥७८॥

अर्थ— सिंह और कर्कट सूक्ष्मणमें सभी नदियाँ प्रायः, अशुद्ध रहती हैं इसलिये उन दिनों उनके किनारे पर उक्त क्रियार्थे न करें किन्तु समुद्रमें जानेवाली नदियोंके तटपर करनेमें कोई दोष नहीं। कहिये पण्डितजी ! इस श्राद्धको भी आप जैनधर्मानुकूल मानेंगे ? ये तो आपके पूज्य सोमसेन आचार्यके वचन हैं। आपने इस वात को छिपाकर जो इधर उधरका लिख भारा है वह आपने अच्छा नहीं किया है। ऊपरके जिस श्लोकमें श्राद्धका उल्लेख किया गया है वह श्लोक जब त्रिवर्णाचारका है तब त्रिवर्णाचारका कहा हुआ ही श्राद्धका विधान आपको मानना होगा, सो आपने एकदम छोड़ दिया। भांझरीजीकी भी आपत्ति इसी तर्पण और श्राद्धके विषयमें है क्योंकि चर्चासागरमें इसोप्रकारके श्राद्ध तर्पणकी आज्ञा दी गई है। आपने जो तर्पण श्राद्धका अर्थ लिखा है उस पर तो कोई आपत्ति है ही नहीं इसलिये आपने जो श्राद्ध तर्पणको पुष्टिमें लिखा है वह विलकुल निरर्थक है। आपके वैसे लिखनेसे चर्चासागरके मतानुसार श्राद्ध तर्पणकी पुष्टि नहीं हो सकती। कृपानि-धान् ! इस विषयमें तो आपको चर्चासागरका कथन सर्वथां जैन

धर्मके विपरीत करार देना होगा । देखिये भांझरोजीकी क्या आपत्ति है—

‘जप होम दान स्वाध्याय पितृतर्पण पूजा शास्त्रशब्दन आदि कार्य बिना तिलक लगाये नहीं करना चाहिये’। और तो टाक परंतु यह पितृ तर्पण (श्राद्ध) जैनियोंमें कवरसे शुरू हो गया ? जैनधर्मके जितने प्राचोन ग्रन्थ उपलब्ध हैं क्या कहीं पितृतर्पण करना लिखा है ? जैन सिद्धान्तमें ऐसे पितृ नामकी कोई चीज मानी गयी है क्या ! जैनियोंमें यह रीति प्रचलित कहीं नहो है । मालूम होता है यह नया विधान अपने स्वार्थके लिये प्रचलित किया जारहा है ।” भांझरी जीके इन शब्दोंसे जिन आचार्योंने श्राद्ध तप ण आदि हिंदूधर्मके शब्दोंको जैन सिद्धान्तके अनुसार ढाला है उसपर कोई आपत्ति नहीं की गई किन्तु चर्चासागरमें जो श्राद्ध तर्पण आदि लिखा है वह त्रिवर्णाचारके आधारसे लिखा है । त्रिवर्णानारम्भे श्राद्ध तर्पणका विधान हिंदूधर्मके अनुसार माना है जैसा कि ऊपर लिखा गया है इसलिये भांझरीजीकी आपत्ति विलकुल ठीक है । भांझरीजी हो क्यों अनेक आचार्योंने त्रिवर्णाचारके अनुसार जो श्राद्ध तर्पण माने हैं उन्हें धर्मविरुद्ध बताया है । जैनाचार्योंने श्राद्ध तर्पणको किनना चुरा बतलाया है । यह पर हम उनके बचनोंका उल्लेख करने हैं ।

आचार्य सकल कीर्ति विरचित प्रश्नोत्तर श्रावकाचारमें तर्पण और श्राद्धको इस प्रकार हेय बतलाया है ।

तर्पणं ये प्रकुर्वन्ति सृतजीवादिश्चेयस्ते ।

सिध्यात्त्वसत्त्वसंघाताहूवारप्ये असंति ते ॥१७॥

अर्थ—जो मूढ़ प्राणी मरे जीवनिके कल्याणके अर्थ तर्पण करे हैं ते प्राणी सिध्यात्त्व अर प्राज्ञोनिके घात ते संसार रूप अनन्दिष्वे भ्रमे हैं ॥१७॥

और भी प्रमाण—

सातृपित्रादिसिद्धधर्थं आद्वं कुर्वन्ति ये वृथा ।

गृह्णन्ति ते खपुष्पेण वै वंध्यासुनदोखरं ॥१८॥

अर्थ—माता पितादिके सिद्धिके अर्थ जो पुत्र वृया आद्व करे हैं वे वाकाशके पुष्पकरि वंध्याके पुत्रका सेहरा गूंथे हैं । तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार वाँक स्त्रीके पुत्रका होना असम्भव है । वाकाशके पुण्योको माला होना असम्भव है उसी प्रकार श्राव्यसे माता पिताको लाभ पहुंचना असम्भव है । जोलोग ये क्रियायें करते हैं वे मूढ़ हैं ॥१८॥

और भी प्रमाण

भोजनं कुरुते पुत्र पिता पश्यति तं स्वर्यं ।

यदि तृप्तिभं देन्तैव सृनः सोऽपि कथं श्रयेत् ॥१९॥

पुत्र हैं सो भोजन करे हैं अर पिता निहिं पुत्रते आप हैं तो तृप्ति ताहुं नहीं प्राप्त होय है तो मत्ता कैसे तृप्त होयगा ॥१९॥ आचार्य सकल कीर्तिं यह एक बड़ी सुन्दर युक्ति दी है । पिता पुत्र एक सांश बंडे हैं वहांपर पुत्रके सालैनेसे पिता

का पेट नहीं भरता जब पासमे बैठनेपर 'युत्रके खानेसे पिताका पेट नहीं भरता तब जो पिता मरकर न मालूम कहाँ गया है उसकी तृप्तिके लिये उसका पुत्र श्राद्ध कर ब्राह्मण आदिको भोजन चाराचै' तो उस मरे पिताको कैसे तृप्ति हो सकती है । इसलिये श्राद्धकी किया भोले जोवोको उगनेके लिये है । पवित्र जैन सिद्धान्तमे ऐसी कियाओका कभी समाचेश नहीं हो सकता ।

और भी प्रमाण—

आचार्य देवसेन सूरिका बनाया हुआ एक भावसग्रह ग्रन्थ है उसमें श्राद्धको इस प्रकार हेय बतलाया है—

कुण्ड सराह' कोई पियरे संसारतारणत्येष ।

सो तेसिं भंसाणि य तेसिं णामेण खावेह ॥२९॥

पृ० ६ छापा

अर्थात्—पितरोंको सप्ताहसे तारनेके लिये जो उनका श्राद्ध करते हैं वे उनके नामसे उनका मास खाते हैं । पाठक ! विचारिये यहापर देवसेन सूरिने श्राद्धके कार्यको कितना बुरा कहा है । ऐसे निष्ठ श्राद्धका चर्चासागरमें विधान किया गया है और पं० मक्खनलालजी उसकी पुष्टि कर रहे हैं । यह आश्चर्य है ।

और भी प्रमाण—

आचार्य सोमदेवने यशास्तिलक चपूमे श्राद्धकी इस प्रकार निर्दा का है ।

मन्येषु चेन्सज्जनि नाकिनां वा विद्याय पुण्यं पितरं प्रयातात्
तेषामपेक्षा द्विजकाकमुक्तैः पिण्डैर्भवेद्वर्षकृतैर्न कापि
गं त्यत्तरं जन्मकृतां च पितृणां स्वकर्मपाकेन पुराकृतेन
नथापि किं तेन न दृष्टमेतत्तुस्मिः परेषाँ परितपिणीति

अर्थात्---अपने पुण्यके अनुसार पितर लाग पिता माता आदि
अपने बन्धुगण मनुष्योंमें या देवोंमें पैदा हो जाते हैं अर्थात् मनुष्य
गति वा देवगतिमें उत्पन्न हो जाते हैं उनके लिये साल २
पौछे काँचा और ब्राह्मणोंको खिलानेसे कुछ फायदा नहीं है
परथान् उन्हें खिलानेसे पगलोकमें जानेवाले पितरोंका कोई सरब्रन्ध
नहीं हैं। अपने पूर्व कर्मके उद्ददसे दूसरी पर्यायमें गये हुए पितर
लाग इस ब्राह्मण भोजन आदिसे कर्मा लृप्त नहीं हो सकते।
उनका इस ब्राह्मण भोजन और काक भोजनसे कोई सम्बन्ध
नहीं है किन्तु ब्राह्मण और काक ही लंतुए होते हैं यह बात
निश्चित है। इन विषयमें विस्तार भद्रसे अधिक प्रमाण देना
व्यर्थ है। आङ्ग तर्पणके निषेधमें अगणित प्रमाण शास्त्रोंमें भरे
पड़े हैं। जो हो वह बात अच्छी तरह सिङ्ग द्वारा चुकी है कि—
कर्चासागरमें जो श्राद्ध तपेणका विधान किया गया है वह विल-
कुक्त जनशर्मके चिपरीन है। उसे कोई माननेके लिये तैयार नहीं। अब
हम प० मवखललालज्ञनि श्राद्ध और तपेणकी पुष्टिमें जो व्यर्थ
लिख मारा है उसका विचार करने हैं।

पृष्ठ नं ११७ में 'पिनुतर्पणके अर्थके समझनेमें भांभरीजी'

की नासमझी वतलाई है और लिखा है कि समाज नाम रहने पर भा पितृतर्पण जौनधर्मके विश्वद्वय नहीं। अन्य मनियोंने जो पितृतर्पणका अर्थ माना है वह धर्म विश्वद्वय है और मिथ्यात्व है “त्यादि” यहापर इनना हो लिखा पर्याप्त है कि भाँझगी जीने वूच समझ वूझकर पितृतर्पण और श्राद्धधरपर आपनि की है जिस ग्रंथसे चर्चासागरमें पितृतर्पणको पुष्टिमें श्लोक लिया है उस ग्रन्थनक को देखा है। उस ग्रंथ त्रिवर्णाचारमें पितृतर्पण और श्राद्धको गेनि प्राय हिन्दूधर्मके अनुभार मानी हैं। इसलिये चर्चासागरमें किया हुआ श्राद्धव तर्पणका विधान प्रामाणिक नहीं समझा जा सकता। पृष्ठ नं० ११६ में—

**जन्मैकमात्माधिगमोद्दितीयं भवेन्मुनीनां वत्कर्मणा व
अमो छिजाः साधु भवंति तेषां संतर्पणं जौनजनः करौतु**

अर्थात्—एक जन्म तां गर्भसे निकलना माना जाता है द्रमग जन्म ब्रनक्रिया और दोषा किया द्वारा मुनियोंका माना जाता है, इसलिये ये मुनिगण दो जन्मवाले द्विज ब्राह्मण हैं यह बात अच्छा तरह सिद्ध हो जाती है। उन मुनिरूप छिजोका तर्पण जैनो लोग करते हैं। उन मुनियोंको दान देते हैं। पंडितजीने यह केवल तर्पण शब्दकी पुष्टिमें यशस्विलक चपूका श्लोक उद्घृत किया है। परन्तु आपन्ति पितृ तर्पण शब्दपर है। सो पितृतर्पण शब्दका यह अर्थ नहीं किया गया है। यदि यहापर यह लिखा रहता कि इसीको पितृतर्पण कहते हैं तो भी यह श्लोक इस प्रकरणमें उपयोगी होता परन्तु वैसा नहीं लिखा तर्पण शब्दको देखकर पितृ-

नर्पण समझ लेना यह बड़ी भारी भूल है। यहांपर इस श्लोकका प्रमाण रूपमें उत्तेज करना निरर्थक हैं। पृष्ठ नं० १२० में पंडितजीने —

नि॑र्मित्तं न कोऽपीह जनः प्रायेण धर्मधोः,

अत् श्राद्धादिकाः प्रोक्ताः क्रियाः कुशलवुद्धिभिः ।

इस श्लोकका यह अर्थ लिखकर कि “विना निर्मित्तके कार्डे भी पुरुष धर्ममें बुद्धि नहीं लगाता है इसी लिये चतुर बुद्धिवालोने (आचार्योने) श्राद्धादिक क्रियायें बतलाई हैं” यह श्राद्धकी पुष्टि की है। परन्तु यह धर्थ इस श्लोकका नहीं है किन्तु इस श्लोकका अर्थ यह है कि—“विना कारण किसी मनुष्यकी प्रवृत्ति धर्मार्थ नहीं होती इसलिये संसारकी हवा पहिचाननेवाले चालाक पुरुषोंने ये श्राद्ध आदि क्रियायें चलाई हैं, वास्तवमें ये क्रियायें मिथ्या हैं।” यशस्त्वलक चंपूमें यह श्लोक उस प्रकारणका है जहांपर महाराज यशोधरकी माता वैदिक धर्मको मानती थी और महाराज यशोधर दि० जैन धर्मावलम्बी थे। माताने अपने पुत्रको वैदिक धर्म स्त्रीकार करनेके लिये श्राद्ध आदि कामोको प्रशंसा की है, वहांपर महाराज यशोधरने मर्त्ये षु चेत्सद्यसु नाकिनां वा इत्यादि दो श्लोकोंसे श्राद्धका खंडन किया हैं वहीं पर महाराज यशोधरके ये वचन है कि विना कारण लोग धर्म नहीं करते इसलिये धर्मके वहानेसे स्वार्थ लोगोंने श्राद्धादि क्रियायें जारी कर दी हैं। इससे महाराज यशोधरने श्राद्ध क्रियाको ढोंग बताकर उसका खंडन किया है। विद्वान पाठक वहांका प्रकारण निकालकर पढ़ सकते

है। पं० मवखनलालजीने कुशलबुद्धिमिः का अर्थ आचार्य किया है। हमें नहीं मालूम यह अर्थ उन्होंने कहांसे कर डाला? इस श्लोक-की श्रुतसागर सूरिकृत सस्कृत टीका भी हैं उसमें भी इसका अर्थ आचार्य नहिं किया। टीकाकार भला कुशलबुद्धि शब्दका अर्थ आचार्य कैसे कर सकते थे क्योंकि श्राद्ध कियाका किसी भी प्राचीन ग्रंथमें विद्यान नहीं। पं० मवखनलालजीने यहापर बहुत बड़ा अनर्थ किया है। यहापर तो श्रुतसागर सूरिसे भी पंडितजीने अपनेको विशेष विट्ठान मान लिया है क्योंकि जो अर्थ श्रुतसागर सूरिको न सूझा वह पं० मवखनलालजीने सुझा दिया है। उस पंडिताईके लिये धिक्कार है जो मिथ्यात्वको बाते जारी करनेके लिये खर्च की जाती हैं। श्लोकका अर्थ न समझकर यशस्ति-लक चंपूमें श्राद्धका विद्यान बतलाकर पं० मवखनलालजीने यहां बहुत बड़ा धोखा दिया है। इसके ऊपर 'येनापि वेनापि मि-षेण मान्यै' इत्यादि श्लोक और हैं उससे यह बात विलक्षुल न्पष्ट है कि स्त्रार्थी लोगोंने श्राद्ध आदि बातें चलाई हैं। वे बातें जैन धर्मकी नहीं। परन्तु कोई ग्रंथके अर्थपर विचार करे तब न। अस्तु। पृष्ठ न० १२१ में—

“सुगधिजलसंपूर्णं पात्रमुद्धृत्य भामिनी इत्यादि तीन श्लोक पद्मपुराणके लिखकर यह स्पष्ट किया है कि मुनियोको दान देना ही श्राद्ध कहा जाता है। वहांपर श्राद्ध शब्दके आजानेसे पंडितजीने उसे श्राद्ध बतला दिया है। तथा “श्रद्धयान्त-

प्रदान तु सद्भ्यः श्राद्धमितीयते ।” “श्रद्धया दीयते दानं श्राद्ध-
मित्यमित्रायते” अर्थात् श्रद्धापूर्वक दान देना ही श्राद्ध है। इस प्रकार श्राद्धका अर्थ बतलाया है। परन्तु इस कथनसे श्राद्धका पुष्टि नहो होता। क्योंकि इसे जैन शास्त्रमें आहार दान कहा है वह भी श्रद्धापूर्वक दिया जाता है इसलिये उसे श्राद्ध कह दिया जाता है। चर्चासागरमें जो पितृतर्पण वा श्राद्ध बतलाया है उस श्राद्धकी पुष्टि इससे नहीं होती। आप “चर्चासागरके अनुसार श्राद्ध पितृतर्पणको सिद्ध कर रहे हैं कि मुनियोंका आहार दान बना रहे हैं? समझमें नहीं आता। यदि इतना ही आप कह दे कि ‘चर्चासागरका पितृतर्पण श्राद्ध त्रिवर्णाचारके अनुसार है वह ठीक नहीं। श्राद्धका तो अर्थ यह है, नो कोई विवाद ही न रहे परन्तु वहांके विषयको छिपाकर यह छल किया जा रहा है यह बँरा है। यदि पंडितजीके कहे अनुसार मुनिदानको ही हम श्राद्ध मान ले तब भी तो ठीक नहीं होता क्योंकि चर्चासागरमें जहां पितृतर्पणका उल्लेख किया है वहांपर तिलक लगाकर पितृतर्पण करना चाहिये यह लिखा है। अब यहां जब पण्डितजीं मुनियोंके आहारदानके पितृतर्पण-वा श्राद्ध बतला रहे हैं तब कसो भी शास्त्रमें यह वान देखनेमें नहीं आई कि मुनियोंको आहारदान निलक लगाकर करना चाहिये। आदिदानी राजा श्रेयांसने भगवान आदिनाथको आहार-दान दिया है वहांपर आदिपुराणमें यह उल्लेख नहीं कि उन्होंने निलक लगाकर दिया था। और भी ‘बहुतेसी जगह मुनियोंके

आहारका प्रकरण आया है परन्तु कही भी तिलक देकर आहारदानका जिक्र नहीं आया । महाराज पंडितजी ! श्राद्धका अर्थ यदि आप मुनिदान करते हैं तो मुनिदानके समय तिलकका विधान कहा लिखा है ? यह भी तो स्पष्ट करना था । चर्वासागर-का विषय देखकर आपको कलम उठानो थी आप कितनी भी बात उडाइये पकड़नेवाला तो पकड़ेगा ही । यदि पितृतर्पणके अर्थ लिखते समय आपको यह ख्याल रहता कि यहां तिलकके वर्णनमें यह बात है तो आप श्राद्धके अर्थके लिये प्रयत्न ही नहीं करते । चर्वासागरको किस २ पोलको आप दवाये गे ! पृष्ठ न० १२२ मे

नित्यं सामथिकादीनि इत्यादि धर्मसंग्रहश्रावकाचारका श्लोक
 उद्घृत किया है इसमें समयी श्रावक साधु आदि पात्र पात्रोंको दान आदिसे सतुष्टु करना चाहिये यह लिखा है इसमें पंच पात्राणि तर्पयेत् अर्थात् पात्रोंको सतुष्टु करना चाहिये, इस शब्दको देखकर ही पंडितजीने पवपात्र तर्पणको ही पितृतर्पण मान लिया है । धन्यवाद है । क्या पात्रतर्पण यहापर तर्पण शब्द देखकर आपने उसे ही पितृतर्पण समझ लिया है ? यदि यह व्यवस्था मान ली जायगी तो जहापर मिथ्याज्ञान लिखा हो वहा ज्ञानशब्द देखकर उसे भी सम्यग्ज्ञान समझ लेना चाहिये । जहा मिथ्यादर्शन वा मिथ्या चारित्र लिखा हो वहा दर्शन और चारित्रको देखकर सम्यग्ज्ञान और सम्यक चारित्र समझ लेना चाहिये क्योंकि पात्र और पितृ शब्दोंके अर्थोंमें जपीन धाकाशका फरक है उनको-

स्त्री जब आपने एक मान लिया तब सम्बन्धज्ञान मिथ्याज्ञान आदि को एक माननेमें आपके मतानुसार कोई दोष नहीं आ सकता । बात यह है कि पितृतर्पण शब्द जैनागमका नहीं हैं न उसकी क्रियाका कोई विधान है । आप उसे पात्रतर्पण आदि अथवांगे घसीट कर सिद्ध करना चाहते हैं यह आपका प्रयास व्यर्थ है । आपको चर्चासागरके अनुसार पितृतर्पण, श्राद्धकींसिद्धि करनी चाहिये सो आपसे बन नहीं सकता क्योंकि वैसा विधान जैन शास्त्रोमें नहीं हो सकता इसलिये आपको इस विषयमें चुप रह जाना ही ठीक था । तैरना न जाननेवाला मनुष्य दिना सौचे समझे हाथ पैर फेकने मात्रसे दरियाव पार नहीं कर सकता । समझ सोचकर तैरनेवाला ही पार कर सकता है । पुण्ड नं० १२३ में आपने लिखा है—

“इहा, विष्णु, महादेवको भी अक्षरांक देखते नमस्कार किया है परन्तु उनका स्वरूप और ही माना है इसी प्रकार श्राद्धके विषय को भी जानना चाहिये ।” इसका उत्तर यह है कि नामका भेद रहते भी उनके स्वरूपमें तो भेद नहीं माना गया जो भगवान जिनेंद्रका स्वरूप है उसी स्वरूपसे उनको स्तुति की गई है किन्तु परमतमें जो ब्रह्मा द्वुद्ध आदिका स्वरूप माना है उस रूपसे उनकी स्तुति नहीं की । यहां चर्चासागरमें तो जो परमतमे पितृ-तर्पण श्राद्ध वगेरहका स्वरूप माना है प्रायः वैसा ही मान लिया है । यह विषय त्रिवर्णाचारको खोलकर देखा जा सकता है इसलिये आपका यह लिखता ठीक नहीं ।

आपने आचार्य सोमदेवको विक्रम स० ८८१ मे घटला दिया है यह आपकी बड़ी भारो ऐतिहासिक भूल है । यह शक संवत है । इतिहासका भी कुछ ज्ञान रखना चाहये । इतिहासकी जानकारी न रहनेसे रक्षमालाके कर्ता भद्रारक शिवकोटिको आपने स्वामी समंत भद्राचार्यके प्रिण्य भगवती आराधनाके कर्ता शिवकोटि करार दिया है । अकलंक प्रतिष्ठा पाठ नेमिचंद प्रतिष्ठा पाठोंके कर्ताओंको आपने राजवातिकके कर्ता भगवान अकलंक देव और गोम्यस्तसारके कर्ता भगवान नेमिचंद सिद्धात चकवर्ती लिख मारा है । यद्यपि इनका इतिहास प्रगत हो चुका है परन्तु उसको न जानकर आपने बड़ी भारी भूल की है । इसके सिवाय आपने भाभरीजी और उनके साथियोंको गालिया देकर खूब पुष्प वर्षा की है सो आपकी मर्जी है । जब ठीक उत्तर लहरी बनता तो यही सौगात भेट की जाती है । लोग अपने भोलेपनसे न समझें पर आपका हृदय तो यह समझ ही रहा है कि चर्चासागरकी वातोंका ठीक समर्थन मुझसे नहीं हो रहा है, तब आपका गालिया देना ठीक ही है ।

सारांश

चर्चासागरमें तिलक लगानेके प्रकरणमें जो पितृतर्पणका विधान किया है वह त्रिवर्णाचारके आधारसे किया है । त्रिवर्णाचारमें हिंदू धर्मकी नकल कर उसका वर्णन किया है इसलिये वह जैन स्तिद्वांतानुसार नहीं हो सकता । पं० मरखनलालजी

जब चर्चासागरको बात पुष्ट करने वैठे हैं तब उन्हे चर्चासागरमें
माने हुये पितृतर्पणका ही मंडन करना था परंतु उन्हानि उस
विषयको विलकुल हा छिया । सुनिदान वा पात्रतर्पणको
ही उन्होंने श्राद्ध तपेण वता डाला जिसको कि किसी भा जैना-
चार्यने श्राद्ध और पितृतर्पणके नामसे नहीं पुकारा तथा जिस
पर किसी प्रकारको आपत्ति भी न था इसलिये प० मन्त्रवनलाल-
जीने श्राद्ध और तपेणके विषयमें जो भी लिखा है सब व्यर्थ है ।
उन्होंने विना सनझे कलम उठाकर अनेक पृष्ठ काले कर डाले
हैं । चर्चा सागरके अनुसार श्राद्ध और पितृतर्पणका जैनशास्त्रों
में कहीं भी विद्यान नहीं । उनका तो घड़े जोरोंसे खंडन किया
है जैसा कि ऊपर अनेक प्रमाण देकर खुलासा कर छिया है ।
पाठक स्वयं इस विषयकी जाच कर सकते हैं ।



देवोंके मांसाहारी बतानेपर विचार

जेन सिद्धधातमे नोकर्माहार १ कर्माहार २ कवलाहार ३ ले-
याहार ४ उज्जाहार ५ और मानसाहार ये छह भेद आहारके माने
हैं। इन छहों प्रकारके आहारोंमेंसे देवमात्रके मानसाहार माना
है। मनमें इच्छा होते ही उनके कण्ठसे अमृत भर जाता है उसी
से वे तृप्त हो जाते हैं। मास आदि कवलाहार उनके नहीं माना
गया। इस विषयको इस प्रकार स्पष्ट किया गया है—

णोकम्मकम्महारो कवलाहारो य लेव आहारो ।
उज्जमणो विय कमसो आहारो छविवहो भणिघो
णोकम्मं तित्थघरे कम्मं णिर्ये य मानसो अमरे ।
णरपसुकवलाहारो पंखी उज्जो णरे लेझो ।

अर्थात्—नोकर्माहार कर्माहार कवलाहार लेपाहार उज्जाहार
और मानसाहार इस प्रकार आहारके छह भेद माने हैं। इनमें तीर्थ-
करों नोकमांहार होता है। नारकीयोंके कर्माहार, देवोंके मान-
सिक आहार मनुष्य और पशुओंके कवलाहार, पश्चियोंके उज्जाहार
और मनुष्योंके लेपाहार होता है। इस आगम प्रमाणके बलसे
देवोंके, सिवाय मानसीक आहारके और दूसरा आहार नहीं माना

जा सकता यदि दूसरा आहार माना जायगा तो वह शास्त्रं विख्युथ कहा जायगा । यदि देवोंको मांसाहारो वता दिया जाय तो जैन शास्त्रोंके अनुसार वह देवोंका अवर्णवाद माना जायगा क्योंकि—

केवलिश्च तसंघधर्मदेवावर्णवादो दर्शनमोहस्य अ० ६

अर्थात्—केवलियोंका अवर्णवाद शास्त्रको अवर्णवाद संघका अवर्णवाद धर्मका अवर्णवाद और देवोंका अवर्णवाद ये दर्शन मोहनीय कर्मके आच्छादके कारण हैं । इस सूत्रकी व्याख्यामें सर्वार्थ सिद्धिके कर्ता आचार्य पूज्यपाद राजवार्तिकके कर्ता भगवान भट्टाकलंक देव और श्लोकवार्तिकके कर्ता स्वामी विद्यानन्दने देवोंको मांसाहारो वताने पर देवोंका अवर्णवाद वतलाया है । इन पूज्य आचार्योंके आज्ञानुसार देवोंको कभी मांसाहारो नहीं कहा जा सकता । परंतु खेदके साथ लिखना पड़ता है कि चर्चासागर के कर्ता पाडे चमपालालजीने देवोंको मांसाहारी लिख मारा है और इस वातकी पुष्टिमें श्रीआदिपुराणजीका श्लोक उद्धृत कर प्रमाण दिया है । यह उनने बहुत ही अनर्थ किया है क्योंकि श्री-आदिपुराणके श्लोकका वह अर्थ नहीं जो चर्चासागरके कर्ता ने समझ लिया है श्रीआदिपुराणका वह श्लोक इस प्रकार है—

विश्वेश्वरादयो ज्ञेया देवताः शान्तिहेतवः

कूरास्तु देवता हेया येषां स्याद्वृत्तिरामिषैः ।

इस श्लोकका अर्थ यह है कि विश्वेश्वर आदि देव शांतिके

कारण हैं। इनसे भिन्न देव जिनको कि लोगोंने मांसाहारी कल्पना कर रखा है वे क्रूर देव हैं वे त्यागने योग्य हैं। यहांपर स्याद्वृत्तिरामिषः इस वाक्यमें 'स्यात्' क्रियाका प्रयोग ग्रंथ कारने किया है। उसका अर्थ हो यद्द है कि देव मांसाहारी नहीं हैं परन्तु स्वार्थी लोगोंने मांस खानेकी लोकुपतासे उन्हें मांसाहारी जबरन मान रखा है। ऐसे देव त्योगने योग्य हैं। यहांपर देवोंको मांसाहारी नहीं बतलाया। मामूली चिद्रान भी जब देवोंको मांसाहारी नहीं कह सकता तब भगवज्जिनसेनाचार्य ऐसा कैसे लिख सकते थे? चर्चासागरमें जो मांसाहारी देवोंको लिखा गया है वह ना समझीसे अर्थका अनर्थ किया गया है। इसी वातपर भाई रत्नलालजी भाँझरीजीने आपत्ति की है। यदि चर्चासागरमें यह लिखा होता कि देव मांसाहारी नहीं परन्तु स्वार्थी लोगोंने देवोंको मांसाहारी मान लिया है उन्हें त्याग देना चाहिये तो कोई आपत्ति ही नहीं उठ सकती थी। हम यहां चर्चासागरके ज्योंके त्यों शब्द उद्धृत किये देते हैं—

विश्वेश्वरादयो ज्ञेया देवताः शान्तिहेतवः ।

क्रूरास्तु देवता हेया येषां स्याद्वृत्तिरामिषः ॥

इसका अर्थ चर्चासागरमें यह लिखा है—“तीर्थकरोंके सिवाय विश्वेश्वरादिक और भी देव हैं जोशांतिके करनेवाले हैं। इन विश्वेश्वरादिकके सिवाय मांसाहारी क्रूर देव और भी हैं सो उन का त्याग कर देना चाहिये अर्थात् उनको नमस्कार पूजन आदि नहीं करना चाहिये।” चर्चासागरमें 'मांसाहारी क्रूर देव और

भी हैं' इन शब्दोंसे देवोंको स्पष्ट मांसाहारी करार दिया हैं यह विलकुल स्पष्ट नहीं किया कि स्वार्थी लोग उन्हें मांसाहारी मानते हैं पर वे हैं नहीं क्योंकि उनके मांसका आहार संभव नहीं, तथ कैसे कहा जा सकता है कि चर्चा सागरमे देवोंको मांसाहारी नहीं कहा गया। यह यात अवश्य धर्मविरुद्ध लिखी गई है और आदिपुराणका प्रमाण देकर जो इसकी पुष्टि को है वह बहुत बड़ा धोखा दिया है। ऊपर गाथाओंसे हम देवोंमें केवल मानसिक आहार सिद्ध कर चुके हैं। सर्वार्थसिद्धि राजवार्तिक श्लोकवा-र्तिकमें अवर्णवाद बताकर देवोंमें मांसके आहारका निषेध किया है वह इस प्रकार है—

सुरामांसोपसेवाद्याघोषणं देवावर्णवादः ॥

सर्वार्थसिद्धि १६३

अर्थात्—देवोंको मन्त्रिरा और मांसका खानेवाला कहना उन का अवर्णवाद है। अर्थात् मानसिक आहार होनेसे देव मद्य और मांसका सेवन नहीं कर सकते। जो उन्हें मद्य मांसका सेवन करनेवाला बताते हैं वे उनका अवर्णवाद निन्दा करते हैं। और भी प्रमाण—

भट्टाकलंक देव विरचित राजवार्तिक जीन सिङ्गांतका बहुत बड़ा ग्रन्थ है उसमें इस प्रकार लिखा है—

सुरामांसोपसेवाद्याघोषणं, देवावर्णवादः । सुरां मांसं
चोपसेवनं देवा अहल्यादिष्वासत्तत्त्वेतसः इत्याद्या-
घोषणं देवावर्णवादः । पृष्ठ २६२

अर्थात्—अहल्या आदिमे आसक्त चित्त देवोंको मत्त और मासका सेवन करनेवाला बताना देवोंका अवर्णवाद है।

और भी प्रमाण

जोलोग देवोंको मदिरा पीनेवाले और माम खानेवाले बतलाते हैं उनका कहना सिद्धान्तके विरुद्ध है।

प्रातः स्मरणीय स्वामी विद्यान्न विगचित श्लोक वार्तिक सिद्धान्तका एक महान ग्रंथ है उसमें इस प्रकार लिखा है—
सुरामांसोपसेवाद्याघोषणं देवेष्ववर्णवादो वेदितव्य ।

पृष्ठ ४५३

अर्थात् मदिरा और मासका सेवन करना देवोंका अवर्णवाद समझना चाहिये । इनमें सिवाय मानसिक आहारके और किसी भा प्रकारके आहारका विधान नहीं । देव मासाहारा नहीं यह सिद्धान्तकत बात है । इस सिद्धान्तको पुष्ट करनेवाले अगणित प्रमाण हैं । देवोंको मासाहारी कहना सिद्धान्त विरुद्ध कथन करना है । चर्चासागरमें देवोंको मांसाहारी कहा है । वह सिद्धान्त विरुद्ध कथन किया गया है । अब हम प० मक्कलनलालजाक शब्दोंपर विचार करते हैं ।

पृष्ठ न० १२५ में पंडितजीने चर्चासागरकी पंक्तिया उद्धृत की है । इन पंक्तियोंके आधारसे पंडितजी लिखते हैं “चर्चासागरके कर्त्ताने कुदेवोंकी पूजाका निषेध किया है” इत्यादि । इस विषयमें इतना ही निवेदन पर्याम है कि कुदेव और सच्चो देवोंके विषयमें तो यहा कोई आपत्ति है ही नहीं । यहां तो देवोंको मांसाहारी बताने पर आपत्ति है इसलिये

यहांपर यह लिखना आपका व्यर्थ है । पृ० नं० १२६ में आपने भाँभरीके शब्दोंको उद्धृत किया है और लिखा है कि “भगवज्जिन-सेनाचार्यके वचनोके आधारसे पांडे चंपालालजीने लिखा है” इसलिये उनको बुरा भला कहना ठीक नहीं है।” इसके उत्तरमे यह निषेद्ध है कि पांडे चंपालालजीने जिस आदिपुराणके श्लोकको उद्धृत किया है उसका अर्थ चिलकुल उलटा समझकर देवोको मांसाहारी बतला दिया है। जब कि देवोमे मांसाहार आदि कबलाहारका सर्वथा निषेध है तब भगवज्जिनसेनाचार्य उन्हे कैसे मांसाहारी कह सकते हैं ? यदि चर्चासागरके अर्थको आप भी पुष्ट करते हैं तो उन्होंने एक अर्थको अपने उत्तरमे गलती कर रहे हैं और सिद्धात विस्त्र वातका पोषण कर रहे हैं। पृष्ठ नं० १२७ मे आपने विष्वेश्वरगढयो ज्ञेयाः इत्यादि श्लोक भी आदि पुराणका लिखा है। आपने भी ‘येषां स्याद्गृह्णितामिवैः’ इस वाक्यका अर्थ ‘जिनकी वृत्ति मांसके द्वारा होती है’, यह लिखा है। आपका अर्थ भी चर्चासागरके अर्थसे मिलता है इस लिये यही कहना होगा कि आप भी श्लोकका अर्थ नहीं समझ रहे हैं। आपके किये अर्थसे भी देवोमे मांसाहारकी सिद्धि होती है जो कि सिद्धात विस्त्रध होनेसे भगवज्जिनसेनाचार्यके वचनोंका अर्थ नहीं हो सकता। कृपानिधान ! उस वाक्यका अर्थ यह है कि ‘जिनको आजीविका लोगोंने मांसके द्वारा मान रखती है।’ क्योंकि इसी अर्थसे यह वात स्पष्ट होती है कि देवोकी वृत्ति मांस खानेकी नहीं परन्तु स्वार्थी लोगोंने उनकी वैसी वृत्ति कायम कर रखती

है। पांडे चंपालालजी संस्कृतके विद्वान् न थे। सिद्धांतकी घातों-की भी विशेष जानकारी नहीं रखते थे उनके द्वारा गलती होजाना स्वाभाविक है। आप तो लोगोंकी दृष्टिमें विद्वान् माने जाते हो। सिद्धांत विद्यालयका अध्यापकपद भी आपको प्राप्त है। आपको तो ऐसी गलती नहीं करनी चाहिये। शब्दोंकी शक्ति जाननेकी कुछ तो योग्यता रखनी चाहिये। आपने मास शब्दका अर्थ कोष-का प्रमाण देकर लिखा है सो इसके लिये कोपकी कोई आवश्यकता न थी। मास शब्दका अर्थ प्राय लोग जानते हैं। शायद लिखते समय आपको कोषका श्लोक याद आ गया होगा सो लिख दिया जान पड़ता है। पृष्ठ नं० १२८ में आपने—

विद्वज्जन वोधककी कुछ पत्तिया लिखी हैं वे बहुत ही उपयोगी हैं। उन्होंने सिद्धांतानुसार बिलकुल खुलासा कर दिया है। यदि चर्चासागरके कर्ता ऐसा खुलासा कर देते तो यह भगटा ही क्यों खड़ा होता ? विद्वज्जन वोधकसे देवोंमें मांसाहारका निषेध देख कर भी आपने भी भगवज्जिनसेनाचार्यके वचनोंसे उन्हें मांसाहारी बता दिया है यह महान आश्चर्य है। पृष्ठ न० १२६ में आपने लिखा है कि “क्या भगवज्जिनसेनाचार्य इतना भी नहीं जानते थे कि देवोंके मानसिक आहारके सिद्धाय कोई आहार नहीं होता ।” इसका उत्तर यह है कि—वे तो सब कुछ जानते थे और सिद्धांतके पूर्ण ज्ञाता थे परन्तु पांडे चंपालालजी और आप तो उनके वचनोंको गद्दा कर रहे हैं। और उनके वचनोंका अर्थका अनर्थ कर सिद्धान्त विरुद्ध बातकी पुष्टि करना चाहते

हैं। इसी पृष्ठमें आपने लिखा है कि “भगवज्जिनसेनाचार्यने परदेवोको अपेक्षासे ही कुदेवोको मांसाहारी वतलाया है क्योंकि लोगोंने चंडो मुँडी आठि कुदेवोको मांसाहारी भान रखा है।” इसका उत्तर यह है कि भगवज्जिनसेनाचार्यने तो यही वतलाया है परन्तु चर्चासागरके कर्ता तो इस बातको नहीं समझ सके। उन्होंने तो श्लोकका विपरीत अर्थ कर सिद्धांत पर ही पानी फेर दिया। भांझरीजीने “इससे देवी देवताओंके सामने बलि चढ़ानेवालोंको बातोंकी पुष्टि होती है” यह बात लिखी है। पहितजीने इस बातका नासमझी ठहराया है और लिखा है कि “आचार्य महाराजके कथनसे बलि चढ़ानेवालोंकी पुष्टि नहीं होती है किन्तु पूरा २ खंडन होता है” इत्यादि इसके उत्तरमें यह निवेदन है कि आचार्य महाराज भगवज्जिनसेनाचार्यके वचनोंसे बलिदानकी पुष्टि होती है यह भांझरीजीने नहीं लिखा है किन्तु चर्चासागरमें जो इस श्लोकका विपरीत अर्थ कर देवोंको मांसाहारी लिख मारा है उससे बलिदानकी पुष्टि अवश्य होती है क्योंकि लोग कह सकते हैं कि जैन सिद्धांतमें भी देवोंको मांसाहारी बताया है। आपने जो यह लिखा हैं कि “भांझरीजीने भगवज्जिनसेनाचार्यको कुचचन लिखे हैं” यह आपका भोली समाजको भड़कानेका निष्फल प्रयत्न है। भगवज्जिनसेनाचार्यसे यहां क्या लेन देन ? यहा तो चर्चासागरमें देवोंको मांसाहारी कह दिया है इस सिद्धांत विरुद्ध बात पर आपत्ति की गयी है। पृष्ठ नं
२३० में—

प्रत्यवासोपकरणानि इत्यादि यशस्तिलक चपूकी पत्किया उद्भृत कर देवोंको मांसहारी सिद्ध करनेकी चेष्टा की है। वह भी आपका सिद्धांत विहृद्द लिखना है वहांपर भी यही कहा है कि परमतमें चंडमारी देवको मांसहारी कहा है और उसके भोजनके वर्तन मनुष्योंको खोपड़ीसे बने माने हैं। इसमें यह नहीं कहा कि वह मांसहारी है। प्रकरण पर दृष्टि डालकर आपको लिखना चाहिये। आपने लिखा है “सौमदेव सुरिने चंडामारी देवताको मांसहारी लिखा है सो क्या वे भी जैन सिद्धान्त नहीं समझते थे ?” इसके उत्तरमें यह निवेदन है कि वे तो जैन सिद्धान्त के आवार्य ही थे परन्तु चर्चासागरके कर्ता और उसके पश्चपाती आप लोग तो उस सिद्धान्तकी निर्मलता नष्ट किये देते हैं। नासमझीसे अर्थका अनर्थ कर लोगोंको धोखेमें डालते हैं। अस्तु-

यह बात अच्छी तरह सिद्ध कर दी गई कि भवनवासी व्यंता आदि देवोंके, सिवाय मानसिक आहारके मासाहार आदि कबलाहार बन नहीं सकते। चर्चासागरमें जो देवोंको मांसीहारी कहा गया है वह सिद्धान्त विरुद्ध है। तथा यह जो लिखा है कि आदि पुराणमें देवोंको मासाहारी बतलाया है यह आदि-पुराणके श्लोकके अर्थको न समझनेके कारण लिखा गया है। इसलिये चर्चासागरमें जो देवोंको मांसहारी कहा है वह प्रामाणिक नहीं। इस विषयमें प०० मध्यनललालजीको इतना ही लिखना उचित था कि परमतकी अपेक्षा देवोंको मांसहारी बतलाया गया है। जैन सिद्धान्तानुसार उनके मांसहार नहीं

वन सकता तो इतनेसे ही लोगोंको सन्तोष हो जाता परन्तु अन्तमें यही बात माननेपर भी उन्होंने कई पृष्ठ व्यर्थ काले कर डाले हैं यह टीक नहीं किया । स्पष्ट बात न कहना यह आदत-की लाचारी है । तथास्तु ।



भूमिदान गौदान आदिपर विचार !

—८८—

जिस दानके देनेसे संयमकी रक्षा हो वही दान प्रदास्त दान माना गया है । शास्त्रोंमें आहार औषध शास्त्र और अभ्यक्ते भेदसे दान चार प्रकारके माने गये हैं और उत्तम भयस्थम और जघन्य उन तीनों प्रकारके पात्रोंके लिये उनकी व्यवस्था और हीनाधिक फलका अच्छी तरह वर्णन है । दुखी और भूखोंके लिये करुणा दानकी भी व्यवस्था स्वीकार की गई है । भूमिदान गौदान आदि दानोंसे अनेक जीवोंका धात होता है । विषप कपायोंकी पुष्टि होती है इसलिये इन दानोंको कुदान वा मिथ्यादान माना है । आदिपुराणमें दानके प्रकरणमें समद्विसकलदत्ति आदिका भी उल्लेख किया है परन्तु वहांपर जो दिया जाता है वह संयमकी रक्षाकी भावनासे वा धर्मरक्षाकी कामनासे दिया जाना है यह नहीं लिखा । वहांपर तो अपने कुदूम्बी जानिकाले वा इष्ट मित्रोंको सन्तोषके लिये चोर्जे दी जाती हैं । गृहस्थ

को ऐसा व्यवहार करना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति राजा महाराजा है तो उसे अपनी जातिवाले वा धर्मवाले इष्ट मित्रोंके लिये धन सत्रागी मंकान महल आदि देना होता है। जातिवालोंके लिये कन्या दिनी पड़ती हैं। उसके द्वेषमें गाय भैंस दौलत आदि देना पड़ता है। परन्तु धर्मसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं। यदि गौदान कन्यादान आदिको धार्मिक दान मान लिया जायगा तो सच्चे दानकी प्रवृत्ति नष्ट हो जायगी। लोग मान बड़ाई के लिये गाये दान देने लगे गे। अपनी कन्या और दूसरोंकी कन्याओं का भी दान करनेमें धर्म माना जायगा। जैसा कि हिन्दूधर्ममें माना जाता है इस रूपसे जैन सिद्धान्तमें जो दानका खास उद्देश्य बताया है वह उद्देश्य कायम नहीं रह सकता। यदि किसी महानुभावने समदत्तिको भावनासे किसी निज जातिवाले वा निज धर्मवालेको गाय वा सुवर्ण दे भी दिया तो वह दान नहीं कहा जाता। क्योंकि देनेवाला किसीको आवश्यकता पड़नेपर लोहा काठ कपड़ा आदि भी देना है परन्तु वह लोहा कपड़ा काठ आदिका दान, दान नहीं कहा जाता। वहां तो किसी खास व्यक्तिकी आवश्यकताकी पूर्नि कर दी जाती है। यदि कोई धनी अपने इष्टोंको धन आदि दे तो वह अपने बढ़प्पनके लिये जैसा करता है। वह दान नहीं कहा जाता। समदत्ति आदिमे कुछ यदार्थ दिये जाते हैं इसलिये देना रूप क्रियासे उसे दान कह दिया है। परन्तु वह धार्मिक दान नहीं कहा जा सकता। क्योंकि वहां संयम वा धर्मकी रक्षा नहीं है। वहां विषय कथायका पोषण

है। चर्चासागरमे 'गाय आदिका दान सिथ्या दृष्टियोंको देनेसे कुदान माना है परन्तु सम्यग्दृष्टि आदि ब्राह्मणोंको देनेसे सुदान कहा है।" यह बात ठीक नहीं। गाय सोना आदिका दान किसीको भी देनेपर सुदान नहीं हो सकता। सम्यग्दृष्टि गृहस्थ ब्राह्मणोंको देनेपर भी इससे विषय कषायका पोषण ही होगा। सजातीय इष्ट मित्रोंके संतोषके लिये वहांपर वे बीजों दी जातीं हैं इसलिये वह दान नहीं कहा जा सकता। पुत्र आदिके जन्मो-त्सवके समय याचकोंको हाथी शोड़े सोना चांदी आदि बहुतसे पदार्थ दिये जाते हैं परन्तु वह दान नहीं। खुशीमें दौलतका लुटाना है। गरीब लोग अपनो मनोरथ सिद्धि जान उसे दान, कहकर पुकारते हैं परन्तु हि साका कारण और कषायका पोषक वह दान, दून नहीं कहा जाता। गोदान भूमिदान कन्यादान इनको दूसरे मतोंमें दान माना गया है। उनको देखा-देखी यह कहना कि ये दान हमारे यहां भी हैं बड़ी भारी भूल हैं। फिर तो पलंग गहा तकिया बीजना आदिको भी गोदान कन्यादानके समान दान कहना चाहिये क्योंकि ये भा नो खुशीमें दिए जाने हैं पर इनकी पुष्टि नहीं को गई। बात भी ठोक है जब दूसरे मतोंमें इनका दानः दान नहीं माना गया तब चर्चासागरमे इनकी पुष्टि क्यों को जाती? दूसरे मतोंमें गाय कन्या आदि दानोंको पवित्र माना गया है इसलिये चर्चासागरमें गोदान कन्यादानको दान मान लिया गया है। वहां तो परमतकी वानोंकी नकल करना ही मुख्य समझा गया है। चाहे वह जैनधर्मके विश्वद्व ही क्यों न हो। माईं रत्नलालजी भाँझरीकी, समान जाति वा

धर्मवाले इष्ट मित्रोंको गाय भैस हाथी घोडा आदि कुछ भी दिया जाय इस विषयमें कोई आपत्ति नहीं है। मात्र आपत्ति उनकी इसी विषयपर है कि “गोदान कन्यादान आदिको दान कहनेसे दानकी प्रवृत्तिमें अड़चन हो जायगी। हिन्दुओंकी देखा देखी लोग इन दानोंको करने लगेंगे और उसमें धर्म मानने लगेंगे। प्राचीन शास्त्रोंमें आहार औषध आदि चाही दान माने हैं गोदान आदिको धार्मिक दान नहीं माना गया।” हम यहापर चर्चासागर और भास्तुरीजी दोनोंके शब्द उच्चृत किए देते हैं पाठक स्वयं विचार कर लेंगे।

चर्चासागरके शब्द

“कन्या हाथी सुवर्ण घोडा क पला (गौ) दासी तिल रथ भूमि घर ये दश प्रकारके दान हैं। ये दान परमतमें मिथ्या द्वृष्टि ब्राह्मणोंको देनेके लिये बतलाये हैं यह बात महा निंदित है। इन्हों दानोंका वर्णन जैन शास्त्रोंमें भी है कितु उनके देनेका अभिप्राय जुदा है—— तीनों पात्रोंमेंसे जग्न्य पात्रोंको योग्या योग्य विचारकर ऊपर लिखे इस प्रकारके दान देने चाहिये। इत्यादि” चर्चासागरके इन शब्दोंसे सिद्ध है कि गोदान आदिको दान माना है। यद्यपि चर्चासागरमें जैनधर्मीं जग्न्य पात्रको इनकी देनेकी आज्ञा दी है तथापि दान तो इन्हें माना ही है। जग्न्यपात्रोंके संतोषके लिये ये बोजे दी जाती हैं परंतु इनका देना दान नहीं कहा जाता है। गोदान और कन्यादान आदिको दान मानना जैनधर्मके विरुद्ध है।

झांझरीजीके शब्द

चर्चा १८४—“ब्राह्मणोंको गोदान देना चाहिये” जगन्न्य-
पात्रोंको दस प्रकारका दान देना चाहिये भूमिदान गौदान
कन्यादान सुवर्णदान वास्तु (मकानदान), रथदान हाथी दान
प्रपाशाला (व्याऊ) दान वस्त्रदान उपकरण दान । मंदिरोंमें
गोदान देना चाहिये । खूब ! अभीतक तो आहार औपध शास्त्र
और अभयदान ही सुने जाते थे, अब ये गोदान आदि नवीन दान
कहांसे निकल पड़े । क्या लेखकने जैनियोंको पूरा वैष्णव बनाने
का ही सङ्कल्प कर डाला है । पितृतर्पण आद्व गौदान भूमिदान
जाप्य समयमें आचमन और प्राणायाम, गोवरादिसे भगवानकी
पूजा आदिका विधान स्पष्ट ही इस बातकी सूचना देता है ।” ये
शब्द झांझरीजीके हैं । समदत्तिकी भावनासे हाथी घोड़ा सोना चांदी
गाय कन्या आदि जो भी समानजानीय वा इष्ट मित्रोंको चीजें
दी जाती हैं उसका यहां झांझरीजीने कोई विरोध नहीं किया
गृहस्थ पुरुषोंको व्यवहारमें ऐसा करना ही पड़ता है । गृहस्था-
श्रसके अन्दर ऐसा चिना किये काम नहीं चल सकता । गोदान
आदि धार्मिक दान नहीं कहे जा सकते क्योंकि इनसे साधमकी
रक्षा नहीं होती किंतु इनके देनेमें अनेक जीवोंका विधात देता
है—विषय काशयका पोषण होता है चर्चासागरके कर्ताने इन्हें
आहार दान आदिके समान हो प्रशस्त दान मान रखा है यह
भूल है । चर्चासागरमें मंदिरके लिये गौदानका विधान किया है
और उसका उद्देश्य यह बतलाया है कि पञ्चामृत अमिषेकके लिये

गौशोका दान मंदिरोंमें उपयोगी है इत्यादि । इसका उत्तर यह है कि मंदिरोंमें आजतक गौदानकी व्यवस्था कही भी देखनेमें नहीं आई । पञ्चामृतभिषेकके अभिलाषी गृहस्थ अपने घरसे शुद्ध गोरस लाकर सानद अभिषेक कर सकते हैं । क्या गृहस्थोंसे इतना भी नहीं बन सकता । यदि मंदिरोंके लिये गौदान शास्त्रोक्त होता तो कहीं भी किसी मंदिरगें उनके बधनेकी जगह भी तो दीख पड़ती । सो कहीं भी नहीं देखी गई, इसलिये मानना होगा कि गौदान आदिकी व्यवस्था हिंदुओंको देखा देखी है, और उनके मतमें माने हुए दानको नकल करनेको चेष्टा की गई है । जो हो समदत्ति प्रकरणमें जो समान जातोय इष्ट मित्रोंको गो-दान कन्यादान आदिका उल्लेख किया गया है वह सलारका व्यवहार बतलाया है धर्मसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं है । गौदान आदिसे कभी सायम वा धर्मकी रक्षा नहीं हो सकती । जैनाचार्योंने जगह २ गौदान कन्यादान आदि दानोंको कुदान बतलाया है गौदान आदिको कुदान कहनेवाले कुछ प्रमाण हम यहा पाठकोंके सामने उपस्थित करते हैं:-

पद्मनन्दि पञ्चविशतिकामें आचार्य पद्मनदी महाराजने दान-का खल्प बहुत बड़े विस्तारसे बतलाया है । आचार्य पद्मनन्दीके बचन कितने प्रमाणीक हैं । इसके लिये इतना ही कहना पर्याप्त है कि चर्चासागरके कर्ता पादे चम्पा शालजीने मुनियोंका रहना जिन मन्दिरमें सिद्ध करनेके लिये संप्रत्यत्र कलौ काले इत्यादि श्लोकको हरफेर कर इनकी प्रमाणीकताकी छापके लिये भरपूर

चेष्टा की है। यदि इनके वचनों का इनना महत्व न होता तो चर्चासागरके कर्ता इनके श्लोकको स्थों अशुद्ध गढ़कर प्रमाण-रूपमे उपस्थित करते ! और भी भट्टारक ग्रन्थोंके श्लोक प्रमाणरूपमें दिये जा सकते थे। आचार्य पद्ममनंदीने दानके विषयमे इस प्रकार लिखा है—

चत्वारि यान्यभयभेषजसुक्तिशास्त्र-

दानानि तानि कथितानि महाफलानि ।

नान्यानि गोकनकभूमिरथाङ्गनादि—

दानानि निश्चितमवश्यकराणि यस्मात् । ५०।

पृ० १३४ छपा

अर्थात्—अभय औपध आहार शास्त्र इस प्रकारसे दान चार प्रकारका है तथा वह चार प्रकारका दान तो महाफलका देनेवाला कहा है परन्तु इससे भिन्न गौ, सुवर्ण, जर्मीन, रथ, स्त्री, आदि दान, फलके देनेवाले नहीं। पापके करनेवाले निन्दाके कारण हैं। इस लिये महाफलके अभिलापियोंको ऊपर कहा हुआ चार प्रकारका ही दान देना चाहिये । ५०। यहांपर आचार्य महागजने गौदान आदिको सर्वथा कुदान बतलाया है। यदि जिन शर्मों व्राह्मणोंका गाय कन्दा आदिका देना दान होता तो आचार्य महाराज गौदान आदिको एकदम कुदान नहीं कह देते। उन्होंने दानके स्वरूपके समझानेमें कई श्लोक लिखे हैं वहांपर यह भी एक श्लोकसे कह सकते थे कि जिन धर्मों व्राह्मण आदि

को गाथ घोडा हाथो सोना आदि देना दान है परन्तु उन्होंने इस वातका कही उल्लेख नहीं किया । इस लिये गौ दान आदि को दान कहना शास्त्रोक्त नहीं ।

और भी प्रमाण

हरिवंश पुराणके कर्ता जिन सेनाचार्य चिकमंडकी ६ वीं शताव्दीमें हो गये हैं । अपने समयके ये वडे भारी विद्वान थे न्याय व्याकरण ज्योतिष गान चिद् यादि सभा चिपयका पडित्य इनके अन्दर कृष्ण कृष्णकर मरा हुआ था । इनका धनाया हुआ हरिवंश पुराण इस वातका ज्वलत उदाहरण है । पुराणमें हरिवंश पुराण भी अपनी शानीका अठितीय पुराण है उस हरिवंश पुराणमें दानके चिपयमें आचार्य महाराज लिखते हैं—

गोभूकन्यादिरप्यादि-दानानि विषयातुर
पापवधनिमितानि विप्र प्रजाप्य सोऽवनौ । १३ ।
मोहर्यित्वा जडं लोकं राजलोकपुरोगमम्
प्रवृत्तः पापवृत्तेषु सप्तमीं पृथवीमितः । १४ ।

हरिवंश पु० ६० सर्ग

अर्थात्-विप्र मुँडल शायनने राजा प्रजा सर्व जनताको पाप वधका कारणभूत गौदान हैं पृथवीदान आदि करना सिखाया जिस से पाप वृत्तियोंमें प्रवृत्त होकर वह सातवें नरक गया । १३-१४ । यहापर गोदान आदिका फल आचार्य महाराजने भातवां नर्क बतलाया है । इससे बढ़कर और भयकर फल क्या हो सकता है ।

आश्चर्य है इस फलके सामने रहते भी लोग गौदान आदि दानोंकी पुष्टि करते हैं। थोड़ा देखके लिये मान भी लें कि जैनधर्मों गृह-स्थको ही जाप आदि दी जाय परन्तु वहांपर भी उसके पालन धोषणमें हिंसा तो होगी ही उसके दूध आदिसे भी विषय कपाय ही पुष्ट होंगे, संयम नहीं पल सकता। यदि मिथ्या दृष्टिको दान देनेसे सातवां नके मिलेगा तो जैनधर्मोंको देनेसे दूसरा तीसरा तो मिलेगा ही पर मिलेगा अवश्य, यहां रियायतका काम नहीं। फिर ऐने नरक लेजानेवाले गौदान आदिकी पुष्टि करना दूसरोंको नरक भेजनेका उपाय बतलाना है। जो लोग गौदान आदिकी पुष्टि करते हैं उन्हें हरिवंश पुराणके इन श्लोकोंपर दृष्टि डालना चाहिये ।

और भी प्रमाण—

आन्वार्य सकलकीर्तिके प्रश्नोत्तरश्रावकाचार्यका जैन समाजमें वहुत बड़ा आदर है। दानके प्रकरणमें वे इस प्रकार लिखते हैं—

गोकन्प्राहेमहस्यद्वगेहस्मानिल स्यद्नाः ।

दासो चेति कुदानानि प्रणीतानि शठैर्सु वि ।४१।
अर्थ—जाय, कन्या, सुवर्ण; हाथी, थोड़ा, मकान पृथ्वी, तिल, रथ, दासों या दान पृथ्वी विषे स्त्रैनिकारि कहे हैं। ४६। यहांपर दशों दानोंका नाम लिखकर यह स्पष्ट ही कर दिया है कि स्वार्थीं मूर्ख लोगोंने इन्हें दान मान रखा है किंतु ये दान नहीं। कुदान हैं। यहांपर जैनधर्मों गृहस्थोंके लिये भी इन्हें देनेके लिये नहीं कहा।

(२४१)

और भी प्रमाण

गोदानं घोऽतिमूढात्मा दक्षे पुण्यादिहेतवे ।

वधवन्धांगिधातादिजातं पापं लभेत सः ।

अर्थात्—जो अति मूढात्मा गायदान ताहि देहैं पुण्यादिके हेतु । वध, धंध, अंगी जो प्राणीनिका धात तैं उत्पन्न भया जो पाप सो गोदानकारि ताहि प्राप होय है । ५० । इससे स्पष्ट है कि गौदान कुदान है । जैनधर्मीको देनेपर भी वह कुदान ही है क्योंकि वध धंध आदिसे उत्पन्न पाप वहाँ भी होगा । जैनधर्मी गृहस्थोके लिये भी इस पापमें कोई रियायत नहीं हो सकती । इसी तरह भूमिदान कन्यादानका भी महा भयंकर फल बतलाया है । इस लिये गौदान आदिको दान मानना मिथ्यात्व है ।

और भी प्रमाण

आचार्य अमितगतिने अमितगतिश्रावकाचारके अंदर गौदान आदि कुदानोंका बड़े जोखसे खंडन किया है वे इस प्रकार लिखते हैं—

पीड़ा संपद्यते यस्या वियोगे गोनिकोयतः

मया जीवा निहन्यांते पुच्छशृंगखुरांदिभिः ।

यस्यां च दुद्यमानोद्यां तर्णकः पीड्यते तरां ।

तां गां वितरता श्रेयो लभ्यते न मनागपि । ५४ ।

जिसको गौनिके समूहतै जुदा होते पोड़ा उपजे है। अरजा-
करि पूछ सत्ति खुर आदिकनिकरि जीव हनिये हैं। अर जाका
दूध बुहै सत्ते वच्छा अतिशय करि पीड़िये हैं तिस गौको देनेवाले
पुस्तनिकरि किछु भी पुण्य न पाइये है। भावार्थ-गड देनेमें पुण्य
का अंश भी नहीं पाप हो है। (भाषाटोकाकार ध० भागचंद्रजो)
५३५४।

और भी प्रमाण

या सर्वतीर्थदेवानां निवासीभूतविग्रहा

दीयते गृह्णते सा गौः कथां दुर्गतिगोमिर्भिः । ५५।

अर्थ—जो गौ सर्वतीर्थ अर देवनिका वसनेका स्थान है शरीर
जाका सो गौ दुर्गतिके जानेवालेनिकरि कैसे दीजिये हैं। अर कैसे
अहण करिये हैं। भावार्थ-मिथ्याद्विष्ट गौके शरीरमें सर्व तीर्थ कर
देव वसते माने हैं ऐसी गौको पापों कैसेदेय हैं और कैसे लेय हैं।
ऐसी तर्क करी है ! इन प्रमाणोंसे वह सिद्ध है कि गौदान आदि
किसी भी प्रकार दान नहीं कहे जा सकते। अभित गति आवका-
चारमें भूमिदान सुवर्ण दान आदिके भी खोटे फल बतलाये हैं वे
इस प्रकार हैं—

हलेचिंदार्थमागायां गर्भिण्यामिव योषिति

म्रियन्ते प्राणिनो वस्यां सा भूः किं ददते फलं । ५६।

अर्थान्-गर्भिणो खोके समान हलके द्वारा विदारण की गई
पृथ्वीमें प्राणियोंका विनाश होता है तब वह दान की गई पृथ्वी

-क्या फल दे सकती है । अर्थात् भूमि दान देना फलद्वायक नहीं घोर पापका कारण हैं । तथा

**तद्ये ब्राष्टापदं यस्य दीयते हितकन्याया
स तस्याष्टापदं मन्ये दत्ते जीवितशांतये । ५० ।**

अर्थात्-जैसे कोई किसीको हितकी इच्छासे हिंसक अष्टापद (सिंह) देता हैं और वह उसका जीवन नाश कर देता हैं उसी प्रकार अष्टापद सुवर्णका भी नाम है वह सुवर्ण दान करना भी जीवन नाशका या दोनोंके लिये पापका कारण है । इसी तरह हाथी दान रथ दान आदिका भी भयंकर फल बतलाया है । इस-रूपसे इन महा आचार्योंके वचनोंसे यह स्पष्ट हैं कि गौदान आदि सभी कुदान हैं जो लोग किसी भी रूपसे उन्हें दान कहते हैं वे इन मान्य आचार्योंके वचनोंके विरुद्ध चलते हैं ।

गौदान कन्यादान आदि मिथ्या दानोंके पक्षपातियोंका यह कहना है कि मिथ्यादृष्टि ब्राह्मणोंको गऊ, कन्या, सोना आदि देनेसे पाप वंध होता है और इन चीजोंका उनको देना कुदान कहलाता है परन्तु जो महानुभाव साधर्मी भाई हैं । इष्ट मित्र हैं । उन्हें गाय कन्या, सोना, हाथी आदि देना दान ही है वह कुदान नहीं कहा जा सकता ।” इसका उत्तर यह हैं कि गाय दान किसी को भी दिया जाय, मारना वांधना जीवोंका धात होना चछड़ाको पीड़ा होना, ये कार्य तो सब जगह किये जायगे और उनसे पाप वंध भीहोगा, वह कैसे रुक सकता है । साधर्मी भाई वा इष्ट मित्रोंको गाय देनेसे ये कार्य होंगे ही इस लिये वहा भी पाप वंध तो

होगा ही इस रूपसे साधर्मी इष्ट मित्रोको गाय देनेसे वह दान कहा जायगा यह बनाबटी बात है ! वहांपर भी पापबंधका कारण होनेसे गाय दान कुदान ही है इसी तरह सोनादान, हाथीदान आदि भी पापबंधके कारण होनेसे कुदान ही है। समदत्तिकी भावनासे किसीको कुछ चीज दे देना उसे संतुष्ट कर देना है अथवा सहानुभूति दिखाना है। समदत्तिकी भावनासे दिये हुए गाय, कन्या, सोना हाथी आदिको दान नहीं कहा जा सकता क्यों कि वहां पर संयम वा धर्मकी रक्षा लेशमात्र भी नहीं हो सकती। इसलिये समदत्तिमे जहां सोना गाय हाथी, आदिको देना लिखा है, जो लोग उसे दान कहते हैं ! वे दानका स्वरूप नहीं समझते। दश धर्मोंमें दानको धर्म माना है। गाय हाथी आदिको देनेमें क्या धर्म सधता है ? इस पर भी विचार करना चाहिये। जिससे विषय कपाय पोषण हो उसे धर्म कहना सरासर समय मूढ़ता है। जो हो गाय हाथी घोड़ा आदिका दान कुदान है यह हम अनेक प्रमाणोंसे अच्छी तरह सिद्ध कर चुके अब पं० मक्खनलालजीके शब्दोंपर विचार करते हैं—

पृष्ठ नं० १३१ में पण्डितजीने चर्चासागरकी पंक्तियां उद्दृत कर यह बतलाया है कि “मिथ्याद्वृष्टि ब्राह्मण आदिको दान देना महा पापका कारण है। अन्य मतियोने गौदान, सुवर्णदान, भूमिदान, आदि ब्राह्मणोंको देना बताया है वह हिंसादिक महा पापों का बढ़ाने वाला है। इत्यादि। इसका उत्तर यह है कि वैसा तो लिखना होगा ही क्योंकि मिथ्या द्वृष्टि विधर्मी ब्राह्मणोंको गौदान

आदिका देना जैनधर्मानुकूल नहीं हो सकता । पृष्ठ नं० १३२ में भास्त्रीजीकी शब्द उद्भृत कर उन्हें धोखेवाज आदि कहा है । यह भी अनुचित है क्योंकि भास्त्रीजीने आहार आदिको ही दान बतलाया है । गौदान आदिका निपेध किया है वह शास्त्रोंकी आज्ञानुसार किया है । उन्होंने धोखेवाजीका कोई काम नहीं किया । पृष्ठ नं० १३३ में चर्चासागरके बे शब्द भी उद्भृत किये हैं जिनमें यह कहा गया है कि “गौदान आदि दान जैन शास्त्रोंमें भी माने हैं ।” वहांपर आपने लिखा है “इन पंक्तियोंसे स्पष्ट सिद्ध है कि चर्चासागरके बनानेवालोंने जैन मतके अनुसार गौदान, भूमिदान, आदि दानोंको हो जैनधर्मानुकूल कहा है पर प्रयोजन उनका दूसरा है इत्यादि ।” इसका उत्तर यह है कि गौदान, भूमिदान आदि कभी जैनधर्मानुकूल दान नहीं हो सकते यह अच्छी तरह प्रमाणोंसे ऊपर सिद्ध कर दिया गया है आपने —

समानाद्यात्मनान्यस्मै क्रियामंव्रतादिभः

निलारकोत्तमायेह भूहेमाद्यतिसर्जनं । ३८ ।

समानदत्तिरेषा स्पात् पात्रे मध्यमतायिने

समानप्रतिपत्त्यैव प्रबृत्या श्रद्धयोन्वितः । ३९ ।

गर्भाधानादि किया, मंत्र और व्रत आदिसे जो अपने समान हैं ऐसे गृहस्थाचार्यके लिये जो भूमि और सुवर्ण आदि देना हैं उसे समान दत्ति कहते हैं । अथवा मध्यम पात्र, सत्पात्र, श्रावकके लिये समान चुच्छिसे श्रद्धा पूर्वक दान देनेको भी समानदत्ति कहा,

हैं। ये श्लोक आदिपुराणके उच्छृत किये हैं। यहां पर आचार्य महाराजने समानदत्तीका वर्णन किया है। समानदत्तीका अर्थ अपने समान व्यक्तिको आदर भावसे देना है। उसे संतुष्ट करने के लिये पृथ्वी सोना आदि देना कहा है। यहांपर जिस दानसे संयम वा धर्मको रक्षा हो उस दानका अथवा दान धर्मका क्रोई उल्लेख नहीं किया। इसलिये समान व्यक्तिको गाय सोना आदि से संतुष्ट कर देना दान धर्म नहीं कहा जाता। पृष्ठ न० १३५ में आपने भाँभरोजीको लिखा है कि “जब महापुराणमें गौदान आदि दोनोंका विधान है तब आहार आदिको ही दान बताकर गौदान आदि को दान न कहना आपकी ना समझो है” इत्यादि। इसके उत्तरमें निवेदन यह है कि दान धर्मके आहार औपय आदि चार ही सेद हैं। गौदान आदि महाहिंसाके कारण दान नहीं हो सकते। व्यवहारमें लोगोंके संतोषके लिये ये चीज दे दी जाती हैं इसलिये इनका देना दान धर्म नहीं कहा जा सकता। महापुराणमें यही बात कही है। आप गौदान आदिको दानधर्म समझ रहे हैं यह आपकी भूल है समान धर्मी इष्ट मित्रोंको गाय आदि कुछ भी दिया जा सकता है उन्हें उत्तमोत्तम भोजन भी कराये जाते हैं परंतु धर्म समझ कर नहीं। धर्म समझकर जो चीज दी जानी है वही दान माना जाता है। क्या आप कह सकेंगे कि अन्य मती लोग जिस प्रकार धर्म समझ कर गौ सोना आदि दान देते हैं उस प्रकार जैनी भी क्या समान धर्मीके लिये धर्म समझ कर ही गाय घोड़ा हाथी आदि देते हैं? कभी नहीं!

पृष्ठ नं० १३६ में आपने ग्राहण शब्दका जो अर्थ बतलाया है वह व्यर्थ है। सम्यग्दूषी आवकोंको ग्राहण बतलाने में भी जैन धर्मानुसार कोई महत्व नहीं। सम्यग्दूषि धावकोंको ग्राहण बतलाना उनके लिये गौदान आदिकी कल्पना करना यह जैनधर्मपर दूसरे भावोंकी छाप लगाना है। आपने दहेज आदिमें वा मृत्युके समय जो गाय, पलंग, सोना आदि पदार्थ दिये जाते हैं उन्हे भी गौदान सुवर्णदान आदि कहा है। यह आपकी समझकी बलिहारी है। जैनाचार्योंने इन चीजों का देना महा हिंसाका कारण माना है फिर न मालूम इन चीजों का देना आप दानधर्म कैसे कहते हैं। गृहस्थ व्यवहारमें अपनी मान घड़ाईके लिये ये चीजें देते लेते हैं। ऐसा न करनेसे उनका चलता नहीं। वे धर्म वुद्धिसे इनमेसे कोई चीज नहीं देते इसलिये आपसके व्यवहारमें इन चीजोंका देना कभी दान धर्म नहीं हो सकता। व्यवहारकी घातोंको धर्म बताना मूढ़ता है। आप भाँभरीजीको वार वार यह लिखते हैं कि “तुम्हे शाल ज्ञान न होनेसे किसी विषयमें राय देनेका और अधिकार नहीं” इत्यादि। इसके उत्तरमें यह निवेदन है कि यदि भाँभरीजीको शास्त्रका ज्ञान नहीं तो आपही कहाँ शास्त्रकी वात समझते हैं। अक्षरका अर्थ कर लेना पण्डिताई नहीं। उखका रहस्य समझना चाहिये। भाँभरीजी, दानका स्वरूप, धर्मकी दूषिसे लिखते हैं और आप उसका खण्डने व्यवहारमें प्रचलित घातोंके अधारपर करते हैं समदत्तिका अर्थ जब आपसमें देना लेना है। वहाँपर धर्मका कोई सम्बन्ध नहीं।

तब वहांपर दी गई चीजोंको दानधर्म कहना यह आपको शोभा नहीं देता ।

पृष्ठ नं० १३८ मे 'दीयतेऽय महादानं' इत्यादि आदिपुराण के श्लोक उद्धृत किये हैं वहांपर भगवान् ऋषभदेवके वैराग्यके समय खुशीमे भरतचक्रवर्तीने याचकोंको हाथी धोड़ा सोना सादि लुटाया है । पण्डितजीने उसे भी दान समझ लिया है । क्या पण्डितजी इस खुशीकी लूटको भी आप दान धर्म मानेंगे । हाथी धोड़ा आदिके दानसे अहिंसाधर्मको कितनो बड़ा धक्का पहुंचता है यह भी तो आप समझ लें । बात यह है कि आपने दान का अर्थ ही नहीं समझा है इसीलिये इधर उधर भटकते फिरते हैं । यहांपर आप यह नहीं कह सकते कि भरत चक्रवर्तीं धर्मात्मा थे यदि वह कुदान होता तो वे क्यों करते ? क्योंकि खुशीमें इस प्रकार दौलत लुटाना चक्रवर्तीं राजाकी शोभा है । शोभाके लिये ही वैसा किया जाता है ।

पृष्ठ नं० १३८ में 'अणुवृत धरा धीरा:' इत्यादि श्लोक उद्धृत किया है यहां भी समदत्तिका वर्णन है । समानधर्मी गृहस्थोंको धन, सवारी आदि देनेकी शास्त्रकारने आशा दी है । वहांपर दान धर्मका उपदेश नहीं किया । समानधर्मीके सन्मानके लिये धन, हाथी, धोड़ा आदि दिये जा सकते हैं परन्तु उसका देना दानधर्म नहीं कहा जा सकता । क्योंकि धोड़ा हाथीके देनेमें विशेष हिंसा का वंध होता है । जहां हिंसा है वहां धर्म कहां ? इसलिये उनका दान धर्म दृष्टिसे कुदान है ।

पृ० नं० १३६ में 'चैत्यचत्यालयादीनां' इत्यादि श्लोक उद्घृत किया है इस श्लोकमें चैत्यालयोंकी रक्षा वा व्यवस्थाके लिये ग्राम नगर आदिका दानपत्र करदेना नित्यमह कहा है। यहां पर पण्डितजीने यह बात जाहिर की है कि "ग्राम आदि भूमिका दान शास्त्रकी आज्ञानुसार है" परन्तु यहांपर इतना ही लिखना पर्याप्त था कि "इस प्रकार दान कुदान नहीं। क्योंकि जिन मन्दिरकी रक्षा एक वह चीज है कि उससे हजारों जीवोंका कल्याण होता है। लोग जिन मन्दिरमें आकर धर्म सेवन करते हैं। यदि ग्रामादिक उसकी रक्षाके लिये प्रदान किये जायंगे तो पाप वंधकी वजाय पुण्य वंध ही अधिक होगा। मुनियोंको आहार देनेमें हिंसा होती है, जिन मन्दिर वा जिन प्रतिविम्ब बनाने में हिंसा होती है परन्तु वह हिंसा बुरी नहीं समझी जाती क्योंकि वहा धर्मायतनोंके निर्माण वा रक्षाके भाव हैं।" परन्तु हीसा न लिखकर पण्डितजीने इस श्लोकके आधारसे भूमिदान आदिको उत्तम दान सिद्ध करनेकी चेष्टा की है वह व्यर्थ है क्योंकि किसी व्यक्तिको चाहे वह जैनधर्मी ही हो यदि गाय घोड़ा रथ आदि दिये जायंगे तो वह खूब दूर्ध पीयेगा आनन्दसे चढ़ता फिरता मौज करेगा। वहां तो महान हिंसा ही होगी। यदि किसीको जमीन दान दी जायगी तो जोतते समय अगणित जीवों का विघ्नस होगा। वहाँ धर्म कैसे पल सकता है? किसीको हाथी घोड़ा गाय सोना दान देना उसे वहु परिग्रही बनाकर हिंसादि पांचों पापोंका केन्द्र बनाना है। यह दान नहीं कहा जा

सकता और इनके विना चल भी सकता है। परन्तु आहार विना मुनिधर्म नहीं पल सकता जिन मन्दिरोंके विना वनाये अथवा वने हुए मन्दिरोंकी विना रक्षा किये जैनधर्म नहीं टिक सकता उसकी रक्षाका ठोस प्रवंध करना होगा। ग्राम आदि प्रदान कर उसकी रक्षाका ठोस प्रवंध करना है। इसलिये मंदिर आदिकी रक्षा थर्य ग्राम आदिका देना दूषित नहीं है। वहाँ वात चलरही है ग्राहण आदिको भूमि आदि देनेकी पण्डितजी ले उड़े मंदिरके लिए भी उसका निषेध करते। यह वात वे प्रकरण है। ‘सभी काले वापके साले’ नहीं होते।

पृष्ठ नं १३६ में ‘गोभूमि स्वर्णकच्छादि’ इत्यादि रत्नमालाका श्लोक उद्घृत किया है यह रत्नमाला किसी शिवकोटि भट्टारक का वंताया छोटासा ग्रंथ है और उसकी रचना चि० सं० १५०० में बहुत पीछे हुई है। इस वातको हम ऊपर बड़े विस्तारसे कह आए हैं। पण्डितजीने यहाँ मी रत्नमालाके कर्ताको भगवती आधनके कर्ता आचार्य शिवकोटि लिख मारा है यह उनकी गलती है। ऊपर हम इस वातको अच्छी तरह पुष्टकर आये हैं। इस श्लोकमें जिन मंदिरोंके लिये गोदान करना लिखा है इससे पण्डितजीने सिद्ध किया है कि “जिन मंदिरोंमें गोदान किया जाता है।” इस विषयमें हमारा निवेदन यह है कि प्राचीन ग्रंथोंमें कहीं भी जिन मन्दिरोंमें गोदानका विधान नहीं है। आचार्योंने गौदानका को महा हिंसाका कारण माना है। रत्नमालामें जो गौदानका विधान किया है वह भट्टारक शिवकोटिकी कोरी कल्पना है भी जिन

म'दिरोंमें गौदान करनेका चर्चासागरमें यह फल बतलाया हैं कि “म'दिरोंमें गायके रहनसे भगवान जिनेंद्रका सानन्द दुरधाभिपेक हो सकता है। प०० मखनलालजीने भी यही बात पुष्ट की हैं। इस विषयमें यहो कहना है कि गृहस्थ वरावर गायें रखते हैं वे शुद्ध दृथ अपने घरसे लाकर अभिपेक कर सकते हैं। इसके लिये म'दिरोंमें गायोंके रखनेकी कीर्ति आवश्यकता नहीं। गौदानका जो ऊपर बुरा फल बतलाया है वह फल तो जिनम'दिरोंमें गौदान करनेपर दूर नहीं हो सकता। अवश्य जीवोंकी हिस्सा होगो। इसलिये जिन म'दिरोंके लिये जो गौदान कहा है वह शास्त्राज्ञा नहीं है। पञ्चामृताभिपेक भी कलिपत है या शास्त्रोक्त हैं। इस विषय पर हम फिर कभी विस्तृत विवेचन करेंगे।

पू० न० १४१ मे आपने जिन म'दिरोंकी रक्षाके लिये गाव आदि स्थावर सम्पत्तिकी अपने वचनोंसे पुष्टि की है वहुतसे पेसे उदाहरण भी दिए हैं। जिनसे सिद्ध किया है कि अमुक जगह जिन मन्दिरोंके लिए ग्राम आदि दिए हुए हैं इत्यादि। इसके उत्तरमे यह निवेदन है कि इस प्रकारके दानपर आपत्ति ही कहाँ की गई है। इस दानसे इन्द्रिय कपायोंका तो पोषण होता नहीं है। जिससे इसे बुरा कहा जाय। ग्राहणोंको जो भूमि आदि दान में दी जाती है उनसे इन्द्रिय कपायका पोषण होता है। वहांपर धर्म मानकर दान देना मिथ्यात्व व लोकमूढ़ता है। शिखरमें जो हाथी का दान लिखा है वह खास आवश्यकताकी पूर्ति की गई है। वह दान नहीं कहा जाता है। भगवान जिनेंद्रकी सवारी दान दिए

‘हुए हाथोंपर वा दान दिए गए वैलेंके रथपर ही निकले यह कोई खास बात नहीं इसके लिए हाथों या वैलेंके दानको भी कोई आवश्यकता नहीं’। सबारीके समय इनका आयोजन आपसे आप हो जाता है।

पृष्ठ नं १४२ मे “तत्र नित्यमहो नित्यं यथाशक्ति जिनगृहेभ्यः” इत्यादि चारित्र सारकी पंक्तियां उद्धृतकी हैं। इसका मतलब यह है कि जिन मन्दिरोंके लिये गांव नगर आदिका देना भी नित्य मह पूजा है। इस बातका हम ऊपर खुलासा कर आये हैं। मन्दिरोंकी रक्षार्थ भूमिदान ग्रामादिका दान दूषित नहीं। क्योंकि यहां इंद्रिय कायका पोषण नहीं। धर्मायतनकी रक्षाके बहां भाव हैं।

पृष्ठ न० १४३ मे समदत्ति स्वसमक्रिपाय मित्राये इत्यादि पंक्तियां भी चारित्रसारकी उद्धृत की हैं। इन पंक्तियोंसे समान क्रियावाले साधमीं इष्ट मित्रोंको कन्या हाथी घोड़ा भूमि सोना आदिसे संतुष्ट करनेका विधान किया है। पण्डितजीने समान धर्मियोंको हाथी घोड़ा आदि चीजोंका देना देख उसे दानधर्म मानलिया है। यह पण्डितजीकी भूल है। यह व्यवहार बहुप्पन्नके और साधर्मियोंकी संतुष्टिके लिये है।

धर्म वुद्धिसे हाथी घोड़ा आदिको कोई किसीके लिये नहीं देता। समदत्ति भावनासे दी हुई चीजोंको दान धर्म कहना यह ना समझी है। इसी प्रकार कुलज्ञाति क्रियामंजैः इत्यादि धर्म संग्रह श्रावकाचारका भी श्लोक उद्धृत किया है। उसमें भी समदत्ति भावनासे समानधर्मी इष्ट मित्रोंको भूमि कन्या सुधर्ण

आदिसे संतुष्ट करना लिखा है इसलिये धर्मवृद्धिसे भूमि कन्यां आदि न देनेसे वह भी दान धर्म नहीं माना जा सकता है । इसी-तरह 'स्थापनं जिन विवानां' इत्यादि श्लोक और भी धर्म संग्रह श्रावकाचारका सद्गुत किया है । इसश्लोकमें जिनमन्दिरोंकी रक्षार्थी ग्राम आदिके दानका विधान किया गया है । इस पर कोई आप-त्ति नहीं यह ऊपर विस्तारसे कह दिया गया है जो हो । गौहाथी घोड़ा आदिको कुदान माना गया है इसके लिये हमने बहुत प्रमाण दिये हैं । समदत्ति प्रकरणमें समान धर्मी गृहस्थोंके लिये गाय घोड़ा हाथी आदि देनेका विधान शास्त्रोंमें मिलता है उसीसे लोगोंने गौ दान, सुवर्ण दान, कन्या दान आदिको दान धर्म कह डाला है परन्तु यह उनकी भूल है । साधर्मी गृहस्थोंके लिये जो ये पदार्थ दिये जाते हैं वह धर्म वृद्धिधर्म से नहीं । लोक प्रतिष्ठासे दिये जाते हैं । इनके देनेसे जीवोंका विशेष विधात होता है, इसलिये ये हाथी घोड़ा आदि दान हिंसाके कारण हैं ये कभी धार्मिक दान नहीं कहे जा सकते हैं इस लिये तो महानुभाव गो दान कन्यादान आदिको जैन शास्त्रानुसार मानते हैं वे गलती पर हैं । भाँझरी जीने यही लिखा है कि आहार औषध आदि दान ही धार्मिक दान हैं गो दान आदि दान कुदान हैं । वैष्णवोंकी नकल है यह ऊपर अच्छी तरह सिद्ध कर दिया जा चुका । इसलिये गौ दान आदि को हिंसाके कारण होनेसे कभी सम्भगदान नहीं मानना चाहिये ये कुदान हैं पापबंधके कारण हैं ।

प्रायश्चित्त प्रकरणापर विचार ।

प्रायः, का अर्थ अपराध है उसका चित्त अर्थात् शुद्ध करना प्रायश्चित्त कहा जाता है। गृहस्थ और मुनि दोनोंके लिये प्रायश्चित्तका विधान है। जैसा छोटा बड़ा अपराध होता है वैसा ही छोटा बड़ा प्रायश्चित्त करना पड़ता है। मुनिगण मूलगुण और उत्तर गुण दोनोंके धारक होते हैं। उत्तर गुण न भी पलें तो भी मूल गुण तो पलना ही चाहिये किसी समय खास कारणसे यदि मूलगुणमें विराधना हो जाय और वह ऐसी विराधना कि मूलगुणकी सत्ता तो वरावर कायम रहे परन्तु उसमे कुछ मलिनता उत्पन्न हो जाय तो उसकी शुद्ध दोषके अनुसार होती ही है किन्तु जहाँ पर मूलगुणका निशान ही मिट जाय वहाँ घर मामूली प्रायश्चित्त नहीं हो सकता। वहाँ पर तो अपराधके अनुसार कठिन प्रायश्चित्त ही करना होगा मूलगुणमें अहिंसा आदि व्रत हैं। प्रमाद चा असावधानीसे कोई सूक्ष्म जीवका विद्यात हो जाय तो उसका उसी रूपसे प्रायश्चित्त कर लिया जाता हैं परन्तु कोई मुनि यदि तीव्र कपायचश किसीको जानसे मार डाले तो वहाँ मूलगुणमें अतीवार नहीं कहा जाता किन्तु अहिंसा महाव्रत जो मूलगुण था

उसका समूलनाश है । वहां पर ऐसे धोर अपराधकी शुद्धि उपवास आदिसे नहीं होती । वहां तो दीक्षा छेद सरीखा कठिन प्रायश्चित्त ही हितकर होता है । इसी तरह यदि कोई मुनि परत्री हरण कर ले वा अर्जका आदिसे व्यभिचार कर डाले । तो वहां पर अचौर्य महाव्रत वा ब्रह्मचर्य महाव्रतका समूलनाश है—धोर अपराध है । वहां पर दीक्षाछेद संघवाहिर आदि ही प्रायश्चित्त कल्याणकारी हो सकते हैं । वहांपर उपवास आदिसे काम नहीं चल सकता । यदि इतने सरल प्रायश्चित्तका विधान कर दिया जायगा तो मुनियोंको जानसे मार डालना अर्जिका आदिसे व्यभिचार सेवन कर लेना भयंकर पाप न समझा जायगा । इच्छानुसार मुनि जब चाहे सानंद यह काम कर सकता है और थोड़ेसे उपवास कर शुद्ध हो सकता है । यदि इस भयंकर अपराधके लिये दीक्षा-छेद संघ वहिष्कार आदि कठिन प्रायश्चित्त होगा तो किसी भी मुनिकी प्रवृत्ति उपर्युक्त भयंकर पापोंके लिये नहीं हो सकेगी ।

चर्चासागर प्रन्थमें “यदि कोई मुनि किसी मुनिको मार डाले तो उसके लिये एक वर्ष पर्यंत तेला और पारणा प्रायश्चित्त बतलाया है । अर्जिके साथ व्यभिचार करने पर प्रतिक्रमण सहित पंच कल्याणक बतलाया है । इसी तरह श्रावकको मार डाले तो छह महीनातक तेला पारणा, वाल हत्या करनेपर तीन माह तक, स्त्री हत्या के लिये डेढ़ महीना तक, ब्राह्मणके मार डालने पर छह महीनातक क्षत्रिय वैश्य शूद्रके मार डालने पर क्रमसे तीन महीना तक डेढ़ महीना तक और तेर्हस दिन तक एकांतर उपवास और आदि अंत

मे तेला करे। इत्यादि लिखा है तथा यदि रोगवश मुनि रात्रिमें चारों प्रकारका आहार करे तो उसके लिये तीन दिनका उपवास, अपने हाथसे बनाकर भोजन करे तो एक उपवास कईवार भोजन बनाकर उपवास करे तो तीन उपवास। काठ पत्थर ढेला आदि एक स्थानसे उठाकर यदि दूसरे स्थानमे मुनि रखले तो उसका प्रायश्चित्त एक कार्योत्सर्ग है। यदि यही किया रात्रीमे करे तो एक उपवास है” इत्यादि विधान किया है। चर्चासागरके इस विधान से यह स्पष्ट हो जाता है कि परमवीतरागी दिग्म्बर जैन मुनि भी इस प्रकारके भयंकरसे भयंकरभी अपराधकर मुनि रह सकते हैं।

एक गृहस्थ भी जब इतना भयंकर अपराध नहीं करसकता तो शत्रु मित्रमें एक सी भावना भानेवाले मुनिगण ऐसा महा निंद्य कार्य कैसे कर सकते हैं! यह अवश्य विचारणीय है। मुनि भी महा हत्यारे और महा व्यभिचारों अनाचारी हों जैन सिद्धान्त यह कभी स्वीकार नहीं कर सकता! चर्चासागरके कत्तनि इतने भयंकर अपराधियोंको भी जब मुनि मान रखा है तब यही कहना होगा कि उसने चाहा भेपको ही मुनि समझ लिया है संयम और शांतिकी साक्षात् मूर्ति मुनियोंकी आत्माके स्वरूपका अनुभव नहीं किया। मुनिगणोंसे ऐसा भयंकर कार्य कभी नहीं होसकता।

बहुतसे लोगोंका यहापर यह कहना है कि चर्चासागरमें यह जो प्रायश्चित्तका विधान किया है वह पाश्वर्स्थ कुशील आदि भ्रष्ट मुनियोंकी अपेक्षा किया गया है। उत्तम मुनियोंकी अपेक्षा नहीं इसका समाधान यह है कि चर्चासागरमें पाश्वर्स्थ आदि मुनियों

का नाम तक नहीं गिनाया । वहाँतो सामान्य रूपसे मुनि शब्द का उल्लेख किया है । चर्चासागरके मतानुसार यहो जान पड़ता है कि मुनिमात्र ऐसा भयङ्कर अनर्थ कर सकता है और उपर्युक्त उपचास आदि मामूली प्रायशिच्चत कर, वह शुद्ध हो सकता है । चर्चासागरके इस प्रायशिच्चत विधानसे मुनियोंकी प्रवृत्ति स्वच्छंद हो सकती है । इससे बहुत घडे अनर्थकी सम्भावना है । यदि चर्चासागरमें यह लिखा होता कि पार्श्वस्थ आदि भूषण मुनियोंकी अपेक्षा यह प्रायशिच्चतका विधान है तो विशेष आपत्ति नहीं हो सकती थी । भाभरीजी भी ऐसी आपत्ति नहीं ठाते । सामान्य रूपसे मुनिशब्द देखनेसे ही भाभरीजीने आपत्ति की है जो कि विलक्षण युक्त है ।

आचार्योंने पार्श्वस्थ आदि मुनियोंको स्वयं भूषण कह कर पुकारा है । जो भूषण है वह सब कुछ अनर्थ कर सकता है, परन्तु उसका प्रायशिच्चत धीक्षा छेद हो है उपचास पारणा आदिका प्रायशिच्चत यतलाना कल्याणकारी नहीं । आचार्य वोरनंदीने इस वातको इस प्रकार स्पष्ट किया है—

प्रमादेनान्यपाखं दिगृहस्थयतिसंश्रितं ।

वस्तु स्तेनयत किंचिच्च तनान्तरतनात्मकं ।

यतोन् प्रहरतोऽन्यस्त्रो हरणदांश्च कुदतः ।

दशं नवपूर्वज्ञस्थ आद्यसहननस्य तत् ।

पुनर्दीक्षाग्रहो मूलं सबा पूवा तपःस्थात् ।

चित्तोन्मार्गस्थपाश्वस्थप्रभृतिश्रमणेष्विदं ।

अर्थात्—यदि कोई मुनि किसी पाखन्डों 'गृहस्थ' वा यतिकीं कोई चेतन अचेतन वस्तु चुरा ले तथा मुनिको जानेसे मारना और परस्त्री 'हरण' करना आदि भयंकर पाप कर डाले तो वहाँ वह देश अंग और नौ पूर्वका पाठी भी हो और आदिके वज्रबृष्टभ नाराच आदि तीन संहनतोंको धारकभी हो तो भी उसके लिये पहिलेकी समस्त दीक्षा छेद कर फिरसे दीक्षा ग्रहण करना यह प्रायशिच्चत है । इस प्रकारके भयंकर पाप उत्तम मुनियों से नहीं हो सकते किन्तु उत्तमार्गगामी भ्रष्ट पाश्चास्थ आदि मुनियोंसे ऐसे पाप बन जाते हैं । आचार्य वीरनन्दने मुनियोंको मारना और परस्त्री 'हरण' करना आदि पापोंके करनेवाले भ्रष्ट मुनियोंके लिये दीक्षा छेदकर फिर दीक्षा ग्रहण करना रूप प्रायशिच्चत बतलाया है । जब कि चर्चासागरमें एक वर्षपर्यंत तेला पारणा वा पैचकल्याणक उपवास कहा है । यहाँ परं आचार्य वीरनन्दने सिद्धातोक्ते प्रायशिच्चत लिखा है । चर्चासागरको बताया प्रायशिच्चत उनके बच्चोंसे बिलकुल बिरुद्ध है इसलिये वह कभी प्रमाणोंके नहीं हो सकता । कहिये पण्डितजी महाराज ! अब हम आचार्य वीरनन्दोंके बच्चों प्रमाण मानेया आपके माननीय ग्रन्थ 'चर्चासागरके बच्चोंको प्रमाण कहें ? चर्चासागर का इस प्रकार प्रायशिच्चत विधान मुनि धर्मका धातक है । आप भी उस मुनिधर्मके धातक सिद्धातकी पुष्टि करना चाहते हैं यह महान खेद है । आप मुनि धर्मकी रक्षाके बड़े भागे ठेकदार बन रहे हैं सो क्या इसी प्रकार मुनि धर्मकी रक्षा करेंगे ? चर्चासागरके प्रायशिच्चत प्रकरण को पुष्ट करना मुनियोंको मुनि पदसे भ्रष्ट करना है । इससे कितना

भयकुः पापवध होगा यह तो जश्व आप उसका फल भोगोगे तभी जान सकेंगे किमींके कहनेसे आप नहीं मान सकते । चारिश्रमारके अंदर भी पाठ्वर्स्थ आदि मुनियोंके लिये यहो प्रायशिच्छन धतलाया है वह इस प्राकार है—

एते पञ्च अन्नाः, जिनधर्मवाद्याः एवंमुक्तपाद्व-
स्थादिपञ्चाविवोन्मार्गस्थितस्थापरिमितापराधस्य सर्व-
पर्यायमपहात् पुनर्दीक्षादानमूलमित्युच्यते । प्रमादा-
दन्यमुनिसंबधिनमृषिं छात्रं गृहस्थं वा परपाखं
दिप्रतिवद्वचेतनाचेतनद्रव्यं वा परमित्यं वा स्तेन
यतो मुनीन् प्रहरतः वान्यप्येवमादिविकृद्वाचारित
मावरतो नवदशपूर्वधरस्योदित्रिकसंहननस्य जित
परोषहस्य दृढ़धर्मिणः धीरस्य भयभीतस्य निजगुणा-
नुस्थापनं प्रायश्चित्तं भवति ।

अर्थात् पाश्वर्स्थ कुशोल आदि पाच प्रकारके ऋष्ट मुनि जिन धर्मसे वाद्य हैं । इस प्रकार उन्मार्गामी भ्रष्ट और जिनका अप-
नाध घट्हत ही बड़ा है ऐसे पाठ्वर्स्थ आदि मुनियोंको पहिली दीक्षा
छेद का फिरसे दीक्षा देना यही प्रायशिच्छत है । अन्यमुनिविद्यार्थीं,
गृहस्थ और पाखंडियोंकी चेतन अचेतन द्रव्योंको चुगना, परस्त्र-
योंका हरण करना मुनियोंको जानसे मारना आदि अनेक धर्म वि-
रुद्ध आचरणोंको आचरण करनेवाले पाश्वर्स्थ आदि मुनियोंके लिये

वाहे वे दश अंग नौ पूर्वके पाठी बज्रबृषभ नाराच आदि तीन उत्तम संहनोंके धारी परीष्ठोंके विजेता हृष्टमों धोरंचीर सेसारिसे मयभीत भी क्यों नहो जो उन्होंने भयङ्कर पाप किया है उसको तो पहिली दीक्षा छेदकर फिरसे दीक्षा देना ही प्रायशिच्चत है। यहां पर भी चत्विंशारके कर्त्तने चर्चासागरमे कहा गया प्रायशिच्चत न कह कर दीक्षा छेद ही प्रायशिच्चत बतलाया है। इस प्रकार आज्ञारसार और चत्विंशारके प्रमाणोंसे यह बात निश्चित हो चुकी कि मुनियोंको मारना, पा-स्त्रियोंको चुराना आदि महा पापोंके करनेवाले पाश्व-स्थ यादि अष्ट मुनि हैं उनसे यह बज्र कुक्म बनजाने पर उसका प्रायशिच्चत दीक्षा छेद है। चर्चासागरमे जो प्रायशिच्चतका स्वरूप बतलाया है वह गास्त्र विरुद्ध है वह कभी प्रामाणिक नहीं हो सकता इसी तरह मुनियोंको निज हाथसे भोजन बनावेवाला बताना रात्रिमें खानेवाला बताना यह मुनि धर्मको बद्दा लगानेवाली बात है। अस्तु अब हम पंण्डित मक्खनलाल त्रीके शब्दों पर विचार करते हैं।

पृष्ठ न० १४४ में लिखा है कि—“प्रायशिच्चत प्रन्थोंके पढ़ने पड़ाने का गृहस्थोंको अधिकार नहीं इत्यादि। इसे विषयमे यह निवेदन है कि प्रायशिच्चत ग्रन्थके पढ़नेमे कोई हानि नहीं विद्वान् गृहस्थ यूर्वाचार्योंके मर्त्तुसार प्रायशिच्चत ग्रन्थ भी बना सकता है।” गृहस्थ भट्टारकोंके बनाये प्रायशिच्चत ग्रन्थ उपलब्ध भी हैं। हाँ यह बात सबश्य है कि अपरायके अनुसार किसीको प्रायशिच्चत देना यह कार्य व्याचार्योंका ही है। आपने यह भी लिखा है कि “प्रायशिच्चतके विषयमे समालोचना करनेका अद्विकार गृहस्थको नहीं हमन्तिये।

उस विषयमे गृहस्थोका कुछ भी विचार करना सर्वथा अनुचित एवं अनधिकार है” इत्यादि- इसका उत्तर यह है कि, जिस समय आचार्य महाराज किसीको प्रायशिच्छा दे रहे हों वह चाहे भारी हो आ हल्का होना उस समय किसी गृहस्थ को प्रायशिच्छाकी समालोचनाका कोई अधिकार नहीं किन्तु अप्राप्त एक है और वह बहुत भयङ्कर है उसका प्रायशिच्छा मान्य आचार्योंने तो उसीके अनुसार लिखा है और दूसरे लोगोंने जो शिथिठाचारके प्रबर्तक हैं उन्होंने उसका प्रायशिच्छा बहुत ही सरल लिखा है उस समय गृहस्थका कर्तव्य है कि वह अवश्य उस पर विचार करे। मुनियोंका मारना पर स्त्री हर लेना अर्जिकामे साथ व्यभिचार कर डालना आदि महा भयङ्कर पापोंका प्रायशिच्छा आचारसार, चार्चासार आदि मान्य प्रथोंमें पूर्व दीक्षा छेदकर पुनर्दीक्षा देनालिखा है। चर्चासागरमें उन भयङ्कर पापोंका प्रायशिच्छा कुछ उपचास पारणा वा पञ्चकल्याणके उपचास मात्र बहुत हल्का प्रायशिच्छा कहा है। ऐसा प्रायशिच्छा माननेपर मुनियोंकी प्रवृत्तिमें भयङ्करता हो सकती है। इसलिये शास्त्र विरुद्ध जहाँ पर ऐसे प्रायशिच्छाका प्रलपण हो चहाँ उसकी समालोचनाकरनेका गृहस्थोंको भी अधिकार है। पूर्वपर विरोधी वचनको कोई गृहस्थ प्रमाणीक नहीं यात् सकता। चर्चासागरमें जो महान भयङ्कर पापोंको न कुछ प्रायशिच्छा कहा है वह शास्त्र विरुद्ध हैन। इसलिये भक्तिरीजी द्वारा प्रायशिच्छाके उस स्वरूप परमापत्ति करना विलक्ष उचित है। पृष्ठ नं० द४५में आपने लिखा है ‘प्रायशिच्छा गुरुद्वाग नियत की गई आज्ञा है। चह पात्रकी योग्यता देखकर हीनाधिक रूपसे दिया जासकता हैं हम

गृहस्थ लोग उसका विचार नहीं कर सकते इत्यादि” इसका बत्तर यह है। ब्रतमें जहाँ प्रमाणवश अतीचार लग गया हो वहाँ गुह योग्य-नानुसार हल्का सारी प्रायश्चित्त दें सकता है इन्तु जहाँ ब्रतको ही समूल नष्ट कर दिया हो वहाँ पर तो कठोर प्रायश्चित्त हा देना हांगा मार डालना, व्यभिचार परस्त्री हरण आदि भयङ्कर पाप हैं। इनका प्रायश्चित्त अपराधीका सर्वस्व छोन लेना है तथा वह सर्वस्व छोन लेना, दीक्षा छेद ही है। ऐसे पापोंका यही प्राय-श्चित्त आचारसार और चारित्रसारमें कहा गया है। चर्चासागरके कर्तने तो ऐसे भयंकर पापियोंका मुनिपना कायम रखकर बहुत हल्का प्रायश्चित्त उपवास, पाठण, वरला दिया है। जो कि मुनिधर्मका नाशक है। इसके बाद आपने लिखित और छपे ग्रन्थों की उपयोगिता पर विचार किया है जो कि व्यर्थ है। आपने यह भी लिखा है “प्रायडिवन्न आदि प्रकरणोंका वर्णन होनेसे चर्चा-सागरका उपना व्यर्थ नहीं क्योंकि उसके पहिले बहुतसे ग्रन्थ छप चुके हैं। जिनमें गौदान, भूमिदान, कन्यादान आदिका विधान है “तथा यहांपर यह भी लिख मारा है कि “हमने उन सब ग्रन्थों के प्रमाण दिये भी है” इत्यादि इस विषयमें यह कहना है कि पहिले जो ग्रन्थ विपरीत मालूम हुए हैं उनका काफी विरोध किया गया है उस विरोधसे उनका आसन भी गिर चुका है। चर्चासा-गर ग्रन्थके उपनेके साथ ही विना मूल्य काफी प्रचार किया गया सब लोगोंके दैखनेमें वह व्याया इसलिये वहे जोरसे उसके विस्त्र व्यायाज उडाई गई। आपने गौदान आदि की पुष्टिमें जो प्रमाण-

दिये हैं वे कितने सारहीन और शास्त्र विरुद्ध हैं। आपको मेरे इस परिश्रम से पता चल जायगा विशेष लिखना व्यर्थ है। पृष्ठ नं० १५७ से आपने—

‘प्रमाणेनान्यपाखण्ड’ इत्यादि तीव्र श्लोक आचारसारके उद्धृत किये हैं। आपके लिये इनका उद्धृत करना विलक्षुल व्यर्थ है क्योंकि मुनियोंका मार डालना परस्ती चुराना इत्यादि भयंकर पापोंका प्रायश्चित्त यहांपर दोक्षा छेद कहा है। चर्चासागरमें यह नहीं कहा। इसके विपरीत उपवास और प्रारणा करलेना प्रयश्चित्त बतलाया है। हमने इन श्लोकोंको ऊपर प्रमाणरूपसे लिखा है। चर्चासागरमें पश्चस्थ आदि मुनियोंके लिये यह प्रयश्चित्तका विधान है, यह नहीं लिखा। आप अपनी ओरसे ज़ोड़कर उसकी बात पुष्ट कर रहे हैं। जो हो उपर्युक्त भयंकर पापोंका प्रायश्चित्त दोक्षा छेद हो है, यही इन श्लोकोंसे प्रगट किया गया है। चर्चासागरमें जो इन भयंकर पापोंका बहुत थोड़ा प्रायश्चित्त कहा है वह विरुद्ध है। पृष्ठ नं० १५० से आपने लिखा है—कि “अपराधोंका आचार्य”, दोक्षा छेदकार प्रायश्चित्त देते हैं। अनेक आचार्योंके पास धूमाकर उसको शांत आत्माको परीक्षा करते हैं फिर यथायोग्य उपवासोंका विधान बताते हैं। चर्चासागरमें पूरा प्रकरण नहीं इसलिये भाक्फरीजीं उस ग्रंथको खिलो उड़ाकर भले ही शोख चिह्नोंपनका काम करें। जो बात चर्चासागरमें कही गई है वह सभी प्रमाण और शास्त्रोंके हैं इत्यादि” इसका उत्तर यह है कि चर्चासागरमें दोक्षा छेदका बा आचार्योंके पास अपराधों मुनिके

भजनेका कोई जिक्र नहीं जिससे यह कहा जा सके कि इस दड़के बाद उन दंडित मुनियोंके लिये पीछेसे उपवास पारणा आदि प्रायश्चित्तोंका विधान है क्योंकि वहाँ तो भयंकर भी पापके लिये सामान्यरूपसे उपवास और पारणाओंका ही प्रायश्चित्त बतलाया है इसलिये चचासागरमें पूरा प्रकरण नहीं, यह आपका लिखना व्यथा है मालूम होता ही आचारसाम्राज्य इस प्रकारका प्रायश्चित्त विधान देखकर आपने चचासागरको रक्षाके लिये यह कल्पनाकी है। भांभरीजीको जो चचासागरके शब्दोंपर वहअपन्ति ही सो विलकुल ठीक है। चचासागरके काताको जब इस विषयका पूरा ज्ञान न था तब उसे नहीं लिखना था। उसमें कुछ शेखी नहीं मारी जाती थी। चचासागरके शब्द मुनिधर्मकी रक्षामें वाधक हैं वे किसी तरह शास्त्रसम्मत नहीं हो सकते। इन शब्दके रहते भी उसे प्रमाणीक मानना विलकुल मुद्दता है, इस तरह चचासागर प्रमाणीक नहीं बन सकता। आपने एक सेठकी कथा छल ख कर उसका बहुत हल्का प्रायश्चित्त बताकर यह सिद्ध करनेकी चेष्टा की है कि भयंकर भी पापका आचार बहुत थोड़ा प्रायश्चित्त देते हैं, परन्तु प्रहृतमें यह बात घटती नहीं। वहाँ तो अपनी जाति में अपने समान किसीको बड़ा न समझ कर और यह चिचार कर कि मेरा कोई क्या कर सकता है? मेरा वैभव देख सबाको देखना पड़ेगा? इस धनकी मदांधतासे बौसा किया गया था। उससे धर्मको बड़ा भारी धक्का नहीं पहुंचता था। परन्तु एक मुनि व्यग्मिचार सेवे, मुनिको जानसे मारे, परस्ती हरण कर तो वहा

धर्मको वड़ा भारी लालूत लगाता है। - वहां तो दीक्षा छेद कर फिर उसके परिणामोंको धर्मानुकूल ज्ञान दीक्षा देता ही प्राय-शिव्वत है। ऐसे पापोंके करनेपर मुनिपन्ना कायम उखकर उपचास आदिका प्रायशिव्वत बतानेसे काम नहीं चलता। पृष्ठ न० १५१ में आपने —

पास्तथ भावठाओं इत्यादि पट्ट प्रभृतकी गाथा उढ़ात कर पास्तव स्थ ओढ़ि मुनियोंका स्वरूप बतलाया है। यह भी व्यर्थ है। जब चर्चासागरमें इनको लक्ष्यकर प्रायशिव्वतका विधान नहीं कहा तब चर्चासागरके कथनको पुछियें तो इनका स्वरूप बतलाना व्यर्थ ही है। पास्तव स्थ आदि मुनियोंका भेद बतानेके लिये आपने मलाचारका भी एक प्रमाण दे डाला है। उसका भी प्रकृतमें उपयोग नहीं। पृष्ठ न० १५३ आपने लिखा है कि “ऐसे भट्ट मुनियोंकी चर्चासागरमें निंदा हो की गई है उन्हें अच्छा नहीं बतलाया उन भट्ट मुनियोंके कुकूत्यको थोड़ी भी प्रशंसा वा समर्थन किया होता तो भाँझरोजी या उनको आगे उखनेवाले पण्डित या वावू कोई भी बतावे।” चर्चासागरके वहिकारकी भावनासे प्रथका अभिप्राय बदलकर पत्रों द्वारा लोगोंको अन्यथा समझाते हैं “इत्यादि”。 इसका उत्तर यह है कि यह ठीक है कि मुनियोंके कुकर्मकी निंदा ही की गई है परंतु इस निंदासे मनिधर्मकी रक्षा नहीं हो सकती। इस भयकर कुकर्मका यदि थोड़ा सा प्रायशिव्वत बनलाया जायगा तो हर कोई कुकर्म कर थोड़ा प्रायशिव्वत कर लेगा। ऐसी निंदा किस कामकी जिससे मौलिकता

ही लघु हो जाय । आप भाँकरीजो और उनके मित्रोंको चाहे जहां कोस डालते हैं यह आपका कार्य विद्वत्ताका नहीं जब आपसे उत्तर नहीं देता तब चुप रहनेमें कोई हानि नहीं । कोसनेसे तो और भी खोखेपनकी बूँफ़लती है । पृष्ठ नं० १५४ में आपने—

‘एते पञ्च श्रमणाः जिनधर्मवाहाः’ इत्यादि चारित्रसारकी पंक्तियां उद्धृत की हैं । चारित्रसारके कर्ताने इन पंक्तियोंसे व्यभिचारी आदि भयंकर पापों सुनियोके लिये निजगुणानुस्थापन अर्थात् फिरसे दोक्षा ग्रहण करना ही प्रायश्चित्तत्व कहा है । इस कथनसे चर्चासागरके कथनको पुष्टि नहीं होती इसलिये इन पंक्तियोंका उद्धृत करना आपके लिये व्यर्थ है । हम ऊपर इन पंक्तियोंको प्रमाणरूपसे उल्लेख कर आये हैं । चारित्रसारको जो ये पंक्तियां हैं उनमें निजगुणानुस्थापन शब्दका उल्लेख किया है उसका अर्थ गुणोंका फिरसे उपस्थापन कर देना अर्थात् फिरसे दोक्षा ग्रहण करना यह अर्थ है । शब्दपर विचार करनेसे एक मामलों जानकार भी निज गुणानुपस्थापनका अर्थ समझ सकता है । पंडितजीके इयान शरोफ़में यह अर्थ नहीं आया वे पृष्ठ नं० १५४ में लिखते हैं ‘निजगुणानुपस्थापन’ नामका प्रायश्चित्त बतलाया है अर्थात् इसका तात्पर्य यह है कि छेद प्रिहार और उपस्थापन आदि जिस प्रकार प्रायश्चित्तके भेद हैं उस प्रकार निजगुणानुपस्थापन भी कोई भिन्न ही प्रायश्चित्तका भेद है । घलिहारी इस पंडितार्इको है । यदि आचारसारकी पंक्तियोंका भाव भी दिमागमें लगा रहता तो भी निजगुणानुपस्थापन

नामका भिन्न प्रायश्चित वतलानेका साहस नहि होता क्योंकि आचारसारमे भी इस विषयका इसी रूपसे वर्णन किया है। परन्तु चक्कल ध्यानमे यह बात टिके कैसे ? निजगुणानुपस्थापन नामका कोई जुदा ही प्रायश्चित वतानेसे तो यही जान पड़ता है कि पंडितजीको प्रायश्चितके विषयका ज़रा भी ज्ञान नहीं। नहीं तो या जानकार कहे जानेवाले व्यक्तिसे इतनी बड़ी गलती हो सकती थी। क्योंकि, 'निजगुणानुपस्थापन' इस शब्दके अक्षरोंसे फिरसे दोक्षा ग्रहण करभा यह अर्थ टपक रहा है—कोप आदिके देखनेकी भी कोई आवश्यकता नहीं तथा आचारसारमे ही यही विषय रहनेसे वहांपर पुनर्दीक्षाग्रहण करना यहां प्रायश्चित वतलाया है। यहापर तो पंडितजीने वही उदाहरण उपस्थित कर दिया कि एक पंडितजी कहीं कथा बाच रहे थे त्रिशेष ज्ञानकार तो थे जहाँ। इधर उधरसे सुनकर कुछ ज्ञान रखा था पर मुखों को लज्जेदार बातें सुनाकर रिभाना खूब जानते थे। पंडितजी जब यहां बहाका गप मारने लगे तो एक समझदारने किसी शब्दका अर्थ धर पूछा, पंडितजीको उसका उत्तर तो सुझ न पड़ा। मुखोंमें बदनामी न हो जाय इस ख्यालसे उन्होंने कह दिया यह भागचतके अमुक पात्रका नाम है इत्यादि। सिहिरखान पंडितजी ! इतनी बड़ी नासमझी रखनेपर प्रायश्चित विषयपर विचार करना शोभा नहीं देता। मुर्ख तो आपकी तारीफके पुल बांध सकते हैं पर विद्वानोंको आपकी इतनी मोटी अजानकारीसे किंतना शमिदा होना पड़ेगा। यह भी तो आपको

—१८— दो दो जातको अज्ञानकारीपरं तो नहीं भी
कुछ लिखा जा सकता है किन्तु 'जहाँ' अज्ञानकारियोंका देखका
दूर हो वहाँ तो कुछ दोकां दिप्पणी करना ही होगा। एक दो
धावकी मर्लहमपट्टी हो सकती है परं जहाँ सारा शरीर ही कूट
निकला हो वहाँ किसे रुधावकी मर्लहमपट्टी का जा सकती
है! अत्यु ।

१८ चर्चासागरमें ब्राह्मणके मारनेको क्षत्रिय धारिकी अपेक्षा
अधिक पाप धतलाया है वहाँपर यह आपत्तिकी गई है कि ऐसा
क्यों! इस बातकी पुष्टिमें जापने पृष्ठ नं० ६५७ में स्वादवचया
धिकारेऽपि स्थिरात्मा द्विजसत्तमः इत्यादि दो श्लोक आदि-
पुराणके उच्छृत किये हैं इन श्लोकोंमें यह लिखा है कि जो ब्राह्मण
स्थिर बातमाका धारक हो धर्मका धोरी हो उसे नहीं मारना
चाहिये क्योंकि गुणीके मारनेसे धर्मकी विशेष हानि होती है और
गरीबोंके मारनेसे भी हानि तो ही होती है किंतु ब्राह्मणके मारनेसे यहाँ विशेष
हानि है। परन्तु यहाँपर स्थिरात्मा शब्ददेकर ब्राह्मण शब्दसे संयमी
मुनियोंका ग्रहण जान पड़ता है क्योंकि यशस्तिलक चंपूमें मुनि-
योंके लिये ब्राह्मण शब्दका व्यवहार किया गया है (यह बात ऊपर
श्राद्धानपणके समय लिखी गई है) यदि ब्राह्मण शब्दसे मुनियोंका
ग्रहण न किया जायगा तो मुनियोंसे भी ब्राह्मणका मारना विशेष
हानि कर जायगा यह बात ही नहीं सकती क्योंकि धर्म
इन्हिसे मुनिगण विशेष उपकारी हैं। ब्राह्मण शब्दसे संम्बद्ध है

श्रावक अथ नहीं लिया जा सकता क्योंकि उसकी आत्मा स्थिरात्मा नहीं कही जा सकती । आचार्य जिनसेन मुनियोकी अपेक्षा ब्राह्मणोंको महान् समझे यह हो नहीं सकता । जो भी हो तो भी आदिपुराणमें इन श्लोकोंसे यह नहीं निकलता कि ब्राह्मणके मारनेमें ज्यादा पाप है क्षत्रियादिके मारनेमें नहीं ।

पृष्ठ नं० १५६ में ‘साधूपासक वाल स्त्री धेनूना’ इत्यादि गुरुदास विरचित प्रायश्चित्त चूलिकाका प्रमाण दिया है इस श्लोकमें मुनि श्रावक, वालक, स्त्री, गौके मारनेका प्रायश्चित्त कहा है और वहापर गुणोंकी अपेक्षा मार डालनेपर हीनाधिक प्रायश्चित्त बतलाया है । यहापर एक बात तो यह है कि ब्राह्मणके मारनेपर अधिक पाप लगता है उससे थोड़ा क्षत्रियके मारनेपर उससे थोड़ा बेश्यके मारनेपर यह जो विधान चर्चासागरमें लिख कर ब्राह्मणको बहुत महान् बतलाया है यह बात यहां नहीं कही है । इसलिये चर्चासागरमें जो ब्राह्मणको महान् माना गया है यह बात ठीक नहीं है । दूसरे एक मुनि यदि अन्य मुनिको मार डाले तो इसका प्रायश्चित्त जो एक वर्ष तेला पारणा बतलाया है वह आचारसार और चरित्रसारसे विरुद्ध पड़ता है तो सर्वे गुरुदासको आचार्य लिखा गया है यह बात जरा खटकती है । आचार्य रूपसे गुरुदासका कहीं उल्लेख नहीं मिलता इसलिये इनका वर्चन प्राचीन आचार्योंके समक्ष महत्व नहीं रख सकता । चर्चासागरमें लिखा है कि ये जो प्रायश्चित्त विषयके प्रमाण दिये हैं प्रायश्चित्त चूलिका ग्रन्थसे दिये हैं । वह प्रायश्चित्त चूलिका

प्राकृतका ग्रन्थ है। गुरुदोसने उसींकी नकलकी है इसलिये चर्चा-सांगरके समान गुरुदोसका भी संस्कृत प्रायश्चित्त चूलिका ग्रन्थ प्रमाणीक नहीं माना जा सकता।

पृष्ठ नं० १५७ में विरदोय सावओय इत्यादि दो गाथायें इंद्र-नैदि भट्टारक विरचित प्रायश्चित्त छेदकी उद्धृत की है। इन गाथाओंमें भी मुनि श्रावक आदिके मारनेका हीनाधिक प्रायश्चित्त वर्तलाया है जैसा कि ऊपरके श्लोकसे गुरुदोसने लिखा है। मालूम यही होता है कि प्रायश्चित्त चूलिका प्रायश्चित्त संग्रह और प्रायश्चित्त छेद ये ग्रन्थ एक दूसरेको देख कर बने हैं। सबोमें एक ही वान है और वह आवारसार और चरित्रसारके कथनसे विरुद्ध होनेके कारण सिद्धांत विरुद्ध हैं।

पृष्ठ नं० १५७ में 'जो अब्देभ' सेवदि विरदो सत्तो संइ' अविष्याह' इत्यादि गाथा भट्टारक इंद्रनैदि विरचित प्रायश्चित्त छेदकी उद्धृतकी है। चर्चासांगरमें जो अर्जि काके साथै व्यमिचार करनेका पञ्चकल्याणक उपवास मात्र प्रायश्चित्त कहा है वही इस गाथासे पुष्ट किया गया है। यह कोई प्राचीन ग्रन्थका प्रमाण नहीं प्रायश्चित्त चूलिका और यह प्रायश्चित्त छेद एक दूसरेको नकल है। तथा—

'रात्रो ग्लोलेन मुक्तः स्यादित्यादि' श्लोक गुरुदोसकृत प्रायश्चित्त समुच्चयका उद्धृत किया है। चर्चासांगरमें जो यह श्राव लिखी है कि मुनि रात्रिमें चारों प्रकारका आहार खा सकता है उसीश्रावकी पुष्टि इस श्लोकसे की गई है। प्रायश्चित्त

चूलिका नामका ग्रन्थ जिसके कि आधारसे चर्चासागरमें प्राय-शिव्वत विषय लिखा गया है उसीकी यह नकल है इसलिये शास्त्रविरुद्ध होनेसे यह बात प्रमाणीक नहीं मानी जा सकती पृष्ठ न० १५२ में प०० मवखनलालजीने स्वयं भी प्रायशिव्वत चूलिका ग्रन्थकी टीका उद्धृत की है इस टीकाके शब्द और गुरुदासके श्लोकके शब्द मिलते जुलते हैं तथा इस श्लोकका अर्थ पण्डितजीने संस्कृत टीकाके अनुसार ही लिखा है ऐसा स्वयं प्रगट भी कर दिया है। सार बात यह है कि पंडितजी ने जो यहा चर्चासागरकी पुस्तिमें प्रमाण दिये हैं वे ग्रन्थ एक दूसरेकी नकल हैं और शिथिलाचारी भट्टारकोके बनाये हैं इसी-लिये प्राचीन ग्रन्थोंसे उनका कथन विलक्षण विवर उपलब्ध नहीं है अतः वे प्रमाणीक नहीं माने जा सकते ।

पृष्ठ न० १५६ में लिखा गया है कि मुनियोंकी भूष्टताकी चर्चा-सागरमें निन्दा ही की गई है । तथा चर्चासागरकी वे पंक्तिया भी उद्धृत की गई हैं । इसका हम उत्तर ऊपर दे चुके हैं ऐसी निन्दा किस कामकी जिससे मुनिधर्मकी मौलिकता चली जाय । जैसा उनका भय कर पाप है उसीप्रकार आचारसार आदि सैद्धांतिक शास्त्रोंके अनुसार उनका प्रायशिव्वत होता तो वह टीक होता चर्चासागरमें मुनिपना कायम रखकर भयकरसे भयकर पापका भी प्रायशिव्वत बहुत सरल बतलाया है । यह मुनिधर्मकी सत्ता मिटानेवाला है । जो हो यह अच्छी तरह निश्चित हो चुका कि चर्चासागरमें तो प्रायशिव्वतका प्रमाणलिखा

है वह प्रायश्चित् चूलिकाके आधारसे है । प्रायश्चित् चूलिका का कथन ओवरेसार चारित्रसारज्ञाद् ग्रन्थासे विलम्ब है इसलिये चर्चासागरमें जो प्रायश्चित् प्रकरण है वह शाल्वोंके विपरीत है वह कभी नोन्दे नहीं हो सकता । इस तपसे चर्चासागरकी भो प्रभाणीकर्ता काव्यम् नहीं रह सकता ।

चर्चासागरमें प्रायश्चित् प्रकरणमें रजस्वला स्त्रीसे बालक कर स्पर्श होनेपर इस प्रकार प्रायश्चित् लिखा है ।

नया सह तद्वालस्तु द्वयष्टस्तानन् शुद्धयति ।

तां स्वशत् स्तनपापी चेत्प्रोक्षणेनैव शुद्धयति ।

३८। त्रिवर्णवार

इसका अर्थ यह है कि वटि कोई बालक महस्ते रजस्वला रक्तके पास सोये बैठे वाँ रहे तो सोलहवार स्तान करनेते उड़कों शुद्धि होती है । दूध पीनेवाले वृच्चार्ची शुद्धि जलके छोटे देने नात्रसे होजाती है । यहाँ अर्थ चर्चासागरमें लिखा गया है । पहांपर बालकका प्रायश्चित् सोलह दार स्तान बताता बहुत कड़ा है । इसीपर कांभरीजोने धोपत्व की है कि ऐसे कड़े प्रायश्चित्से बालकसो निमोनियों आदि रोग पकड़ लकते हैं । यह कानू प० सक्षतलालझीको समझमें ठोक जब रहे हैं इसलिये उन्होंने लिखा है कि द्वयष्ट और स्तान शद्वाका जुदा न कर दोनोंको समासंत मानलियों हैं इसलिये बस्पालोलझोंसे मूल हो गई है । दात्तव्रतमें द्वयष्ट यह वित्तरात्त पड़ है अर्त उन्होंने यह अर्थ होता है कि सोलह वर्षकों बालक स्तान करनेते

शुद्ध होता है । वास्तवमें पाड़े चम्पालालजीकी भूल बताकर यहां पं० मक्खनलालजीने बड़े ही साहसका काम किया है । यदि ऐसी उनकी भूलें और जगह भी स्वीकार करली जातीं तो यह जन धनकी शक्ति नष्ट न होती और न समाजमें क्षोभ पैदा होता चलो एक जगह भूल स्वीकार करनेपर यह तो पं० मक्खनलालजीके शब्दोंसे सिद्ध हुआ कि पाड़े चम्पालालजी भी भूल कर सकते हैं । उनके बचन आप्त बचन नहीं । परन्तु विचार किया जाय तो पं० मक्खनलालजीने जो पाडेजीकी भूल पकड़ी है वह भूल नहीं । वास्तवमें इस श्लोकमें सोलह बार ही स्नानका विधान है । सोलह वर्षके जवान पुरुषकी बालक संज्ञा नहीं । फोप और नीतिमें बालक सज्जा ५ वर्षतक मानी है । विचागिये एक स्त्रीके तीसरी या चौथी वर्षमें दूसरा बच्चा हुआ । तो पहिले बच्चेका दूध छूट जानेसे वह तो दूध पीनेवाला कहा नहीं जा सकता । दूसरा बच्चा दूध पीनेवाला कहा जायगा । दूसरे बच्चेके लिये चर्चासागरके मतानुसार जलके छीटोंसे शुद्धि और पांचवर्षतकके बालकके लिये सोलहबार स्नानसे शुद्धि है ; यही अर्थ विवर्गचारके श्लोकका है । पंडितजी लिखते हैं कि मोहसे १६ वर्षका बालक माके पास जा सकता है मो मकता है इत्यादि इस बात पर वही हँसी आती है । सोलह वर्षका बालक जिसके सन्तान उत्पन्न हो सकती है वह मोहसे माके पास सोयेगा कि अपनी स्त्रीके पास सोयेगा वह रजोधर्मका स्वरूप जानेगा फिर वह माको रजस्वला नानकर

‘मी’ कैसे उसके पास सौवेगा । यह समझ नहीं पड़ता । जिस सिद्धांतमें अष्टम वर्षमें यज्ञोपवीत अणुवंतका विधान है । तथा अष्टम वर्षमें केवल ज्ञान तककी प्राप्ति मानी है फिर वहाँ उससे दूनी अवस्था वाला व्यक्ति; क्या यह भी न समझेगा कि मेरी मा रजस्वला है इसके पास न सोना चाहिये ? पंडितनी महाराज ! दूसरे आदमीने लकड़ी पेकड़ा दी उसीके सहारे न खिचे जाइये । बुद्धि नेत्र आपके पास मौजूद हैं उनसे काम लीजिये । आपने त्रिवर्णचारकं श्लोककी भाषाटीकाओंसे ही यह निश्चय कर लिया कि सोलह वर्षतकका भी बालक होता है । यह महान अच्छरेज है त्रिवर्णचारकी भाषाटीकामें यदि इस श्लोकका अर्थ अशुद्ध हैं तो उसकी आज्ञानुसार चलनेवाले तो इसे शुद्ध कर सकते हैं—उन्हें तो बुद्धि रूपी नेत्र प्राप्त हैं । कृपानिधान ! कानों स्त्रीके औलाद कानी हीं नहीं होती, दोनों उज्ज्वल नेत्रबाली होती है । यह तो आप भी अच्छो तरह जानते हैं । आप निश्चय समझें सोलह वर्ष तो बहुत है ४—५ वर्षके बालकको भी यदि यह ज्ञान हो जाय कि मेरी मा रजस्वला है तो वह भी स्पश नहीं करता इसलिये त्रिवर्णचारमे जो बाल शब्द दिया है उसका अर्थ अबोध बालक ही है । वही माताके पास मोहसे जा भो दैठ सकता है इसीके लिये यह १६ वार स्नानका विकट विधान कर डाला है । पांडेजीने जो इस श्लोकका अर्थ दिया है वह ठीक किया है । भांभरीजी की आपत्ति ठीक है आपने जो इस श्लोकका विना विचारे अर्थ किया है वह आपकी गलती है । किसी विचारशील विद्वानसे आप समझ सकते हैं ।

पृष्ठ नं० १६२ में “रोगी स्त्री यदि रजस्वला न हो जाय तो उसका विधान जो यह लिखा है कि दूसरी स्त्री दशवार चूकर दशवार स्नान करे तो वह शुद्ध हो जाती है यह विधान चिलकुल नया और मन गढ़न्त हैं और भी जगह रजस्वलाकी शुद्धिका विधान आया है वहां ऐसी मनगढ़न्त बात नहीं दीख पड़ी। यदि कहीं और जगह विधान हैं तो आपको वे वचन उद्धृत करने थे यह सब ढोंग हिन्दू धर्मसे उड़ाया जान पड़ता हैं।

पृष्ठ नं० १६५ में यह लिखा है कि—“जो गृहस्थ सभामें बैठकर चाते करे तो ऐसे पुरुषको देखकर वह सहित स्नान करना चाहिये”। इत्यादि इसपर भाई रत्नलालजी भाँझरीने आपत्तिकी है। वहां आपने यह लिखकर कि ‘चर्चासागरमें रजस्वला स्त्री की वात करे उसके लिये ऐसा लिखा है’ तथा भाँझरीजी-को धोखेबाज ठहराया है। परन्तु यह आपकी बड़ी भारी भूल है जहापर यह लिखा गया है वह रजस्वला शुद्धिके प्रकरणमें अवश्य लिखा गया है परन्तु उस प्रकरणसे इस लिखनेका कोई सम्बन्ध नहीं। वहांपर कहीं दूसरे मतसे एक श्लोक ठड़ाया है उसके आधारसे यह लिखा गया है देखिये वह श्लोक इस प्रकार है।

अद्वारुङ् यतिं दृष्टवा खाट्वारुदां रजस्वलां ।

शास्त्रस्थाने गृहवक्तृन् सचेलस्नानमाचरेत् ।

अर्थ—धोड़ेपर ज़हे हुए मुनिको, खाटपर बैठी रजस्वला

स्त्रीको, शास्त्र सभामें वैठकर घरकी बातें करनेवाले पुरुषोंको देखकर वस्त्र सहित स्नान करना चाहिये । पाठक । विचार कर ले यह श्लोक स्वतंत्र है । और यह श्लोक जैनाचार्योंका भी नहीं हो सकता क्योंकि मुनि धोड़ापर कैसे वैठ सकता है । दूसरे मतसे उठाकर इसे जबरन चर्चासागरके कर्ताने प्रमाणरूप मान लिया है । तथा गृहवक् २ यह पद देकर तो स्पष्ट ही कर दिया है कि घरकी बातें करनेवाले पुरुषोंको देखकर वस्त्र सहित स्नान करना चाहिये । यहांपर 'जस्वला खियोंकी बातें करनेवालेको' यहअर्थ निकलता ही नहीं फिर न मालूम प० मखनलालजीने भृई भाँझरीजीको कैसे धोखेवाज कह डाला प्रकरण देखेंगे नहीं । विचारके लिये बुद्धिको तकलीफ न देंगे आंख मीच चाहे सो बल डालेंगे इससे पण्डिताई की प्रशंसा नहीं हो सकती । यहांपर पंडितजीने चर्चासागरका प्रकरण पढ़ा तक नहीं इधर उधर देख कर लिख मारा है इसी लिये उन्हें भाँझरीजीका धोखापन सूझा है । वास्तवमें पण्डितजीने जितने भी उत्तर लिखे हैं सब जगह नासमझीका काम किया है । कहीं भी विचार करनेके लिये तकलीफ नहीं की । अपनी व्यर्थ कपाय पोपण कर उन्हें समाजमें तहलका मचाना था । लोगोंकी जन धन शक्ति नष्ट करनी थी सो भरपेट कर ली, अब आप विचारले आपने चर्चासागरका निदित पष्ट लेकर कितना बड़ा अनये किया है । भाँझरीजीने जो बात लिखी है वह अपनी समझके अनुसार विलकुल ठीक लिखी हैं उससे उन्हें तो आपने मोटे २ अक्षरोंमें धोखेवाज लिख डाला और

आपने भूठी घात 'लिख कर लोगोंको धोखेमें डाल दिया सो आपने अपनेको धोखेवाज न समझा ? । आश्चर्य है एकबार आप अपने माननीय ग्रंथ चर्चासागरको उठाकर देखिये, उसमेंयह कही नहीं लिखा है कि "शास्त्र सभामें रजस्वला श्वियोंकी घात करने वालोंको देखकर वरुणसहित स्नान करना चाहिये" किन्तु कहीं अन्यत्रका श्लोक उद्भूत कर उसके अधारसे यह लिखा है कि जो मनुष्य शास्त्र सभामें घैटकर घरकी घाते करें उन्हें देख कर वरुण-सहित स्नान करना चाहिये । यह बहुत कड़ा प्रायश्चित है जैना-चार्य कभी पेसा प्रायश्चित नहीं दे सकते । अब आप सोच लीजिये आपने यह घात भूठ लिख कर कितना घडा धोखा दिया है । एक विद्वान् कहे जानेवाले व्यक्तिका इस प्रकार धोखेवाजी से लिखा जाना नितांत घृणित है ।

सार घात यहापर यह है कि चर्चासागरमें जो प्रायश्चित्त प्रकरण लिखा है वह जैन शास्त्रानुकूल नहीं । हिन्दू धर्ममें प्राय-श्चित्तको सुलभता देख जैन धर्मको भी सुलभ और सरल बनानेके लिये यह प्रायश्चित्तका सुलभरूप ढाला गया है । प्रायश्चित्त चूलिका, प्रायश्चित्तछेद प्रायश्चित्त संग्रह आदि ग्रंथ शिथलचारियों द्वारा बनाये गये हैं और ये एक दूसरेको नकले हैं । क्योंकि इनमें एक सा हो कथन दोख पढ़ता है तथा प्राचोन ग्रन्थोंमें जो प्राय-श्चित्त मिलता है उससे इन ग्रन्थोंमें लिखा प्रायश्चित्त प्रकरण विलकुल विस्तृद्ध है । चर्चा सागरमें तो हिन्दू धर्मके श्लोकोंको लेकर प्रायश्चित्तका स्वरूप और भी बढ़ाकर लिख डाला है

इसलिये वह कभी प्रासादिक नहीं माना जा सकता । जो लोग खोटी हठसे चर्चासागरका समर्थन करते हैं उन्हें परिश्रम कर प्राचीन ग्रन्थोंका मनन करना चाहिए ।

अन्तिम सारांश

वस्तुका जो खास स्वरूप है वही असली और शुद्ध स्वरूप कहा जाता है यदि उसमें जरा भी परिवर्तन वा यलन्नन हुई तो असलियत नष्ट हो जाती है और वह पदार्थ विकृत माना जाता है । जैनाचार्योंने भगवान् महार्वीरके वचनोंके आधारसे जो जस पदार्थका स्वरूप हैं वही उस पदार्थका स्वरूप बताया है और उसी को माननेसे इष्ट सिद्धि होती है, किंतु देखा, देखो जहाँ उस पदार्थ के स्वरूपमें विकार होना है तो वह ढोंग स्वरूपमें परिणित हो जाता है और वैसा होनेसे इष्ट सिद्धिका द्वार भी बंद हो जाता है

दृश्मी शतान्द्रीके पहिलेके जितने भी जैन ग्रंथ हैं उनमें भगवान् महार्वीरके वचनोंकी रक्षा की गई है । जहाँ जरा भी शिथिला-चारकी मात्रा देखी है उसकी तत्काल समालोचना कर डाली गई है, वहांपर इस प्रकारका लिहाज नहीं किया है कि ये महाराज आचार्य हैं अथवा वड़े मुनि हैं । क्योंकि वहांपर धर्मकी रक्षाकी चिनाशी । वहांपर व्यक्तित्वका कोई प्रभाव न था । आचार्य गुणमद्दने गावके समीप ठहरनेवाले मुनियोंको मृगोंके समान ढरपोक कह दिया, हृद हो गई । देवसेन सूरिने काप्तासंब माधुर संघ आदिको जैनाभास तक कह डाला । क्या काप्ता संघ और माधुर आदि संघमें नामी विद्वान् नहीं हुए ? क्या जैन समाजमें

पद्मपुराण हरिवंश पुराण प्रभृति काष्ठा संघ आदिके प्रन्थोका प्रचार नहीं । परन्तु बात उनके ऊंचे व्यक्तित्व और विद्वत्ताको न थी वहा तो मुनियोके प्राणस्वरूप चारित्रमें शिथिलता सहा न थी इसीलिये इन संघोंमें चरित्रकी शिथिलता देख इन्हें जैनाभास कहने में भी किसो प्रकारका संकोच नहीं किया गया यह बात एक बहुत बड़ा महत्व रखती है ।

चर्चासागर कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं । अनेक प्रथोंके आधारसे उसका सकलन किया गया है । जो ग्रथ पूर्वपर विरोध रहित है तथा जैनधर्मके असली स्वरूपके प्रतिपादक है उन प्रन्थोंके जो प्रमाण चर्चासागरमें दिये हैं उन पर किसी प्रकारकी आपत्ति नहीं—उन प्रन्थोंकी प्रमाणीकता रहनेसे उन प्रन्थोंके आधारसे जो बात चर्चासागरमें लिखी है वह प्रमाणीक हो जाती है । किन्तु जिन प्रन्थोंके कथन में पूर्वपर विरोध है । समयको खूबीसे जिनमें परमतकी धर्म विरुद्ध बातोंको जैनधर्मका रूप दिया गया है अर्थात् परमतकी धर्म विरुद्ध बातोंको जैनधर्मका रूप देनेके लिये उनकी नकल की गई है । अतएव जो जैनधर्मके असला स्वरूपको भ्रष्ट करनेवाले हैं उन प्रन्थोंको प्रमाण मान उनके आधारसे ज चर्चासागरमें बातं लिखी गई हैं वे कभी प्रमाणीक नहीं मानी जा सकतीं तथा उतना अ श चर्चासागरका भी प्रमाणीक नहीं हो सकता इस रूपसे समस्त चर्चासागर प्रमाण कोटिमें नहीं आ सकता । जो महानुभाव चर्चासागरके समस्त अंशको प्रमाण मानते हैं वे गलती पर हैं और वह खोटा पक्ष ले कर जैनधर्मकी निर्मलताको नष्ट करना चाहते हैं ।

भाई रतनलालजी द्वारा चर्चासागरकी जिन बातों पर आपत्ति थी गई है । वे सभी बातें दूसरोंकी नकल हैं । वरिनिवारण सं० ८५० में श्वेतास्वर साधुओंमें मंदिर मार्गकी प्रथा शुरू हुई थीं । वे सोग मन्दिरोंमें रह निकले थे । और मन्दिरोंमें रहनेकी पुष्टिमें श्वेतास्वर साधुओंने बहुतसे अन्य भी बना डाले थे । उनकी देखा देखो दिग्म्बर जैन मुनियोंमें भी यह रोग फैला । कुछ दिन बाद जो दि० जैन अन्य बने उनमें भी मुनियोंका मन्दिरोंमें रहना पुष्ट किया गया । उन गियिलाचारी व्यक्तियोंके बताये अन्योंसे चर्चासागरमें मुनियोंका जन मन्दिरोंमें रहना बताया गया है जो कि कभी प्रमाण नहीं माना जा सकता । क्योंकि प्राचीन प्रथाओंके कर्त्ता पूज्य आचार्योंने उनका रहना पर्वतकी शुक्रा गिराव नदी तट आदि स्थानों पर ही कहा है । यह बात अनेकानेक प्रमाणोंसे अच्छी तरह खुलासा की गई है । योवर अनेक जीवोंका ८० ढ है उसका उच्योग करनेसे अहिंसा धर्म का पालन नहीं हो सकता उस निकृच्छ गोवरसे भागवान् जिनेंद्रकी बाहती करना चर्चासागरमें लिखा है यह हिन्दूधर्मको नकल की गई है क्योंकि हिन्दूधर्ममें गोवर गोमूत्रको अधिक पवित्र अमृत तुल्य माना है । यद चात लघिकर प्रतिष्ठा पाठोंमें दीख पड़ती हैं । प्रति-प्लापाठों के कर्ता प्रायः हिन्दूधर्मके पक्ष गनी ब्राह्मण हुए हैं । उनके द्वारा वैसा लिखा जाना स्वाभाविक है इसी प्रकार आद्य, बिंडिशन, तर्पण, गोदान, भूमिदान, कलशादान, प्राणायाम, आचमन आदि आते भी परमत की हैं जियिलाचारी जैन पंडितोंने उनको नकल की है और जैनधर्मका रूप देनेकी चेष्टा की है । इन

चातोंका चर्चासागरमें वर्णन किया है। देवोंको मासाहारी बतलाना। माला और आसनोंको ही सर्वस्व मानकर उनका बुराभला फल फहना पूजा और ध्यानका तत्व न समझना। प्रायश्चितका स्वरूप पूर्वाचार्योंके मतानुसार न कहना आदि धर्मविश्वद्वय चातोंका भी चर्चासागरमें बड़े विस्तारसे विधान किया है। इन चातोंके विधानसे आड़म्पर रहित निर्मल जैन धर्मको आड़म्परी धर्म सिद्ध किया। गया है, जिससे कि जैनधर्मकी असलियती कभी कायम नहीं रह सकती। इस प्रकार इन धर्म विश्वद्वयोंका चर्चासागरमें विधान इत्तेउसे प्रमाण कहना स्वातंत्र धोखा देना है।

चर्चासागरके विश्वद्वयमें जिस समय आवाज उठी थी, बुद्ध मानी इसीमें थी कि बड़ो शान्तिके साथ यह बात मिटा दी जाती और समाजको क्षुद्र होनेका भोका न दिया जाता। परन्तु जिन लोगोंके सामने यह विषय रखला गया उन्होंने बुद्धिमानोंसे काम नहीं लिया। कलकत्तामें पंडित मक्खनलालजीसे चर्चासागरके विषयमें भाई भाऊरीजीने कुछ पूछा तो पंडितजीका माथा एकदम गरम हो गया यदि उस समय उनके पास उत्तर न था तो शांतिसे भाऊरीजी शादिको संतुष्ट कर देना था। परन्तु उन्होंने अंडबंड बोलना शुरू कर दिया। उस समय जिन उपस्थित विद्वानोंने विरोध किया उन्हें भी मूर्ख और अज्ञानी कहा गया। जब उपस्थित विद्वानोंने पंडितजीके सामने उपस्थित होकर अपनी मूर्खता और अज्ञानिताकी परीक्षा करानी चाही तो

पंडितजीने मुँह छिपा लिया मैदान छोड़कर पलायांचके हुए। अपरसे तो यह जान पड़ा कि पंडितजी अब शांत हैं। इस बात को न उठावेंगे परन्तु वह पराजयकी अस्त्रिंटकी अग्निके समान उनके हृदयमें वरावर धधकती रही और दो मास बाद वह चर्चा सागरपर शास्त्रीय प्रमाण। इस द्वे कृके रूपमें जोरसे जल उठी। जो बातें चर्चासागरमें भ्रष्ट थीं उन्हें पंडितजी भ्रष्ट कह देते तो भी सन्तोष था अथवा उनकी पुष्टिमें मान्य प्राचीन ग्रन्थोंके प्रमाण देने तो भी ठीक था परन्तु उन भ्रष्ट बातोंका पंडितजीने मंडन किया, प्रमाण भी प्रायः उन ग्रन्थोंके दिये जो ग्रन्थ जैन समाजमें बहिष्कृत हैं—समाज उनका नामतक लेना नहीं चाहता। यदि मान्य ग्रन्थोंके कुछ बचन पंडितजीने उद्धृत किये हैं तो उनका तोत्पर्य नहीं समझा है। आदिपुराण, राजवार्तिक आदि सबोंका भाव उलटा समझ लिया है। तिसपर भी चर्चा सागरके विरोधी लोगोंको जगह २ गाली ढीं है सार यह है कि पं० मंक्षेपनलालजीने एक सारहीन पोधा निकाल कर जन धनकी शक्तिको छिन्न भिन्न कर डाला है। हमें पंडितजीसे कोई द्वेष नहीं और न संपादक सहायक प्रेरक और प्रचारकोंसे हमारा वैमनस्य है क्योंकि वे सभी महानुभाव हमारे मान्य और बढ़ हैं। द्वेष हमें जैन धर्मकी विपरीत बातोंकी पुष्टिसे है। चर्चासागरमें दि० जैन धर्मके विपरीत बातोंकी पुष्टि की है। निसपर भी दूसरोंको नीचा दिखाने हुए पं० मंक्षेपनलालजीने उस धर्म विलोप पुष्टिकी और प्रमाणोंभापोंसे और भी पुष्टि कर बड़ा अनग्रह कर डाल

है जिसे कोई भी सच्चा जैनो सहन करनेके लिये तैयार नहीं । इसी लिये हमें इस ट्रॉकटके लिखनेके लिये प्रयास करना पड़ा है । अहंकारवश किसीको नीचा दिखाना हमारा भाव नहीं । भाई मक्खनलालजीके कटुक शब्दोंकी तो हमें अवश्य समालोचना करनी पड़ी है पर वहापर भी जो हमने लिखा है वह पंडितजीके शब्दोंका उत्तरमात्र है, कथायभावसे प्रेरित हो हमने वैसा नहीं लिखा । हम तो पं० मक्खनलालजीको अपना परम उपकारी समझते हैं जिनकी कृपासे हमें सैकड़ों शास्त्रोंके देखनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ अनेक विषयोंपर विचार करनेका मौका मिला । तथा इन धर्म विरुद्ध वातोंपर विचार करनेका भी अवसर प्राप्त हुआ यदि पंडितजी इन भ्रष्ट वातोंका पक्ष न लेते तो आगे जाकर महा अनर्थ होनेकी संभावना थी । यदि वे ट्रॉक्ट न लिखते और खास रूपसे हमें न छेड़ते तो इस विशेष ज्ञान प्राप्तिका सौभाग्य हमें कहा मिलता ?

चर्चासागर ग्रंथको भी हम परम उपकारी मानते हैं जिसकी कृपासे हमें जैन ग्रंथोंमें भी असली नकलीपनका पता लग गया यद्यपि स्वनामधन्य आचार्यकल्प पं० टोडरमलजीने मोक्षमार्ग प्रकाशमें शियिलाचार जैनधर्मको पवित्रताका अत्यन्त घातक है इस विषयपर अच्छा प्रकाश डाला है तथापि वह हमने पढ़ा ही था अनुभवमें नहीं लिया था परन्तु चर्चासागरकी कृपासे वह बात अनुभवमें भी आ गई । हमें यह खूब मालूम हो गया कि ग्रान्तीन आचार्योंके नामसे शियिलाचारियोंने ग्रंथ निर्माणकर उनमें

धर्म विस्तृदृध बातोंका बेस्ता २ भयकर समावेश कर डाला है। इच्छारथीलोंकी दृष्टिये अब चर्चासागर ही वहिष्कृत नहीं किन्तु जिन भ्रष्ट ग्रन्थोंके इसमें प्रमाण दिये हैं वे ग्रन्थ भी अब वहिष्कृत समझे जाने लगे हैं यदि चर्चासागरका इस प्रकार प्रचार न होता तो उन भ्रष्ट ग्रन्थोंकी पोल न खुलती। चर्चासागरके इस वहिष्कारसे सद्गुच्छमें जैन सिद्धांतकी बड़ी भारी रक्षा हुई है जिस बलिदानसे धर्मकी रक्षा हो वह बलिदान बड़ा ही महत्वशाली है। भगवान निकटांकदेव का बलिदान भी इसी लिये महत्वशाली था कि उससे परमपावन लौनधर्मकी रक्षा हुई थी। चर्चासागरके वहिष्कार वा बलिदानसे जैन सिद्धांतकी चहुत बड़ी रक्षा हुई है इसलिये यह बलिदान भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। भोले लोग इसके बलिदानका महत्व न समझे तो उनकी भूल हैं। उन्हें इसके बालिदानका तत्व सनझना चाहिये और उसका मनन करना चाहिये। पवित्र जैन सिद्धांतकी रक्षा ही सर्वस्व है।

यद्यपि हमने इस टुकूके लिखनेका प्रयोजन रपष्ट कर दिया है तथापि निजानुभवसे हमें यह जान पड़ता है कि प००मवर्षनलालजीकी प्रहृति हमपर प्रसन्न होनेमें संकोच करेगी। इसलिये हमारी इनसे यह नष्ट प्रार्थना है कि वे हमारे लिखे थेरे और अपने लिखे प्रमाणोंपर शात चित हो विचार करें। आशा है हमारी प्रार्थना पर वे अवश्य ध्यान देनेकी कृपा करेंगे।

॥ समाप्तः ॥

नम्र निवेदन

प्रायः सुख्य मुख्य नगरोंकी पंचायतियों एवं
अनेक विद्वान् और धनी मानी सज्जनोंने इस
चर्चासागरका जोरोंसे बहिष्कार किया है वे तो
इस ट्रैक्ट पर अपनी सम्मति भेजेंगे ही परन्तु
जिन पंचायतियों या विद्वानों और श्रीमानोंने
अब तक इस ग्रन्थका बहिष्कार न किया हो वे
इस ट्रैक्टको भली भाँति मननकर और विचार
कर शीघ्र अपनी सम्मति भेजनेकी कृपा करें ।

विनीत—
रत्नलाल झांझरी ।